राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तीसवां दिवस [संख्या: 18

शुक्रवार,
24 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री बच्चू सिंह।

बयाना के जनरल अस्पताल का क्रमोन्नयन

403. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बयाना के जनरल अस्पताल को 50 बैड से 100 बैड करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में 100 बैड के अनुसार सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के रूपवास, रूदावल, बयाना, व अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्मिकों के कितने-कितने व कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): मंत्री महोदय हैं ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी गंभीर बात है कि प्रश्न आ गया और माननीय मंत्री महोदय नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गंभीर बात कोई और हो नहीं सकती। इसका मतलब सरकार किसी भी जनहित के मुद्दों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए गंभीर नहीं है। जब मंत्री ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके होते हुए इन्होंने सदन का मजाक बना लिया है। आपके होते हुए भी।

श्री अध्यक्ष: आ गए। आपने पुकारा और वह आ गए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से प्रताड़ना मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्री जी, आराम से, कोई जल्दी नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)**:** थैंक्यू।

श्री अध्यक्ष: हो जाती है, ऐसी चूक। सड़क पर हो जाती है, इसलिए आप मत घबराइए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ) **:** (1) बजट घोषणा वर्ष 2016-17 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में शय्याओं की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किये जा चुके हैं। 100 बैड के मापदण्ड के अनुसार विस्तार की कार्यवाही हेतु वर्तमान अस्पताल परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इस कारण वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना पर 75 बैड लगाये जाकर मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विस्तार की कार्यवाही हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में 100 बैड के अनुसार मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र बयाना में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 63 पद रिक्त हैं इनमें 18 पद चिकित्सकों के तथा 45 पद अराजपत्रित संवर्ग के हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी/ सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशयलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा संभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 684 चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अराजपत्रित संवर्ग के पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति से तथा सीधी भर्ती के पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी बता रहे हैं कि वहां पर जगह नहीं है। वहां ओपीडी वार्ड है, उसके ऊपर भी हम भवन बना सकते हैं। ओपीडी वार्ड के ऊपर 25 बाई 75 की जगह है, उसके ऊपर भी भवन बन सकता है। उसके पीछे भी 50 बाई 40 की जगह पड़ी है, उसमें भी भवन बना सकते हैं। उसके अलावा एक तहसील है, तहसीलदार बैठते हैं, साथ में ही लगी हुई जगह है, जहां पर एस.डी.एम. साहब बैठते थे, एस.डी.एम. साहब की जगह खाली हुई है। अब तहसीलदार को वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। वह भी जगह हमारे पास है। तो जगह की कोई कमी नहीं आएगी। जगह भी मिल जाएगी। इसमें हमें अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। जो मशीनें वगैरह आनी हैं घोषणा भी की है कि सोनोग्राफी मशीन जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएगी। 'आपके द्वार सरकार' के समय राजेंद्र राठौड़ जी आए थे, वह घोषणा भी करके आए कि जल्दी से जल्दी सोनोग्राफी मशीन वहां पहुंचा देंगे। एक समस्या रूदावल पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में रैफरल कराने की है। पूर्व मंत्री महोदय राजेंद्र राठौड़ जी खुद घोषणा करके आए थे कि अब के बजट में रूदावल हास्पिटल को रैफरल करवा देंगे। इसके अलावा फाड़पुर पी.एच.सी. से सी.एच.सी. 2014 में हुई थी। उसका बजट भी आ गया है, पर अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है। उसकी वित्तीय स्वीकृति मिलनी चाहिए, मंत्रीजी आपसे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मिली है कि तहसील के लिए कोई नया तहसील भवन बन गया है। हम कलक्टर से संपर्क में हैं कि जो पुराना तहसील भवन पास में ही है, वह मिल जाए। वह नहीं मिलेगा तो ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास यह है कि वह तहसील भवन मिल जाए, क्योंकि दूसरा भवन बन चुका है। इसलिए हम इसकी कोशिश कर रहे हैं।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): वित्तीय स्वीकृति भी नहीं मिली है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वित्तीय स्वीकृत सब हो गई है, जैसे ही अपने को जगह मिलेगी, तब काम चालू कर देंगे।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): इसके अलावा हमारे फाड़पुर में वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। जिससे डॉक्टरों को पेमेंट नहीं मिल रही है। वे रूपवास जाते हैं। 2014 में पी.एच.सी. से सी.एच.सी. हुई है, उसकी अभी तक नहीं मिली।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह मैं दिखवा लूंगा। आप मेरे से मिल लेना और बता देना क्या है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न, श्री भजनलाल। यह बयाना के संबंध में प्रश्न है।

श्री भजन लाल (वैर): बिलकुल बयाना, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, बयाना का ही मामला है, पिछली बार भी आपने 75 बैडों की घोषणा की थी और पिछले बजट में भी प्रावधान था। मेरे क्षेत्र की 15 पंचायतें बयाना सी.एच.सी. में आती हैं, उसमें ज्यादा लोगों को आना-जाना रहता है, वह पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उसे शीघ्र 100 बैड का करें। मेरा दूसरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत महरावर में चार साल पहले पी.एच.सी. स्वीकृत हुई है, लेकिन पी.एच.सी. स्वीकृत होने के बाद आज तक वहां पर भवन नहीं बना है और वहां पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया। कलक्टर साहब द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया। दूसरी चीज सी.एच.सी. गड़ासिया खेड़ली है, वह क्रमोन्नत हो गई। (व्यवधान) सर, यह बयाना की है। आप रिकॉर्ड देखें, यह बयाना की है। मैं आपसे गलत बात क्यों करुंगा। यह बयाना की है। इसमें भी जगह अलाटमेंट कर दी। उसकी राशि स्वीकृत पड़ी है। उसके लिए आप लोग राशि नहीं दे पा रहे हैं। महरावर और कलसाड़ा में डॉक्टर नहीं है। दोनों पी.एच.सी. पर डॉक्टर नहीं है। तीन दिन डॉक्टर वहां बैठता है और दो दिन डॉक्टर वहां बैठता है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जहां-जहां पर बयाना में पी.एच.सी. हैं, उनमें आप शीघ्र डॉक्टर भरें। मैंने जो आपको दो-तीन मामले बताएं हैं, उनकी बिल्डिंग के लिए आप पैसा स्वीकृत करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जहां-जहां पर पी.एच.सी., सी.एच.सी. और उप केंद्र की बिल्डिंग नहीं है, वहां हर वैकल्पिक जगह पर पी.एच.सी., सी.एच.सी. और उप केंद्र चल रहे हैं और जल्दी ही जहां-जहां स्थान उपलब्ध हो जाएगा, हम वहां पर भवन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने बताया कि यदि तहसील की जमीन मिल जाती है तो हम जल्दी ही काम चालू कर देंगे, नहीं तो फिर इस बिल्डिंग के ऊपर ही बनाएगे।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो डॉक्टरों के बारे में पूछ रहा हूं कि उसमें डॉक्टर कब तक लग जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जब डेंगू की

(श्री भजन लाल)

महामारी फैली थी, तो मैंने खुद बयाना में जाकर निरीक्षण किया था। मैं खुद बयाना सी.एच.सी. में गया था, वहां की व्यवस्थाएं बड़ी खराब हैं। वहां पर किट नहीं है, डेंगू की किट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि बयाना में पी.एच.सी. से सी.एच.सी. हुई है, उसकी अब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए राजस्थान में 18 पी.एच.सी. ऐसी है, जिनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, उनकी वित्तीय स्वीकृति कब तक मिल जाएगी?

श्री अध्यक्ष: नो, नो, राजस्थान का सवाल नहीं। बयाना के बारे में नहीं है। जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 684 डाक्टर्स के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। चार हजार से ज्यादा डाक्टर्स के पद तो भर दिए गए हैं और 684 की प्रकिया चल रही है। जैसे ही डाक्टर्स मिलेंगे, बयाना में प्राथमिकता के आधार पर लगा देंगे।

श्री भजन लाल (वैर): अध्यक्ष महोदय, बस एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिए। अगला प्रश्न, श्री गिर्राज सिंह।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया। जवाब नहीं आएगा। नहीं, बैठिए।

श्री भजन लाल (वैर): मैं बहुत कम बोलता हूं। मेरे क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष: आपने कर लिया अपना प्रश्न। बैठिए, अब नहीं आएगा जवाब।

प्रश्न संख्या 404

श्री गिर्राज सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

बहुत चर्चा हो चुकी शिक्षा पर, शायद इसलिए वह नहीं आए हैं। अगला सवाल, श्री अमृतलाल।

मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालयों में फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन

405. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत प्रथम फेज के 800 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में फस्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों को अब तक फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: यह भी शिक्षा राज्य मंत्री जी का है, जवाब दीजिए।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी)**:** जी हां। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षा ग्रेड फर्स्ट के पद स्वीकृत है, परन्तु उक्त पद राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के नियमों में एनकेडर (संवर्गित) नहीं होने के कारण उक्त रिक्त पदों को भरा जाना संभव नहीं है।

व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट के पद को नियमों में एनकेडर (संवर्गित) किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट का पद नियमों में एनकेडर (संवर्गित) होने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत पदों को सीधी भर्ती के राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रशन नम्बर एक।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर)**:** माननीय अध्यक्षजी, मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान शिक्षा सेवा नियम,1970 एनकेडर (संवर्गित) नहीं होने के कारण रिक्त पदों को भरा जाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि शारीरिक शिक्षक फर्स्ट के पद नियम में एनकेडर (संवर्गित) किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जबकि 1970 के नियम बने 46 वर्ष हो गए है। कई नौजवान शारिरिक शिक्षक भटक रहे हैं। कई सरकारें चेंज हो गईं, इसके बाद भी 1970 का नियम चेंज क्यों नहीं किया गया, यह बताया जाए।

साथ ही प्राइमरी में कितने शारीरिक शिक्षक हैं, मिडिल में कितने हैं, सैकण्डरी और सीनियर में शारीरिक शिक्षक कितने हैं, यह भी बताया जाए?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षा के, जो प्रश्न किया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम,1970 में यह एनकैडर इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

नाम से तो नहीं था लेकिन यह यहां पर आपके अलग प्रकार से यह पद चल रहा था जिसमें डीपीसी पिछले समय होती रही है, उसमें व्याख्याता, एनकैडर करने का तय किया है उसके अनुसार शारीरिक शिक्षक ग्रेड वन, शारीरिक शिक्षक ग्रेड दो, शारीरिक शिक्षक ग्रेड तीन, इनके पदों का हमने पुन: निर्धारण किया है। उसके अनुसार जिन स्कूलों में 750 से अधिक बच्चे हैं उनमें ग्रेड ए का शारीरिक शिक्षक अध्यापक होगा, 251 से 750 हैं, उनमें सैकिण्ड ग्रेड का उपलब्ध होगा, 250 से कम है उनमें थर्ड ग्रेड का टीचर उपलब्ध होगा।

आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि जब हमने यह सत्ता ली उस समय केवल सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी और सबमें केवल 8 हजार पीटीआई के पद भरे थे। आज 13 हजार 526 सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी सबमें यह पद सृजित हैं और वहां पर पीटीआई उपलब्ध है।

जहां तक माननीय विधायक महोदय ने पूछा प्राइमरी एजुकेशन में पहले कोई शारीरिक शिक्षक का पद नहीं रहता था। हमने आकर इसका पुनर्निर्धारण किया। जहां पर 120 से अधिक अपर प्राइमरी स्कूल है वहां पर इसका पद हमने सृजित किया। आज 8 हजार 126 पद वहां सृजित हैं। उनमें पीटीआई के 4 हजार 172 पद भरे हुए हैं, बाकी पदों को हमने फाइनेंस को भेज रखा है ताकि वह पद भी हमें जल्दी मिल जाएं ताकि अपर प्राइमरी स्कूल में भी शारीरिक शिक्षक उपलब्ध करा सकें। अगले तीन महीने के अंदर हम यह पद एनकैडर करवा देंगे ताकि इन लोगों का भी प्रमोशन हो सके।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे आप?

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि हमारी केन्द्र सरकार द्वारा योग की कक्षा लगाकर पूरे विद्यालयों में योग शिक्षा दी जा रही है, जब शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे, आप एक तो यह बताएं कि शिक्षा 1970 का नियम है इसमें कब तक बदलाव लाएंगे, समय बताएं, कितने समय में आप शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे? जब विज्ञप्ति जारी की उससे पहले यह सारी बातें, आप बदलाव क्यों नहीं लाए, यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 की अनुसूची 5 में क्रम संख्या 7 ए पर लैक्चरर इन कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन, 7 बी पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इन टीचर्स

(श्री वासुदेव देवनानी)

ट्रेनिंग कालेज एंड बीएसटी स्कूल तथा 7 सी पर सुपरवाइजर के पद संवर्गित थे। अत: इन्हीं के अगेन्स्ट में यह प्रमोट होते रहे। 2008 में हमारी सरकार के समय यह ध्यान आया तब आरपीएससी ने कहा कि वहीं पद संवर्गित हो जिस पर आप प्रमोट करना चाह रहे हो। उसके बाद नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चली लेकिन पिछले पाँच साल उस दौरान इस पर कोई प्रगति नहीं हुई। अब जब हम इतने सारे क्रमोन्नत किए, हमने नये सिरे से पदों की व्यवस्था की, उस समय सारी चीजें ध्यान आईं। उस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। मुझे लगता है कि अगले दो-तीन महीने के अंदर हम इस प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। यह संवर्ग भी होगा और बाकी टीचर्स को भी जिनका ड्यू हैं, डीपीसी के योग्य होंगे तो डीपीसी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हम इन पदों का भी सृजन करके पद भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। आपस में बातचीत नहीं। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, आपको बुला रहा हूं मैं, पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि आप शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आदर्श स्कूल खोलने के लिए जिस तरह का अपना बयान देते रहे है, लेकिन आज भी प्रदेश में जितने फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक हैं उसमें से 2/3 जो पद स्वीकृत है वह रिक्त हैं। लगभग सवा तीन-साढ़े तीन साल होने को आए, आपने पदोन्नति के लिए प्रयास नहीं किया। आपने नई भर्ती के लिए प्रयास नहीं किया। आप बता रहे हैं कि 751 से नामांकन वाले में लगेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे सीकर जिलें में दो विद्यालय ऐसे हैं जहां खटूंधरा और अजमेरी, नीमकाथाना, और खंडेला में, 250-300 पर लगा रखे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 751 वाले पर हम फर्स्ट ग्रेड का शारीरिक शिक्षक लगाएंगे। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि कितने पद फर्स्ट ग्रेड के स्वीकृत हैं, कितने आज की तारीख में रिक्त हैं, 751 वाले कितने विद्यालय हैं जहां पर यह पद रिक्त हैं, उनमें कब तक आप फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति कर देंगे? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, उसका उत्तर फर्माने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवा तीन साल का जरूर जिक्र किया लेकिन यह 1970 के नियम है। इस दौरान अधिकांश समय यह सरकार में रहे, कभी ध्यान में नहीं आया। यह तो हमारे ध्यान में

(श्री वासुदेव देवनानी)

आया 2008 में जब आरपीएससी ने कहा कि सेम पद होगा तो ही हम इसको ओके करेंगे तब 2008 से प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन किसी कारण से मैं राजनीतिक बात पर नहीं जाना चाहता, उस पाँच साल में भी गति नहीं बढ़ी। जैसी ही हमने क्रमोन्नत किए सारी बातें ध्यान आईं कि कहां कितने पद होने चाहिए, उस के अनुसार आपने पूछा कि 750 से अधिक वाले 283 स्कूल हैं और सृजित पद 294 हैं, रिक्त 217 हैं। यह सही है कि 2/3 पद खाली है। चूंकि इसमें काफी पदोन्नति के पद हैं, तो पदोन्नति इस कारण नहीं हो रही थी कि यह उस केडर में एनकैडर नहीं थे। उस एनकेडर की हमने प्रक्रिया शुरू की है। जैसा कि मैंने कहा दो-तीन महीने के अंदर यह प्रक्रिया, पहले सारा एग्जामिन करवाकर हम आरपीएससी के पास गए हैं, वहां से आने के बाद, डीओपी में भेजकर हम निश्चित रूप से इन पदों को एनकैडर में लाएंगे। इन पदों को भी आगामी दो-तीन महीने के अंदर भर देंगे। ताकि साढ़े सात सौ से अधिक का कोई भी विद्यालय खाली नहीं रहे। मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि जब ये सारे क्रमोन्नत हुए उस समय लगभग पाँच हजार स्कूलों में पी.टी.आई. नाम की चीज ही नहीं थी। आज मैं यह कह सकता हूं कि 13526, चाहे उसमें फर्स्ट ग्रेड होगा, चाहे सेकिण्ड ग्रेड होगा, चाहे थर्ड ग्रेड होगा, सभी में आज पी.टी.आई. उपलब्ध हैं। चाहे वह फर्स्ट ग्रेड की जगह सेकण्ड ग्रेड का हो, लेकिन सारे में आज पी.टी.आई. उपलब्ध हैं। इस नाते, यह नहीं कह सकते। हम सीरियसली प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन यह टैक्निकल प्राब्लम आई, उस टैक्निकल प्राब्लम को भी हम हल कर रहे हैं। यह किसी समय की नहीं है, यह पिछले कई, 1970 का आप कह रहे हो तो आज तो हम 2017 में कह रहे हैं, लेकिन यह कहीं ध्यान में नहीं आया। प्रमोशन होते रहे, अब जब आर.पी.एस.सी. ने उठाया तो हमें भी ध्यान आया और हमने शुरू कर दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसको हम पूरा करेंगे और उसको एनकैडर करके जो भी सैकिण्ड ग्रेड के एलिजिबल लोग होंगे उनका हम प्रमोशन करके, उनका जो ड्यू है, उनको हम वह देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ढाई सौ में तो बैठे हैं और साढ़े सात सौ में नहीं हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। प्रदेश में ढाई सौ वाले में भी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वही बता रहा हूं।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले सत्र में शारीरिक शिक्षकों और सभी विभागों के कार्मिकों के लिये एक सर्कुलर जारी हुआ था कि अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिक जो बाहर कार्यरत हैं, चाहे वह शारीरिक शिक्षा का, कोई भी है, उनको अपने जिले में जाने के लिये विकल्प मांगे थे। इसी तरह से गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो कार्मिक अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको बाहर जाने के लिये भी विकल्प पत्र भरवाये थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह आदेश, और जो विकल्प पत्र भरवाये हैं, उनकी पालना कब तक करेंगे और उस क्षेत्र में शारीरिक शिक्षकों को कब तक ले जाएंगे और जो उस क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हैं, उन कार्मिकों को बाहर कब करेंगे, मैं जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक ने पूछा था, इनका भी उत्तर दूंगा, कि जो ढाई सौ से सात सौ पचास वाले टोटल 8025 स्कूल हैं, जिनमें ढाई सौ से साढ़े सात सौ छात्र संख्या है, उनमें अभी 4091 में तो सैकिण्ड ग्रेड के लगे हैं, सैकिण्ड ग्रेड के केवल 317 पद ही खाली हैं। लेकिन अब सैकिण्ड ग्रेड के होने हैं, तब तक थर्ड ग्रेड के हमने वहां टीचर्स दे रखे हैं, ताकि पी.टी.आई. का कोई पद खाली न रहे। ढाई सौ से कम वाले केवल 5218 विद्यालय हैं, तो थर्ड ग्रेड के यहां सभी जगह हैं, लेकिन बाकी जो 3500 हैं, वे अपन ने सैकिण्ड ग्रेड के अगेंस्ट में इनको दे रखे हैं ताकि हर स्कूल में पी.टी.आई. सीनियर सैकण्डरी स्कूल और सैकण्डरी स्कूलों में रहें, तो आज की तारीख में कोई खाली नहीं है।

माननीय विधायक महोदय ने जो पूछा कि शारीरिक शिक्षक के, वैसे यह प्रश्न अलग से है, क्योंकि ये तो जब ट्रांसफर खुलेंगे, उस समय जरूर इनकी बात को ध्यान रखेंगे। बाकी टी.एस.पी. एरिया के अधिकांश लोग हमने टी.एस.पी. में भेज दिये हैं। फिर भी कोई रह गया है, वे भेजेंगे तो नियमानुसार उस पर भी हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती शिमला बावरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महाविद्यालय के लिये दबाया था।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अच्छा, वह आपका दबा ही रह गया।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): जी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अजीत सिंह।

टोंक नगर परिषद् द्वारा खांचा भूमि का आबंटन

406. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) नगर परिषद टोंक में गत दो वर्षों में कुल कितनी-कितनी खांचा भूमि किन-किन को आबंटित की गई? वर्षवार, नामवार, वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खांचा भूमि व्यावसायिक भूमि के पास या सामने दी जा सकती है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किन-किन को दी गई? वर्षवार, नामवार, वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खांचा भूमि एवं व्यावसायिक भूमि आबंटन करने के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): अध्यक्ष महोदय, बार-बार करण्ट आ रहा है, क्या चक्कर है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं पड़ोस में बैठा हूं, इसलिये मेरे को भी करण्ट आ रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जसवंतजी यादव मेरे पास में है, इसलिये करण्ट ज्यादा ही आता है।

श्री अध्यक्ष: आप हमेशा इसी सीट पर बैठेंगे तो हम इसको बड़ा करवा देंगे।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) नगर परिषद टोंक द्वारा विगत दो वर्षों में कोई खांचा भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(2) जी हां। नगर परिषद टोंक द्वारा विगत दो वर्षों में किसी को भी खांचा भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(3) व्यावसायिक भूमि एवं खांचा भूमि आबंटन के सम्बन्ध में क्रमश: राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 15 व नियम 23 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री अजीत सिंह (टोंक)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये खांचा भूमि किसे कहते हैं तथा खांचा भूमि कब तक, कितने माप में जाती है? यह पहला सवाल है। क्या खांचा भूमि व्यावसायिक भूमि के पास या सामने दी जा सकती है? मेरा एक सवाल भी है कि टोंक में दो साल में खांचा भूमि के लिये कितने आवेदन आये और आवेदन आये तो उनको निरस्त किन मापदण्डों पर किया गया? माननीय मंत्री महोदय से ये मेरे सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, खांचा भूमि, जो राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 23 के तहत खांचा भूमि का आबंटन किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। वैसे तो मैं इनको सब उपलब्ध करा चुका हूं, लेकिन यह बात सही है कि इसमें जो नियम बने हुए हैं, और पिछले 2012-13 और 2013-14 के बारे में जो इन्होंने जानकारी मांगी है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इन दो वर्षों में दस ऐसी खांचा भूमि आबंटित की गई जो नियम विरुद्ध हैं। नियम विरुद्ध का मतलब, नगर परिषद को उससे लाभ हो सकता था, लेकिन उन्होंने खांचा भूमि के रूप में आबंटन कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है, क्योंकि यह इन दो वर्षों में नहीं, उससे पुराना मैटर है, उसके बाद भी आपको यह लगता है कि यह गलत हुआ है तो मैं इसकी जांच करा कर निश्चित रूप से नियमानुसार कार्यवाही कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि खांचा भूमि क्या है, एक तो यह किसे कहते हैं, एक मेरा यह सवाल था। दूसरा, इनके जवाब में यह आया है कि हम खांचा भूमि 100 वर्ग गज से ज्यादा तक दे सकते हैं। एक दूसरा मेरा सवाल है कि जब 100 वर्ग गज तक दी जा सकती है, और आपके नगर परिषद से दी भी गई है तो एक तो डेढ़ सौ वर्ग गज आपने दी है और वह आपने आवासीय के लिये दी थी, जबकि वहां पर बर्फ फैक्टरी है, और बर्फ फैक्टरी के आगे डेढ़ सौ वर्ग गज आपने उसको जमीन दे दी। उसने हमारे 2016 के अन्दर, इन्हीं दो सालों के अन्दर वहां पर तीन सौ वर्ग गज के अन्दर आवासीय की जगह व्यावसायिक दुकानें

(श्री अजीत सिंह)

बनाई हैं। मैं उनके यह फोटोग्राफ भी लेकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब इतने गलत तरीके से हुआ है, नगर परिषद में शिकायत भी कर दी गई है, उसके बावजूद भी निर्माण, इतना बड़ा निर्माण हमारे यहां पर हुआ है और कार्यवाही तक नहीं हुई।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब सौ वर्ग गज का अपना नियम है, डेढ़ सौ वर्ग गज नगर परिषद ने दे दी। उन अधिकारियों ने जब दी है तो उनके खिलाफ अपन क्या कार्यवाही कर रहे हैं। नियम के विरुद्ध दी है। अगर यह गलत तरीके से इसने जिस तरह का आवासीय की जगह व्यावसायिक निर्माण कर लिया, इसके लिये क्या मंत्री महोदय आज सदन में आश्वासन देंगे कि हम इसके खिलाफ तुरन्त तोड़ने की कार्यवाही करेंगे। ऐसा मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि जिस खांचा भूमि की ये बात कर रहे हैं, वह नियम में नहीं आ रही है। लेकिन 100 वर्ग गज से अधिक नहीं हो, वह नगर परिषद आबंटित कर सकती है। लेकिन सौ गज से ज्यादा अगर है तो उसका अधिकार राज्य सरकार को है, राज्य सरकार उसको आबंटित कर सकती है। लेकिन चूंकि यह खांचा भूमि नियम में है कि नहीं है, मैंने इसलिये माननीय सदस्य से निवेदन किया कि इसकी हम जांच करा लेंगे और अगर नियमानुसार, यह बात भी सही है, जो खांचा भूमि, इसका जो नियम है, मैं बता दूं, अध्यक्ष महोदय, कि भू-पट्टी से अभिप्रेत एक विद्यमान भूखण्ड से लगे हुए भूमि के भाग से अभिप्रेत है, जिसका कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं हो, उस क्षेत्रफल में किसी भी अवस्था में 100 वर्ग गज से अधिक नहीं हो, कोई भी भू-पट्टी विक्रय नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ये जिस खांचा भूमि की बात कर रहे हैं, वह उस जमीन के आगे है और उसका व्यावसायिक उपयोग हो सकता था और उसका आबंटन करके गलती तो की है, मैं खुद भी मानता हूं। उसकी नीलामी हो सकती थी। लेकिन सदस्य को मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि इसकी हम जांच करा लेंगे और नियम विरुद्ध अगर कोई कार्य हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी कार्यवाही की जाएगी।

श्री अजीत सिंह (टोंक)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच का विषय

(श्री अजीत सिंह)

इसलिये नहीं है, क्योंकि यह जवाब आपके विभाग से आया है, इरफान कुरैशी पुत्र खलील मुन्ना, पुरानी रुई पेच के मैदान में 2012-13 के अन्दर डेढ़ सौ वर्ग गज भूमि आपने आवासीय भूमि के लिये दी है। उसने वहां पर, इस वक्त में फोटो आपको दिखा रहा हूं, जांच का विषय ही नहीं है। मैं खुद वहां से फोटो लेकर आया हूं और सौ वर्ग गज से ज्यादा नहीं दे सकते तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं, जबकि वह नीलाम होकर करोड़ों रुपये की असैट्स थी और आपने, कोड़ियों के अन्दर नगर परिषद ने बेच दी है। मेरा निवेदन है कि खांचा भूमि आवेदन करने वालों में से एक को भी आपने दो साल में जमीन नहीं दी है, और जो अतिक्रमण कर लेते हैं उनके खिलाफ कोई विचार नहीं किया जाता, यह बहुत चिंता का विषय है। मंत्री महोदय, इसको आप जरूर दिखवाएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)**:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन कर रहा था कि मैं खुद भी इसको मान रहा हूं कि सौ गज तक की खांचा भूमि नगर परिषद को अधिकार है, वह भी व्यावसायिक नहीं हो और जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो तो, यह जो बता रहे हैं डेढ़ सौ गज के ऊपर राज्य सरकार उसको आबंटित कर सकती है। अगर यह गलत हुआ तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि निश्चित रूप से उसकी कार्यवाही करेंगे। एक बार इसकी जांच करा लें और जांच करके निश्चित रूप से 15 दिन के अन्दर हम कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न, श्री मानसिंह। मामला टोंक का है।

श्री मान सिंह (गंगापुर)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि टोंक नगर-परिषद में खांचा भूमि सहित जो इंडस्ट्रियल लैंड, हमारे मंदिर माफी की जमीनें और चरागाह भूमि है, जिनके बारे में सरकार की कोई योजना नहीं होने से उन पर कब्जा हो रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह अलग से प्रश्न हो गया। आप तो ....(व्यवधान)....

श्री मान सिंह (गंगापुर)**:** मेरे टोंक नगर परिषद में ही है कि खांचा भूमि सहित ऐसी बहुत भूमियां हैं, जिन पर इनके बारे में सरकार और उनकी नगर परिषद की माली हालत ठीक हो सकती है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: हां, और भूमियों का नहीं, यह खांचा भूमि का है, आप अलग-अलग पूछ रहे हो। मैंने आलाउ नहीं किया, नो-नो। ....(व्यवधान)....

श्री मान सिंह (गंगापुर)**:** कोई योजना रखती है? क्या उनके बारे में कोई अलाटमेंट की प्रक्रिया है? क्या वैसे ही कब्जे होते रहेंगे?

श्री अध्यक्ष: नो-नो। श्री रामचन्द्र।

श्री मान सिंह (गंगापुर)**:** मंत्री महोदय, क्या उन पर कब्जे होते रहेंगे या सरकार उनकी माली हालत ठीक करेगी?

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, माननीय विधायक, प्रश्न साफ है, इसके साथ दूसरे कैसे जोड़ रहे हो आप? श्री रामचन्द्र, खांचा भूमि टोंक।

श्री रामचन्द्र (डग)**:** टोंक खांचा भूमि, टोंक के बारे में ही पूछ रहा हूं मैं। स्ट्रिप आफ लैंड में ही तो ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बारे में नहीं, खांचा भूमि टोंक, उसके बारे में पूछिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या तीन है, उसके अंदर ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आपको पूरक प्रश्न के लिए पुकारेंगे, उस समय पूछिये।

श्री रामचन्द्र (डग)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक के अंदर जो मेन रोड पर जमीन है, जहां पर व्यावसायिक दुकानें हैं, उसके आगे जो मेन रोड की जमीन है, वह खांचा भूमि में अलॉट कर दी जाती है तो ऐसी खांचा भूमि जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दुकान के आगे जमीन अलॉट हो जाती है और उससे रोड संकरे हो जाते हैं तो क्या ऐसा माननीय मंत्री महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं क्या? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: टोंक में ऐसा कोई मैटर है तो आप उनको दे दीजिए, जांच हो जाएगी। टोंक में ऐसा कोई मैटर हो तो आप दे दीजिए जांच हो जाएगी।

श्री रामचन्द्र (डग)**:** हां, टोंक में ही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं और यह बात सही है कि जो टोंक में खांचा भूमि आबंटित की गयी है, वह निश्चित रूप से सही नहीं है क्योंकि व्यावसायिक उपयोग उसका हो रहा है। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

जिसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो और जिसका कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं होता, वह ही खांचा भूमि में दे सकते हैं। वहां पर गलत हुआ।

श्री अध्यक्ष: खांचा भूमि की परिभाषा यही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)**:** परिभाषा में ही नहीं आता है यह तो उसकी जांच करके हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारीलालजी, आप इस घेरे में ही, इधर-उधर नहीं। हां।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिंदु संख्या-3 है, इस प्रश्न का यह स्पेसिफिक टोंक का नहीं है। आप इसको जरा अवलोकन फर्मा लें। मैं नियम पूछना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि खांचा भूमि और व्यावसायिक भूमि आबंटन करने के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें, यह प्रश्न है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तविक जो आबंटित भूखंड है, उसके कितने प्रतिशत तक या अधिकतम कितनी भूमि उस भूखंड के मुकाबले आबंटित की जा सकती है? क्या राजस्थान में भूखंड के क्षेत्रफल से अधिक भी, कोई भूखंड खांचा भूमि के रूप में विभाग द्वारा आबंटित किया गया है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था कि 100 गज से अधिक खांचा भूमि आबंटित नहीं की जा सकती और वह भी ऐसी खांचा भूमि जिसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो और जो उसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो, तब ही की जा सकती है और यह मैंने जो, आप कह रहे हैं तो आपको भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर)**:** मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, आपकी सरकार के कार्यकाल का नहीं है, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा कि 125 प्रतिशत, 100 गज नहीं, 125 प्रतिशत भूमि, भूखंड की सवा गुना भूमि के आबंटन के दस्तावेज कल मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, माननीय मंत्री महोदय। उसके बाद कार्यवाही का विश्वास दिलवा दो।

श्री अध्यक्ष: करवा दो आप, जांच हो जाएगी। अगला सवाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ऐसा कोई उदाहरण हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आपने कह दिया कि जांच करवा देंगे, अब प्रश्न क्या है? दिलवा दिया आपने पहले भी विश्वास।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के कोई भी मामले हो, मुझे देंगे तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

प्रदेश में बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने की कार्ययोजना

407. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में इस वर्ष कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा मुक्त किये गये बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों को रोकने के लिए समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

बाल श्रम एक अपराध है और सामाजिक बुराई भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की धारा 24 में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का कारखानों, खदानों तथा खतरनाक नियोजनों में नियोजन प्रतिबन्धित किया हुआ है। बाल श्रम कई प्रकार के व्यवसायों में पाया जाता है जिनमें जोखिमपूर्ण और गैर जोखिम पूर्ण दोनों प्रकार के व्यवसाय आते हैं। बाल श्रम की रोकथाम केवल एक विभाग का दायित्व न होकर कई विभागों का संयुक्त दायित्व है यथा- सामाजिक न्याय, बाल अधिकारिता, पुलिस, श्रम विभाग इत्यादि। चूंकि, यह एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है इसके

(श्रम नियोजन मंत्री)
निवारण व उत्सादन के लिये राज्य सरकार के विभिन्न विभाग समय-समय पर कार्यवाहियां कर रहे हैं ।

सर्वप्रथम बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 पारित कर लागू किया गया परन्तु इसमें और प्रभावी रूप से कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 पारित कर लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत खतरनाक नियोजन के प्रयोजनार्थ कर्मचारी बालक के नियोजन को 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

बाल श्रम रोकथाम हेतु श्रम विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.6.2008 को अपने पत्र द्वारा बाल श्रम रोकथाम हेतु टास्क फोर्स गठन एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया था। राज्य में बाल श्रम की समस्या की रोकथाम हेतु पत्र में दिए गए दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की। टास्क फोर्स में मुख्य रूप से श्रम विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा, जनजातीय विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। जिले में श्रम विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। अच्छा रह गया अभी?

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** अभी तो यह बहुत लंबा है। कई विभागों का मिलकर है न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)**:** बहुत लंबा है साहब, अभी तो यह।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** टास्क फोर्स में और गैर सरकारी संगठनों के सदस्य/अधिवक्ता/ शिक्षाविद् भी नामित किए जाते हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा दिनांक 24 जून, 2008 को जारी पत्र एवं उसी के अनुसरण में प्रमुख शासन सचिव (श्रम एवं नियोजन) द्वारा दिनांक 1.9.2008 को जारी पत्र की प्रति परिशिष्ट- 'अ' व 'ब' संलग्न है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

2. मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा दिनांक 21.8.2012 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल श्रम/तस्करी की रोकथाम के संबंध में एक मानक, अब सवाल ही इस तरह का पूछा है, मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तय की हुई है। यह मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई थी।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें। कृपया बिलकुल नहीं। बैठिये आप, बात नहीं। हां-हां, आप बैठिये, आपस में बात नहीं करें। आप बैठिये सुरेशजी धाकड़, बैठिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई थी। जिसके तहत श्रम विभाग सहित संबंधित विभागों यथा- पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा जिला प्रशासन की भूमिका स्पष्ट की गई है। (प्रति परिशिष्ट- 'स' पर संलग्न है)

3. राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय एवं विशेष अधिनियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता ....(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतना लंबा पढ़ने की अनुमति, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं होती है। ....(व्यवधान)....

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): पाँच विभागों ने मिलकर बनाया है तो सबकी बात तो आएगी ही। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: मैंने दे दी अनुमति, आप बैठिये। ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतनी लंबी अनुमति नहीं होती। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: सवाल के हिसाब से जवाब आ रहा है। मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। ....(व्यवधान)....

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अगले सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हो क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): ज्यादा चिल्लाओगे तो मैं धीरे-धीरे बोलूंगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): गाय के सवाल पर तो आओ। गाय पर आओ। ....(व्यवधान)....

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह गायों का तो आपके ही माथे पर आएगा। अभी रुके दो-चार मिनट, यह आपके ही सिर पर आना है। जो कुकर्म आपने किये हैं, वह अभी इसी में आएंगे, आपके सिर पर। गायों की चिंता मत करो। ....(व्यवधान)....

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर पढ़ूं, इनको चुप करो। मान्यवर, आपको यह पता ही नहीं है कि कितने विभागों का जवाब है।

...अधिनियम के अंतर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास एवं मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति गठित है।

4. बाल कल्याण समिति को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है जिसे किसी भी संस्थान में प्रवेश, छानबीन तथा जब्ती के अधिकार दिए हुए हैं। बाल कल्याण समिति के गठन व सुचारू संचालन के लिये बाल अधिकारिता निदेशालय बना हुआ है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का एक महत्वपूर्ण घटक है।

5. बाल श्रम से संबंधित किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर जिलों में स्थित बाल कल्याण समिति द्वारा तत्काल कार्यवाही कर पुलिस विभाग, प्रशासन, श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों के सहयोग से कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाता है एवं इनका पुनर्वास किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: सुरेश धाकड़, आपस में बातचीत नहीं करें। आप तो पढ़िये। आप जवाब पूरा कीजिये, मैंने उनको टोका है, जो आपस में बात कर रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): 6. श्रम विभाग द्वारा दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम एवं वेतन भुगतान अधिनियम के तहत समय-समय पर अन्तर/बकाया वेतन का क्लेम दायर किया जाता है। इसी क्रम में गत वर्षों में बाल श्रम नियोजित करने वाले 579 नियोजकों के विरुद्ध न्यूनतम

वेतन अधिनियम एवं वेतन भुगतान अधिनियम के तहत क्लेम दायर कर 67,15,726 रुपये के अवार्ड भी पारित किए गए हैं।

7. बाल श्रम रोकथाम हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अंतर्गत परियोजना आधारित कार्यक्रम भी शुरू किया गया। बाल श्रम परियोजना संस्था (सोसायटीज एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर्ड संस्था) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। ..(व्यवधान)....

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): धीमी गति के समाचारों को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यह कोई धीमी गति का समाचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह सबकी जानकारी में आना चाहिये माननीय विधायक।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको लोक सभा जैसी परम्परा डालनी चाहिये, जिसमें यह कह दिया जाता है कि प्रश्न का जवाब सदन के पटल पर रख दिया गया है। इसमें बिना बात का टाइम खराब होता है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): कोई बात का टाइम खराब नहीं होता है। यह पहला क्वेश्चन थोड़े ही हो रहा है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप लोक सभा में रहे हो, मैं इसलिये कह रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, तो यह पहला क्वेश्चन हो रहा है क्या?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं लोक सभा की परम्परा के लिये कह रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): पाँच विभागों का मिलाकर जवाब मांगोगे, जिसके अंदर पाँच विभाग सम्मिलित हों ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप इस प्रश्न को डैफर कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे वाले को, मेरे वाला डेफर हो जाये, आगे वाला ले लो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप क्यों चिल्लाये जा रहे हैं? आप बहुत चिल्ला रहे हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं आपसे नहीं कह रहा। मैं माननीय

(बनवारीलाल सिंघल)

अध्यक्ष महोदय को कह रहा हूं कि अगर दिक्कत है तो मेरे वाले को डेफर करके अगला लेलो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** अध्यक्ष महोदय, उत्तर देना मेरा दायित्व है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़)**:** आप तो 12 बजाओ मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिये। उत्तर दीजिये, आराम से दीजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** .....जिसके तहत संबंधित जिले के जिला कलक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों यथा श्रम, शिक्षा, चिकित्सा, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्‌योग आदि विभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं तथा श्रम विभाग का अधिकारी परियोजना निदेशक का कार्य देख रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आसन से व्यवस्था थी कि गैलेरी में अफसरों से कोई माननीय विधायक बात नहीं करेगा। इस आसन की व्यवस्था का माननीय सदस्य उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं करना चाहिये। आगे पढ़िये। उल्लंघन नहीं करना चाहिये। मंत्री महोदय, शोर्ट कीजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** 8. उक्त परियोजना द्‌वारा जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बाल श्रमिकों का चिन्हिकरण कराया जाकर उन्हें कक्षा 5 तक की शिक्षा 3 वर्ष में निम्न प्रकार शिक्षा दी जाकर कक्षा 6 में अन्य विद्‌यालयों में प्रवेश दिलाया जाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है:-

क्र.सं.	**कक्षा**	**समयावधि**
1.	1 व 2	प्रथम वर्ष (प्रत्येक कक्षा 6 माह)
2.	3 व 4	द्‌वितीय वर्ष (प्रत्येक कक्षा 6 माह)
3.	5	तृतीय वर्ष (ब्रिज कोर्स)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पन्द्रह मिनट हो गये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** पाँच विभाग मिलकर क्वेश्चन है यह। यह तो मेरी हिम्मत देखो कि मैं अकेला जवाब दे रहा हूं। यह चाइल्ड लेबर का मामला है। सामाजिक न्याय का ....(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी आप उत्तर दे नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो। अभी जवाब नहीं दे रहे हो, आप तो पढ़ रहे हो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब आपकी सरकार थी तब स्वाइन फ्लू के क्वेश्चन पर एक घंटे बोले थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति ली है क्या शिक्षा मंत्रीजी ने, यह कैसे खड़े हो गये? क्या हमारे श्रम मंत्रीजी असक्षम हैं क्या? नहीं, हमारे श्रम मंत्रीजी सक्षम हैं, आप इनको असक्षम बनाना चाहते हो। आप बीच में ही खड़े हो गये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यह क्या कहना चाहते हैं? आप जवाब चाहते हो कि नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि देश का बच्चा सुरक्षित रहे, आप नहीं चाहते कि राजस्थान के बच्चे को अपना अधिकार मिले, आप नहीं चाहते कि राजस्थान के बच्चों को शिक्षा मिले।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पर हम यह भी चाहते हैं कि गाय भी बचे। आगे गाय है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): गाय जरूरी है या बच्चे जरूरी है?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मंत्रीजी का जवाब ही पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही डिस्कशन हो गया। पहले जवाब तो पूरा बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप खतम कीजिये जल्दी से। आप जल्दी-जल्दी पढ़कर खतम कीजिये।

एक माननीय सदस्य: अभी 30 प्रतिशत और बाकी है। ...(व्यवधान)... अभी 30 प्रतिशत जवाब और बाकी है अध्यक्ष महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): (2) प्रदेश में इस वर्ष मुक्त कराये गये 698 बाल श्रमिकों की जिलेवार सूची परिशिष्ट द पर संलग्न है। अब जिलेवार सूची तो पढ़नी पड़ेगी मुझे।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, मंत्री महोदय, इसको शोर्ट कीजिये। नहीं, ऐसा नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): (3) बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए इसमें पूछा है। प्रश्न के तीसरे भाग में पूछा है कि सरकार द्वारा मुक्त

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

किये गये बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने के लिये क्या-क्या योजनाएं हैं? इसमें सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जाते हैं:

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फर्मा दें, पढ़ा हुआ मान लेंगे जवाब को। आप आदेश फर्मा दें। यह रिकार्ड पर आ गया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय के यहां जवाब देने के अधिकार पर मैं कटौती नहीं कर सकता। ...(व्यवधान)... जल्दी-जल्दी पढ़ दीजिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** इसमें सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जाते हैं :

1. मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है।
2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाल श्रमिकों को शिक्षा दिलाए जाने के उद्देश्य से राज्य के 27 जिलों में निम्न वर्षों में बाल श्रमिक परियोजनाएं प्रारम्भ की गई। आप सब अपने-अपने जिले सुन लो, किसी में नहीं है तो उसमें भी चालू कर देंगे। आराम से सुनो मैं बोल रहा हूं:-

क्र.सं.	वर्ष	जिले का नाम
1.	1988	जयपुर
2.	1996	उदयपुर
3.	1999	टोंक, जोधपुर, अलवर, अजमेर
4.	2003	भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर,
5.	2004	पाली, नागौर, झालावाड़, भरतपुर, जालौर, चित्तौड़गढ़, बून्दी, झुन्झुनूं, धौलपुर, बांसवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, बीकानेर
6.	2007	बारां, कोटा, दौसा तथा हनुमानगढ़

बाल श्रम परियोजनाएं प्रत्येक जिले के जिला कलक्टर की देखरेख में कार्य सम्पादन करती हैं। ....(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा)**:** ऐसे मंत्रियों का दुरूपयोग हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** सदन का दुरूपयोग हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ....(भारी व्यवधान)....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)**:** यह क्या तरीका है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): +++ ....(भारी व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा)**:** करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं विधान सभा को चलाने के लिए और इस सदन को आपने एक हंसी मजाक का माहौल बना रखा है। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर)**:** गायें मार दी आपने। ...(व्यवधान)... +++ ...(व्यवधान)... मजाक कर रहे हो गाय के नाम पर। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा)**:** आप हंस रहे हो, पांच विभाग हैं, पांच विभाग। आप इस लायक नहीं हो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** अध्यक्ष महोदय, ऐसे मंत्री जी से मुख्य सचेतक बात नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: गायें मार दीं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** जब मंत्री जवाब दे रहा हो तो मुख्य सचेतक निर्देश नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** विपक्ष टोक रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर)**:** शर्म आनी चाहिए इनको। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा)**:** तमाशा बना रखा है क्या आपने। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, मैं चाहता हूं ...(व्यवधान)... इस तरह नहीं। नहीं, बिलकुल नहीं। ...(व्यवधान)... मैं कर दूंगा अभी आपको बाहर जाने का आदेश। ...(व्यवधान)... एक बात सब सदस्य सुन लें। मैं सब को ध्यान में लेकर कहना चाहता हूं। किरोड़ी जी, आप भी बैठिये।

यह आज तय कर लिया जाय कि एक प्रश्न करने में और एक प्रश्न के जवाब देने में कितना समय दिया जाय, उसके बाद उसकी एक भी बात नहीं सुनी जायेगी। यह कर लो। पांच मिनट, दस मिनट, पन्द्रह मिनट। ...(व्यवधान)... बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैं कह रहा हूं। नो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)**:** मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: हां।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)**:** आपको यह तय करना चाहिए। ...(व्यवधान)... जस्ट ए मिनट।

श्री अध्यक्ष: यह थोड़ी है। ...(व्यवधान)... मैं यह कहता हूं यह विधान सभा है, विधान सभा में हरेक को ...(व्यवधान)... बोलने का अधिकार है और मैं चाहता हूं आज यहां तय कर लिया जाय कि एक प्रश्न करने में और एक प्रश्न के सारे पूरक प्रश्न ...(व्यवधान)... कितना समय दिया जाय? मैं उसकी पालना करूंगा, बाकी मैं नहीं रोक सकता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** अध्यक्ष महोदय, यह जवाब वो ही दे रहा हूं जो हाउस में पेश किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब है जो है, वो और जवाब दे रहे हैं। सवाल ही ऐसा ही है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** जो हाउस में पेश किया है वो ही जवाब दे रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो लोक सभा के सदस्य रहे हो ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी भी लोक सभा के सदस्य रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)**:** आपको तय करना है कि किस प्रश्न पर ...(व्यवधान)... यह आपको तय करना है। सदन तय करेगा। ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** वही जवाब दे रहा हूं जो हाउस में पेश किया है। ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)**:** जो परम्परा लोक सभा में है वो लागू करें। ...(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)**:** कांग्रेस के लोग कौन होते हैं तय करने वाले। हमारा मंत्री पूरा जवाब देगा, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई)**:** जवाब सुनना चाहिए इनको। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी ने इतना लम्बा टाइप करके दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सदन का अपमान है जिस तरीके से लिख करके ये अधिकारी मंत्रियों को बरगलाते हैं। ...(व्यवधान)... समय बरबाद करते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): प्रश्न पूछने वाले सदस्य का अधिकार खतम नहीं कर सकते ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अधिकारी क्या समझते हैं सदन को? ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यों को और सदन को अधिकारी गुमराह करते हैं ...(व्यवधान)... धीरे-धीरे परम्पराएं इस तरह की पड़ रही हैं।

एक माननीय सदस्य: कोई गुमराह नहीं कर रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन अधिकारियों ने इतना लम्बा क्यों दिया?

श्री अध्यक्ष: कोई बात अंकित नहीं की जाए, न इस पक्ष की जाए न इस पक्ष की जाए। जब सदन ऑर्डर में आयेगा तभी मैं कहूंगा कि नोट किया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: मोहन लाल गुप्ता, बैठिये आप। ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो जवाब विधान सभा में प्रेषित किया है और जो माननीय सदस्य ने पूछा है वो जवाब बिलकुल एक्यूरेट है पर चूंकि जवाब इसलिए बड़ा है कि पांच विभाग जुड़े हुए हैं और बच्चों के भविष्य का सवाल है इसलिए मैं पूरा तो जवाब दूंगा। आप बैठो, प्यार से बैठो। ...(व्यवधान)...

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

बाल श्रम परियोजना प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर की देखरेख में कार्य संपादन करती है।

श्री अध्यक्ष: तिवाड़ी जी, बैठिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** 3. बाल श्रमिक परियोजना संस्था द्वारा बाल श्रमिकों को कक्षा-5 तक की शिक्षा दी जाती है।

सर, पढ़ रहा हूं तो, इतना लम्बा है, थक लिया गला ...(व्यवधान)... कक्षा-5 तक की शिक्षा दी जाकर कक्षा-6 में ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** 0000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव)**:** 000

श्री रमेश (सपोटरा)**:** 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर)**:** 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)**:** 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)**:** 000

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है, बैठिये। मंत्री जी, जवाब दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)**:** 00

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है। ...(व्यवधान)... नोट करने की जरूरत नहीं है। बैठिये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)**:** 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** 000

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है, मैंने आपसे कहा न। आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक)**:** 000

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)**:** 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर)**:** 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री हीरालाल (निवाई): 000

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): कक्षा-6 में अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। वर्ष 1988 से अब तक इन विद्यालयों के माध्यम से बाल श्रमिक परियोजना संस्थाओं द्वारा 59 हजार 119 बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है।

4. शेष 6 जिलों में प्रतापगढ़, राजसमन्द सवाईमाधोपुर, करौली, जैसलमेर तथा सिरोही में बाल श्रमिक परियोजना संस्था प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए सम्बन्धित जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) **:** अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मेरी दो लाइन का विस्तृत पांच विभागों का जवाब दे दिया, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। इन्होंने गागर में सागर समाने जैसे सब बातों का जवाब दे दिया है इसलिए मैं संतुष्ट हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सूची में जो नाम आया है, सिर्फ हमारी सरकारों द्वारा इस विषय पर काम किया है बाकी सरकारों ने किया है। उन सालों का इसमें पूरा उल्लेख है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस साल भी जिन बच्चों को आपने मुक्त कराया है उन लोगों के लिए सम्बन्धित विभागों से उनके कल्याण के लिए कार्यवाही करें। यही मेरा कहना है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): निश्चित रूप से कार्यवाही भी करेंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि निवाई में भी एक आई.टी.आई. खोल दें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): और हम यह जिला कलेक्टर को निर्देशित भी कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को साथ में मिला कर के इसकी जो तीन महीने की मीटिंग होनी होती है, कई जगह पाया है कि वह मीटिंगें समय-समय पर नहीं हो पाती हैं और जनप्रतिनिधियों को सूचित नहीं किया जाता है। तो यह प्रभावी तरीके से कार्यवाही हो सके, हम जिला कलेक्टर को निर्देशित भी कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को शामिल कर के विदिन थ्री मंथ्स ही इसकी मीटिंग बुलाएं जिससे बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं चालू हो सकें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? श्री सुरेश धाकड़। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो खैर बहुत लम्बा आ गया, मेरा पूरक प्रश्न मैं इस चक्कर में था कि कम देते तो पूरा पूछ लेता।

जो दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इन्होंने दो अधिनियम बना रखे हैं, एक तो 1986 और एक 2005, 86 की धारा 3 के तहत एक माननीय उच्च न्यायालय के एम.सी. मेहता मामले में निर्णय दिया गया है जिसमें यह है कि 20 हजार रुपये तो जुर्माना लगेगा और उसके बाद पांच हजार रुपये राजकोष में जमा कराये जाएंगे।

तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में ऐसे कितने मामलों में हम लोगों ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की तथा कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसमें दूसरा यह भी है कि आपने 698 बच्चों को मुक्त कराया, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपके डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं लेकिन इन बच्चों के पढ़ने के लिए आगे कोई व्यवस्था की है क्या? और चित्तौड़ के ऐसे 16 बच्चे भी शामिल हैं जिनको पांचवी पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस तरह के एन.जी.ओज. के थ्रू स्कूल, संस्थाएं चलायी जाती हैं जिनमें जो बच्चे मुक्त कराये जाते हैं उनको पांचवीं तक पढ़ा कर के फिर हमारे रेगुलर विद्यालय होते हैं उनके अन्दर उनका दाखिला कराने की व्यवस्था होती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

विद्यासागर, श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विद्यासागर के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री विद्यासागर का जन्म 1 जनवरी, 1927 को उदयपुर जिले के विलख ग्राम में हुआ। आपने विशारद की उपाधि प्राप्त की। श्री विद्यासागर दूसरी, चौथी एवं पांचवीं विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप दूसरी विधान सभा में फलासिया तथा चौथी एवं पांचवीं विधान सभा में खैरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री विद्यासागर अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति खैरवाड़ा के प्रधान रहे। पिछड़े एवं आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे श्री विद्यासागर वर्ष 1949 से 1956 तक राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर में अध्यापक तथा संघ की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। आप जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे।

श्री विद्यासागर का दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

1. डॉ. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर शहर में जल निकासी सीवरेज प्रोजेक्ट हेतु दानदाता द्वारा दी गई राशि को लौटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य में नया वर्ष राजस्थान दिवस दिनांक 30 मार्च से मनाए जाने के संबंध में।
3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुर्गी पालन हेतु आबंटित खसरा नंबर 95/01 का अन्य गतिविधियों में उपयोग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से एन.एच. 52 पर टांटियावास गांव में अधिकृत रूप से लगे टोल के नजदीक ही अन्य सड़क पर बेरियर लगाकर अवैध रूप से तीन वर्ष तक राशि वसूले जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की कतिपय ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाये जाने के संबंध में।
6. म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से वल्लभनगर बाँध में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के स्मेल्टिंग संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट व विषैले पदार्थों से जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
7. डॉ. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा अधिनियम के तहत कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान या पे बैण्ड-4 का लाभ नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
8. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से जिला सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आई.टी.आई. केन्द्र स्वीकृत होने के बावजूद नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाएं अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, म. रणधीर सिंह भीण्डर, डॉ. राजकुमार शर्मा एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नहरों से होने वाली सीपेज के कारण किसानों को हो रही समस्या के संबंध में।

2. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित शिवकर कुडला लिग्नाइट प्रोजेक्ट के तहत सरकार द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं दिए जाने के संबंध में।

3. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रबोधकों की लंबित मांगों का निस्तारण करने के संबंध में।

4. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर में डीजे पर लगी हुई रोक हटाने तथा रात्रि 10 बजे बाद बाजार बंद करने की नीति में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।

5. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में सीवरेज लाइन डाले जाने के संबंध में।

6. मास्टर मामन सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अवैध खनन रोकने के लिए काली खोली पहाड़ के साथ-साथ सुरक्षा दीवार बनाने के संबंध में।

7. श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर में विधि महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

8. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से प्रदेश में महानरेगा योजना को कृषि एवं गौ पालन कार्य से जोड़ने के संबंध में।

9. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से ग्राम जलालसर में पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया को आबंटित भूमि में कब्रिस्तान व श्मशान को जाने वाले रास्ते को बंद नहीं किए जाने के संबंध में।

10. श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य की ओर से जिला सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू को मिलाकर नया संभाग बनाये जाने के संबंध में।

11. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

12. श्री विद्याशकर नन्दवाना, सदस्य की ओर से कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा आयोजित कृषि मेले में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: रोज-रोज क्या परिपाटी डालते हो?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आज थोड़ी सूची लंबी है। बोलने वालों की सूची लंबी है, 11-12 बज जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: होने दो। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ठीक है, लेकिन रोज-रोज यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इनको पढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

पर्ची

आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 43 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से टोड़ाभीम विधान सभा क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों का नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।
2. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से कस्टोडियन व मंदिर माफी की जमीनों का खातेदारी हक नहीं मिलने के संबंध में।
3. श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से बांदीकुई में अधूरे पड़े जी.एल.आर. का भुगतान किए जाने व जनता को पेयजल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।
4. श्री नानालाल अहारी, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले में वन्य जीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने के संबंध है।

आज मांग भी एक है और चिकित्सा की मांग है। इसमें ढंग से सारी प्रक्रिया भी पूरी होगी इसलिए मैंने इनको पढ़ने की इजाजत दी है। माननीय सचेतक महोदय, मैं आपसे माफी चाहता हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 4 दिन से नोटिस दे रहा हूं गंभीर मुद्दों पर।

श्री अध्यक्ष: आप रोज बोलते हैं। नोटिस का ध्यान नहीं लिया जाएगा, सबको

(श्री अध्यक्ष)

मौका दिया जाएगा। आप अपनी पार्टी के हिसाब से समय लीजिए। ज्यादा नहीं दिया जाएगा। बहुत समय ले चुके हैं आप। नहीं दूंगा, नोटिस देने का क्या मतलब है? सब दे रहे हैं। सबका आ सकता है क्या?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप मेरी बात सुनो।

श्री अध्यक्ष: सबका नोटिस नहीं आ सकता है। मैं माननीय किरोड़ी लाल जी आपसे कहना चाहता हूं कि रोज आप लिखकर देंगे तो आपका रोज का अधिकार नहीं बनता है। दूसरे भी हैं, जिनको आज लिया है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): लेकिन आप रोज काट रहे हो।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सबका बोलने का हक है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप रोज काट रहे हो। एक भी नोटिस स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं होगा अंकित।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुंतला रावत।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ...(व्यवधान)... श्रीमती शकुंतला रावत। ...(व्यवधान)... नहीं, मैंने शकुंतला रावत को पुकारा है। ...(व्यवधान)... नहीं, आप बैठिए, मैंने शकुंतला रावत को बुलाया है। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, शकुंतला रावत को बुलाया है मैंने।

श्री रमेश (सपोटरा): 000 ...(व्यवधान)...

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): 000

श्री अध्यक्ष: विधान सभा की कार्यवाही एक बजे तक स्थगित की जाती है ...(व्यवधान)... मैंने विधान सभा की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित की है, एक बजे आते ही विषय पर चर्चा हो जाएगी, कोई दूसरा बिजनस नहीं लिया जा सका, इस तरह मैं नहीं कर सकता काम, एक आदमी हावी होना चाहे, मैं चार बार अवसर दे चुका हूं, मैं ही मैं हूं क्या? ...(व्यवधान)... नो। ...(व्यवधान)... एक बजे तक स्थगित की जाती है और एक बजे आते ही सीधे आज की मांगे हैं उन पर चर्चा होगी।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.12 बजे,13:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(13.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीधा ही मांग के ऊपर आने के लिए निवेदन किया। मैं निवेदन करता हूं कि पहले शून्यकाल में पर्ची और स्थगन प्रस्ताव हैं उन पर बोलने की इजाजत देंगे तो माननीय सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। 295 के बारे में जो आप आदेश फरमाएं, जैसा आदेश फरमाएं, लेकिन यह सदस्यों की तरफ से आपसे निवेदन रहेगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों का स्थायी रूप से हनन हो रहा है। मैं चेयर से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं चार दिन से बराबर नोटिस दे रहा हूं प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर। चेयर +++ कर रही है। मैं चेयर से प्रार्थना करूंगा कि किसी प्रकार का +++ न हो। महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में बोलने के लिए हम आते हैं और उस पर परमिशन नहीं दी जाय, यह +++ कार्यवाही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने अधिकारों के लिए बात कहें इसमें किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन आसन पर यह शब्द सदन में कहना कि +++ है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनसे व्यक्तिगत जाकर मिलकर भी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं सोचता हूं कि सदन की गरिमा को भी बनाये रखें और आप अपने हक के लिए जिस प्रकार से भी व्यवस्था चाहते हैं वह जाकर बात करके भी हो सकती है। कई तरीके हैं, एक तरीके से हम विषय नहीं उठा सकते हैं तो और कई तरीकों से भी हम विषय को ला सकते हैं, विषय को लाना कोई गलत नहीं है, लेकिन तरीके से तो आना पड़ेगा और आसन से जो व्यवस्था होगी उसकी पालना तो हमको करनी पड़ेगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप तरीका हमको समझा दें, कौनसा तरीका है?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाए। (व्यवधान) सम्मानित सदस्य, आप विराजें। आप विराज जाए।

मैं सम्पूर्ण सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपके पास में अपने-अपने महत्वपूर्ण विषय हैं जो आप सदन के माध्यम से अपने विचारों द्वारा व्यक्त करके सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और अपनी वेदना को भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन आसन की यह मजबूरी है कि आसन भी नियमों से बंधा है। इस विधान सभा के संचालन के नियम में कई इस प्रकार के नियम है जिसके माध्यम से आप अपनी बात कहने के लिए आसन को और सदन का उपयोग कर सकते हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

लेकिन आसन पर ही आपको +++ का और अविश्वास जैसी बात है तो यह न तो इस सदन की मर्यादा है।

आदरणीय, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो भी आपका कोई विषय है जिसमें अगर आपको कोई वेदना है और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आसन आपके प्रति ज्यादा कठोर हो रहा है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में एक बार इस विषय पर आप चर्चा कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि संवेदनशील होकर आपकी बात को वह ध्यानपूर्वक सुनकर उस पर जो भी निर्णय होगा वह करेंगे।

बाकी प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपने कार्यवाही को स्थगन से प्रारंभ करने के लिए कहा है, अगर आप अनुशासित रहेंगे तो अध्यक्ष जी की अनुमति है कि उन्होंने जो सदन में कहा उस पर उन्होंने पुनर्विचार कर अपनी सहमति व्यक्त की है, इसलिए हम स्थगन से चालू करें। स्थगन।

श्री रमेश (सपोटरा)**:** पाइंट ऑफ इंफार्मेशन के माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मैं स्थगन के बाद दे दूंगा आपको। पाइंट ऑफ इंफार्मेशन को आज (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बानसूर की कतिपय ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर)**:** सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 50 के तहत बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कुल 49 ग्राम पंचायतें हैं। सभी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं या बड़े ग्राम हैं जिनमें ग्राम पंचायत की तरफ से, तहसील की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है। खेल मैदान के लिए पट्टा काटकर दे दिया गया है। स्कूलों के नाम से जमीन कर दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी जगहों पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर खेल मैदान बनाये जाने चाहिए जिससे कि जो युवा पीढ़ी है उसको खेलने का मौका मिल सके, आगे खेल में बढ़ने का मौका मिल सके। बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जैसे विजयपुरा में पट्टा दिया हुआ है, बड़ागांव है, कराना है, गढ़ी, रामपुर, हाजीपुर, भूपसेड़ा, प्रोपर बानसूर, हमीरपुर, हरसौरा, गूंता शाहपुर, बबेड़ी,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ज्ञानपुरा, चतरपुरा, होलावास, लेकड़ी, रतनपुरा, सबलपुरा, निंबूचाना, बासदयाल, भूटेरी लोहेती, मैनपुर, नांगल लाखा श्यामपुरा, खेड़ा लेकड़ी, छीन जयसिंहपुरा, बामनवास, सूला भैरामकाबास, देवसन आदि ऐसी बड़ी पंचायतें हैं जहां पर भूमि भी उपलब्ध हैं और जहां पर खेल मैदान के नाम से आवंटित नहीं है। वह आवंटित भी हो जाए और जहां पट्टा दिया हुआ है वहां खेल मैदान बनाया जाय। इससे युवा पीढ़ी को खेल में आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे गांव और ग्राम पंचायतों का सर्वे कराकर खेल मैदान बनाने का कष्ट करें।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें हैं, गांव हैं, जहां पर स्कूल और खेल मैदान हैं वहां सभी स्कूलों में शिक्षा विभाग खेल मैदान बना रहा है। राजस्थान में अभी 2900 प्रस्ताव आये हैं, जिन पर कार्य भी मनरेगा के थ्रू शुरू हो गया है। माननीय सदस्या से यही कहूंगा कि जो आपने गांवों का नाम लिया, उन गांवों के आप प्रस्ताव बनाकर भेजें, अवश्य आपके स्कूलों में खेल मैदान बनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: महाराज रणधीर सिंह भिण्डर।

वल्लभनगर बाँध में हिन्दुस्तान जिंक से निष्क्रमित अपशिष्ट से हो रहा जल प्रदूषण

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)**:** उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के पास में देबारी स्थित है, वहां पर हिन्दुस्तान जिंक का एक जिंक स्मेल्टिंग यूनिट लगा हुआ है। जबसे यह यूनिट लगा है तबसे ही लगातार उसका अपशिष्ट उसके सामने गुजर रही बेड़च नदी के अंदर गिर रहा है। वह अपशिष्ट धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वल्लभनगर तक मेरे क्षेत्र की नांदवेल, कूचडांग्या, गूकड़ी, महाराज की खेड़ी, दरड़पुर, भटेवर ढावा और वल्लभनगर तक की पंचायतों का पानी पीने योग्य नहीं रहा।

मैंने जब अपना पहला सत्र हुआ था उसमें यह मामला उठाया था। उस समय विभाग ने यह कहा था कि ऐसा कुछ वहां प्रदूषण नहीं है, फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जांच कराएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जब उदयपुर पधारी थीं तब भी मैंने इस बात को उठाया था। उन्होंने भी कहा था कि इसकी जांच करवायी जाएगी, लेकिन इसकी जांच नहीं करायी गयी।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

हंगामा हुआ तब बेड़च नदी में छोड़ने के बजाय उन्होंने अपने यहां तीन-चार ट्यूबवैल खुदवा रखे हैं, रात के टाइम पर अपशिष्ट उसमें छोड़ने लगे जिससे पूरे क्षेत्र में पीने योग्य पानी नहीं रहा। हमने एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायी, उस जांच को इन्होंने नकार दिया कि नहीं, यह जांच तो गलत है, हमारे विभाग की जांच सही है। अभी हमने पीएचईडी से वहां जांच करायी। कई जगह पर पानी पीने योग्य नहीं मिला। टीडीएस जहां 500 होना चाहिए वहां 1980 और 1800 तक टीडीएस मिला है। उस पानी में हार्डनैस भी बहुत है।

ऐसे में मेरा यह मानना है उनको एक डेडिकेटेड पाइप लाइन दरीबा तक दे रखी है। माननीय गृह मंत्रीजी ने एक जवाब में कहा था कि हमने हिन्दुस्तान जिंक से करार कर रखा है, इसलिए उनको डेडिकेटेड पाइप लाइन दे रखी है, यह करार तो इनको याद है, लेकिन वह करार याद नहीं है कि जो इस योजना का पानी वल्लभनगर और मावली को पिलाना था उसको ये उदयपुर शहर को पिला रहे हैं जबकि हमारा पानी अभी तक हमको मिला नहीं है।

मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में एक एमएनसी को फेवर किया जा रहा है on the cost of long life of the people of that area. मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि एक तो इस संयंत्र को तुरन्त बंद किया जाय और हिन्दुस्तान जिंक को बाध्य किया जाय कि वह इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। सीएसआर का जो पैसा है, वह बताते हैं कि हम पंचायतों में पानी सप्लाई कर रहे हैं, हमने पाइप लाइन भी बिछा रखी है, लेकिन मेरे क्षेत्र में कहीं पर भी सीएसआर का पैसा न तो लगाया है और न कोई पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं।

ऐसे में इसको सीरियसली लेकर मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें जांच कराएं और हमारे इन गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, धन्यवाद।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे विभाग से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने खुद ने तो निरीक्षण नहीं किया, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जो उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर विलेज देबारी में है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जिसकी क्षमता 5760 किलो लीटर्स पर-डे, के.एल.डी., इसकी कैपेसिटी है। वर्तमान में वो 2800 के.एल.डी. अपना जो एफ्लुएंट है उसके थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं। उन्होंने एक आर.ओ. सिस्टम भी लगाया है और इस 2800 के.एल.डी. ट्रीटमेंट जो ये कर रहे हैं एफ्लुएंट्स की, इसमें से 2200 के.एल.डी. है उसको

(श्री गजेन्द्रसिंह)

आर.ओ. प्लांट में डालकर ट्रीट कर रहे हैं। शेष जो बचा हुआ 600 के.एल.डी. है उसको एक लैण्डफिल एरिया के अन्दर प्लास्टिक, हार्डण्ड प्लास्टिक और सीमेंट के इन्होंने रिजर्वोयर्स बनाये हुए हैं उनके अन्दर ये डाल रहे हैं और जब पानी का इवेपोरेशन हो जाता है तो उसका जो सॉलिड है उसको लेकर वो पिट्स के अन्दर डाल रहे हैं।

माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव में लिखा है कि बेड़च नदी, उदयसागर बाँध का ओवरफ्लो बहकर इनके वल्लभनगर बाँध में जा रहा है तो इनको चिंता है कि इनके वल्लभनगर बाँध के अन्दर यह सब पोल्यूशन हो रहा है। आपने यह भी फरमाया कि जलदाय विभाग ने आकर वहां पर कुछ सैम्पल्स लिये जिनमें टी.डी.एस. फैक्टर और इसके अन्दर जो केमिकल्स हैं वो पीने योग्य नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह जो रिपोर्ट आपको पी.एच.ई.डी. ने बनाकर दी है, इसकी कापी आप मुझे दे दें और जरूरत पड़ेगी तो हम बाध्य करेंगे हिन्दुस्तान जिंक को कि एक मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर लगाए, जो कि एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की तरह काम करता है और उसके अन्दर फिर पानी निकलेगा ही नहीं। इसकी मैं पूरी जांच करा लूंगा।

जहां आपने आपके क्षेत्र के आस-पास इस कम्पनी द्वारा स्वच्छ जल देने के लिए चर्चा की है, उसके अन्दर जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि इन्होंने जिंक चौराहे पर 60 किलो लीटर की टंकी बनाई है, घाटेवाला माताजी के 70 किलो लीटर पानी की कैपेसिटी का दे रहे हैं, भैंसड़ा खुर्द के अन्दर 75 किलो लीटर और 200 किलो लीटर पर-डे नेबरिंग विलैज के अन्दर पानी को आर.ओ. प्लांट के थ्रू ट्रीट करके दे रहे हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): यह तो मंत्री महोदय, जो हिन्दुस्तान जिंक के ऊपर की तरफ इन्होंने कर रखा है पर जहां पर यह फ्लो आ रहा है, जिस तरफ खराबा हो रहा है उस जगह इन्होंने कुछ नहीं किया है।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्यूबवैल का जो कंटामिनेशन है, I think it is a very major offence to ruin the environment. जो पीने के पानी के अन्दर जाना है, इसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा और वो जो पी.एच.ई.डी. ने सैम्पल्स लिये हैं उसकी रिपोर्ट लेकर हम इसकी पूरी जांच करके आस-पास के गांवों में सी.एस.आर. फण्ड से जो बैनिफिट मिलना चाहिए उसके लिए हम कम्पनी को लिखेंगे और पूर्ण कोशिश करेंगे कि किसी तरह का कंटामिनेशन किसी हालत में आपके क्षेत्र में नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर राजकुमार शर्मा।

कॉलेज व्याख्याताओं को नवीन वेतनमान के लाभ

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा, यह गत सरकार के अन्दर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था कि अनुदानित संस्थाओं के अन्दर जो काम कर रहे थे उनको राजकीय महाविद्‍यालयों के अन्दर समायोजित किया गया था जिनमें प्राचार्य भी थे, व्याख्याता भी थे, पी.टी.आई. भी थे, लाइब्रेरियन भी थे, अशैक्षणिक कर्मचारी भी थे। इन कार्मिकों के वरिष्ठ चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में इन सभी कर्मचारियों का जो पीबी 4 बैण्ड है उससे आज तक ये लोग लाभ से वंचित हैं, बल्कि राजस्थान सरकार की तरफ से चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, बार-बार आयुक्त कॉलेज शिक्षा, निदेशक शिक्षा विभाग को अनुदानित महाविद्‍यालयों के व्याख्याताओं को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ दिया जाने के सम्बन्ध में बार-बार चिट्‍ठी भेजते हैं। ये बार-बार चिट्‍ठी लिख रहे हैं लेकिन आज तक जो सैंकड़ों, हजारों की तादाद में ऐसे कार्मिक हैं उनको वो लाभ नहीं दिया जा रहा है। आई.वी.आर.ई.एस. नियमों में इन व्याख्याताओं को समय-समय पर मिलने वाला सी.ए.एस. का लाभ देय है।

मंत्री महोदया, आर.पी.एस.सी. के सेम जो क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं उनको राज्य सरकार लाभ दे रही है लेकिन इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज पूरे राजस्थान में और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, शेखावाटी का वो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा अनुदानित संस्थाएं चलती थीं, जब सरकार ने स्वेच्छिक कर दिया तो बहुत सारे लोग तो राज्य सेवा में आ गये, सरकार की सेवा में आ गये लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रह गये जिन्होंने वापस उसी कॉलेज या उसी अनुदानित संस्था के अन्दर काम करना उचित समझ लिया क्योंकि उनकी मजबूरियां भी थीं। आज इधर तो जो सरकारी कर्मचारी हो गये उन पर सरकार मार कर रही है, उनकी सरकार नहीं सुन रही है और जो वहां रह गये, मैंने उस समय पिछली सरकार के अन्दर भी इस बात का विरोध किया था कि जो संस्थाएं चलती थीं, जब भी उन्होंने उन संस्थाओं का संचालन शुरू किया था, तो उन धन्ना सेठों को एक रुपये की लागत पर सरकार ने जमीन आबंटित की थी और आज वो बिल्कुल मैन शहर के अन्दर सारी संस्थाएं आ चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार में आ गये तो उनका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है लेकिन वो भूमि हमने उनके पास में छोड़ दी और उनके पास में

(डा. राजकुमार शर्मा)

हमारे कर्मचारी भी रह गये जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे नवलगढ़ के अन्दर एक एस.एन. विद्यालय है जिसके अन्दर एक सुशील शर्मा नाम के व्याख्याता थे और वो सुशील शर्मा जी आज डिप्रेशन में हैं, पागलपन की स्थिति में हैं। वो सरकार में आये नहीं क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सरकार में जाएं, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए और वो नवलगढ़ छोड़ना नहीं चाहते थे। आज उन्होंने उन सेठों के, उस कमेटी के चक्कर काट-काट कर अपने आपको को अवसाद में ले लिया है। आज पूरा गांव उनको इस बात के लिए तसल्ली देता है कि आपकी कभी न कभी सरकार सुनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि जो जमीनें सरकार ने एक रुपये में उनको आबंटित की थी वो जमीन भी अपने कब्जे में लो। वो लोग वहां पर मॉल्स बना रहे हैं, बाजार बना रहे हैं, दुकानें काट रहे हैं और षड्यंत्रपूर्वक जो संस्थाएं वहां चल रही थीं, गरीब बच्चे पढ़ते थे उन संस्थाओं को वो बंद करने के कगार पर हैं। इसलिए सरकार इस बात का कठोर प्रावधान करे कि जो संस्थाएं, अनुदानित महाविद्यालय चलते थे उनको सरकार अपने कब्जे में ले ताकि वो लोग दादागीरी नहीं कर सके और सरकारी सेवा में जो व्याख्याता आ गये, जो कार्मिक आ गये उनको जो पीबी 4 (पे बैण्ड-4) है उसका लाभ उनको देना चाहिए। जो मैंने नवलगढ़ का सुशील शर्मा का आपको इश्यू बताया है। उसको मैं व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर भी आपके ध्यान में ला दूंगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो आत्महत्या करने के कगार पर है। अगर ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की तरफ चला गया तो पूरी सरकार जिम्मेदार होगी क्योंकि उन सेठों के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्होंने तो वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी, बाहर मार्केट काट दिया जिसका पूरे नवलगढ़ के अन्दर रोष व्याप्त है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया, कब तक इन स्वैच्छिक सेवा से हमारे बीच में आये हैं इन कार्मिकों को उनके वेतनमान का लाभ दे देंगे, यह स्पष्ट करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री)**:** माननीय उपाध्यक्ष जी, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यहां पर बात कही है, मैं थोड़ा आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये जो निर्णय हुआ आर.वी.आर.ई.एस. का, यह निर्णय विगत कांग्रेस सरकार के द्वारा 2010 में हुआ। 2010 में राजस्थान

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वॉलेन्टरी रूरल एजुकेशन सर्विसेज बनाई गई और उसमें यह कहा गया कि जो भी ऐसी अनुदानित, एडेड कॉलेजेज हैं उन सबको हम लोगों ने ले लिया तो 71 ऐसे एडेड कॉलेजेज को गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया। उनके अन्दर लगभग 704 ऐसे लेक्चरर्स थे जो गवर्नमेंट के एम्प्लोइज हो गये।

अब ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लोई हो गये और उस समय जो निर्णय हुआ तो ये पदों के ऊपर जो कार्यरत कार्मिकों का राजकीय सेवा में समायोजित करने का जो निर्णय हुआ उसमें उनसे बॉण्ड भरवाये गये। मैं बॉण्ड का एक छोटा सा, थोड़ा सा रूप आपके सामने रखना चाहूंगी कि उसको पढ़कर मुझे खुद को भी लगा कि यह जो बॉण्ड भरा इसमें इन्होंने किस तरीके का लचीलापन दिया उस समय की सरकार ने। उसमें बॉण्ड भरने वाला यह कह रहा है कि मैं इन नियमों में वर्णित निबन्धों और शर्तों के अनुसार नियुक्त होना चाहता हूं......

मैं घोषित करता हूं कि उक्त नियमों की शर्तों का मैं पालन करूंगा और नियमों में यथा परिभाषित राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्‌यालय-महाविद्‌यालयों में पदस्थापित होने के लिए मैं सहमत हूं। मैं मेरी अधिवार्षिकी होने तक किसी भी पदोन्नति के लिए कोई भी दावा नहीं करूंगा। मैं वेतन में उक्त नियमों के नियम-5 के खण्ड-6 के संबंधों के अनुसार नियत किया जाएगा, वह स्वीकार करने के लिए, या अन्य किसी भी तरीके से चयन वेतन, सुनिश्चित कैरियर वृद्‌धि, सीएएस, आप जो कह रहे हैं, वह सारी स्कीम्स, उन सब बकाया संदत्त का कोई भी दावा नहीं करूंगा।''

जो उनके लेने से बाद के जितने भी हैं, उनको वह गवर्नमेंट देगी लेकिन उससे पूर्व, यानी गवर्नमेंट के इस निर्णय से पहले के जो भी उस एडेज कालेजेज की लाइबिलिटीज हैं, वह सब उन कालेज को ही देना है, इसके बाद का नहीं देना है। यह निर्णय था और आप्शन दिया था, जो लेना चाहे, जो आना चाहे गवर्नमेंट जॉब के अंदर, वह आ जाये, जो नहीं आना चाहें, वह नहीं आए। इन्होंने जिनका अभी नाम लिया, आप्शन उनके सामने थे, उन्होंने आप्शन नहीं लिया, वह नहीं आये। जो आ गये, उनको देने के बारे में इन्होंने कहा कि उन्हें लाभ नहीं दिया गया तो उनको सबको लाभ दिया जा रहा है।

कुछ ऐसे 150 व्याख्याता अभी भी हैं जिन लोगों का मामला चल रहा है, जिनके लिए आपने पे-बैण्ड 4 के बारे में जो कहा, वह चयन वेतनमान और पे-बैण्ड 4 के संबंध में है, विभाग के द्‌वारा उसमें कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट का भी निर्णय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आया है और इसको हम लोग वर्क कर रहे हैं कि इसमें जो कोर्ट का निर्णय है क्योंकि यह सबजुडिसल है, फिर हायर कोर्ट के अंदर भी सरकार गई है तो matter is sub-judice. जब क्लियर हो जाएगा, वह उन सारी चीजों को भी क्लियर कर लेंगे और उससे पहले के सारे लोगों को मिल चुका है। जो संबंधित एडेड कालेजेज थे, उनके समय का जो था, उन्होंने दिया और जो गवर्नमेंट में आने का बाद था, वह गवर्नमेंट दे चुकी है तो यह तो क्लियर हुआ है।

बाकी जहां तक सवाल है, इन्होंने जमीनों के बारे में कहा है। यह बात सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो निर्णय हुआ था उस समय, समायोजन के समय पूर्व एडेड कालेजेज के भवन तथा भौतिक संरचनाएं प्राइवेट कालेजेज के पास ही रह गईं। यह निर्णय ही उनके समय का है। इनकी गवर्नमेंट में ही यह निर्णय हुआ है और वह निर्णय ही वास्तव में डिफेक्टिव है कि जब हमने पूरे एडेड कालेज को ही ले लिया, तो उसकी लाइबिलिटीज तो ले ली लेकिन उसके असैट्स नहीं लिये और असैट्स उन्हीं संस्थाओं के पास में ही छोड़ दिये कि ये सब आपकी ही असैट्स रहेंगे। तो जो निर्णय हो चुका, उस निर्णय को हम लोग कैसे कह देंगे कि हम लोग चैंज करके और अब तक तुम्हारी प्रोपर्टीज को भी हम ले लेंगे, Because यह निर्णय हुआ उस समय और यह बाकायदा रूल्स बने और उन सबके तहत हुआ है।

अब सिर्फ यही है कि जो 150 ऐसे व्याख्याता हैं, जिनको पे-बैण्ड 4 का लाभ मिलना चाहिए। उसके संदर्भ में मैंने कहा कि यह सब-जुडिस है मैटर, कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और कई स्टेजेज के ऊपर जीते भी हैं ये लोग लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के अंदर गई है तो जब निर्णय हो जाएगा, तदनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह सब-जुडिस है। 2010 से लेकर 2015-16, आज तक आपके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, वे सारे कालेजेज को क्यों लिख रहे हैं? कालेजेज को क्यों लिख रहे हैं? मैं चिट्ठी पढ़कर आपको बताता हूं कि ''व्याख्याताओं को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ चयनित वेतनमान एवं पे-बैण्ड 4 का आवेदन पत्र भिजवाने के संबंध में।'' ये भेज रहे हैं उनके पास में, फिर भी आज पाँच साल के अंदर कालेज व्याख्याता आपकी नहीं सुन रहे हैं कि आप तक वह उनकी लिस्ट भिजवाएं।

दूसरी चीज, ठीक है पिछली सरकार ने जो भी निर्णय लिया, उसके अंदर कोई त्रुटि रह गई। आपने अभी कहा है कि हम, जो पिछली सरकार ने फैसला ले लिया,

(डा. राजकुमार शर्मा)

उसको बदलेंगे नहीं। हजारों ऐसे फैसले हैं, जो आपने बदल दिये हैं। इस फैसले को बदलने में आपके दिक्कत क्या आ रही है? वह पूरा वहां मॉल बना रहे हैं, वहां पर मार्केट बनाकर, दुकानें बना रहे हैं।

जो विकल्प पत्र भरवाया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विकल्प पत्र के अंदर, जिनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने गांव को छोड़कर, दूसरी जगह सर्विस पर चले जाएं। जिनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वह लोग मजबूरीवश वहां रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सरकार में नहीं जाना चाहते, हम इसी संस्था में काम करना चाहते हैं। उस नियम के अंदर यह कहा गया था कि सरकार के अंदर वह नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन जिस संस्था के अंदर 20 साल से, 25 साल से जो कार्मिक काम कर रहा है, उसका वह संस्था ध्यान रखेगी और सरकार उसके ऊपर निगरानी रखेगी। तो हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ने देना चाहते।

आप इतनी वरिष्ठ मंत्री हैं, विदुषी हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे प्रार्थना करूंगा कि आपको यह डिसीजन लेना चाहिए। जब सरकार की तरफ हमारे सारे कार्मिक आ गये तो हम हमारी बेशकीमती जमीन उन धन्ना सेठों के पास क्यों छोड़ेंगे? वे लोग अगर काम में लेना चाहते हैं उनको और अगर शैक्षणिक गतिविधियां ही अगर वह चलाना चाहते हैं तो उनको दी जाये लेकिन अगर वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करते हैं तो उस पर सरकार को नकेल डालनी चाहिए।

सुशील कुमार जैसे जो बेचारे दुःखी लोग हैं, उनके साथ हमें हमदर्दी रखनी चाहिए और उनको पाबंद करना चाहिए कि पहले इन कार्मिकों को जो-जो आपके पास शिकायत आई हैं और आज इस सबसे बड़े सदन के अंदर मैं कह रहा हूं आपको कि ऐसे जितने भी कार्मिक हैं, वे उम्र के हिसाब से सब लाचार लोग हैं। उनको हमें दया की दृष्टि से देखना चाहिए और उन संस्थाओं के माध्यम से उनको न्याय दिलाना चाहिये। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है, जो निर्णय पिछली सरकार ने लिया, वह हम लोग सब समझ रहे हैं इस बात को कि वह निर्णय गलत था कि हमने लाइबिलिटीज ले ली और असैट्स हमने नहीं लिये। अब बात यह है कि इसको रिव्यू करना है।

यह बात सही है कि जो लैण्ड जिस परपज के लिए दी जाती है, उसी परपज के लिए उस लैण्ड को यूज करना है। अगर वह शिक्षण संस्था के नाम पर दी है और

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शिक्षण के लिए दी है तो वह शिक्षण के लिए ही काम में आनी चाहिए थी। कामर्शियल यूटिलाइजेशन अगर उसका होता है तो वह वैसे ही अपने आपमें निरस्त होती है।

जो माननीय सदस्य ने बात कही है, इसको हम लोग पूरा एग्जामिन करा लेंगे और जहां-जहां पर भी अगर वह संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं के पास में वह लैण्ड रह गई हैं और उन एडेड कालेजेज को हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने ले लिया है तो उन कालेजेज की जो लैण्ड है, वह संस्थाओं के नाम पर उसको एग्जामिन करा लेते हैं। वह शिक्षण संस्थाएं शिक्षण के परपज के लिए उस लैण्ड को यूज नहीं करके, अगर किसी कामर्शियल परपज के लिए उस लैण्ड को यूज कर रही है तो एग्जामिन कराकर as per the rules उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी का गठन करवा दीजिये कलक्टर की अध्यक्षता में।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो, मैं इसका अभी कर देता हूं।

मंत्री महोदया, यह सदन कुछ दिन पहले पीएसी की एक एजी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर चुका है। उसमें जो इन्होंने उल्लेख किया है, उसके स्पष्ट निर्देश हैं। आप उन निर्देशों की पालना कर दीजिये।

श्री गोविन्द सिंहजी।

लक्ष्मणगढ़ में स्वीकृति पश्चात् भी ITI नहीं खोली जाना

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार ने 2012-13 के बजट में एक राजकीय आईटीआई की घोषणा की थी और उसके संदर्भ में 12.9.2013 को प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो गई थी लेकिन चूंकि सरकार बदल गई। मैंने प्रथम सत्र में एक प्रश्न लगाया था कि ''लक्ष्मणगढ़ में आईटीआई स्वीकृत है, आप क्या करेंगे?'' तो यह अतारांकित प्रश्न था। प्रथम सत्र में 142 नम्बर का प्रश्न था। उसका 21.2.2014 को जवाब आया कि ''हां, यह सही है कि यह स्वीकृत है और इसी 2014-15 के बजट में हम इनके वित्तीय प्रावधान कर रहे हैं और आपके लक्ष्मणगढ़ की आईटीआई को हम स्वीकृत करके चालू करवा देंगे।'' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने राजनैतिक द्वेषता से उसको लटकाये रखा। मैंने दुबारा प्रश्न लगाया कि ''क्या आप आईटीआई खोलना चाहते हैं?''

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस दौरान मैंने जिला कलक्टर को मिलकर हमारे यहां पर करमाबाई शिक्षा अनुसंधान संस्थान चलती थी, वहां पर 40 बीघा 4 हैक्टेयर के लगभग जमीन थी, भवन बने हुए थे तीन-चार करोड़ रुपये लगाकर। हमने कलक्टर को यह लिखकर दिया कि यहां पर आप गवर्नमेंट की महिला आईटीआई करमाबाई शिक्षण संस्थान के नाम से, प्रशिक्षण संस्थान के नाम से खोल दीजिये। सरकार ने जांच बैठाई, रिपोर्ट ली और 29.7.2015 को जांच अधिकारी गया। उसने 30.7.2015 को यह रिपोर्ट दी कि वहां पर विद्‌युतकार कार्यशाला और नोन-इंजीनियरिंग के साथ दो व्यवसाय खोलने के लिए भवन उपलब्ध है। प्राचार्य का कक्ष है। स्टोर रूम है। ट्‌यूबवैल स्वयं की संस्था का है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी।

राजनैतिक प्रतिद्‌वन्द्‌विता यहीं समाप्त नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार कहा तो सरकार ने दुबारा, 30.11.2015 को पंचम सत्र में तारांकित प्रश्न 514 नम्बर का था, उसमें जवाब भिजवाया कि हां, करमाबाई शिक्षण संस्थान में वहां पर यह भवन उपलब्ध है। दो ट्रेड खोले जा सकते हैं और मोदी इंस्टीट्‌यूट जो हमारे लक्ष्मणगढ़ में महिलाओं की है, उसके भी बिल्कुल नजदीक में है और सीकर और लक्ष्मणगढ़ के एनएच के ऊपर अवस्थित है, जमीन पर्याप्त उपलब्ध है।

यही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन अलाट हो गई, प्रशासनिक स्वीकृति जब मैंने दबाव बनाया तो दुबारा कर दी लेकिन 12 सितम्बर, 2013 को जो आईटीआई स्वीकृत हुई थी लक्ष्मणगढ़ की वो आज तक चालू नहीं हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आप इतनी राजनीतिक द्‌वेषता क्यों रखते हैं हमारे से। मैं आपसे खुले सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अगर इस वर्ष लक्ष्मणगढ़ की आईटीआई जिसमें जमीन उपलब्ध, भवन उपलब्ध, आपका एक रुपया नहीं लगना, अगर नहीं खोला, तो मजबूर होकर के हमें धरने-प्रदर्शन और यहां तक कि अनशन पर भी बैठने की अगर नौबत आई तो हम नहीं चूकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता ने हमें चुन कर के भेजा है। जनता के हित के लिए सरकार बनी है। आप ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हैं सरकार के। हम तो मालिक हैं चाहें जिसका करें चाहे जिसका नहीं करें। जब 2013-14 के बजट में जो चीज स्वीकृत हो गयी, जमीन मिल गयी, आपने जांच करा ली, आपने प्रश्नों के जवाब में विधान सभा को कह दिया कि हां, उपयुक्त है, भूमि उपलब्ध है, भवन उपलब्ध है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपकी एक फूटी कौड़ी लग नहीं रही है तो आपने इस प्रकार की राजनीतिक प्रतिष्ठा क्यों बना कर रखी है और प्रतिद्वंदता हमसे क्यों रखते हैं?

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस वर्ष हमारे वहां पर लक्ष्मणगढ़ में कर्मा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से, वो नाम भी इसलिए कि उस संस्था ने यह जमीन और भवन बना हुआ इसलिए दिया था कि कर्मा बाई का नाम लग जाए। कर्मा बाई क्या है, क्या नहीं है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)**:** आपके शासन में इस प्रकार का हुआ था चित्तौड़गढ़ के अन्दर ...(व्यवधान)... वसुन्धरा जी ने स्वीकृत किया था और बंद कर दिया आपकी सरकार ने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** बैठ जाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है ये मेरा समय क्यों ले रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** आप मेरा समय क्यों ले रहे हो? आपको क्या तकलीफ हो रही है?

तीन साल से बैठे हैं हम, तीन साल से। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जितनी चाहे उतनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता रख ले, हम दुबारा चुनाव जीत कर के आएंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी। अगर आपने नहीं खोली तो हम आते ही इस आईटीआई को राजकीय कर्मा बाई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से खोलेंगे। इसलिए आप सचेत हो जाइये। राजनीतिक प्रतिद्वंदता से काम नहीं चलता है। हम भी जनता के नुमाइंदे हैं। जनता के लिए कर रहे हैं। आप भी जनता के ट्रस्टी हो। जनता ने आपको मौका दिया।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी कुछ ठीक कह दें तो ठीक है नहीं तो आपसे आसन से मैं संरक्षण चाहूंगा कि आप निर्देशित करें कि 2013-14 के बजट की स्वीकृत आईटीआई लक्ष्मणगढ़ में क्यों नहीं, जब जमीन दे दी, भवन हमने दे दिया इनका एक पैसा नहीं लगना है और मैन एनएच के ऊपर जमीन है तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसे इसी वर्ष से ये लक्ष्मणगढ़ में कर्मा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से आईटीआई शुरू करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो जो हमारे विपक्ष के सदस्य मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं न, ये बेकार हैं, छोड़ दें देखना। यह अच्छा नहीं है। हाउस में हाउस की बात करो। कौन सत्ता दे रहा है आपको। आपकी इतनी दुर्गति यू.पी. में हो गयी फिर भी आपको सबक नहीं मिला तो अब आपको कौन समझायें। इतनी +++ भी नहीं होनी चाहिए।

यह लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसमें कई बातें तो असत्य कही है इन्होंने। प्रशासनिक स्वीकृति हमारी सरकार के समय हुई 2013 में नहीं हुई। 29.9.2016 को राजकीय महिला आईटीआई खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की एवं राज्य सरकार के पत्रांक 19/7पार्ट-9 21.2.2017 के द्वारा दो व्यवसाय खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई। इनके यहां तो पिछली सरकार में जो इन्होंने खुल कर ही कहा है कि इनकी सरकार ने तो सिवाय मिथ्या खोलने के अलावा कुछ किया नहीं और उस झूठ का सहारा लेते-लेते सरकार चली गयी।

माननीय, आप जिस तरह से कह रहे थे कि हम धरना देंगे ये देंगे वो देंगे, इन बातों से सरकार डरती नहीं है। हम वहां दिखवायेंगे। हमारा मन है निश्चित रूप से कर्मा बाई जो संस्थान था वो प्राइवेट आईटीआई थी उनसे चली नहीं वो प्रोजेक्ट उनका फैल हो गया तो उन्होंने आग्रह किया सरकार से। आपकी सरकार उसमें विफल हुई। हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का जो विजन है महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले, उन्हें रोजगार करने का मौका मिले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के विजन को देखते हुए निश्चित रूप से हम जुलाई तक आपकी आईटीआई चालू कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, एक बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने कहा है वो चीज गलत है। 12 सितम्बर, 2013 की यह प्रशासनिक स्वीकृति मेरे पास में है आप कहो तो मैं टेबल कर दूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): 29.9.2016

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 12 सितम्बर, 2013 की प्रशासनिक स्वीकृति और ये आपके क्वेश्चन का जवाब है, दोनों चीज, क्वेश्चन संख्या 142, 21.2.2014, दोनों मैं, आपकी इजाजत हो, तो टेबल कर दूं। आपने स्वयं ने मंत्री जी ने माना है क्वेश्चन के उत्तर में कि हां, ये 2013 को खुल गयी थी, स्वीकृति हो गयी और हम इसको 2014-15 में वित्तीय प्रावधान हमारे पास हो गये हैं, हम चालू कर देंगे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मा बाई का नाम जरूरी है जब उन्होंने जमीन दे दी और ये कर्मा बाई शिक्षण संस्थान आईटीआई प्राइवेट नहीं थी। ये महिला शिक्षा के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल चलती थी।

श्री उपाध्यक्ष: अब एक मिनट आप विराज जाएं। मंत्री महोदय का स्पष्ट उत्तर था कि जिस नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं, उसी नाम को लेते हुए इन्होंने कहा है कि जुलाई में इस संस्था को वो चालू कर देंगे। आप यही चाहते थे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** हां।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपने किया, या इन्होंने किया, वो एक अलग बात है। अगर आपके पास में कुछ दस्तावेज हैं तो वो मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार के कोई इनके पास दस्तावेज हैं कि इसकी कब प्रशासनिक स्वीकृति हुई, यह आप अपने स्तर पर मंगवा लें और उसका परीक्षण करवा लें। सदन इस बात के लिए आज सआदत देता है कि जुलाई में आप उस संस्था को चालू कर देंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री)**:** ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो अखबारों में छपवाने के लिए जानबूझ कर ड्रामा कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** आपकी नाकामयाबियों को उजागर करने के लिए मैं यह क्वेश्चन लाया हूं सदन में। आप नाकाम रहे। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक)**:** माननीय डोटासरा जी, ये तो आपकी नाकामयाबियां उजागर हो रही हैं कि आप कह रहे हो कि 2013 में स्वीकृति हुई ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** ये प्रशासनिक स्वीकृति 12.9.2013 की है, माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप सब पैरों पर खड़े होने को क्यों आतुर हो जाते हैं? इस सदन को पूरी इस बात की जानकारी है, देखने वाले और बाहर के सब लोग-बाग़ इस बात को जानते हैं कि आप अपने-अपने पांवों पर खड़े हो सकते हैं। आपको बार-बार इसका परीक्षण करवाने की कहां आवश्यकता महसूस हो रही है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रक्रिया के नियम 295, अगर सदन की अनुमति हो तो इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाएं?

(स्वीकृत)

मैं नाम पुकार लेता हूं जिन बारह व्यक्तियों के हैं ये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पुकार लिये।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, एज ए मैटर रिकार्ड पर आ गया।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

पर्ची के माध्यम से, श्री घनश्याम जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

टोड़ाभीम में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज राजस्थान में जो सड़कों के हालात पैदा हुए हैं कंपनियां और सरकार मिल कर कमीशनखोरी कर रही हैं। 10-10,15-15 प्रतिशत कमीशन सरकार और अधिकारी मिल कर खा रहे हैं इससे हालात बहुत खराब पैदा हो गये हैं। किसी प्रदेश के विकास में सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में महसवा मोड़ से टोडाभीम, महसवा मोड़ से सहर, श्री महावीर जी जो इस देश का राष्ट्रीय तीर्थस्थल है, मेहंदीपुर बालाजी भी जो राष्ट्रीय स्तर का तीर्थस्थल है पर इन दोनों तीर्थस्थलों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसकी हालत आज बहुत दयनीय है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की सरकार को कई बार इस मामले पर चेताया पर आज तक सुनवाई नहीं की जा रही है इसी तरह से गुढ़ाचंद्रजी से टोडाभीम, नादौती से गढ़मोरा, गुढ़ाचंद्रजी से राठणा, टोडाभीम से मंडेडू, टोडाभीम से करैरी, लपावली से श्री महावीर जी, सिंघाणिया से

(श्री घनश्याम)
लपावली, कैमरी बस स्टेंड से नांगल पहाड़ी, बालघाट से वाया खौरा, राठणा से गढ़मौरा वाया बागौर और गुढ़ाचंद्रजी से लालसरपाल, उक्त सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। सड़कों का सिर्फ नाम रह गया है वहां पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नोन पेचेबल सडकों की जो हालत है, कम से कम 25-30 हजार किलोमीटर प्रदेश में नोन पेचेबल सड़कें हैं और सरकार प्रतिवर्ष 2 या 3 हजार किलोमीटर सड़कों को ही ठीक कराती है। उनमें भी घटिया सामग्री और काला तेल मिलाकर सड़कों का निर्माण हो रहा है, इससे यह सड़कें ठीक होने वाली नहीं है।

मैं आपका ध्यान मिसिंग लिंकों की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार पक्ष के विधायकों को तो मिसिंग लिंक देती है और विपक्ष के विधायकों की अनुशंसा पर पिछले साढे तीन साल में एक भी मिसिंग लिंक कांग्रेस और विपक्ष के विधायकों को नहीं दी जा रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरह से गौरव पथ या तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घर के बाहर बनाये जा रहे हैं या आरएसएस के कार्यकर्ताओं के यहां बनाये जा रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद है, उनके साले के खेत पर मिसिंग लिंक बनाया गया है, जिसमें जनता का कोई वास्ता नहीं है। साले का सिर्फ ट्रैक्टर जाता है या वह खुद जाता है। उसमें 18 करोड रुपये सरकार द्वारा खर्च किया गया है। जनता का उस सड़क से कोई लेना देना नहीं है। न वह सड़क किसी दूसरे गांव को जोडती है।

इसी तरह से जो मिसिंग लिंकों स्वीकृत हुई है उनमें भी कभी कोई वार्ड पंच नहीं रहा, कभी एमएलए, एमपी नहीं बना, वह लोग उद्घाटन करते हैं और टैन्ट लगाकर वहां पर एइएन, जेईएन से भाषण करवाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता इस तरह रोडों का उद्घाटन कर रहे हैं।

ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये।

जैसे पाँच वर्ष की गारंटी की किसी कंपनी की रोड हैं, उनमें घटिया काम हो रहे हैं और वह रोड एक साल के बाद ही खराब हो जाती है। कंपनियां न तो उन पर ध्यान दे रही है, न दुबारा ठीक करा रही है। हमारे यहां तालचडा से

(श्री घनश्याम)

नादौती तक जो रोड है वह गारंटी योजना में थी, इसको ठेकेदार ने दुबारा आकर ही नहीं देखा और वह एक साल में ही खराब हो चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिसिंग लिंक और गौरव पथ सत्ताधारी दलों को ही क्यों दिया जाता है। जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक सिक्के के दो पहलू है तो विपक्ष के विधायकों की अनुशंसा पर भी रोड बननी चाहिये। यह पिछले तीन साल से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आसन से निवेदन करुंगा कि इस तरह के आपके द्वारा आदेश फरमाये जाए कि विपक्ष के सदस्यों का भी इस मामले में ध्यान रखा जाए।

जो कंपनियों से मिलकर सरकार घोटालें कर रही है, नागौर में 52.7 करोड रुपये की लागत से एक टेंडर हुआ है और जिस कंपनी को...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पर्ची का विषय सिर्फ टोडाभीम से संबंधित है, आप नागौर तक नहीं जाये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नागौर की नहीं, कंपनी की बात आपके माध्यम से सामने लाना चाह रहा हूं कि जिस कंपनी को ठेका हुआ, उस कंपनी को तो ठेका नहीं दिया सरकार ने और एक मंत्री जी के जो रिश्तेदार हैं, ओएसडी का साला है, उस कंपनी को काम दे दिया, यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात है। अगर हम प्रदेश में इस तरह से हालात पैदा करेंगे, जो पीडब्ल्युडी का जो एक्सईएन है वह भी इसमें मिला हुआ है। अगर इस तरह के प्रदेश में हालात पैदा होंगे.., +++ का जो रिश्तेदार है वह इस तरह से अगर करेंगे तो इस प्रदेश में क्या हालात पैदा होने वाले हैं। इस प्रदेश को कंपनी राज नहीं बनाया जाए, सरकार के हाथ में भी कुछ नियंत्रण रहना चाहिये। सरकार पूरी तरह इन कंपनियों पर आधारित हो गई है। कंपनी राज बना दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जो टोल रोड है उन पर जब सरकार की लागत पूरी वसूल ली गई है तो महाराष्ट्र और कई स्टेटों में जिस तरह से हुआ है उन टोलों को हटा दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जो पैसा सरकार का वसूल हो गया है, उन टोलों को खत्म किया जाये।

आपने पर्ची पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की सडकों के बारे में चिंता व्यक्त की है। यह भी चिंता व्यक्त की है कि इस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तो मिसिंग लिंक, गौरव पथ दिये जाते हैं,

(श्री बाबूलाल वर्मा)

कांग्रेस के विधायकों को नहीं दिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से टोडाभीम के माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें पूरे राजस्थान में निष्पक्ष भाव से जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत विकास के काम कराये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की जानकारी दे रहा हूं। आपके पहले फेज में 15 गौरव पथ 13.65 किलोमीटर के 5 करोड 18 लाख के सैंक्शन हुए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य आप बात सुनिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उनकी अनुशंसा नहीं ली आपने। यह आपने किससे पूछ कर दिये?

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट मंत्री महोदय आप भी विराजिए।

पर्ची का जो सिस्टम है वह आप सदस्यों की सुविधा के लिये है। नियमों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। अगर आप इसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर एक दूसरे पर आक्षेप लगायेंगे तो फिर इस सिस्टम को यहां से हटा देते हैं। अब आप शांति से बैठेंगे?

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौरव पथ के सैकिण्ड़ फेज में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में 13 गौरव पथ 13 किलोमीटर के 60 करोड़ 80 लाख के सैंक्शन हुए। माननीय सदस्य ने मिसिंग लिंक की बात कही, मिसिंग लिंक के फर्स्ट फेज में 10 मिसिंग लिंक 5 करोड़ 98 लाख, लगभग 6 करोड़ के मिसिंग लिंक आपके विधान सभा क्षेत्र में सैंक्शन हुए। यह हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं है, उसके तहत काम हुए।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने रोडों की रिपेयर की बात की। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि नोन पेचेबल में भी आरआईडीएफ के 20 और 30 के तहत 7 करोड़ 69 लाख की फर्स्ट और सैकिण्ड़ फेज में नोन पेचेबल में काम कराया है। आरआईडीएफ 22 के सैकिण्ड़ फेज में 6 करोड़ 28 लाख की सैंक्शन करके काम शुरू कराये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने लगातार पिछले तीन साल से चर्चा की, पहली बार विभाग ने 25 करोड की सीआरएफ में सेंक्शन करा कर इनके विधान सभा क्षेत्र की जो मुख्य सड़क थी जिसकी यह लगातार चर्चा करते थे, उसमें भी सीआरएफ में 25 करोड सेंक्शन कर के उसका भी काम प्रारंभ कर दिया गया है। लगभग 64 करोड के काम माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में चल रहे हैं।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि फिर भी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से अवगत करा दें, विभाग उस पर कार्यवाही करेगा।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इनके घर में क्या क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी अनुशंसा नहीं ली गई है। मैं कह रहा हूं काम तो हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो, आपका कन्क्लूड कर देते हैं। मंत्री महोदय, आसन आपसे निवेदन करता है कि सदस्य की इच्छाओं के हिसाब से इनके प्रति संवेदनशील होकर आप..,

श्री पूरणमल सैनी।

कस्टोडियन व मंदिर माफी जमीनों के खातेदारी हक

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये आपने अनुमति दी, उसके लिये आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान के लिये मैं दो बिन्दुओं के माध्यम से बात करना चाह रहा हूं।

दो किस्म की भूमियां होती है, एक निष्क्रांत सम्पत्ति जिसको हम कस्टोडियन की भूमि कहते हैं और दूसरा बिन्दु मंदिर माफी की जमीनों के लिये है। पहले मैं निष्कांत सम्पत्ति के लिये निवेदन करना चाहूंगा, देश आजाद होने के 7-8 वर्ष बाद भूमि खातेदारी अधिनियम, 1956 आया, उसमें भी जो वंचित किसान रह गये या जिन किसानों के लिये नियम नहीं बन पाया, उनके लिये यह निष्क्रांत सम्पत्ति के लिये 1963 में एक सर्कुलर और आया। उस सर्कुलर की मानसिकता थी, यह मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगा कि देश का किसान निष्कांत सम्पत्ति कस्टोडियन लैंड पर काबिज आवंटियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के गैर खातेदार, पट्टेदार, मौरूसी, गैर मौरूसी एवं रहन मुक्त काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये।

इसके लिए यह सर्कुलर 1963 पारित किया गया और इसके बाद किसानों ने इस सर्कुलर की जो मानसिकता थी, उसमें कुछ पैसे जमा करके, जो इस तरीके के किसान थे, उनके लिए कस्टोडियन भूमि के नामांकन खोले गए। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री पूरणमल सैनी)

महोदय, उस समय किसानों के पास सरकार के इस रूल के मुताबिक और जमीनों के पैसे जमा करने के लिए, जिन-जिन के पास पैसे थे, उन्होंने तो जमा करके खातेदारी हक प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खातेदार बच गए। उसके बाद जब राजस्थान के किसान द्वारा बार-बार मांग की गई तो 2012 में राजस्थान की सरकार के एक ग्रुप जिसको मैं कहूं, भू-राजस्व परियोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रकिया अनुसार खातेदारी देने की कार्यवाही करी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बिंदु बहुत हैं, लेकिन मैं दो बिंदुओं को यहां पर कोट करुंगा। खातेदारी हेतु पात्र काश्तकारों और गैर-खातेदारी आवेदकों को समस्त देय राजकीय बकाया राशि मय ब्याज तथा चार हजार रुपए प्रति बीघा सिंचित व दो हजार रुपए प्रति बीघा असिंचित जमा करे। इसके साथ-साथ, यही नहीं, सिंचित के लिए दो हजार रुपए और असिंचित के एक हजार रुपए शास्ति के रूप में लागू कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रूप में भी राशि जमा की, लेकिन 2013-14 में सरकार ने एक सकुर्लर और जारी कर दिया और उसमें यह तय कर दिया कि इस आधार पर नहीं। चाहे वह लघु था या सीमांत काश्तकार था। यही नहीं, चाहे वह एस.सी. की जातियों का काश्तकार या चाहे एस.टी. का था। उनके लिए इसका 50 परसेंट किया कि उनके चार या दो हजार रुपए भी नहीं लगने हैं, लेकिन इस नियम में 2013 के बाद परिवर्तन करके यह कर दिया गया कि इनकी चार और दो हजार रूपए में सिंचित और असिंचित भूमि नहीं दी जाए। फिर यह तय कर दिया कि डी.एल.सी. दरों का 50 परसेंट इन लोगों से लेकर निष्क्रांत सम्पत्ति जो सिंचाई की भूमि है, वह इनके नाम फरमाई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं इस बात के लिए माननीय राजस्व मंत्री जी को ध्यान आकर्षित करते हुए कि वो भी किसान वर्ग से आते हैं। पिछली बार भी मैंने सदन में मांग की थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दूसरे बिंदु पर मांग करना चाहता हूं और वह है मंदिर माफी की जमीनों पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान को वहां पर बसे हुए चाहे सौ वर्ष हो गए होंगे, वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उस मंदिर माफी की जमीनों ने, जिस किसान ने घर बना लिया, उसके लिए कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास जनता के हित में अच्छी योजनाएं होती हैं कि हर आदमी को रोशनी में ला सकते हैं, लेकिन

(श्री पूरणमल सैनी)

मंदिर माफी की जमीनों में रहने वाला किसान आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं ले पा रहा है। यही नहीं, उसको बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण की भी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि नाबालिग मंदिर के नाम ही भूमि की जाती है। मेरी मांग है कि सौ वर्षों से लगातार रह रहा है और वहां पर मंदिर नाम की कोई चीज नहीं बची है। पहले कोई छोटी-छोटी कोटड़ियां हुआ करती थी और उनकी सेवा के लिए भी कोई नहीं और किसान वहां पर है। कनेक्शन के लिए उन्हें चक्कर लगाना पड़ रहा है।

ऐसे में मैं मांग करना चाहूंगा कि निष्कांत के लिए पूर्व निर्धारित नियम जो चार हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से था, वह मंत्रीजी लागू करें और दूसरा, मंदिर माफी की जमीनों के लिए एक बिल लेकर आएं और इसमें अमेंडमेंड करते हुए राजस्थान के किसान को ऑब्लाइज करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय जा रहा हैं। मैं अपनी बात खत्म करू उससे पहले कहना चाहूंगा और माननीय मंत्रीजी के जेहन में डालना चाहूंगा कि यह किसान से रिलेटेड है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि:-

'वर्षों लग जाते हैं जिंदगी बनाने में,
फिर भी जिंदगी कम पड़ जाती है रिश्ते निभाने में'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिए रिश्ते की कोई बात ही नहीं बची। ये हैं ही, वहीं से। तो ये मेरी मांग पर गौर फरमाएंगे और यह बिल लेकर आएंगे और राजस्थान के किसान को लाभ देंगे। धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के हित में है, गरीबों के हित में है और आपको पता है कि 'न्याय आपके द्वार' में 68 लाख प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। उसी प्रकार विद्युत विभाग का पैकेज भी आपको पता है।

आपने अपनी भावनाओं से मुझे अवगत कराया किजो कस्टोडियन की भूमि है, उसमें गैर-खातेदारी को खातेदारी बनाना और जो जहां कहीं गैर-खातेदार नहीं लिखा हुआ है, कहीं उप-कृषक लिखा हुआ है, उनको भी खातेदारी देना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रकरण अलवर, भरतपुर और जयपुर में हैं। वहां पर कस्टोडियन की जमीन है और उनका वहां अतिक्रमण है। कई लोग हैं जो अतिक्रमण करके बैठे हैं। उनके कब्जे में जमीन है तो उनको किस प्रकार से खातेदारी दी जाए?

(श्री अमराराम)

समय-समय पर कई परिपत्र जारी हुए हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पिछली बार अलवर से आने वाले कोटकासिम के माननीय सदस्य ने यह बात उठाई थी। हमने उसी समय उनको आश्वासन दिया था और हमने जितने भी कलेक्टर हैं, चाहे अलवर के हों, चाहे भरतपुर हो, चाहे जयपुर हो, उनको यह निर्देश दे दिया था कि काश्तकार की पीड़ा को आप जाने और जो वर्षों से बैठे हुए हैं, वे अभी तक गैर-खातेदार हैं या उप-कृषक हैं, ऐसे काश्तकारों को खातेदारी दी जाए। इसमें काफी प्रगति भी हुई है।

अभी जो कोटपूतली में अनशन चल रहा था, उनके कई ज्ञापन भी हमारे पास आए, डेलिगेशन आए, तो हमने परीक्षण करवाया और उसके लिए हमने उन उप-कृषकों को खातेदारी देने के लिए..। आपके समय में एक परिपत्र जारी हुआ था, जो डी.एल.सी. रेट का 50 परसेंट था। हमने उसमें सुधार किया और सुधार करके हमने अलग-अलग कैटेगरी बनाई है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा 'जहां अनधिकृत व्यक्तियों व उप-कृषक के अवैध कब्जे हैं, उन भूमियों को सलाहकार समिति से परामर्श कर परगना अधिकारियों द्वारा 15 बीघा की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार कीमत के 50 प्रतिशत राशि का आवंटन किया जाएगा' पहले यह था, 15 बीघा से अधिक भूमियों वाले ऐसे आवंटन के मामले में भूमि 15 बीघा से अधिक के भूमि के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित पूर्ण बाजार कीमत वसूल की जाएगी, यह था, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व गरीबी रेखा से नीचे वालों से केवल पचास प्रतिशत ही ली जाए।

हाल ही में, हमने माननीय जन प्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के निवासियों से बार-बार ज्ञापन प्राप्त होने के कारण कस्टोडियन की भूमि के अतिक्रमी, उप-कृषक काश्तकारों को खातेदारी दिए जाने के संबंध में वसूल की जाने वाली डी.एल.सी. दर कम किए जाने हेतु नियम 6/4 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को हमने भेज दिया है, जिसमें पाँच बीघा भूमि तक डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत, पाँच बीघा से पंद्रह बीघा भूमि तक 20 प्रतिशत और पंद्रह बीघा से अधिक भूमि के लिए हमने 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. काश्तकारों के लिए उपरोक्त दरों की 50 प्रतिशत राशि वसूल किया जाकर खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग से सहमति आने पर बहुत जल्दी ही नियमों में संशोधन किया जाएगा और आपकी भावना के अनुसार जो भी कस्टोडियन की जमीन है, उसमें कोई गैर-खातेदार नहीं रहेगा, कोई उप-कृषक नहीं रहेगा। बल्कि वह खातेदार बनेगा, हमने यह निर्णय किया है।

(श्री अमराराम)

आपने पर्ची के माध्यम से जो दूसरी बात में मंदिर माफी की भूमि के बारे में बताया है। आप स्वयं जानते हैं कि 1991 से पहले हमारी जो मंदिरों की जमीन थी और उसमें काश्तकार की खातेदारी दर्ज थी, उस मंदिर माफी की जमीन में। मूर्ति परपीचुअल माइनर है, मूर्ति को अवयस्क माना है।

(14.00 बजे)

अवयस्क मानने के कारण, नाबालिग होने के कारण उसी का ही नाम खातेदारी में दर्ज होगा, पुजारियों का नाम दर्ज नहीं होगा। खातेदारों का नाम दर्ज नहीं होगा। मैं आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूं कि देव मूर्ति अवयस्क है तथा मूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। जमाबंदी अभिलेख रिकार्ड आफ राइट्स है जिसकी प्रविष्टी में कृषक के काश्तकारी अधिकार की अवधारणा प्रतिपादित होती है। जमाबंदी में कृषक के अधिकार ही दर्ज किए जाते हैं। इस कारण मंदिर व देव मूर्ति भूमि के साथ साथ किसी अन्य का नाम नहीं जोड़ा जा सकता।

देव मूर्ति भूमि की खातेदारी पुजारियों ने अपने नाम दर्ज करा ली एवं पुजारियों द्वारा किए अवैध हस्तान्तरण को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल में रेफरेंस दायर किए गए। बड़ी चिंता हुई कि जो पुजारी थे, यानी मंदिरों की जमीन थी, अपने खातेदारी के नाम कर दिया तब रेफरेंस हुए और रेफरेंस होने के बाद उनके नाम हटे।

राजस्व कानूनों में मंदिर मूर्ति भूमि के साथ पुजारी का नाम जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। मंदिर मूर्ति के साथ जुड़े पुजारियों के नाम को हटाने के निर्देश परिपत्र 13.12.1991 दिए गए थे। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत डोली मंदिर, मंदिर माफी जागीर भूमि में कृषक खेती कर रहे थे, उन्हें खातेदारी दिए जाने के प्रावधान है। परिपत्र 13.12.91 के जिन पुजारियों का नाम विलोपित किया गया है उन मामलों में वैध खातेदारी, अवैध नहीं, जो वैध खातेदारी प्राप्त काश्तकारों के नाम विलोपित की कार्यवाही शरू कराए जाने हेतु विभागीय परिपत्र 5.11.11 से प्रदान किए गये हैं। इस प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 है। अगर कोई शुद्धीकरण कराना चाहे, नियमों में होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मंत्री महोदय, सम्माननीय सदस्य का यह सुझाव था कि आप कोई कानून लाकर,कोई बिल लाकर इसमें संशोधन करने की इच्छा रखते हैं क्या? प्रश्न इनका यही था, यह मानते हैं कि इसमें जो प्रोवीजन है उसी के अंदर है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, आप परमिट करें तो एक निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराज जाए। I think so, Jogaram Ji, will be able to explain this thing properly.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): This matter is sub judice before the Hon'ble Supreme Court and the Supreme Court has passed an interim stay.

श्री उपाध्यक्ष: अब यह मात्र आपके हिसाब से ही सब जुडिस है मैटर।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, माननीय उच्च न्यायालय हो, विभिन्न सदनों के द्वारा भी यह बनाए हुए कानूनों पर कार्यवाही करते हैं, तो मैं यही तो निवेदन कर रहा था। यह बेकार में अपने अलग-अलग प्रवचन दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है और मांग है कि राजस्थान के किसान के हक में, मंदिर माफी की जमीन जो मूर्ति के नाम से पड़ी रहती है, जबकि काश्तकारी का काम खातेदार कर रहा है। वहां रहने वाला कर रहा है। क्या उसके नाम जाने के लिए, वहां जुताई तो कर ही रहे है, मकान भी बना लिया, बसा हुआ है लेकिन केवल कनेक्शन सुविधाओं से वंचित रहने के लिए उसमें अमेंड चाह रहा हैं। तो क्या अमेंड के लिए, बिल लेकर आएंगे, यह पूछना था मेरा।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): इस मामलें में कई प्रकरण है वह हाईकोर्ट में ही पेंडिग है। आपका कहना है कि जिनके मकान बने हुए हैं, सब कुछ बने हैं लेकिन मंदिर मूर्ति के नाम से हैं वह परिपत्र 1991 में जारी हो गया उन्हीं के नाम ही रहेगी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

बांदीकुई की पेयजल समस्या

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय पीने के पानी से संबंधित है। पानी अत्यावश्यक सेवाओं में आता है। मेरा यह मानना है कि सांस लेने के बाद पानी भोजन से भी पहले ज्यादा आवश्यक है। दौसा जिले में पीने के पानी की भीषण समस्या है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं उस संबंध में हमारी सरकार ने बनाई है लेकिन अधिकारियों की अकर्मण्यता, लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण वह योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अपनी सरकार के आने के बाद 19 स्कीम पानी की मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई थीं। मैंने पिछले

(श्रीमती अलका सिंह)

सत्र में भी इस बात को उठाया था। उसका टेंडर पाँच बार तकनीकी खामियां बताकर कैंसिल कर दिया गया था। जांच हुई थी। माननीय किरण जी माहेश्वरी उस समय मंत्री थी। उन्होंने जांच के आदेश दिए, वह टेंडर फिर भी नहीं हुए थे। बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदया आपका जिला आपकी सरकार में दौसा पधारी थीं उसके बाद वह टेंडर हुए और आज काम वहां चल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त वहां जो पदस्थ अधिकारी हैं वह न तो जनप्रतिनिधियों के फोन उठाते हैं, ना कोई काम करते हैं। पानी की कमी है, वास्तविकता है लेकिन मिस मैंनेजमेंट की वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।

हमारी तत्कालीन मंत्री किरण जी, अभी यहां विराजमान नहीं है, उन्होंने वहां के जेएईन तक को यहां तलब किया था, उनको चेतावनी दी थी कि अगर काम ठीक ढंग से नहीं होगा तो आपको बाड़मेर दिखाया जाएगा, लेकिन उन्होंने तब भी हाथ जोड़कर मंत्री महोदय से कहा था कि हमें यहां से हटा दीजिए। सरकार की योजनाओं को, काम करने की मंशा अधिकारियों की नहीं है।

आज का विषय सिर्फ यही है कि एक तो मेरे यहां दो ग्राम पंचायतों में ओपन पाइप लाइन सैंक्शन हुए दो साल हो चुके हैं, आज दिन तक उसके टेंडर नहीं हुए हैं। Ground Water Reservoir चार पंचायतों में नीलोज का गोला में एक बन चुका है, द्वारापुरा में, दंड और शालावास में, इनको बने हुए डेढ़ साल हो चुका है। इनकमप्लीट यह आज तक पड़े हुए हैं लेकिन उनका पेमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है। यह बहुत गंभीर विषय है। पानी की समस्या से जनता त्रस्त है। पीने का पानी नहीं है। विभागीय अधिकारी ऐसे अधूरे काम का पेमेंट कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अधूरे Ground Water Reservoir हैं इनको कमप्लीट किए जाए। ताकि सरकार की मंशा आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की, वह हो सके। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो क्वेश्चन रेज किया है, बात बिलकुल सही है इन चारो गांव न नीलोज का गोला, दंड, द्वारापुरा, शालावास में 4.6.13 को 49 लाख और 93 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई थी उसके अगेन्स्ट में 31.3.14 को 48 लाख के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कार्यादेश भी मैसर्स निलेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दे दिए गए थे। उस कार्यादेश के अनुसार 10.4.15 तक काम पूरा करना था। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, 26 लाख का भुगतान 48 लाख में से हुआ है। बाकी पाइप लाइन और टयूबवैल अभी खुदे नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इस सम्पूर्ण मामले की जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। यह जल्दी से जल्दी फलीभूत हो और लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत, इसको थोड़ा टाइम बाउण्ड कर दें कि दोषियों के खिलाफ कब तक हम कार्यवाही कर देंगे और कब तक यह काम चालू हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 2014 से चल रहा है और 2015 में पूरा करना था। माननीय सदस्या कभी आकर मुझे बताती तो, इसके बारे में कार्यवाही करते। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं इसको जल्दी से जल्दी पूरी भी करवाऊंगा और उनके खिलाफ, जो भी विधि सम्मत कार्यवाही हो सकती है, कार्यवाही भी करेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अस्वस्थ कर रहे हैं, आश्वस्त करो, अस्वस्थ नहीं, भगवान उनकी तबीयत ठीक रखें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अस्वस्थ आप कर सकते हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाना लाला अहारी।

उदयपुर में वन्य जीवों द्वारा फसलों को नुकसान

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय किसानों से संबंधित है। उदयपुर जिले में जब जनवरी फरवरी में गेंहू की फसल होती है, फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद फसल जंगली जानवारों द्वारा चौपट कर दी जाती है।

एक बार मेरे विधान सभा क्षत्र के कुछ लोग मेरे पास आये और उन्होंने मेरे को कहा कि एक दिन रात्रि के टाइम पर आप गाड़ी लेकर सर्वे करो, तो सड़क किनारे-किनारे, जहां किसानों की जितनी भी खेती हो रही थी, वहां मैं गया। सारे किसान, कोई

(श्री नाना लाल अहारी)
लकड़ी लगाकर वहां बैठा हुआ था तो कोई किसान लाइट के आधार पर, टॉर्च के आधार पर बैठा हुआ था। बैठने के बावजूद भी सारी रात तो वह जग नहीं सकते हैं और किसी न किसी समय उन्हें नींद आ जाती है। ऐसी स्थिति में पूरे जिले में, कई हजारों में नील गायें हैं, किसानों की पूरी फसल को चौपट कर दिया गया। किसान परेशान हो रहा है, महंगा बीज ला रहा है और रात्रि भर उसकी गश्त करता है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसानों को नरेगा के अन्तर्गत मैटेरियल देकर किसानों की जमीन की बाउण्ड्री वाल बनाई जाये, ताकि वह अपनी फसल को बचा सके। यह पूरे जिले का मामला है। मैं हकीकत में एक रात को गाड़ी लेकर देखने के लिये गया। किसान बहुत परेशान है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसी भी तरीके से किसान की बाउण्ड्री बनाई जाए, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वहां पर 90 प्रतिशत से अबव किसान रहते हैं और उनकी छोटी-छोटी जमीनें हैं, तो किसानों को इस प्रकार की राहत दी जाए।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत जाम्बूड़ा में 06 तारीख को एक किसान बकरियां चराने गया था, वह बकरियां चरा कर शाम को घर पर नहीं लौटा, न ही उसकी पूरी बकरियां घर पर लौटी। एक भी बकरी और किसान नहीं आया तो उसका बेटा शाम के टाइम पर, जहां वह बकरी चराने गया था, वहां उसे देखने गया तो उसका पिता मृत पडा हुआ था। इस प्रकार से पैंथरों द्वारा मेरे उस क्षेत्र में कई हादसे हुए हैं। सराड़ा में भी एक मकान से एक बालिका को पैंथर उठा कर ले गया। एक ग्राम पंचायत पीपली है, वहां पर पैंथर ने रात को एक साथ 12 बकरियों का शिकार कर लिया। वहां पर यह आदमी, नाथूरोड़ा मीणा, 06 तारीख को जो जाम्बूड़ा का था, उसका शिकार हुआ। वहां पर फोरेस्ट विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद में वहां का रेंजर वहां नहीं पहुंचा और सलूम्बर विधायक और मैंने, दोनों ने डी.एफ.ओ., वी. हरिणी से बात की, उसने मेरे को जवाब दिया कि मैं आपको घण्टे भर बाद में जवाब दूंगी। उसने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उन्हें तत्काल वहां से हटा दिया जाए, और किसानों को येन-केन प्रकारेण कोई मुआवजा देकर या रेत-पत्थर मैटेरियल, या कटींले तारों की बाउण्ड्री देकर उन किसानों को राहत पहुंचाई जाये। यही निवेदन है, धन्यवाद।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, नील गाय के आतंक के बारे में चर्चा कर रहे थे। वास्तव में पूरे राजस्थान के अन्दर यह बहुत भारी गम्भीर समस्या है। जिससे किसानों को बहुत ही भारी आर्थिक

(श्री नाना लाल अहारी)
लोस होता है, और यही नहीं, नील गाय बहुत एग्रेसिव एनिमल भी हो गया, वह कई इन्स्टेंसेज में अटैक भी कर देता है। As per Wildlife (Protection) Act, 1972. Section 11-1/3 जितने भी हमारे डी.एफ.ओ., रेंजर्स, कलेक्टर्स,, एस.पी. हैं, एस.डी.एम., डीवाई.एस.पी., ए.सी.एफ., बी.डी.ओ., तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एस.एच.ओ. हैं, ये इंडिविजुअली, इनको कोई मीटिंग नहीं बुलानी पड़ती है, और जहां पर ग्रामीण, ये जो रोजड़े परेशान कर रहे हैं, फसल नष्ट कर रहे हैं, तो इनको इंडिविजुअली अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि They can issue orders to eliminate these animals. परन्तु हमारा जो एक माइंड-सेट है, उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेज इसको नीलगाय का टर्म दे गया, एक्चुअली यह हिरण फैमिली से है। अगर आप इसकी ड्रापिंग्ज देखें It is an antelope. यह कोई गाय फैमेली से नहीं है। परन्तु अब इतने वर्षों से यह नाम चला आ रहा है। इसलिये लोग इसको शूट भी नहीं करना चाहते हैं। This is the actual ground truth. परन्तु परमीशंस ले सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है। हमने प्रपोजल राज्य सरकार को भी भेजा है कि यह बी.डी.ओ., कलेक्टर, इस लेवल के अलावा भी सरपंचों को भी अधिकार दिया जाये कि They can issue permission to eliminate animals. और हमने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भी प्रपोजल भेजा है To reclassify Blue Bull under the category of vermin. इसका मतलब है कि वह शिड्यूल 04 से शिड्यूल 05 में केन्द्र सरकार परमीशन दे देती है तो किसानों के लिये इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी।

माननीय सदस्य ने नरेगा के थ्रू बाउण्ड्री वॉल के बारे में बोला। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बाउण्ड्री वॉल बहुत महंगी पड़ेगी। क्योंकि यह ब्लू बुल जो है, वह हाइट क्रोस कर जाता है, कूदने की, बाउण्ड्री वॉल अगर आप पत्थरों की, इसकी बनाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है कि सोलर की अगर आप फेंसिंग लगायें, सोलर की फेंसिंग से हाथी भी नजदीक नहीं आता है। वह बहुत कोस्ट-इफेक्टिव है। इसके अन्दर सब्सिडी भी मिलती है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि सोलर फेंसिंग का उपयोग करने की वे सोचें, Instead of boundary wall.

आपने पैंथर के अटैक के बारे में बताया। आप एक-दो दिन से अभी मिले भी, आपने कोई चर्चा नहीं की। आपने मेरे को यह नहीं बताया कि किस रेंजर ने गलत व्यवहार किया, या साइट पर नहीं आया। अगर वह पैंथर है, जिसने अभी आपके एक किसान को मारा है, अगर उसको कैप्टिव नहीं लिया गया अभी तक तो हम पिंजरा

(श्री गजेन्द्रसिंह)

लगाकर उसको कैप्टिव लेंगे और जिसकी डेथ हुई है, उसको हम सरकार की ओर से जो भी अनुदान दे सकते हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड है, वह हम देंगे।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): सर, वहां पैंथरों का भी आये दिन आतंक और है, उसके लिये क्या करोगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अभी तक कुल कितने ब्लू बुल मारने की परमीशन दे दी, ध्यान है क्या?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): I do not have it on paper at the moment.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): Can we have it?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): I can get the record and give it you.

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री समाराम गरासिया, ऊर्जा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सिरोही में जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कृषि कनेक्शन

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सिरोही जिले के जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जाति के किसानों को टी.एफ.सी. एरिया की भांति कृषि कनेक्शन दिये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: बस, अब आप विराज जाओ।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्योंकि यह एरिया टी.एफ.सी. की तरह पिछड़ा एरिया है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब आने दें, फिर उसके बाद। मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के नार्म्स के तहत जो ट्राइबल सब-प्लान है, उसके अन्दर माननीय सदस्य का जो जिला सिरोही है, इसके अन्दर खाली आबू रोड आपके विधान सभा क्षेत्र में आता है, और Pindwara, Rewdar, Sirohi and Shivganj, do not qualify under the Tribal Sub-Plan. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की नौ तहसीलें, प्रतापगढ़ की चार तहसीलें

(श्री गजेन्द्रसिंह)

ट्राइबल सब प्लान के अन्दर आती हैं। इसके अन्दर 'आओ और पाओ' कनेक्शन दिये जाते हैं। हमारी जो अभी कृषि नीति बन रही है। नवीन कृषि नीति के लिये जो मंत्रिमण्डल की उप समिति है, इसके बारे में, आपने जो इश्यू रेज किया है, इसकी हम चर्चा करेंगे और कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सिरोही जिले में टी.एस.पी. अनुसूचित जाति को मिलता है, उसी तरह से नियम एस.टी. और एस.सी. के एक ही बने हुए हैं। मंत्री महोदय सिरोही में आए थे तो यह मांगें उठी थीं कि जैसे हमारे को कृषि कनेक्शन दिये जाए। जैसे हमारे आबू रोड के अंदर 32 पंचायतें हैं तो यह पिण्डवाड़ा जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वह पूरा हंड्रेड परसेंट एस.टी. का एरिया है। पंचायत में एक भी कोई दूसरी जाति का नहीं रहता है, वहां पर इस प्रकार का जो नियम है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार 2004-05 में भी अपनी सरकार थी, उस समय भी मैंने यह एस.टी. एरिया घोषित के लिए, पूरा सर्वे होकर गया था लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वहां अपनी केन्द्र सरकार नहीं होने की वजह से नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत फिर से माननीय मंत्रीजी को कहूंगा कि हमारे केन्द्र सरकार में 2013-14 में फिर गया है तो यह एरिया भी टी.एस.पी. घोषित किया जाए और जिस तरह से, एस.टी. वालों ने पूरे प्रदेश में यह कौनसा गुनाह किया है कि उनको कृषि कनेक्शन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती? इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत सरकार से और मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि हमारा एस.टी. को और पिण्डवाड़ा तहसील में और पूरे प्रदेश में टी.एस.पी. की तरह एस.टी. को भी कृषि कनेक्शन और अन्य सुविधाएं भी दी जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चे तो ट्राइबल सब प्लान के अंदर आते हैं, only for those who qualified. केन्द्र सरकार इसके अंदर अगर कुछ चेंज करती है तो फिर अगर कोई चेंजेज आते हैं, उसके तहत जो भी होगा, वह समाधान होगा।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री अजय सिंहजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2015-16

(1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2015-2016; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013 से 2016

(2) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, 2014-2015 एवं 2015-2016.

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंहजी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 व लेखे वर्ष 2002 से 2016

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-40(7) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वार्षिक लेखे वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 एवं 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री विजय बंसल।

समिति प्रतिवेदन

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति (क्र.सं. 7 से 9)

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2016-17 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. वर्ष 2004-2005 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से संबंधित मामलों पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति वर्ष 2016-17 का 7वां प्रतिवेदन;
2. वर्ष 2011-2012 के लिये राजस्थान के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन में समाविष्ट कृषि विपणन विभाग से संबंधित मामलों पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, वर्ष 2016-17 का 8वां प्रतिवेदन; एवं
3. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति का भरतपुर संभाग एवं अलवर जिले में स्वायत्त शासन (स्थानीय निकायों) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास (पंचायत राज संस्थाओं), नगरीय विकास एवं आवासन (नगर सुधार न्यास एवं आवासन) एवं कृषि विपण (कृषि उपज मण्डी) विभागों के तत्स्थानीय अध्ययन/निरीक्षण के दौरान समिति के ध्यान में आये विभिन्न बिन्दुओं पर विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-201 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, वर्ष 2016-17 का 9वां विशेष प्रतिवेदन ।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

याचिका

लूणी जिला जोधपुर के राजकीय विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला- जोधपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च

(श्री जोगाराम पटेल)

माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत में महिला पुलिस थाने की स्थातपना

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र-सोजत में महिला पुलिस थाना खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर में दुर्ग के प्रथम द्वार पर महारावल जैसल की मूर्ति की स्थापना

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के दुर्ग के प्रथम द्वार पर महारावल जैसल की मूर्ति लगवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

सांगोद में पेयजल योजनाओं की स्वीकृति

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम पंचायत जालिमपुरा, तहसील-कनवास के ग्राम जालिमपुरा एवं पीतामपुरा पाइप्ड पेयजल योजना स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018। श्री कालीचरण सराफ।

अनुदान की मांग

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई - मांग संख्या 26 की प्रस्तुति

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या- 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,39,12,23,000/- (तिहत्तर अरब उनतालीस करोड़ बारह लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि तकरीबन 29 सत्ता पक्ष के सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं और 10 प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, 2 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं अगर दस-दस मिनट भी यह बोलेंगे तो 350 मिनट तो इनको चाहिए। समय सीमा को ध्यान में रखकर अगर रिपीटीशन आप न करें, कई बार यह बात आती है कि दस मिनट की समय सीमा आप बाँध देते हैं। तो, आसन आपसे निवेदन करता है कि किसी सदस्य ने जिस विषय को अपने वक्तव्य में कह दिया है तो उसको आप रिपीट न करें अगर उसके अलावा आपके पास में और कोई बात है या आपके विधान सभा क्षेत्र की कोई बात है तो वह आप अपनी अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करें, जिससे समय भी बच जाएगा और वह विषय भी आ जाएंगे और बारबार किसी विषय का रिपीटीशन भी नहीं होगा। सम्मानीय सदस्य, फर्माओ।

सूचना

महारानी कॉलेज के एनी बेसेंट हॉस्टल में छात्रा द्वारा आत्महत्या

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन में आप इन्फार्मेशन कन्वे कर दो। इन्फार्मेशन कन्वे करो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सर, सिर्फ एक मिनट में कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट नहीं लगेगा उसमें, 30 सैकिण्ड लेंगे, इन्फार्मेशन कन्वे करो आप कि किस विषय की इन्फार्मेशन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बहुत गंभीर मुद्दा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महारानी कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल के एनिबेसेंट छात्रावास में साखून, नरेना निवासी एक किसान की बेटी कोमल प्रजापत जो बी.ए. फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, एक मिनट रोको, अख़बार में आ गया तो ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: आप इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आत्महत्या कर ली और उसका पूरा परिवार सदमे में है। इस पूरे मामले की प्रशासनिक जांच हो और तीन आत्महत्याएं यूनिवर्सिटी कैम्पस के हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों ने तीन आत्महत्याएं कर लीं, यह बड़ा गंभीर मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप इसकी जांच चाह रहे हैं, यह आप कह रहे हैं। विराज जाओ। श्री ज्ञानचंद पारख।

अनुदान की मांग

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई - मांग संख्या 26 पर विचार

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस मांग पर चर्चा है, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब बीमारी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के आती है और जब वह बीमार पड़ता है न तो मन की इच्छा होती है कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा लेकर जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से मुक्ति पा लूं लेकिन दुर्भाग्य है कि चंद व्यक्ति होंगे जो बेहतर चिकित्सा सुविधा ले पाते हैं और अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, देखते हैं कि इस बीमारी के इलाज में इतना खर्चा आएगा और फिर अपनी जेब की ओर ताकते हैं तो मजबूरी में जैसी चिकित्सा सुविधा उसको मिल जाए, उसके माध्यम से अपनी बीमारी से मुक्ति वह पाना चाहता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज तो संभव है पर बीमार की औकात नहीं कि वह इतना महंगा इलाज करवा सके। कई बीमारियां ऐसी भी हैं कि वह चाहे तो जल्दी ठीक हो सकता है लेकिन उसमें भी ज्यादा खर्चा आता है। मजबूरी में चाहे ज्यादा वक्त लगे वह सस्ता उपचार करवाना चाहता है। संजय खान है फिल्म एक्टर, एक शूटिंग के दौरान हंड्रेड परसेंट बर्न हो गया। सामान्य आदमी यदि 60 परसेंट से ज्यादा बर्न हो जाता है न तो शायद बच नहीं पाता पर उसके पास पैसा था, बेहतर से बेहतर इलाज करवाया और आज भी वह जिंदा है और बाकी सरकारी अस्पतालों में देखे न तो 60-70 परसेंट से ज्यादा बर्न है तो डाक्टर पहले ही कह देते हैं कि इसके बचने की उम्मीद आप मत करना, यह हकीकत है इस समाज की। चाहे हड्डी के केस देख ले हम, बाहर जाएगा अहमदाबाद बड़े सेंटर में एक महीने में चलकर वापस आ जाएगा।

और कोई छोटे-मोटे सेंटर में गया तो चार-छह महीने प्लास्टर लगाकर अस्पताल या घर में बैठा रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री को, जिसने प्रत्येक वर्ग के लिये बेहतर चिकित्सा सुविधा का प्रावधान कर दिया। यह जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जब से इस प्रदेश में लागू हुई है, उसके बाद में गरीब

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

व्यक्ति भी बड़े-बड़े अस्पताल में जो दो रुपये किलो की गेहूं की खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा है, अपना इलाज करा सकता है। मैं खुद जानता हूं, मैं खुद इस क्षेत्र में हूं। पहले हमको गुजरात और दिल्ली की ओर ताकना पड़ता था, अब ऐसी स्थिति नहीं रही। राजस्थान में काफी इतने बड़े-बड़े अस्पताल हो गये। साथ ही निजी अस्पताल हैं, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, पर हमारी सरकार ने उनको भामाशाह सुविधा से जोड़कर उस गरीब के लिये भी उसके दरवाजे खोल दिये, जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं इतने बड़े अस्पताल में जाकर कभी अपना इलाज करा पाऊंगा।

किडनी ट्रांसप्लांट का ले लो, क्या हालत थी पहले प्रदेश की? प्रदेश में ज्यादा संसाधन नहीं थे, न ज्यादा सुविधा थी। गरीब व्यक्ति की यदि किडनी खराब हो जाए, किडनी बदलाने की आवश्यकता है तो गुजरात जाओ, दिल्ली जाओ। सिविल अस्पताल, वहां भी तीन लाख रुपये, जो सरकारी अस्पताल है और बाकी दूसरे अस्पतालों में चले जाओ तो पाँच से लेकर दस लाख तक खर्चा और अब क्या हो गया, हमारा खुद का अपना एस.एम.एस. मात्र 50 हजार में किडनी ट्रांसप्लांट का आपरेशन कर देता है और जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है, जो बी.पी.एल. में है, जो स्टेट बी.पी.एल. में है, उसका तो पूरा का पूरा इलाज फोकट में होता है। एक पैसा भी नहीं लगता और मान लो कोई इन सुविधाओं को नहीं ले रहा है बी.पी.एल. की, स्टेट बी.पी.एल. की या भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की, तो मुख्य मंत्री सहायता कोष से, प्रधान मंत्री सहायता कोष से इतनी राशि मिल जाती है कि बाकी शेष राशि वह अपनी ओर से खर्च कर सकता है। यह जो इतना बड़ा काम किया है न, शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा कभी नहीं दी होगी। यह राजस्थान भाग्यशाली है, राजस्थान का हर व्यक्ति भाग्यशाली है कि जिसको इतनी बेहतर चिकित्सा सुविधा मिली है।

कांग्रेस ने भी योजना चालू की थी, नि:शुल्क दवा योजना। नो डाउट, धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने इसकी शुरूआत की पर उसका दायरा बहुत सीमित था। सामान्य बीमारी है, उसमें तो आपको नि:शुल्क दवा मिल जाती थी, पर कोई गंभीर बीमारी किसी के हो गयी, जिसके लिये बड़ा आपरेशन कराने की आवश्यकता है, तो नि:शुल्क दवा योजना में उसका प्रावधान नहीं था। चाहे किसी ने हार्ट का, वॉल्व का आपरेशन करवाया, चाहे बाई पास करवायी हो, जो दवा अस्पताल में मौजूद थी तो भी उसका

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

लाभ उसके मरीज को नहीं दिया जाता था और जब बिल बनकर आता था, तो वो ही राशि जब नि:शुल्क दवा योजना लागू नहीं थी और बाद में जब लागू हो गयी तो राशि में कभी अन्तर नहीं आया, उतना ही बिल उसका बनता था। दायरा छोटा था, पर जैसा कांग्रेस का एक सिस्टम रहा है, सस्ती वाहवाही कैसे लूटें। कम पैसे में राजनीतिक लाभ कैसे प्राप्त कर लें, वह मानसिकता ज्यादा रही और नि:शुल्क दवा योजना भी लागू कहां थी, मात्र सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पताल में यदि कोई मरीज आता है, इलाज करवाता है तो ही उसको यह लाभ मिलता था। अगर वह कहीं प्राइवेट में चला जाए तो कोई फायदा नहीं और उस समय की सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा का भी आपको पता होगा, आधे से ज्यादा डॉक्टर्स के पद उस समय रिक्त पड़े थे। नाममात्र के मरीज आते थे, नाममात्र का काम होता था। पर इस भामाशाह योजना के आने के बाद में चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 30 हजार से लेकर 3 लाख तक का जो खर्चा आता है, वह सारा का सारा नि:शुल्क और जरा सी भी कोई झंझटबाजी भी नहीं, अपना भामाशाह कार्ड दिया। अगर खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा है तो एक-दो दिन में स्वीकृति जारी हो जाती है और उसके बाद तत्काल उसके इलाज की व्यवस्था हो जाती है। यह खाली सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि जो-जो अस्पताल सरकार ने एम्पैनल कर रखे हैं किसी योजना में, कहीं भी अपना भामाशाह कार्ड लेकर पहुंच जाए, वहां उसको बेहतर चिकित्सा सुविधा निश्चित रूप से उपलब्ध होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के लागू होने के बाद में हमारे सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या का जो बोझ था, उसमें काफी कमी आयी है। अगर सरकारी अस्पतालों में लम्बी वेटिंग है तो वहां इन्तजार करने की जरूरत नहीं है उसको। जो अस्पताल इन-पैनल किये हुए हैं, वह वहां चला जाये, वहां उसका नम्बर आ जाएगा। मैं सरकार को इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा कि जिस अस्पताल ने इसमें जुड़ने के लिये आवेदन किया, सरकार ने सबको जोड़ा। मैं अस्पताल वालों को भी धन्यवाद दूंगा, बहुत सारे अस्पताल वाले हैं, जिन्होंने सेवा के रूप में इस योजना को लिया और आज वह खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े प्रत्येक परिवार के व्यक्ति का नि:शुल्क और बेहतर इलाज कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी चूंकि योजना अभी नई-नई लागू हुई है और जब भी कोई नई योजना लागू होती है तो कुछ प्रावधान उसमें रह जाते हैं। मैं हार्ट के बारे में बात करूंगा जो सरकार ने निजी अस्पताल एम्पैनल किये हैं, वहां वॉल्व रिप्लेसमेंट का प्रावधान तो कर दिया, सी.ए.बी.जी का प्रावधान भी कर दिया, पर किसी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

के टेटरोलाजी है, किसी के ए.एच.डी., सी.एच.डी है, उसके ऑपरेशन की छूट नहीं दी। जब आप हार्ट का आपरेशन कर ही रहे हो आप तो हार्ट के जितने भी आपरेशन हैं न, जितने प्रकार के आपरेशन हैं, उन सारों का प्रावधान कर दो। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें धीरे-धीरे एक एक कमी जो नजर आती है, उसको ठीक करें और जो प्रावधान करने से बच गये, उनका प्रावधान भी हम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ कमियां और हैं। अब इसमें एक ही है कि मरीज को भर्ती होना अनिवार्य है, तभी उसको सुविधा मिलेगी। अब किसी के सी.टी. स्कैन कराना है, या अन्य कोई मंहगी जांच करानी है। वह आउट डोर में दिखाएगा तो पैसे लग जाएंगे, चाहे उसके पास भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड है और भर्ती होगा तो ही होगा। यह क्या बात हो गयी? जब वह परिवार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा हुआ है तो चाहे आउटडोर मरीज हो, चाहे इनडोर मरीज हो, उसको हर प्रकार की जांचों की नि:शुल्क सुविधा मिलनी चाहिये। इसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ और भी कमियां रह गयीं। आर्थोपेडिक्स में भी कोई इम्प्लांट करना है तो उसकी राशि नहीं मिलेगी। कोई नी-रिप्लेसमेंट कराना चाहता है तो वह प्रावधान किया नहीं। कोई हिप-रिप्लेसमेंट कराना चाहता है तो उसको भी वंचित रख दिया। जब गरीब व्यक्ति के कूल्हे खराब हो गये, बाकी सुविधा तो आप उसको दे रहे हो। नी का तो कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जान-बूझकर करा सकता है घुटने के दर्द से बचने के लिये, वह तो माना जा सकता है, लेकिन दूसरा इम्प्लांट जो भी है, वह तो उसकी आवश्यकता होगी। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा, वह अभी यहां बैठे नहीं हैं, कि जो कमियां आपको लगती हैं, उनको आप ठीक करें और यह हिप-रिप्लेसमेंट है या फिर दूसरा इम्प्लांट है न, उनको भी आप जोड़ें। यह मेरा उनसे विशेष तौर से आग्रह रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंखों की भी कई सारी बीमारियां हैं। कई बीमारियों को तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ कर उनका निशुल्क इलाज हो जाता है और कई गम्भीर बीमारियां हैं, वो आपके छूट गयीं। अब मरीज वहां जाता है तो कि तेरा आधा आपरेशन तो फोकट में हो जाएगा और बाकी का जो आधा काम है वो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तेरे को इतनी राशि देनी पड़ेगी। तो यह कमी भी है, इसको ठीक करें। यह मैं इनसे आग्रह करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और इसमें बड़ी कमी है। अब आपने निजी अस्पतालों को एम्पैनल तो कर दिया, उसका वहां निःशुल्क आपरेशन भी हो जाएगा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पर अधिकांश निजी अस्पतालों में उनका खुद का ब्लड बैंक नहीं है और यदि मरीज को आपरेशन के दौरान ब्लड की आवश्यकता है, जैसे हार्ट का आपरेशन होता है तो अमूमन डाक्टर चार यूनिट ब्लड लिखता ही है, तो वो बाहर जायेगा निजी ब्लड बैंक में या सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड लेने और वहां उसके टैस्टिंग का चार्ज जो लगभग साढ़े ग्यारह सौ रुपये बनता है, वो उसको देना पड़ेगा। तो मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि जो व्यक्ति भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ कर किसी निजी अस्पताल में अपना आपरेशन करवाता है और सरकारी अस्पताल से ही वो ब्लड लेता है तो उसको निशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए। यह मेरा आपसे आग्रह है।

अब यह बहुत बड़ी जननी सुरक्षा योजना है न, इसको भी आपने इससे वंचित रख दिया। बाकी सारा काम आप निजी अस्पतालों को दे रहे हैं, आप यह प्रसव वाला काम भी दे दो। आपके बोझ कम हो जायेगा, मात्र और शिशु मृत्यु दर में भी कुछ कमी आ जायेगी। तो निजी अस्पतालों को, जो भामाशाह से जुड़े हुए हैं, इमपैनल हैं। जो भामाशाह में आपने एम्पैनल किये दूसरे आपरेशन के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्हीं अस्पतालों की। उनको आप दे दो तो आपके यहां जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हमारे राज्य की सरकार ने इतनी महती योजना की शुरूआत की उसी प्रकार हमारी केन्द्र की सरकार ने भी आर.बी.एस.के., राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिये जो बच्चे गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनके आपरेशन की, उनके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था और उसमें प्रावधान तो इतना बढ़िया किया कि कार्यक्रम अधिकारी को टेलीफोन पर इत्तला कर दो, इस गांव में इस व्यक्ति का यह बच्चा बीमार है, इस गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है, उसके घर पर चिकित्सा विभाग की टीम जाती है, उसको जाने की जरूरत नहीं है, उसकी जांच करती है और उसकी बीमारी के अनुरूप उसको रैफरल कार्ड बना कर देती है कि आप उस अस्पताल में जाओ और वहां अपना निशुल्क आपरेशन करवा लो। पर उसमें भी एक-दो कमियां रह गयीं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। अब उसमें प्रावधान क्या किया है कि जो आंगनबाड़ी या सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बालक है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। निजी विद्यालय में यदि किसी गरीब का बच्चा पढ़ता है, किसी मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ता है तो वो इस योजना के लाभ से वंचित रह जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब को जानकारी है, ऐसी बात नहीं है कि निजी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
विद्यालयों में सम्पन्न परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। आज भी प्रत्येक क्षेत्र में निजी विद्यालय में, जो मध्यम वर्ग के निजी विद्यालय हैं, जो निम्न स्तर के निजी विद्यालय हैं उसमें अधिकांश गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा, आपको दिल्ली बात करनी पड़े तो बात करो या आपको अपनी ओर से उसमें कुछ संशोधन करना पड़े तो आप संशोधन करो और निजी विद्यालय में भी यदि कोई बालक पढ़ता है और गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है, उसको भी इस योजना में जोड़ कर उसके इलाज की पुख्ता व्यवस्था करो। यह मेरा आपसे आग्रह है।

एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आता सरकारी आफिसों का क्या सिस्टम है। कई सारे अस्पताल जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और वो आर.बी.एस.के. से भी जुड़ना चाहते हैं, एक काम वो कर ही रहे हैं साथ में देकर यह काम भी हम कर देंगे, उन्होंने दो-दो साल पहले चिकित्सा विभाग में आवेदन कर दिया कि हम आपके इस कार्यक्रम में एम्पैनल होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हम को आप जोड़ों, दो-दो साल तक वो पत्रावली आगे खिसकती नहीं। जो भी अस्पताल इसमें जुड़ना चाहें वो आपकी शर्तों से जुड़ रहे हैं, वो आपकी दरों पर जुड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? आपको जोड़ना चाहिए ताकि जितने ज्यादा अस्पताल होंगे मरीज का नम्बर जल्दी जाएगा, काम जल्दी होगा, आपस में कॉम्पिटिशन होगा, काम भी बेहतर होगा, गुणवत्ता पूर्ण होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अस्पताल भामाशाह में जुड़े हुए हैं, हमारे कई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी चाहते हैं कि हम को भी निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले, वो भी चाहते हैं। तो कई निजी अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है कि हम आपकी शर्तों पर, आपकी दरों पर सरकारी कर्मचारी का इलाज कर देंगे, वो भी सारी की सारी आवेदन, पत्रावली यहां लम्बित पड़ी हैं, कोई आगे नहीं खिसकती। दिक्कत कहां हैं? वो आपका बोझ कम कर रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं। उसमें दिक्कत कहां है? यह जितनी भी पत्रावलियां पड़ी हैं न इन सब का आप निस्तारण करो और आपको लगता है कि यह अस्पताल प्रतिष्ठित है, बढ़िया है आप जोड़ो उसको ताकि यह जो चिकित्सा सुविधा है यह आपकी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रधानमंत्री का अंधता को लेकर एक बहुत बड़ा लोगो भी आया था, पोस्टर भी आया था, उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हम सहायता राशि भी बढ़ाएंगे और 2020 तक पूरे देश को कैटरेक्ट फ्री कर देंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। प्रदेश की स्थिति क्या है? अधिकांश मोतियाबिंद के आपरेशन जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा संचालित अस्पताल हैं, उनके माध्यम से होता है। आप सारे आंकड़े उठा कर देख लो तो आपको खुद को जानकारी मिल जाएगी कि अगर ये समाज सेवी संस्थाएं नहीं हों या इनके अस्पताल नहीं हों तो हम इस अंधता निवारण कार्यक्रम में कहां ठहरते हैं, कहां टिकते हैं। जब वो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारा इतना बड़ा साथ दे रहे हैं, वो हमारा योगदान कर रहे हैं और जो सहायता राशि सरकार ने घोषित कर रखी है वो उनको समय पर मिलती नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री जी को, पहले इन संस्थाओं को तीन-तीन साल तक राशि नहीं मिली थी, बाद में जब यह बात मैंने इनकी जानकारी में लायी तो जाकर वो राशि मिली पर अब भी अधिकांश अस्पतालों को अप्रैल, 2000 बाद की राशि नहीं मिली है। पैसा आपके पास पड़ा है, आपका पैसा लगता नहीं, दिल्ली से पैसा आता हे। कोई आपकी जेब का भी लगता नहीं, अपनी सरकार का लगता नहीं और दिल्ली से कभी पैसा लेट नहीं होता, लेट सिर्फ हमारे यहां होता है। मेरा आग्रह रहेगा कि जो संस्थाएं हमारी इतनी बड़ी मदद कर रही हैं उनका काम हम को भी आगे बढ़ कर करना चाहिए। अनुदान की राशि के लिए बार-बार हमारे पीछे चक्कर लगाए, हमारे अधिकारी, बाबू के पीछे चक्कर लगाए, यह सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। यह मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिलिकोसिस प्रदेश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सरकार को जिसने प्रत्येक जिला अस्पताल में इसकी जांच के लिए बोर्ड का गठन किया। सरकार इसके लिए बहुत गम्भीर है। मरीज तो हम चिह्नित कर रहे हैं, उनको सहायता भी हम दे रहे हैं पर सिलिकोसिस की गम्भीर बीमारी की रोकथाम के लिए जो प्रयास होना चाहिए उसकी ओर भी हम को नजर डालनी होगी क्योंकि जिसके सिलिकोसिस हो गया उसके बाद उसकी सीधी मौत है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए या तो जो पत्थर का काम करने वाले ठेकेदार हैं, जो मजदूरों को लगाते हैं उनको आप पाबंद करो कि हर मजदूर के मास्क की व्यवस्था करें या और भी कोई चिकित्सकीय प्रावधान हैं, उसके बिना वो काम नहीं करवाये। यह बहुत ज्यादा आवश्यकता है वरना यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कल भी सदन में यह विषय आया था। मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे मरीज हैं। अभी कुछ समय पहले बोर्ड गठित हुआ उसमें 236 मरीज तो हमारे पाली में चिह्नित हो गये हैं। यह मामूली बात नहीं है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हम सीधा जान रहे हैं कि यह 236 व्यक्ति ज्यादा लम्बे समय तक जीने वाले नहीं हैं।

लेकिन कोई और व्यक्ति इस बीमारी का शिकार नहीं हो उसके रोकथाम के लिए हमें प्रयास करने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब चिकित्सा विज्ञान का एक और चमत्कार है कि पहले कोई जन्म से गूंगा बहरा होता था तो वह लाइलाज था, उसका इलाज संभव नहीं था। पूरी जिंदगी उसको गूंगेपन और बहरेपन में बितानी पड़ती थी। लेकिन अब इलाज संभव है। cochlear implant के जरिए हम 6 वर्ष तक के बच्चे को उसकी आवाज भी दे सकते हैं और उसके सुनने की शक्ति भी दे सकते हैं। अगर 6 वर्ष से बच्चा बड़ा हो जाता है तो धीरे-धीरे उसकी नसें सूख जाती हैं, उसके बाद में अगर प्रयास भी करें तो ज्यादा सफलता मिलती नहीं है।

आज प्रदेश में 6 वर्ष से कम उम्र के बहुत सारे बच्चे होंगे जो जन्म से गूंगे, बहरे हैं। सरकार की ओर से सहायता राशि का प्रावधान है। एक आपरेशन के ऊपर सरकार 6, साढ़े 6 लाख रुपये देती भी है। लेकिन कितने बच्चों को देते हो आप? आवश्यकता कितनी है? अगर 6 वर्ष से ज्यादा बड़ा हो गया और आप ज्यादा पैसा खर्च भी कर दोगे तो आप उसकी आवाज वापिस नहीं ला सकते। जो भी बच्चे वेटिंग में हैं, 6 वर्ष की उम्र पार करने वाले हैं, चाहे कितनी भी राशि खर्च करनी पड़े वह राशि देकर के हम उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, माननीय सदस्य। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीअजी भी बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। गंभीरतापूर्वक सुनते हुए इन गूंगे, बहरे लोगों के लिए सरकार ज्यादा प्रावधान करे।

एक माननीय सदस्य: मशीन लगवा लें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह मशीन की बात तो मैं नहीं करूंगा। सुन तो पूरे ढंग से रहे ही हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। केवल साढ़े 6 लाख रुपए दे रहे हैं और कई लोगों को दे रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पूर्ववर्ती सरकार तो गूंगी बहरी थी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्रीजी सुन रहे हैं। बात सुन रहे हैं। मंत्रीजी कृपया इस बात पर ध्यान दें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हमारी सरकार ऐसी नहीं है। आप सबका सर्वे भी कराओ। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को तो पता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, मंत्रीजी अगर गंभीरता से सुन रहे हैं, ठीक से सुन रहे हैं तो फिर ध्यान किस बात का दें?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अलॉटमेंट पैसा ज्यादा करें। इस पर विशेष ध्यान देना।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, एकाग्रता खत्म कर दी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपने इनको गूंगा बहरा कहा है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी सरकार को गूंगा बहरा कहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): वह सब समझ रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि गूंगे बहरों का ध्यान दो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपका जो दर्द है वह समझ रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप भी पिछले काल में चिकित्सा राज्य मंत्री रहे हैं। अब का देखो आप तो। अब कितना परिवर्तन है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय ने सुन लिया होगा।

मंत्री जी, एक यह जो बूचड़खाने हैं, मांस की दुकानें, इनके लाइसेंस आप ही देते हो। आपने नियम भी बना रखे हैं।

एक माननीय सदस्य: बंद करो इनको। बंद करो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरी बात तो सुन लो आप। आपने नियम भी बना रखे हैं। कई सारी शर्तें भी उसमें हैं। एक भी बूचड़खाना और मांस की दुकान आपकी शर्तों की पालना करता हो तब तो चला देना, नहीं तो बंद कर देना। सभी आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं। यह हिम्मत आप दिखा दिखा दो। आप तो वैसे ही हिम्मतवर हो, दबंग हो। जो आपके नियमों की पालना नहीं करता, जो आपकी शर्तों की पालना नहीं करता, 7 दिन में सर्वे कराकर सबको बंद करने के आदेश ठोक दो। मंदिर के सामने मांस की दुकान है। इसका प्रावधान नियमों में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, मैंने तो बहुत कम बात की है। मैं कभी अनुशासन भंग नहीं करता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सदस्य को चिकित्सा एवं अस्पतालों का पूरा अनुभव है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मुझे नियमों का भी अनुभव है। अभी मुझे टोक कर के बैठाएंगे उससे अच्छा है कि मैं खतम कर दूं अपनी बात को।

माननीय मंत्री महोदय, यह जो बूचड़खाना वाला है, इससे आपकी वाकई में पूरे देश में वाहवाही हो जाएगी। आप तो आज घोषणा कर देना कि जो-जो आपके नियमों, शर्तों की पालना नहीं करते हैं वह सारी मांस की दुकानें एवं बूचड़खाने सप्ताह भर के अंदर बंद करो।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की जानकारी में एक बात और लाना चाहूंगा कि आपके कई सारे कर्मचारी डेली वेजेज पर, कांट्रेक्ट पर लगे हुए हैं। पहले कभी आप आदेश करते हो कि इनको प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए पेमेंट करो, फिर नया आदेश आता है कि प्लेसमेंट एजेंसी वाले इनका शोषण करते हैं इसलिए मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से इनका पेमेंट करो। उसके 4 महीने बाद में वापिस नया आदेश आ जाता है कि मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से पेमेंट मत करो इनको वापिस प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए करो। किसी एक आदेश पर तो आपके अधिकारी कायम रहें।

मंत्री महोदय आप अपने अधिकारियों को निर्देश दो कि एक बार कोई आदेश निकल गया हो तो आपकी बिना जानकारी के वह आदेश नहीं बदले। वर्ना तो मजाक बना दिया है। चाहे जैसा आदेश ठोक देते हैं और वहां वह पीएमओ परेशान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक यह जो आपके यशोदा है, आशा सहयोगिनी है, इनका भी आप कुछ भला करो। आप उनसे इतना काम लेते हो और उनका मानदेय मामूली है। मेरा आग्रह रहेगा कि हमारी सरकार जब सबके ऊपर मेहरबान है तो यशोदा और आशा सहयोगिनी भी हमारी छोटी कर्मचारी हैं, लेकिन इनका आप काम करो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 5 मिनट ही लूंगा। आपने मुझे कह दिया है, इशारा कर दिया है। यह सरकारी अस्पतालों में जो जांचें होती हैं उनमें, अब सोनोग्राफी करानी है तो 4 दिन बाद की तारीख, छोटी सी जांच के लिए 4 दिन बाद, 5 दिन बाद की तारीख दे देते हैं। पहले एसएमएस में चाहे आपका सी.टी. स्कैन हो तो 5 दिन बाद की तारीख मिलती थी। पिछली सरकार के द्वारा हमने निर्णय लिया, कांट्रेक्ट पर दिया और सब की सी.टी. स्कैन, सब की एम.आर.आई. उसी दिन और कम पैसे में हो जाती।

यदि सरकारी अस्पताल में किसी डॉक्टर ने किसी मरीज के सोनोग्राफी लिखी है तो उस दिन उसकी सोनोग्राफी की व्यवस्था हो जाए या अगले दिन तक निश्चित रूप

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

से हो जाए। वर्ना पूरा इलाज तो उसका निःशुल्क होता है और बाहर के सैंटरों पर सोनोग्राफी कराते हैं तो 600-700 रुपये से कम कोई नहीं लेता। वह बोझ उसके ऊपर लग जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मान लो, अगर आपके सरकारी अस्पताल में इतने संसाधन नहीं हैं तो जिस प्रकार आपने एसएमएस में सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई. कांट्रेक्ट पर दिया, उसी प्रकार आप जिला अस्पतालों में कांट्रेक्ट पर दे दो। वह कम पैसे में कर देंगे, 200-250 रुपए में। उसमें ज्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। यह कदम आप उठाओ। यह मेरा आपसे आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भामाशाह स्वास्थ्य योजना से जुड़े व्यक्ति हैं यदि उनके डॉक्टर सोनोग्राफी लिखता है तो सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी सोनोग्राफी निःशुल्क होनी चाहिए। उसके लिए अगर अलग से प्रावधान करना पड़े तो वह भी आप करें। वर्ना उसको जितना लाभ मिलना चाहिए वह मिल नहीं रहा है। यह मेरा आपसे आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब सीधा मेरे क्षेत्र पर आऊंगा। मैं एक बार नहीं 5 बार से लगातार यह बात कह रहा हूं कि मेरे जिला अस्पताल में 5 साल से ट्रोमा सेंटर, हीमोडायलेसिस यूनिट, बर्न वार्ड, गायनिक थियेटर बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं। मरीजों को, जनता को बहुत बेहतरीन सुविधा मिल रही है।

वहां के नर्सिंग स्टाफ के लिए आपने 5 साल पहले प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी, लेकिन 5 साल बाद भी अभी तक फाइनेन्शियल स्वीकृति जारी नहीं हुई है। यह क्या बात हुई? जब आपकी यूनिट चल रही है। आपने 5 साल पहले प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी तो इसमें 5 साल का वक्त कैसे लग जाता है? डॉक्टरों के बारे में तो मजबूरी जाहिर कर सकते हो कि हम डॉक्टरों को लेना चाहते हैं और वह आते नहीं है। आप हाथ खड़े कर देते हो। आप कहते हो कि हम डॉक्टरों को लेना चाहते हैं और हमने भर्ती निकाली लेकिन डॉक्टर्स आए ही नहीं, लेकिन नर्सिंग कर्मी के बारे में आपकी यह मजबूरी नहीं है। आप जितने नर्सिंग कर्मी चाहोगे, उतने आपको सेवा देने को तैयार हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि जिस-जिस अस्पताल की प्रशासनिक स्वीकृति हो रखी है और सैंटर्स चल रहे हैं, उसके बाद में उन पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है तो इसके आदेश भी आप निकालें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे हमारे यहां पद पूर्व चिकित्सा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मंत्रीजी ने दिए, कोई कमी नहीं रखी। जितने पद मांगे उतने दिए। लेकिन कुछ छोटे-छोटे बाकी रह गए। कोई ज्यादा बाकी नहीं रहे हैं। अब डेंटल चेयर आपने दे दी। डेंटल एक्सरे आपने दे दिए, लेकिन उसमे एक माइक्रोस्कोप होता है, जिससे जो टेढ़े-मेढ़े दाँत होते हैं, वह डॉक्टर ठीक कर सकता है। यह कोई बहुत ज्यादा पैसे का नहीं है, जो आपने अभी 6 महीने पहले दिया है, उसकी तुलना में यह बहुत छोटा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईएनटी में हमारे पास बहुत बेहतर सर्जन हैं, अब वहां ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप नहीं है, मैंने पहले भी लिखकर दिया है, कोई यह ज्यादा राशि के भी नहीं है। हमारा जिला अस्पताल है जहां प्रति सोमवार को बहुत सारे गूंगे बहरे बच्चे अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र लेने आते हैं लेकिन ऑडियोमीटर नहीं होने की वजह से उनके कान की जांच होती नहीं है और उनको मजबूरन सर्टिफिकेट लेने जोधपुर भेजना पड़ता है, ऑडियोमीटर आ जाएगा तो ये जांचे यहां हो जाएगी।

मेरे ग्रामीण क्षेत्र मांडावास और चीतरा में लगातार मैं पिछले तीन वर्ष से मांग कर रहा हूं, आप वहां नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दें ताकि वहां चिकित्सा सुविधा और नजदीक आ जाए लोगों के। पाली के लिए आपने बहुत दिया है, शहर में आपने दो सिटी डिस्पेंसरी पिछले साल दी है, उनकी बिल्डिंग तैयार होकर खड़ी है, आपका इन्तजार कर रही है उद्घाटन के लिए, मैंने आपसे समय भी मांगा है। पाली में मेडिकल कॉलेज आपने दिया है, उसका आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये छोटी-छोटी मांगें हैं, बहुत ज्यादा नहीं मांगा, आपने पहले बहुत ज्यादा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मांग को स्वीकार करेंगे, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने आज की मांग की शुरूआत की है, लेकिन इन्होंने जितनी भी बात रखी है सदन में वह मांग रखी है बीमार व्यक्ति के इलाज के दौरान और मैं मांग रख रहा हूं कि आदमी बीमार ही नहीं हो ताकि उसको चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर 1951 की पशु गणना देखें तो उस समय 2 करोड़ 50 लाख और उस समय की अगर आबादी देखें तो 1 करोड़ 60 लाख, अगर

(श्री रामलाल शर्मा)

2012 के आंकड़ें देखें तो पशुधन था 5 करोड़ और वर्तमान के अंदर लगभग 6 करोड़ 85 लाख की आबादी, मतलब अनुपात के अंदर पशुधन घटा है, आबादी बढ़ी है, फिर भी आपको किसी भी अख़बार, पत्र पत्रिका में यह पढ़ने को नहीं मिला होगा कि आज दूध की किल्लत है, आज घी की कमी है, आज पनीर की कमी है, आज मावे की कमी है, चाहे शादियां कितनी ही हो, चाहे त्यौहार कितने ही बड़े हों, आखिरकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दूध, पनीर, घी कहां से आ रहा है? जब पशुधन हमारा घट रहा है, आबादी हमारी बढ़ रही है, शहर वाले कह रहे हैं कि गांवों से दूध आ रहा है और गांव वाले कह रहे हैं कि जयपुर की डेयरियों से दूध आ रहा है। आखिरकार चिंता का विषय यह है कि इस दूध, घी, पनीर की आवक कहां से है?

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैं यदि गायों की बात करूं तो वर्तमान के अंदर 1 करोड़ 33 लाख के आसपास गौवंश है इनमें से लगभग 73 लाख गायें हैं, इन 73 लाख गायों में औसतन देखें तो सारी गायें एक साथ दूध नहीं देती, लगभग 1 करोड़ 73 लाख भैंस है, भेड़-बकरी अलग हैं, लगभग दूध देने वाली भैंसें देखें तो वह सवा करोड़ के आसपास है, वह भी बारहों महीने नहीं देती। गौशालाओं की बात करें तो प्रदेश में 2185 गौशालाएं हैं जिनमें लगभग 6 लाख 68 हजार गायें हैं, वहां नाम मात्र की गायें ही दूध देने वाली हैं, इनमें से अगर यह माइनस कर दें तो आपके पास दूध देने वाला पशुधन कितना बचता है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सदन में यह है कि जो हमारे पास वर्तमान में अगर आईपीसी में देखें तो आईपीसी की धारा 272 व 273 के अंतर्गत कार्यवाही होती है लेकिन वह कार्यवाही नाममात्र की होती है, बाकी जमानत है। उसके अंदर कोई सज़ा विशेष नहीं है, उसके अंदर फिर आप नया कानून लेकर आए, फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006, यह 2011 में प्रभावी हुआ, इस एक्ट में भी कितनी कार्यवाही सरकार ने अब तक की है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिंता का यह विषय है कि आज गर्मी आने वाली है, इन गर्मियों में एक भी कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर आइसक्रीम और कुल्फी बेचने वाला जो ठेले पर बेच रहा है, आपके विभाग के किस आदमी ने, किस इन्सपेक्टर ने चैकिंग की कि निर्धारित मापदंड हैं, उन मापदंडों के अनुसार वह बच्चों को खिलाई जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीमारी का इलाज सबसे पहले किए जाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बातकी है कि आज इन्सान को शुद्ध कुछ भी

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं मिल रहा है, दूध शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, पनीर शुद्ध नहीं है, तेल शुद्ध नहीं है, मसाले शुद्ध नहीं है, मिठाइयां शुद्ध नहीं है। इसके बाद में सब्जियों की बात आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी देखते हैं किसी गांव से आप गुजरते हो, किसी खेत के अंदर जब दवाइयां देते हैं, आप भी कपड़ा मुंह पर रखकर उस खेत से बाइपास करते हैं, इतनी जहरीली दवाइयां मिलने के बाद दूसरे दिन वह सब्जी मंडी के अंदर आती है, मंडी में बिकने के बाद दस ग्यारह बजे बिकती है तो दो ढ़ाई बजे अपने पेट के अंदर आ जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय यह है कि आदमी बीमारी के ऊपर हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन यह बीमारी की जननी है इसके ऊपर अपन ने कौनसी कार्यवाही की? क्यों नहीं हम कठोर कानून बनाएं कि जिस मासूम को दुनियां के अंदर कदम रखे हुए चंद महीने हुए हैं उसको भी इस मिलावट की वजह से खुली हवा में वह सांस नहीं ले सकता, उसके जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बहुत मजबूत हैं, एक इनका जमाना था, माननीय मंत्री महोदय, इनका एक जमाना था, मैं 'था' की बात इसलिए कह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, कोई जमाने की बात कर रहे हैं आदरणीय सदस्य। उस जमाने की बात कर रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तीन कालीचरण प्रसिद्ध थे। इनके जमाने में यह राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे तो इनका नाम 'कालीचरण' था। उसी जमाने में वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी थे, वह भी अपनी काबिलियत के अनुसार पापूलर थे, उसका नाम भी 'कालीचरण' था। शत्रुघ्न सिंहा की एक फिल्म आई थी वह भी एक 'कालीचरण' थी। तो यह भी उस जमाने के मशहूर 'कालीचरण' थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको इनका वह बल याद दिला रहा हूं, यह बहुत ताकतवर है। किसी जमाने में एक आवाज पर पूरा जयपुर बंद हो जाता था। इसलिए मंत्री महोदय, कृपा करके इस कानून को कठोरता से आप लागू करवा दो एक बार। आपकी जय जयकार हो जाएगी। जो बच्चा इस दुनिया में नया-नया आया है वह भी आपको आशीष देगा कि मंत्रीजी ने मेरे जीवन की सुरक्षा की है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आज जितने सुझाव आ रहे हैं, आपकी जय जयकार के आ रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में हमको कठोरता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है, बेहतरीन काम किया है। इसके साथ-साथ पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का जिक्र किया, उसका मैं समर्थन भी करता हूं, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में कहीं भी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप हॉस्पिटल खोल कर बैठ जाएंगे तो आपके पास निश्चित रूप से मरीज आएंगे लेकिन उन मरीजों को सुविधा चाहिए। आज जिस तरीके से एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब यहां तक कर दिया कि दुर्घटना में तो बहुत कम केस, आप पहले कांवटिया अस्पताल से उसे रैफर करवा कर लाओ तब लेंगे, हम डाइरेक्ट लेंगे नहीं। मेरा सुझाव है कि क्यों नहीं 30 किलोमीटर की परिधि में हम शाहपुरा, चौमूं, बस्सी, चाकसू, इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम करें ताकि वहीं इस एसएमएस का प्रेशर कम हो सके। क्यों नहीं सर्जरी की व्यवस्था हम इन तीस किलोमीटर वाले अस्पतालों के अंदर शुरू करें। क्यों नहीं हम ऑर्थोपेडिक्स की सुविधा हम इन तीस किलोमीटर दूर वाले अस्पतालों में शुरू करें ताकि जयपुर के अंदर एसएमएस पर दबाव आ रहा है वह दबाव भी कम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में परिवार का एक व्यक्ति बीमार होता है लेकिन उस एक व्यक्ति की बीमारी से पूरा परिवार प्रभावित होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौतें चार प्रकार की होती हैं, एक वह मौत है जो प्राकृतिक आती है, एक वह मौत जो किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, एक वह मौत जो दुर्घटनाओं में होती है लेकिन माननीय मंत्रीजी, एक मौत वह मौत है जो बीमारियों की वजह से होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की एक घटना का मैं जिक्र करूंगा, बिलकुल सत्य घटना है, मेरे मोबाइल पर तीन बजे एक कॉल आया हुआ था, मैंने वह कॉल रिसीव नहीं किया लेकिन जब पाँच बजे जब उठा और मैंने कॉल बैक किया तो वह सत्यनारायण नामक व्यक्ति का कॉल था, मैंने पूछा तीन बजे कॉल क्यों किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने कहा कि तीन बजे मैंने इसलिए कॉल किया कि मेरे मकान के सामने रहने वाले शम्भूदयाल कुमावत जो पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते थे, जिनकी उम्र 48 साल थी, उनको अटैक आया तो मैंने कहा कि कौनसे अस्पताल में भर्ती है ...

(श्री रामलाल शर्मा)

तो उन्होंने कहा कि भर्ती नहीं है, शिवधारा हॉस्पिटल में है, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बीमारी का एकमात्र कारण है कि हमें जो कुछ भोजन के अंदर मिल रहा है या हमारे शरीर में जो कुछ जा रहा है, जो कैमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, शुद्ध रूप से हवा नहीं मिल रही है। आप एक बार शाम के 8 बजे सीकर रोड पर चले जाओ, रीको इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों के कैमिकल की धुआं है उससे आप निकल नहीं सकते, उससे आप बच नहीं सकते। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि व्यक्ति को शुद्ध रूप से खाने को मिले, पीने को शुद्ध पानी मिले और जिस तरह से उसके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उन पर हम अंकुश लगाने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सदन को आवश्यकता है, यह किसी एक व्यक्ति या पार्टी की विचाराधारा से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। क्या हम उस समय कार्यवाही करेंगे जब हमारे साथ या हमारे परिवार के अंदर इस प्रकार की घटना घटेगी? क्यों नहीं इस प्रदेश की अवाम को लाभ देने के लिए इस अवाम को हमने स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभी से ऐसे कठोर नियमों की पालना करें ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पीएचसी खुली हुई हैं। एक चीथवाड़ी में, एक ढोढसर में, एक किशनमानपुरा में, एक मण्डा में। अभी तक चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बजट हमें नहीं मिला है, जिसकी वजह से हमारे भवन नहीं बन पाये।

हमारे सामोद में सीएचसी बनी हुई है, क्रमोन्नत हुए 5-6 साल हो गये, लेकिन अभी तक उसके भवन के पैसे हमारे पास नहीं आये। सामोद में न तो 108 की सुविधा है, न 104 की सुविधा है। अगर मंत्री महोदय यह सुविधा दे दें तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिलेगा और हमें भी इसका लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अणतपुरा जैतपुरा और उदयपुरिया, ये दोनों ग्राम बड़े कस्बे हैं। इन दोनों ग्रामों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मंत्रीजी इन दोनों गांवों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा है हम एसएमएस पर दबाव को कम करने के लिए आसपास के कस्बों को ज्यादा विकसित करें तो उसका लाभ लोगों को

(श्री रामलाल शर्मा)

मिलेगा। इसलिए चौमूं की सीएचसी को अगर सैटेलाइट में क्रमोन्नत करेंगे और वहां हम फैसेलिटी बढ़ाने का काम करेंगे तो उसकी वजह से जयपुर में प्रेशर कम होगा और स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि एसएमएस के अंदर आज जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही है और वार्ड छोटे पड़ रहे हैं। एसएमएस के अंदर भी मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि बांगड़ बिल्डिंग है उसके ऊपर एक मंजिल का और विस्तार हो तो लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आज हार्ट पेशेंट बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं उसके लिए भी कॉर्डियोलोजी का एक विभाग अलग से आप डवलप करेंगे, हो सकता है भविष्य में अपने को भी उसकी सेवाएं लेनी पड़े। मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस सुविधा को भी आप विकसित करने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मचारी हैं वे ही सेवाएं देते हैं। डॉक्टर द्वारा एक बार ऑपरेशन करने के बाद, वार्ड में शिफ्ट होने के बाद वे ही उनको देखते हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नर्सिंग कर्मियों की अगर प्रदेश की कमी है तो उस कमी की पूर्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी आप शुरू करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम निवेदन आपके माध्यम से करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेडिकल क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से सरकार ने तीन सालों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, उसकी वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी 50 हजार रुपये की सहायता लोगों को मिलती है, उससे भी उनको राहत मिलती है। सबसे ज्यादा मैं कहूं कि बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करे तो उसके लिए माननीय मंत्री महोदय, पुलिस, फूड और मेडिकल एण्ड हैल्थ को मिलकर जाइंट ऑपरेशन चलाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अगर आप इंडिपेंडेंट सक्षम हैं तो आपके डिपार्टमेंट करे। मैं मंत्री महोदय, इतना निवेदन जरूर करूंगा कि चोर को तो आप बाद में मार लेना, लेकिन चोर की नानी को पहले मारो। जहां से माल बन रहा है, जिन फैक्ट्रियों में बन रहा है, जो लोग बना रहे हैं, उनके खिलाफ पहले सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो उस माल को विक्रय करने का काम करते हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मेरे खयाल से मैंने ज्यादा समय नहीं लिया होगा, निर्धारित मापदण्डों के तहत जो समय आवंटित था वही समय मैंने लिया है। अगर ज्यादा ले लिया हो तो

(श्री रामलाल शर्मा)

मैं माफी चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आपने बड़े अनुशासित तरीके से बात करी और समय पर कह दी तथा समय में कह दी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना संरक्षण जरूर चाहूंगा कि जो मैंने बात कही है उस पर कार्यवाही करा दें और आज से ही करा दें तो माननीय मंत्री महोदय का नाम होगा।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर ही दिया। अगर इनके आकर्षण में कहीं कोई कमी-खामी रह जाए तो आप आसन से दुबारा निवेदन कर सकते हैं। श्री नरपत सिंह जी राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी जो एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए तो इनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज सुबह से ही कान के जो ऑडियोमैट्री मशीन लगा रखी है, छोटी है, लेकिन बात काफी मोटी सुन लेती है।

अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एडल्ट्रेशन की ओर इशारा किया। मैं तो आपको एक सुझाव देता हूं मंत्रीजी, एडल्ट्रेशन पर आज की तारीख में कोई खास सज़ा नहीं होती। फूड एडल्ट्रेशन और दूध पूरे देश में या पूरे प्रान्त में जितने दूध की आवश्यकता है उसका वन फोर्थ हम प्रोड्यूस नहीं करते स्पुरियस है। डेयरी में पिछले वर्ष यूरिया से बनाने वाले दूध को पकड़ने वाली मशीन लगी है। स्ट्रांग पनिशमेंट का एक अलग से एक्ट क्यों नहीं बना दें कि अगर कोई खाद्य पदार्थ में मिलावट करेगा, कोई पेय पदार्थ में मिलावट करेगा, जो आपके स्टेण्डर्ड के नहीं है तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। बाहर जाकर कोई शुद्ध खाते हैं तो उसमें कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम इसमें ध्यान नहीं दे रहे। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। विदेशों में, यूरोप, अमेरिका में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ड्रग एडलट्रेशन अगर होगा तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट है। यहां पर तो कुछ होता ही नहीं। अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो मिर्ची के अंदर तो बेर के छिलके हैं, जो लाल होते हैं वह खाने को मिलेगा, चाहे आप मंगाओ या मैं मंगाऊं। धनिये के अंदर लकड़ी के बुरादे को मिक्स करते हैं और हल्दी में मिट्टी मिक्स करते हैं। जोधपुर में मिर्ची के लिए बेर की पूरी मण्डी लगती है, लेकिन आपको इतनी फुर्सत नहीं, शायद आप नहीं पधारें। मुख्यमंत्रीजी से बात करके कैबिनेट में चर्चा करें। अब समय आ गया है कि हमको इस पर एक्शन लेना चाहिए।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने ऑडियोमेट्रिक टैस्ट के लिए कहा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तो टैस्ट करा आये, लेकिन ऑडियोमेट्रिक टैस्ट आज जो लेटस्ट हो रहा है वह हाइली टेक्निकल है। अभी तक तो आपके एसएमएस में भी वह सुविधा नहीं है। प्रश्न है कि प्रोफेसर पुराने सिस्टम से पढ़ा हुआ है, न्यू आइटम में वह आदमी कभी देगा नहीं। सीएचसी में आपके पास लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए ज्यादा लैप्रोस्कोप होंगे, आपके सर्जरी में सिर्फ एक है। उसमें सिस्टम आपको चैंज करना पड़ेगा। बल्ब 850 रुपये में टेंडर से आता है। जितने सर्जन हैं खुद की जेब के अंदर बल्ब डालकर लाते हैं और ऑपरेशन के बाद वे ओटी छोड़ेंगे, बल्ब को खोलेंगे और धोकर अपनी जेब में डालेंगे और बाद में ऑटोक्लेव करा लेंगे। जब आप लाखों को सुविधा दे रहे हैं, 1 लाख 25 हजार मेजर ऑपरेशन एसएमएस में होते हैं, लेकिन वह क्वालिटी ऑपरेशन हो। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सभी मेडिकल कॉलेजेज कम से कम 20 साल पीछे हैं। इसलिए कमेटी बनाकर आप लोग अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद करेंगे तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। एमएलएज् भी जाते हैं, अधिकारी भी जाते हैं तो उस पर लिखते हैं, क्योंकि काफी जाचें फ्री हैं, लेकिन जो पर्चा बनेगा उस पर लिखेंगे ''फ्री पूअर''। किसकी मेहरबानी चाहिए? चिकित्सा मंत्री की भी नहीं चाहिए। भगवान की मेहरबानी चाहिए कि उसको फ्री की आवश्यकता न पड़े। उसमें MLA as such and MP as such उसको यह अधिकार है और सरकार उसका खर्चा वहन करती है तो उसकी कैटेगरी अलग कर दे। आप अलग से सर्कुलर क्यों नहीं जारी करते?

अभी सीटी स्कैन को प्राइवेटाइज करने का ठेका तो दे दिया। सीटी स्कैन 128 स्लाइस को हमने 2008 में लाने की कोशिश की थी।

अभी भी आपके 128 स्लाइस का, 124 स्लाइस का नहीं है लेकिन जो टेंडरर हैं, जिन्होंने भी ली है मैं उनसे परिचित भी हूं और डाक्टर्स उसमें डायग्नोस करना नहीं जानते हैं। मेरी स्वयं की पत्नी के कमर में चोट आई थी और सात दिन बाद में मुश्किल से वो रिपोर्ट मिली है। मैंने दिल्ली जाकर दुबारा सी.टी. वहां पर करवाया और उसके बाद में उस रिपोर्ट को कम्पेयर किया It is absolutely opposite. उस आधार पर अगर कोई गरीब का इलाज कराना चाहेगा, मैं तो हैल्थ मिनिस्टर भी रहा हुआ हूं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब को तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हमने 45 नर्सिंगकर्मी यहां से हटाये थे और सभी के सभी ऐसे केसेज थे जिनमें पैसे कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 100 रुपये लिये थे। उसमें फाइल पर लिखा हुआ है कि मैं आइंदा से कभी नहीं करूंगा, मेरा पुलिस केस नहीं किया जाए। वो आज तक बात नहीं आ पाई है तो अच्छी है लेकिन गरीब को इलाज प्रोपर मिले। आपके कार्डियो थोरेसिक एक्टिविटी खूब हो रही हैं, वेटिंग क्यों है क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपके पास नहीं है। हमने स्टार्ट किया था एक बार एम.एससी. नर्सिंग कोर्स उसके लिए। पोस्ट ऑपरेटिव इंटेंसिव केयर, कार्डियक केयर, पोस्ट न्यूरो सर्जरी केयर, अब समय आ गया है कि जहां पर डाक्टर्स का जो प्रेशर है वो कम करने के लिए आपको हाईली बैटर क्वालिफाइड नर्सेज को लगाना चाहिए।

आपके एस.एम.एस. की 2000 सैंक्शंड बैड स्ट्रैंथ है और 3000 से ज्यादा पेशेंट होंगे। पेशेंट और नर्सिंग केयर का रेश्यो तो कम से कम मेंटेन कर लें ताकि जो 5 फ्लैगशिप मेडिकल कॉलेजेज हैं, जो पुराने मेडिकल कॉलेजेज हैं वो जनता की सेवा करने में अग्रणी रह सकें।

मैंने तो ये छोटे-छोटे सजेशंस दिये हैं, आपको ठीक लगे तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 26 स्वास्थ्य पर वाद-विवाद में आपने मुझे हिस्सा लेने के लिए समय दिया, आपका बहुत आभार।

उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्रों में लिखा है- 'पहला सुख निरोगी काया' जैसा हमारे रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कई बार यह कहा है और निरोगी काया के लिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने मिलावट पर बात की, अच्छे उपकरण हों उन पर बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां निजी अस्पतालों की भी बात आई पर हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और 6 करोड़ से ज्यादा इसकी जनसंख्या है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी 10 परसेंट लोग भी उन निजी अस्पतालों की सेवाओं का लाभ या तो उठाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं या वो उन तक पहुंच नहीं पाते, 90 परसेंट लोग सरकारी चिकित्सालयों का उपयोग करते हैं, सरकारी चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करते हैं।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उपाध्यक्ष महोदय, यू.एन.डी.पी. की एक स्टडी आई है और उसमें ह्यूमन डवलपमेंट इंडिकेटर है उसमें स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण माना है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो, आपको रहने की अच्छी सुविधाएं मिले तो उसमें हमारे देश को एक पायदान नीचे कर दिया। हम 180 देशों में 130 नम्बर पर थे और अब 131 नम्बर पर आ गये और श्रीलंका हमसे ऊपर है तथा दक्षिणी अफ्रीका का देश कांगो के बराबर और पाकिस्तान के लगभग की कैटेगिरी में हम आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान की हालत है और उसमें राजस्थान की क्या हालत होगी यह आप कल्पना कर सकते हैं।

हमारे यहां डब्ल्यू.एच.ओ. के मानदण्ड के अनुसार जो स्टाफ होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, अन्य एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी क्या हालत है कि आज हमारे यहां पर जो सैंक्शंड स्ट्रेंथ है उसमें नॉन गजेटेड में लगभग 40 हजार पद रिक्त हैं। मेडिकल कॉलेज में 15 प्रिंसिपल नहीं हैं, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं हैं, गांवों की सी.एच.सी., पी.एच.सी. में डाक्टर नहीं हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जी, सिस्टम को बिना कार्मिकों के कैसे चलाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप एस.एम.एस. को ही ले लीजिये। हमने यहां कई बार चर्चा की कि हम इसको AIIMS के बराबर लाएंगे, फिर हम आये कि हम इसको पी.जी.आई. का स्टेटस देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से पहले एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की वर्ल्ड में जो इज्जत थी वो बहुत ऊपर थी। आप चाहें यू.एस.ए. जाएं, यूरोप जाएं, इंग्लैण्ड जाएं तो आपको कोई न कोई डाक्टर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज से किया हुआ मिल जाता है पर समय के साथ यह स्थिति डिटिरियोरेट होती गई। उपाध्यक्ष महोदय, एस.एम.एस. हॉस्पिटल की स्थिति यह हो गई है कि वहां रोगी एक बीमारी के इलाज के लिए जाता है और दूसरी बीमारी साथ लेकर आता है, यह स्थिति वहां पर संक्रमण की है। जो आपरेशन थियेटर हैं उनमें जो डब्ल्यू.एच.ओ. के नार्म्स हैं उनकी पालना नहीं होती है क्योंकि प्रेशर बहुत है उस हॉस्पिटल पर। पहले जितने भी चाहे वो विधायक थे, चाहे मंत्री थे, सब के सब एस.एम.एस. हॉस्पिटल में जाते थे। हमारे उप राष्ट्रपति रहे हुए हैं आदरणीय भैरोंसिंह जी, वो एस.एम.एस. में ही भर्ती थे। मेरे पिताजी इस सदन के आठ बार सदस्य रहे और जब भी वो अस्वस्थ हुए तो एस.एम.एस. ही जाते थे। यहां के बहुत

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

दबंग हैल्थ मिनिस्टर थे दामोदर जी व्यास, वो भी उसमें जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब, चीफ सैक्रेटरी से लेकर गरीब आदमी तक उसमें जाता था। अब एक डिफ्रेंशिएट हो गया कि जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा और जिसको लाइन में लगना है, यह करना है वह वहां जाएगा। एस.एम.एस. हॉस्पिटल की यह स्थिति थी कि यहां इतने रिनॉउंड डाक्टर थे चाहे वो पी.के.सेठी थे, चाहे वो यूरोलॉजी के गंगवाल जी थे, चाहे आपके एस.आर. मेहता थे, मैं नाम गिनाऊंगा तो इसमें बहुत समय जाया होगा। आज स्थिति यह है कि वहां पर प्रोफेसर ही नहीं हैं, वहां विषय विशेषज्ञ ही नहीं हैं, वहां डाक्टर्स ही नहीं हैं। उसके बाद स्थिति यह आ गई कि आये दिन उस हॉस्पिटल में हड़ताल हो जाती है, कभी प्रोफेसर हड़ताल कर देते हैं, कभी रेजीडेंट डाक्टर हड़ताल कर देते हैं, कभी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल कर देता। उनको तो हड़ताल के बाद सरकार और उनकी बात होती है तो जो उनकी मांगें हैं वो मिल जाती हैं पर, उपाध्यक्ष महोदय, उस दौरान जिस मरीज की मृत्यु हो गई उस परिवार पर क्या गुजरती है, यह सोचनीय बात है। मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि इस तरह का एक सिस्टम इवेल्युएट करें कि इस हॉस्पिटल में अचानक कोई हड़ताल नहीं कर सकते और उसके लिए चाहे आपको कानून में संशोधन करना पड़े तो उसमें करें या कोई और व्यवस्था आपको करनी पड़े तो करें। किसी के ग्रिवेंसेज सुनने के लिए कोई बात करनी पड़े तो वो आप करें।

वैसे तो पुराने समय में सेठ लोग, एक घर गांव में होता था और वो सारे गांव के लिए कुआं बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे। हमारे मंत्री जी भी सेठ हैं और एक 23 नम्बर कमरे की बात आई तो उसका दायरा आपने सीमित कर दिया कि इस तरह के लोग ही इसमें आएंगे। तो मंत्री जी, बड़ा दिल रखो, उस 23 नम्बर कमरे वाली बात को भुलाकर ऐसी व्यवस्था करो कि सबका इलाज हो।

आप अब मेडिकल कॉलेजों का ले लीजिये, आठ जो मेडिकल कॉलेज की बात आई तो यू.पी.ए. की सरकार ने वो मेडिकल कॉलेज दी थी जब यहां पूर्ववर्ती सरकार थी और वहां गुलाब नबी आजाद मंत्री थे तब वो कॉलेजें दी थीं। मैं यह मानता हूं कि हमारे समय में वो चालू नहीं हो सकी पर वो आज भी चालू नहीं हो सकीं।

(15.29 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

आपके यहां जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनको आप छोड़ दीजिये। उसके अलावा

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपका पहले एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज थी, अजमेर की मेडिकल कॉलेज थी, बीकानेर की थी और उदयपुर की थी।

आप स्वयं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनकी कितनी अच्छी स्थिति थी? आपने कोटा में खोली, झालावाड़ में खोली। उनके लिए जब भी एमसीआई की टीम आती है, आपको दूसरी मेडिकल कालेजज से स्टाफ भेजना पड़ता है, तब आपका निरीक्षण होता है। ये जो आठ मेडिकल कालेज हैं, हर बजट में आप इसकी घोषणा कर देते हो कि हम यह आठ मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। अभी तक अगर वह स्थापित हो जातीं तो आम लोगों को उसकी सुविधा मिलती।

अब आप जिला अस्पतालों को ले लीजिये। पिछली बार आपने घोषणा की कि हम जिला अस्पतालों में रोगियों के लिए डायलिसिस की शुरुआत करेंगे, हम उसमें लगभग सबमें आईसीयू चालू करेंगे और सबमें सीटी स्कैन चालू करेंगे। एमआरआई तो आप नहीं चालू कर सके। करने के लिए आपने कहा था। आपने कहा था कि हम सीटी स्कैन उनमें जरूर चालू करेंगे।

अभी मैं आपकी यह आर्थिक समीक्षा पढ़ रहा था तो मेरे झुंझुनूं के लिए लिख रखा था कि हमने टेण्डर फ्लोट कर दिये हैं हीमोडायलिसिस के लिए तो मंत्रीजी, हीमोडायलिसिस तो मरीज घर पर ही कर सकता है। उसको तो आप एक बार ट्रेनिंग दे दीजिये, अस्पताल में दे देते हैं और वह घर पर ही कर सकता है। वह इतना इफेक्टिव नहीं है हीमोडायलिसिस। आपको जो प्रोपर डायलिसिस है, वह उन जिला अस्पतालों में करना चाहिए। उनमें सारी सुविधाएं देनी चाहिए।

जैसे अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। वह जयपुर के 30 किलोमीटर दायरे के लिए कह रहे थे कि हम अच्छे अस्पताल यहां डवलप करें तो एसएमएस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप सभी जिला अस्पतालों को इस तरह से डवलप करें, उनमें वह सारी सुविधाएं दें कि वह रैफरल अस्पताल नहीं होकर वहीं लोगों का इलाज करें। एसएमएस में तो आपके गम्भीर रोगी आएं, जिससे उनकी देखभाल भी हो।

अब आप ले लीजिये जो आपका रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। आपके यहां 2,000 से ज्यादा प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं और 300 से ज्यादा आपके सीएचसी हैं। बहुत सारी सीएचसी ऐसी हैं, माननीय सभापति महोदय, जिनमें जितने डाक्टर होने चाहिए, उतने डाक्टर नहीं हैं। जितनी नर्सें होनी चाहिए, उतनी नर्सें नहीं हैं। भवन होना चाहिए, वह

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

भवन नहीं है। आप उसकी व्यवस्था करें। प्राइमरी हैल्थ सैंटर में आपके डाक्टर नहीं हैं, आपका नर्सिंग स्टाफ नहीं है, आपकी और सुविधाएं नहीं हैं।

हमारी सरकार ने नि:शुल्क दवा योजना शुरू की थी और आपका जिन प्रदेशों में शासन था, उन लोगों ने भी यहां टीम भेजकर उसको दिखवाया और अपने यहां लागू करने की चेष्टा की। वर्तमान प्रधान मंत्रीजी ने भी, उसी योजना से प्रेरित होकर भारत सरकार ने भी उस योजना को भी लागू किया है पर आप उस योजना को डाइल्यूट कर रहे हैं। हमारे यहां जो डब्ल्यूएचओ का प्रोटोकाल है, उसके अनुसार हम नवजात शिशुओं को वह सारे टीके नहीं दे पा रहे हैं। आप यह व्यवस्था करें कि वह सारे नवजात बच्चों को जो डब्ल्यूएचओ का प्रोटोकाल है, उसके अनुसार टीकाकरण की सुविधा मिले।

हमने नि:शुल्क जांच योजना शुरू की थी, उसकी भी जब आप बोल रहे थे, आपने भी चर्चा की थी। उस नि:शुल्क जांच योजना को भी आपने डाइल्यूट कर दिया। पाँच-पाँच दिन तक की वेटिंग रहती है। एक व्यक्ति को आज जांच का रिजल्ट चाहिए, पाँच दिन बाद आप उसको देंगे तो उसके स्वास्थ्य पर कैसा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, आप जानते हैं।

यहां कई तरह की बातें आईं। भामाशाह योजना की बहुत बात आई। ठीक बात है, पर उसके साथ भामाशाह योजना में कई अस्पतालों में भ्रष्टाचार किया, वह बात भी आई। उसको भी आपको देखना चाहिए।

एसएमएस अस्पताल और राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था की जो स्थिति है, उसके बारे में आपसे पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया था कि मुझे शर्म आती है कि मैं राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री हूं। इस तरह की बात आई। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी अन्तरात्मा ने उनको झकझोरा और वह सच्चाई मानने के लिए तैयार हुए। हम बहुत सारी लम्बी-चौड़ी बात कर रहे हैं पर हम उस गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे हैं।

आप शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय आंकड़ों से ऊपर हो। आप मातृ शिशु दर, जननी की मृत्यु दर है, उसमें आप राष्ट्रीय आंकड़ों से ऊपर हो। जो जनसंख्या वृद्धि दर है राष्ट्र की, उससे आप ऊपर हो। हर इंडिकेटर में राष्ट्र में जो होना चाहिए, उससे आप ऊपर हो सिवाय इसके कि हम जनता को सुविधा दे सकें। उसमें हम जरूर राष्ट्र स्तर से नीचे है।

जितनी नर्स होनी चाहिए पर कैपिटा, उसमें अपन नहीं हैं। पद ही अपन ने उतने स्वीकृत नहीं कर रखे हैं। जितने डाक्टर्स होने चाहिए, उतने डाक्टरों के पद ही

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)
नहीं सृजित कर रखे हैं। हर बार आप डाक्टर्स की भर्ती करते हो। हमारी सरकार भी करती थी। मैं आपको यह दोष नहीं दे रहा हूं कि आपके समय ही वह डाक्टर्स छोड़कर चले जाते हैं। एक डाक्टर पर, जो सरकारी मेडिकल कालेज में अध्ययन करता है, उस पर आप करोड़ों रुपये खर्च करते हो और जब आप एम्प्लायमेंट देने की बात करते हो, वह आता है, एक स्टाप गैप के रूप में आपके पास रहता है, फिर या तो वह पीजी में एडमिशन का लाभ उठाकर उसमें चला जाता है या उसको प्राइवेट अस्पताल में आपसे अच्छा पैकेज दे देते हैं, वहां चला जाता है। आप एक निश्चित टाइम उसके लिए क्यों नहीं करते? कोई बाण्ड क्यों नहीं भरवाते कि आप अगर इस सरकारी कालेज में अध्ययनरत हैं तो आपको इतने दिन रूरल सर्विस करनी पड़ेगी।

आपकी आज सबसे खराब हालत है, वह जो ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं या सीएचसी हैं, उनकी हैं और सबसे ज्यादा अगर आप किसी पीड़ित के पास पहुंच सकते हो तो उनके माध्यम से ही आप पहुंच सकते हो।

आपकी स्थिति यह है आज कि प्राइवेट अस्पतालों के अपशिष्ट कचरे में पड़े रहते हैं, गायें उनको खाती हैं। उनमें जो मानदण्ड हैं डब्ल्यूएचओ के, उनके अनुसार आप इन्क्यूबेटर नहीं लगवा पा रहे हो। जिला अस्पताल जो आपके हैं, उनमें कचरा निस्तारण का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो। जो मेडिकल वेस्ट के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें आपको सख्ती बरतनी चाहिए माननीय मंत्रीजी।

आप अब आयुर्वेद की बात ले लीजिये। हमारे गृह मंत्रीजी हैं नहीं। पिछली बार जब हम सत्ता में थे तो गृह मंत्रीजी ने कहा कि उदयपुर में जो आयुर्वेद कालेज है, उसमें कोई पद भरा हुआ नहीं है और जब वह टीम आई निरीक्षण के लिए, हमारे लिए यह कहा कि दूसरी जगह से उधार लेकर आपने उनको भेजा। क्या आपने वह पोस्टें भर दी हैं?

आपके यहां नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का जयपुर में है। हालांकि उसमें आपका नियंत्रण नहीं है, पर उसका भी स्तर गिरता जा रहा है। आप कोर्डिनेशन का काम तो कर ही सकते हैं। यह जो एलोपैथी की पद्धति है, यह तो तुरन्त इलाज के लिए कारगर है पर इसमें साइड इफेक्ट भी हैं। पर यह जो सदियों से चली आ रही आयुर्वेदिक पद्धति है, इसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। इसको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। आपकी पहले औषधशालाएं थीं। उसमें आपका स्वयं का विभाग यह बनाता था आयुर्वेद की दवाइयां। अब वह धीरे-धीरे कम हो गईं। आपने उसका आउटसोर्स कर दिया। जितनी आयुर्वेद की दवाइयां मिलनी चाहिए, अगर वह सब पहाड़ों पर ही इतनी जड़ी-

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

बूटियां लगा दें तो भी नहीं हो, तो उस तरह के जैविक उद्यान भी आपको विकसित करने चाहिए जिससे आपकी आयुर्वेद की व्यवस्था है, उसको कर सकें।

पिछले कई सालों में आयुर्वेद के नये औषधालय आप नहीं खोल रहे हैं। आज भी आयुर्वेद में कई बीमारियों का इलाज है और कोई उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इसी तरह होम्योपैथी पर भी कोई ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। यह जरूर है कि आप इसी सत्र में एक बिल होम्योपैथी का जरूर लेकर आये हैं तो हमको होम्योपैथी को भी बढ़ावा देना चाहिए। यूनानी पद्धति है, उसको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। हमको सब इन चिकित्सा पद्धतियों को अपने अपने हिसाब से साथ लेकर चलना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को क्यों बाध्य करें कि वह एलोपैथी से ही इलाज करवाये। बहुत सारे पुराने साधु-संत हैं, वे एलोपैथी की दवाई ही नहीं लेना चाहते।

हमारे यहां एक आश्रम था, उसमें एक महात्मा थे तो वो आयुर्वेद के अलावा दवाई ही नहीं लेते थे। बहुत सारे लोगों का अपना सोच है, तो आपको आयुर्वेद पद्धति को भी बढ़ावा देना चाहिए, आपको होम्योपेथी को भी बढ़ावा देना चाहिए, आपको यूनानी पद्धति को भी बढ़ावा देना चाहिए और आपको सबसे पहले जो डब्ल्यू.एच.ओ. के प्रोटोकोल हैं हम उसके इक्वल नहीं जाएं तो हमको धीरे-धीरे कोशिश यह करनी चाहिए कि हम वहां तक पहुंचे और आप यह नहीं करें कि यह योजना इस सरकार ने शुरू की यह इस सरकार ने की, जो अच्छी बात है, जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, बच्चों के लिए है और दूसरे तरह के जो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको आपको बढ़ावा देना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र की आपकी चिकित्सा सुविधाएं हैं उनमें विस्तार करना चाहिए चाहे संस्था खोलने में जो आपके मानदंड हैं, हो सकता है उनके बराबर आ गये हों पीएचसी और सीएचसी में और उप केन्द्र में भी, पर खोलने मात्र से वो कोई जनता को सुविधा थोड़े दे रहे हैं। आज भी आपके अस्सी परसेंट उप केन्द्र बिना भवन के हैं उनमें नर्सिंग स्टाफ नहीं है। आपके सीएचसी जिसको आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहते हैं वो पीएचसी से आने वाले मरीजों को अच्छा इलाज देंगे। वह भी बिना भवन के चल रहे हैं, उनमें भी डॉक्टर नहीं हैं, उनमें भी दूसरी तरह की मशीनें नहीं हैं।

हमको विकसित देशों के बराबर आने में तो बहुत समय लगेगा पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विकासशील देश हैं वो देश हमसे काफी आगे निकल गये। चाहे श्रीलंका है, चाहे मलेशिया है, चाहे

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपका थाईलैंड है। हमारे जो आस-पास के देश हैं उनसे तो हमको आगे जाना चाहिए और कई मामलों में तो हमारी स्थिति दक्षिण एशिया में यह है कि हम सबसे नीचे पायदान पर हैं। हमारे सार्क के देश हैं उनमें हम सबसे बड़ी कंट्री हैं, उसमें तो हमको लीड करना चाहिए। यह ठीक बात है कि कई मामलों में हम ऊपर आये हैं। कई इंडीकेटर्स में हम ऊपर आये हैं, पर अब भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप जयपुर से हैं और एसएमएस होस्पिटल जयपुर में है और वो हमारे स्टेट टाइम से शुरू हुआ हुआ है उस होस्पिटल ने जनता की बहुत सेवा की है पर अब उसकी सेवाएं डिटिरियोरेट हो रही हैं। आप उसको सुधारें और मैं यह मानता हूं कि आपको जो बजट मिला है वह कम है। यू.एन.डी.पी के हिसाब से डब्ल्यू.एच.ओ. के हिसाब से जो पर कैपिटा बजट आपको मिलना चाहिए वो बजट आपको नहीं मिला है तो आपको फाइनेंस में जाना चाहिए, आपको कैबिनेट में जाना चाहिए और जितना बजट आप स्वास्थ्य में बढ़वायेंगे उतना ही इस प्रदेश का भला होगा। माननीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर आज चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा में हमने आपके विचार भी सुने हैं हम तो यहां पर अपने विचार दे रहे हैं। आप ऐसा जीवन जीते हो और ये मैं नहीं कह रहा हूं सारा राजस्थान जानता है कि किस तरीके से आप चिकित्सा के क्षेत्र में पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेकर राजनीति में काम कर रहे हो। एक अद्भुत उदाहरण है राजस्थान में। माननीय सभापति महोदय, जब बजट पर चर्चा हुई थी तब मैंने एक बात कही थी, आप जैसे लोगों की संवेदनाओं को और हालात को मैंने प्रकट करने का प्रयास किया कि फिक्की की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आये, आज भी इस मुल्क में चार प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज कराते-कराते बीपीएल बन जाते हैं और बीपीएल ही नहीं बन जाते, इलाज कराते-कराते स्वयं को गिरवी रख देते हैं, स्वयं की सम्पत्ति का बेचान कर देते हैं। न जाने कितनी बार हमको यह बात अखबारों में पढ़ने को मिलती है कि इलाज नहीं कराने के अभाव में बीमारी से तंग आकर आत्महत्या की।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आधुनिक युग में यह हम सबके लिए एक चुनौती है। समूचे चिकित्सा विज्ञान और समूची गवर्नमेंट की सारी व्यवस्था के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती को मैं नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं समझा। आप जैसे लोग तो न जाने कब से अपने व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर इस चुनौती से लड़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस परेशान व्यक्ति की सहायक बनने का काम किया भामाशाह बीमा योजना ने। आपने अभी जिक्र किया था भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, वो व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करा सकता था, इलाज उसके लिए अपने-आप गरीबी का कारण, बीपीएल के रास्ते पर जाने का कारण बन सकता है या तंग आकर उसके लिए आत्महत्या का रास्ता बना सकता था, सरकार ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में इस राजस्थान का कोई गरीब व्यक्ति मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक जाएगा, जांच की जो सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी सरकार उसकी निशुल्क जांच कराएगी। सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किये हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हमने बहुत तरक्की की है।

माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि चिकित्सा के इतिहास की कहानी हमारे यहां लंबी है और मैं अगर कहूं कि यह कहानी प्रागैतिहासिक से लेकर आधुनिक समय तक होती है जिसमें मनुष्य को विभिन्न युगों और विकास संस्कृति और सभ्यता के चरणों के माध्यम से शामिल किया गया। अलग-अलग समय अलग-अलग सभ्यताएं विकसित हुईं। उस समय आदमी की जरूरत आदमी के स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है यह चिन्तन प्रारंभकाल से हमारी चिकित्सा पद्धति में प्रारंभ हुआ और एलोपेथी हमारे यहां बहुत तीव्र गति से 19 वीं शताब्दी में प्रभावित हुई, लेकिन इसके प्रयोग हमारे यहां 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गये। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कि इस मुल्क में पहला मेडिकल कॉलेज 28 जनवरी, 1835 को कलकत्ता में खुला। 1833 में तत्कालीन गवर्नर लोर्ड विलियम बैंटिक ने भारतीय चिकित्सा शिक्षा को संशोधित करने और उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे संगठनों की रिपोर्ट के आधार पर इस मुल्क में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात कही।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आज भी 28 जनवरी बंगाल में मेडिकल कालेज की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेडिकल कालेज की शिक्षा इस हिन्दुस्तान में लगभग 200 साल की उम्र पूरी करने जा रही है। ऐसे समय में मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं हम लगातार पिछले 25-50 सालों में चार प्रकार की बीमारियों से लड़े। मैं जब बहुत छोटा था तो गांव में चर्चा होती थी चेचक हर बच्चे को निकलेगी, छोटी माता, बड़ी माता। पोलियो आम बात थी, खसरा आम बात थी। इस मुल्क में चार पाँच बीमारियों पर रोक लगाने के लिये टीके की व्यवस्था हुई। पोलियो हिन्दुस्तान से विदा होता जा रहा है। चेचक हिन्दुस्तान से लगभग विदा हो गया, लेकिन ऐलोपैथी चिकित्सा विकास के इस मुल्क में 200 साल होने के बाद आज मैं जिन चार पाँच बीमारियों के टीकों की चर्चा कर रहा हूं यह सारे के सारे टीके दुनिया के दूसरे देशों ने इजाद किये। हम चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, चिकित्सकीय सुविधाएं हमने आगे बढ़ाई हैं, हमने चिकित्सा महा विश्वविद्यालय खोले हैं लेकिन चिकित्सा के बार में हमारे अनुसंधान की स्थिति बहुत दुर्बल है। अगर मैं यह कहूं कि आज हम चिकित्सा के अनुसंधान से आगे मिसाइल के अनुसंधान में दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मिसाइल में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, चिकित्सा अनुसंधानों में हम आज दुनिया में बहुत पीछे रह गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़े आपको पढ कर सुनाऊंगा, 2014 के अंत में इंडिया स्पेंड द्वारा एक विश्लेषण किया गया और भारत में 5 लाख डाक्टरों की कमी बताते हुए कहा 2014 के अंत तक 7 लाख 40 हजार सक्रिय डाक्टरों के बाद भी हमारी स्थिति 1674 व्यक्ति पर डाक्टर है। यह स्थिति वियतनाम, अल्जीरिया और पाकिस्तान से खराब है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने यह रिपोर्ट भारत की पार्लियामेंट में रखी है। यह सारे तथ्य है हमारे सामने।

इन सारे तथ्यों के बाद भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं, उसी समिति ने कहा कि अगर हम दुनिया के चिकित्सा के क्षेत्र में एडवांस देशों का मुकाबला करना चाहते हैं और आज अगर हम तीव्र गति से दौड़ लगाएंगे, माननीय सभापति महोदय, कहा कि एक रात में तो किसी को डाक्टर नहीं बनाया जा सकता लेकिन पाँच सालों तक हर साल 100 मेडिकल जोड़ते हैं तब 2029 में जाकर हम दुनिया के पैरामीटर्स में अपने आप को खड़ा कर पायेंगे।

अभी झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 8 मेडिकल कालेज, संसाधनों का भी अभाव हो सकता है लेकिन इस दिशा में देर आये दुरुस्त आये, राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कालेज होना चाहिये, इस मंशा के साथ राजस्थान

की मुख्य मंत्रीजी ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है कि हम देश में अपने आप को एक ठीक मुकाम पर स्थापित करें, माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिये राज्य के चिकित्सा मंत्री और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुझे इस अवसर पर कई सारी बातें करनी है लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात मैं शिक्षा मंत्रीजी से करना चाहता हूं। मैंने बजट में भी यह बात कही थी इस मुल्क में कोई सरकार, कोई सरकार का मुखिया और चिकित्सा मंत्री नहीं होगा जो संसाधनों की उपलब्धता के बाद उस प्रदेश के किसी मरीज को इलाज के अभाव में मरने दे, यह नजरिया राजस्थान में नहीं है, इस मुल्क में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित संसाधनों में हम कैसे व्यवस्था करें, संसाधनों का डवलपमेंट कैसे करें, हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत कैसे हो, यह चिंतन लगातार होना चाहिये। मैंने बजट में एक पीड़ा व्यक्त की थी, आज चिकित्सा मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मेरी बात को सुनेंगे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोले वह सुन रहे हैं। वह पूरी तरह से सजग हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैंने एक बात कही थी कि इस दुनिया में विश्वविद्यालय और चिकित्सालय क्रमोन्नत किये जाते हों, उन्नत नहीं किये जाते हैं। संसार का इतिहास उठाकर देख लो, भारत का इतिहास उठा कर देख लो। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुधरना चाहिये, उन्नत होना चाहिये, चिकित्सालय उन्नत होने चाहिये, अवनत नहीं होने चाहिये। मुझे बहुत तकलीफ है, मैंने इस सदन में 2001 और 2011 के सेंसेक्स के आंकड़े इस राजस्थान के पाँच बड़े नगरों के दिये थे, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, मैंने इस सदन में कहा कि 2001 की तुलना में 2011 में जो आबादी की ग्रोथ जिस तीव्र गति से बढ़ी है, 2001 की तुलना में कोटा में 44 प्रतिशत आबादी बढ़ी है, राजधानी भी इस ग्रोथ को नहीं पकड़ पायी। 2014 में न्यू मेडिकल कालेज में महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के तीन यूनिट को शिफ्ट कर दिया और आज इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने कहा हम न्यू मेडिकल कालेज में 30 करोड़ रुपया देंगे। मैं इस योजना का स्वागत करता हूं, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, मैं इस योजना का स्वागत करता हूं लेकिन महाराव भीम सिंह चिकित्सालय की दो यूनिट यह बनने के बाद शिफ्ट कर दी जाएगी, मुझे बहुत पीड़ा है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आज उम्मीद करुंगा जब चिकित्सा मंत्रीजी जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इस पर अपनी बात करेंगे। मैं आज कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। महाराव भीम सिंह चिकित्सालय आज का चिकित्सालय नहीं है। इस चिकित्सालय की 1952 में नींव रखी गई है, आजादी के बाद। 1958 में महाराव भीम सिंह जी ने इसका उद्‌घाटन किया और यह तीन यूनिट शिफ्ट होने के बाद भी महाराव भीम सिंह चिकित्सालय जिसमें 474 बैड स्वीकृत हैं उन 474 बैड के विरुद्‌ध 670 बैड लगाये गये हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं, वहां बैड लगे हुए हैं, वहां 700 आदमियों का प्रतिदिन इलाज होता है। वहां पर वार्षिक आउट डोर 7 लाख, इंडोर 38 लाख और न्यू मेडिकल कालेज में 470 बैड लगे हुए हैं, 559 उसके विरुद्‌ध भर्ती हैं। एमबीएस अस्पताल में 474 के अगेंस्ट 700, हम उसको क्रमोन्नत करने के बजाय और जहां पर लगातार पानी, बिजली की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने के कारण चंबल जैसी नदी और थर्मल जहां पर हो, उसके कारण लगातार आबादी बढ़ रही है और देश और दुनिया का इस आबादी के फ्लो के बढ़ने के अलावा दो से तीन लाख बच्चा वहां पर आता है। ऐसे में मैंने कहा कि अगर आप जयपुर में दो मेडिकल कालेज खोलने की बात कर सकते हो तो आने वाले समय में जब हमें चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया के समकक्ष इस मुल्क को और इस राजस्थान को ले जाकर खड़ा करना है तो कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय को बंद करने के बजाय उसे नये मेडिकल कालेज के रूप में भविष्य के रूप में देखा जाना चाहिये। उसी कैम्पस में जनाना अस्पताल काम करता है। उस जनाना अस्पताल में 337 बैड के अगेंस्ट 470 बैड काम कर रहे हैं। ढाई लाख आउट डोर, 50 हजार इंडोर, उसी एमबीएस कैम्पस में, उस कैम्पस में दस लाख रोगी आउट डोर में और लगभग एक लाख रोगी जनाना अस्पताल और एमबीएस मिलाकर इंडोर में आते हो, उस अस्पताल की एक भी यूनिट को वहां से शिफ्ट किया जाना कोटा के साथ अन्याय होगा। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यह कोटा के साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा....

माननीय चिकित्सा मंत्री आप जब घोषणा करेंगे और आज जवाब देंगे तो कहेंगे कि कोटा की शान, कोटा की पहचान और कोटा ही नहीं, वह एम.बी.एस. अस्पताल जो पूरे डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है, उस अस्पताल के मौलिक स्वरूप को विघटित करने के बजाय उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, एक भी ब्रांच वहां से शिफ्ट नहीं होगी। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, न्यूरो इंटरवेंशनल कैथ लैब बनकर तैयार है। एक दानदाता ने करोड़ों रुपए लगा दिए। न्यूरो इंटरवेंशनल कैथ लैब उपकरणों के अभाव में

(श्री प्रहलाद गुंजल)
प्रारंभ नहीं हो रही है। करोड़ों रुपए लग चुके हैं। मैं आज आपसे अनुरोध करुंगा कि इस न्यूरो इंटरवेंशनल लैब को प्रारंभ करने के लिए आप निश्चित रूप से इस बजट में हमको न्याय दिलाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में मरीजों की आवक को देखते हुए, उस अस्पताल की प्रतिष्ठा को देखते हुए पिछले तीन साल से 54 करोड़ रुपए का ओ.पी.डी. ब्लॉक बनाने की सिफारिश आपके पास पैंडिंग पड़ी है, एस्टीमेट पैंडिंग पड़ा है। यह कोटा के साथ न्याय होगा, कोटा के विश्वास के साथ न्याय होगा जो महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के लिए मन्नत माँगता है, दुआ करता है। मैंने बजट में कहा कि जिसने अब तक लाखों लोगों को जीवन दिया, अमीर से लेकर फटी जेब के व्यक्ति का जिस महाराव भीम सिंह चिकित्सालय ने इलाज किया, माननीय सभापति महोदय, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के स्वरूप को यह कोटा किसी भी सूरत में नहीं टूटने देगा। यह बात सबको समझनी चाहिए, बहुत ईमानदारी के साथ समझनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, कोटा से आपका पुराना रिश्ता है, कोटा के बारे में आप सकारात्मक सोचते हैं। आप हमारे अगवा हैं, नेतृत्व करते हैं। हमने नेतृत्व के गुण आपसे सीखे हैं। विद्यार्थी राजनीति में हमने आपकी सदाशयता और संघर्ष की क्षमताओं को, आम आदमी के बारे में जो आपका चिंतन है, उसको देखकर हमने एबीसीडी पढ़ना सीखा है। मैं आपसे एक छोटे भाई और कोटा के प्रतिनिधि के नाते अपना हक मांग रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से इस विश्वास को आज जीतकर जाऊं कि मेरे बड़े भाई के नाते मंत्री महोदय ने आज मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा के साथ न्याय किया है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें अभी चर्चा में आई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोक स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई। बीमारी का कारण खान-पान हो गया और खान-पान की अशुद्धता ने हमारे शरीर को बीमारी का घर बना दिया। आज लोक स्वास्थ्य के साथ सफाई पर भी चर्चा हो रही है। आज सफाई और लोक स्वास्थ्य पर चर्चा करते समय बहुत ईमानदारी के साथ विचार कर रहे हैं कि खान-पान के तौर-तरीकों से जो हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, हमें इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें तय करना पड़ेगा। हमारा फूड का महकमा है। जिस प्रकार से मिलावटी चीज़ें बाजार में बिक रही हैं। सवाल केवल दूध, दही, मक्खन, घी का नहीं है। आज कितने पेस्टिसाइड्स की मात्रा खान-पान में आ रही है? कितने रसायनों व खादों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की मात्रा खान-पान में आ रही है? माननीय सभापति महोदय, इसका यह परिणाम हो गया। यह केवल राजस्थान का विषय नहीं है। कई बार मैंने इस सदन में माननीय सदस्यों से चर्चा सुनी है कि हरियाणा, पंजाब से एक ट्रेन चलकर राजस्थान में आती है, उस ट्रेन का नाम तो कैंसर ट्रेन रख दिया गया है। खानपान से हमारे शरीर में बीमारी आई है, हमारे खानपान के तौर-तरीकों से आई है। आज लोक स्वास्थ्य पर चर्चा करते समय हमें गंभीरपूर्वक यह विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी एजेंसियां सतर्क होकर काम करें। हमारी एजेंसियां सर्तक होकर राजस्थान और हिंदुस्तान के किसान को अवेयर करें कि आप लोग जो फसल पैदा कर रहे हैं, आप जो सब्जी पैदा कर रहे हैं, उनमें रासायनिक खादों व पेस्टिसाइड्स का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि लोक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े, यह चिंतन भी हमको करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमें हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की तरफ लौटना पड़ेगा। मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ आज आयुर्वेद के बारे में कहना चाहता हूं। हम आयुर्वेद के बारे में जब चर्चा करते हैं। यह भारत का प्राचीनतम चिकित्सा ज्ञान है और इस भारत के प्राचीनतम चिकित्सा ज्ञान के बारे में जब मैं आज चर्चा कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद का एक सिद्धांत रहा है। लिखा है कि 'धरती को बनाने वाले पाँच तत्व इस स्थूल शरीर में बैठते हैं'। यह आम बात है और विज्ञान ने इस बात को मान लिया है कि शरीर पाँच तत्वों से बना है और जो शरीर पाँच तत्वों से बना है, वे धरती में निहित पाँच तत्व हैं। फिर हमको यह तय करना पड़ेगा कि बीमार होने के बाद हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा या बाजारू मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा? अगर गाड़ी खराब हुई है तो प्रोडक्शन वाला मैकनिक यदि हमारे पास बैठा है तो उसके पास जाना पड़ेगा। भारत की परम्पराओं में धरती पर पैदा होने वाला एक-एक पौधा और उसकी एक-एक पत्ती और एक-एक वृक्ष की छाल में आयुर्वेद है, यह दुनिया का विज्ञान बन चुका है। इस ओर जाना पड़ेगा और जब मैं परसों शिक्षा पर यह बात कर रहा था तो टिप्पणी आई कि प्रहलाद गुंजल और शिक्षा मंत्री को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम पाँच सौ साल पीछे चले गए, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज एम.बी.एस., एस.एम.एस. में किडनी ट्रासंप्लाट होगा। आजादी के 70 साल बाद हम ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आज मैं भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की बात करूं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह क्या था, गणेश जी का सिर काट दिया, हाथी का सिर लगा दिया। वराह अवतार में सूअर का सिर लगा दिया। गौतम ऋषि ने जब इन्द्र को शापित करा दिया तो बकरे के गुप्तांग सर्जनों ने लगा दिए। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो संजीवनी बूटी से वेद ने उनको जिंदा कर दिया। यह हमारी परम्परा रही है और अगर कोई इन परम्पराओं को माइथोलॉजी कहता है या विश्वास को बनाए रखने वाली बात कहता है तो मैं आप आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एलोपैथी का इस हिंदुस्तान में 18वीं शताब्दी से पहले प्रवेश नहीं हुआ था। 80 घाव सह कर राणा सांगा कौन-सी पद्धति से जिंदा रहा? यहां पर 13वीं शताब्दी में तोप के युद्ध प्रारंभ हो गए थे। तीसरी शताब्दी में कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मर गए थे। लाखों इंजर्ड लोगों का उपचार हुआ। हमारी चिकित्सा पद्धति इतनी मजबूत चिकित्सा पद्धति रही कि बड़े-बड़े घाव और बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज कर दिया, ट्रांसप्लांट करने के बाद। सिर का ट्रांसप्लांट कर दिया, जननांगों का ट्रांसप्लांट कर दिया। हमारी चिकित्सा पद्धति में कई प्रकार की ट्रांसप्लांट पावर थी। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही। मैंने कहा था जब मैं एजुकेशन पर बोल रहा था, कि हम आर्यभट्ट और वेदों की तरफ जाते हैं तो लोग आज यह सवाल खड़े करने लगते हैं कि हम दुनिया के एडवांस आधुनिक विज्ञान को क्या मुंह दिखाएंगे कि भारत पुरातनपंथी है। उस पुरातनपंथ में जो ज्ञान छिपा था, उसे चुराकर और उसको सीखकर दुनिया का आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा बढ़ गई। हमें आज अपने तौर-तरीकों पर लौटना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जिनको पार्किंसन की बीमारी हो गई। दुनिया का सबसे एडवांस देश उस पार्किंसन नाम का इलाज नहीं कर पाया। उसके राष्ट्रपति को उस बीमारी से मरना पड़ा। दुनिया के सबसे एडवांस देश को यह त्रासदी झेलनी पड़ी। और जब भारत के आयुर्वेद से इस बारे में चर्चा करते हैं तो भारत का व्यक्ति रोज अपने घर में बनने वाली सब्जी में जो चुटकी भर हल्दी डालता है, वह हल्दी पार्किंसन नाम की बीमारी का इलाज है। उपचार, बीमारी नहीं आने देना चाहते। हम अनुसंधान कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पर चर्चा करते समय जब कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने 'किनवा' एवं कोई और एक फसल का नाम लिया कि ये तीन सौ प्रकार की बीमारियों को रोकते हैं। और हम दुनिया के दूसरे देशों से ये पौधे उधार लेकर आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में प्रकृति का खजाना इतना अद्भुत रहा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है। हमने तो सनातन परम्पराओं को छोड़कर पाश्चात्य परम्पराओं का जो अनुसरण और अनुगमन किया है, उससे हमारा मूल चिंतन और हमारा यथार्थ धराशायी हो गया है।

सभापति महोदय, उसका परिणाम यह हुआ कि आयुर्वेद मर गया, आयुर्वेद खतम हो गया। एलोपैथिक का मतलब संक्रमण पर तुरंत नियंत्रण और कई प्रकार के साइड इफैक्ट। माननीय सभापति महोदय आप तो कितने वर्षों से इस परम्परा के साथ जुड़े हुए हैं। तत्काल बीमारी पर इलाज। भौतिक युग है, लोग एक मिनट भी बीमार नहीं रहना चाहते। विकास की रफ्तार से ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए एलोपैथी के सामने आत्मसमर्पण है। अगर किसी के पास समय है तो फिर अपनी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए उसके पास एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद ही एक मात्र रास्ता है। यह हमारे अपने राष्ट्र की चिकित्सा पद्धति है।

मैं आज इस अवसर पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे कांस्टीट्युएंसी में 50 साल पुराना डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल नयापुरा हुआ करता था, पिछली सरकारों ने आयुर्वेद के साथ अन्याय करके उस डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल को सामान्य आयुर्वेद डिस्पेंसरी में बदल दिया। जहां पर 10-10 आयुर्वेद चिकित्सक बैठा करते थे, आज केवल एक चिकित्सक बैठता है। मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से इस बजट में आप आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए कोई कदम उठाएंगे तो कोटा के नयापुरा के उस जिला अस्पताल के स्वरूप को पुन: बहाल करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे।

अभी जब होम्योपैथी का बिल आया था, उस पर भी बहुत गंभीरतापूर्वक डिसकशन हुआ था। सभापति महोदय, हम एलोपैथी को नजर अंदाज करके रफ्तार को नहीं तोड़ना चाहते हैं। एलोपैथी आज दुनिया की तमाम बीमारियों पर नियंत्रण करने वाली एक पद्धति बन गई, लेकिन वह पद्धति जीवन की मित्र नहीं है। वह पद्धति प्रिवेंटिंव मैजर्स नहीं है। वह पद्धति खतरा होने के बाद बचाती है, ख़तरों से बचाने वाली चिकित्सा पद्धति नहीं है। मित्र वह नहीं जो संकट के समय साथ दें, मित्र वह है जो संकट आने से बचाए, संकट आने की चेतावनी से बचाए, संकट नहीं आने दे। अगर हम इस रूप में एलोपैथी और आयुर्वेद की चर्चा करेंगे, तुलना करेंगे तो एलोपैथी संकट में साथ देने वाला मित्र हो सकता है। हमारी बेसिक चिकित्सा पद्धति है वह संकट आने से रोकने वाली मित्रता वाली पद्धति है। इस बारे में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन हम इस पर बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ेगे। इसमें रिसर्च हो। आज आयुर्वेद में आपरेशन होते हैं, आयुर्वेद में इलाज होता है। हम क्यों नहीं इस प्रकार के रिसर्च करें। आज रिसर्च में हम कितने पिछड़ गए हैं। आज डाक्टर्स को हड़ताल का बहुत बड़ा हथियार मिल गया। आपने एक आदेश जारी कर दिया, एमओ और एसएमओ, नये मेडिकल कालेज के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेसर हड़ताल पर आ गए। इस पेशे में इस प्रकार की अनुशासनहीनता!

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, तय करना पड़ेगा, जो मेडिकल कालेज का प्रोफेसर है, आज पीजी करने वाला बच्चा 50 साल पहले जो थीसिस लिख दी गई है उस थीसिस को चुराकर नया डाक्टर पीजी कर रहा है, 50 साल में कितनी नई थीसिस बन गईं? अगर मौलिक चिंतन होता और यह रिसर्च का एक आधार बनता कि नया पीजी करके डीएम करके निकलने वाला बच्चा एक नई थीसिस और नई रिसर्च के साथ आगे बढ़ेगा, तो आज अनुसंधान के क्षेत्र में हम दुनिया के बेहतरीन देशों में आकर खड़े हो जाते। हमारे यहां जो 10,20,25 साल, 50 साल पहले थीसिस लिख दी गई उसी थीसिस में हम चलते हैं। हमारे प्रोफसरों को इतना समय ही नहीं है, उनको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चाहिए। अस्पताल के समय के अलावा उन्हें सुबह 4-5 बजे से 9 बजे तक की प्रैक्टिस चाहिए। शाम को 5 बजे से रात एक बजे तक की प्रैक्टिस चाहिए। टीचिंग करना, अनुसंधान के लिए, शिष्यों को तैयार करना, ऐसी नई पीढ़ी जनरेट करना जो चिकित्सा के बहुमूल्य अनुसंधान भारत पर कर सके, इस परम्परा को जिंदा करना है तो मेडिकल कालेज के प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह को चाहो तो आप चार गुणा कर दो किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन उसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगे। चिकित्सालय में ही उनका सारा समय इलाज और पढ़ने-पढ़ाने पर जाना चाहिए। यह परम्परा कायम कर दी। आज अनुसंधान, आविष्कार में हमारा कोई नाम ही नहीं है। हम दुनिया में होने वाले आविष्कारों से, टीकों को उधार लेकर हम हमारे यहां बीमारियों को भगाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात की ओर आगे बढ़ रहा हूं। अब यह भी चर्चा होने लगी है स्वाइन फ्लू आ गया, कई प्रकार की बीमारियां आ गईं। आम आदमी तक आज यह चर्चा हो गई कि दुनिया के वह लोग जो मेडिकल क्षेत्र को उपभोक्ता बाजार समझने लगे हैं, बीमारी का वायरस पैदा करते हैं और दुनियां के दूसरे देशों में भेजकर फिर उसका इलाज ईजाद करके एक मार्केट उपभोक्ता मेडिकल का तैयार करते

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हैं। यह चर्चा जब दुनियां के देशों की नीयत को लेकर होने लगी है, इन चर्चाओं के बीच अगर हम अनुसंधान के क्षेत्र में अपना स्थान बनाकर बीमारियों पर नियंत्रण करने के स्व तरीके ईजाद नहीं कर पाए तो हम आजादी के 70 साल बाद इस मुल्क को कौनसी व्यवस्था दे रहे हैं? किसी तरीके का न्याय दे रहे हैं ? हम दुनिया से उधार ली हुई चिकित्सा पद्धति और हमारी मौलिक चिकित्सा पद्धति सांस तोड़ रही है।

हमको लगता है आयुर्वेद की तरफ लौटना फिर बाबा आदम के जमाने में लौटना वाली बात है। अगर आयुर्वेद बाबा आदम का जमाना है तो आज इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर 80 प्रहार करके यह दुनिया एलोपैथी उसको बचाकर बता दें। अगर आयुर्वेद बाबा आदम का जमाना है तो लक्ष्मण को जितनी गहरी शक्ति लगी उतनी गहरी शक्ति के प्रहार के बाद, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को एलोपैथिक बचा कर बता दें। गणेश जी का सिर काटने के बाद सिर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। बारह अवतार का सिर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इन्द्र के जननांग, गुप्तांगों का ट्रांसप्लांट कर दिया गया। हमारी परम्पराएं थीं, उन परम्पराओं की ओर, रिसर्च और बेसिक चिंतन की ओर हमें लौटना पड़ेगा।

मैं अंत में दो ही बात कहूंगा, मेरे नयापुरा के आयुर्वेद अस्पताल को फिर से सशक्त अस्पताल बनाओ, ताकतवर अस्पताल बनाओ। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय का मौलिक स्वरूप किसी भी सूरत में नहीं बिगड़े, यह मुझे, कोटा की जनता को एक आर्शीवाद के स्वरूप तोहफा देंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी)**:** सभापति महोदय, बीच में आप घंटी बजाए उससे पहले एक निवेदन करूं कि दे न्याय अगर तो आधा दे....

श्री सभापति: अभी मैंने घंटी बजाई नहीं उसके पहले ही...

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी)**:** उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल पाँच ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उडाएंगे।

जब भी बोलता हूं आप घंटी बजाते हैं कि आपका समय पूरा हो गया। इसलिए दस मिनट का समय तोड़ कर जितने लोग बोले उनसे आधा समय दे दें, मैं संतुष्ट हूं।

सभापति महोदय, प्रजातंत्र में सरकारों का गठन मतदाता के मत के बहुमत के आधार पर होता है। जिसमें गरीब और अमीर सबको समानता का अधिकार होता है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

समानता के अधिकार में हर व्यक्ति चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, बराबर चिकित्सा का अधिकार भी प्राप्त करना चाहता है। गरीब आदमी भी अमीर के बराबर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहता है। इसलिए सरकारों का भी कर्तव्य है कि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और सबका समान रूप से चिकित्सीय इलाज करें ऐसी मंशा राजस्थान की जनता की है। किसी ने लिखा है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।

प्रदेश के हर व्यक्ति को समान इलाज मिले, सबके स्वास्थ्य की चिंता की जाए। सबके हितों की रक्षा की जाए, ऐसी जनता की मंशा है। सरकार का कर्तव्य है कि वह सबके अधिकारों की सुरक्षा करें, सबको समान रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए।

राजस्थान की कुल जनसंख्या 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437 पर 17 हजार 556 चिकित्सा केन्द्र हैं। इन चिकित्सा केन्द्रों में 25 अस्पताल ऐसे हैं जो मेडिकल कालेज से संबद्धित है। राजस्थान में 19 वर्ग किलोमीटर में एक चिकित्सा संस्थान है चाहे पीएचसी है या सब सेंटर है या सीएचसी है या मेडिकल अस्पताल है या रैफरल अस्पताल है, राजस्थान में स्थापित है। यानी 3 हजार 905 लोगों पर एक चिकित्सा संस्थान है। आंकड़े मुझसे पहले विद्वान लोगों ने खूब सुना दिए हैं।

सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो व्यवस्था है यह राजस्थान की जनता का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कम है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि लोगो को माकूल इलाज मिल सके। पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी हों, इसके लिए बजट में जितना प्रावधान होना चाहिए उससे कुछ और बढ़ाया जाए, मेरा निवेदन यह था।

इन सारी कमियों के बाद भी राजस्थान की सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल राजस्थान की जनता के लिए शुरू की है जिसका नाम है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। मैं राजस्थान सरकार की मुखिया और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक, अनूठी पहल शुरू करके, राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा वरदान दिया है।

आज मैं बड़े बेबाक शब्दों से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत खाद्य सुरक्षा से अपना कार्ड लिंक करवा कर चाहे जिस अस्पताल में जाए, अपना कार्ड दिखाए, जैसे बैंक से हम ए.टी.एम. कार्ड ले जाकर पैसा

(श्री शुभकरण चौधरी)

निकालते हैं, उसी प्रकार 30 हजार से लेकर 03 लाख रुपये तक का इलाज हम मुफ्त करा सकते हैं। सरकार इस काम के लिये बहुत धन्यवाद की पात्र है। बहुत से लोगों का इलाज मुझे भी इस मामले में कराने का मौका मिला है। थोड़ी-थोड़ी समस्याएं हैं।

सभापति महोदय, आप स्वयं जिस बात के लिये कह रहे थे कि जो ओर्थोपैडिक्स के इम्प्लाण्ट किये जाते हैं, वे इस योजना में शामिल नहीं हैं। मैं बात को दोहराना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय ने तय किया था कि कोई भी किसी बात को दोहराएगा नहीं। मेरे एक ऐसी पीड़ा है, जैसी आपको है, क्योंकि आप तो पूरे राजस्थान में मानव सेवा के लिये ख्याति प्राप्त हैं। आपको तो मुझसे ज्यादा अनुभव है ही है, पर यह समस्या रोजाना हम लोगों के सामने आती है। कोई गरीब व्यक्ति के हड्डी बदलनी हो, कोई रॉड डालनी हो, कोई कूल्हा बदलना हो, तो यह समस्या आती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस इम्पलाण्ट वाले मामले को, और्थोपैडिक्स वाले मामले को भी इस योजना में जोड़ा जाए ताकि जनता को राहत मिले। मैं इसके आगे शुरू करना चाहता हूं, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस जिले से आता हूं, जिस जिले को पूरे राष्ट्र में पुरस्कृत किया गया बेटी बचाओ अभियान के लिये। बेटियां बचाने के लिये डेढ़ लाख बेटियों ने एक साथ शपथ ली। पूरे देश ने इस बात को माना और आज के बाद इस मामले में पूरा राजस्थान हमारा अनुसरण करेगा। डेढ़ लाख बेटियों ने शपथ लेकर एक इतिहास रचा है।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। आओ, क्यों नहीं हम सब लोग मिल कर, एक बात की चर्चा कर रहे थे, अभी आपने कहा था कि मन्दिरों के पास मांसाहार दुकानें नहीं होनी चाहिये। लोगों को मांसाहार की दुकानें बंद करनी चाहिये। मैं विद्वान सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आओ, हम सब लोग हाथ उठा कर इस बात की शपथ लें कि आज के बाद कोई मांसाहार करेगा ही नहीं। आओ, हम इस बात की शपथ लें कि जो व्यक्ति मन्दिरों के पास दुकान लगाकर मांसाहार बेचता है, उसकी दुकान से मांस नहीं खरीदेंगे। आओ, हम इस बात की शपथ लें कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं, जो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, जो ऐसी जगहों में दुकानें लगाते हैं, उनकी दुकान पर कोई मांस खरीदने जाएगा नहीं, दुकानें अपने-आप ही बंद हो जाएंगी।

सभापति महोदय, मैं यह बात कहने के बाद आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या, जो पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम की बात है। हम

(श्री शुभकरण चौधरी)

लोगों ने बहुत प्रयास किया है, हम लोगों ने भ्रूण हत्या को रोकने की बहुत कोशिश की है। पर उसके बाद भी एक निवेदन बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हम लोग उस डाक्टर की मशीन सीज करते हैं। डाक्टर का कुछ बिगड़ता नहीं है। थोड़ी सी डांट-डपट करके उसको वापस छोड़ देते हैं और वह पुन: उसी काम में लिप्त हो जाता है। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

'नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है,
कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है,
जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते,
उन्हें सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है'

सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिये कि भ्रूण हत्या पर करने वाले लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होगा, और मशीनें सीज नहीं, उनको जेल में डालो ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अपने आप भ्रूण हत्या रुक जाएगी। बेटियां भी बचेंगी, बेटे भी बचेंगे और यह सारा का सारा समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय, एक और बात सामने आई। आज का विषय भी इस 'चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई' की मांग का है। मैं आपसे और पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार यूरोप के देशों में, और वे खाड़ी देश जो हमारे बहुत देर बाद विकसित हुए हैं, उनकी सड़कों पर जाकर देखिये, उनके रास्तों पर जाकर देखिये, उनके अस्पतालों में जाकर देखिये, उनके घरों में जाकर देखिये, उनके आस-पास कितनी सफाई है। वह देश, जो दुनिया का गुरु था, जिसे लोग विश्व गुरु के नाम से जानते थे, उस देश को आज सफाई के लिये चिंता करनी पड़े। बड़े अफसोस का विषय है। कोई बात नहीं, फिर भी एक महामना ने एक दृढ़ निश्चय के साथ जब सफाई अभियान की शुरूआत की, पूरा देश उसका अनुसरण करने के लिये चल पड़ा है। हमें पहल करनी पड़ेगी, हमें खुद तय करना पड़ेगा। हम लोग अपने आपको स्वच्छ रखेंगे, हमारे पड़ौस को स्वच्छ रखेंगे, हमारी सड़कों को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ रखेंगे तो क्या होगा, हिन्दुस्तान के आदमी की औसत आयु 60 से 65 वर्ष, और यूरोप के लोग, जहां सफाई है, वहां के लोगों की औसत उम्र है 90 से 100 साल। आओ, लोगों का सहयोग करें, उस बात का अनुसरण करें, उस महामना महापुरुष प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्रजी मोदी की बात का अनुसरण करें। उनके विचारों के अनुसार पूरे देश-प्रदेश को स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखेंगे तो अपने-आप हमारी भी औसत आयु बढ़ेगी, लोग निरोग

(श्री शुभकरण चौधरी)

होंगे, लोग स्वस्थ होंगे। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ यह गंदगी ही तो है। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और मेरे सारे मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं,

'ए परिन्दे, तू जमीन पर बैठ कर आसमान को क्यों देखता है,
पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है,
लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की,
मंजिल उसको मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है'

हमें इस बात को तय करना चाहिये। हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि गंदगी कहीं नहीं होने देंगे, लोगों को स्वच्छ रखेंगे, पूरे वातावरण को साफ रखेंगे। पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। हम खुद ठीक होंगे, हम मांस खरीदेंगे नहीं, गंदगी करेंगे नहीं, नियमों की पाबन्दी करेंगे। लोगों के खिलाफ ऐसा कानूनी प्रावधान बनाएंगे। न भ्रूण हत्या होगी, न बीमारियां फैलेंगी, बेटियां बचेंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोगों की औसत उम्र बढ़ेगी। पर लोगों को ज्ञान देने के बजाय बातें सिर्फ हमें अपने ऊपर लेनी होंगी। हम अपने आपको सुधारेंगे तो जमाना अपने-आप सुधर जाएगा।

मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय को, झंझुनूं जिले की जनता को, जिन्होंने पूरे राष्ट्र में पहला स्थान प्राप्त किया है, बेटी बचाने के अभियान में और हमारी झुंझुनूं जिले की सी.एच.सी., बिसाऊ ने प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है अपनी सी.एच.सी. को साफ रखने में, वहां के सारे क्रियाकलापों में इतना अच्छा काम किया है, पूरे राजस्थान प्रदेश में प्रथम स्थान उसको प्राप्त है। मैं भी अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरी सी.एच.सी., उदयपुरवाटी राजस्थान में तीसरे नम्बर पर है। कोशिश करुंगा कि अबकी बार वह भी पहले नम्बर पर आ जाए।

मैं बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चाएं नहीं करुंगा। मैं तो इतनी ही बात कर रहा था कि प्रहलादजी, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोरदार बातें कहीं। आयुर्वेद की महानता के बारे में बताया। उन्होंने बहुत सी बातें गाईं, मैं उनको दुबारा दोहराना नहीं चाहता। एक बात है, या तो हम इतिहास को नहीं मानें, या हम अपने धर्म-ग्रंथों का नहीं मानें, या उन रामायण और गीता की चीजों को नहीं मानें। अगर उनको मानते हैं तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जो उदाहरण उन्होंने दिये, उस दिन तो एलोपैथी नहीं थी। गौतम ऋषि की स्त्री पत्थर से वापस स्त्री बन गई, यह किसी एलोपैथी से

(श्री शुभकरण चौधरी)

इलाज तो नहीं हुआ। यह सारी की सारी चीजें अगर आयुर्वेद में शामिल थीं, उन तंत्रों में शामिल थीं, अगर हमारा इतिहास इतना मजबूत था तो हमें वाकई उस रास्ते पर वापस चलना चाहिये। वही दादी का इलाज, जो पुराने जमाने में बचपन में हमने पाया है, एलोपैथी के बिना सारी सर्दी, जुकाम, खांसी को ठीक किया करती थीं, उनके रास्तों पर हमको चलना ही चाहिये। चलेंगे तो मैं समझता हूं कि पैसा भी कम लगेगा, बजट भी आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इतना सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपके समय को भी ध्यान में रखना चाहता हूं और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अब हमारे झुंझुनूं जिले में, आपने चूरू में एक मेडिकल कॉलेज खोला, सीकर में एक मेडिकल कॉलेज खोला। हरियाणा से लेकर जयपुर तक, सीकर तक आने के लिये मात्र एक झुंझुनूं बीच में स्टेशन है, हमारा जिला हरियाणा की सीमाओं से लगा हुआ है, आधे से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं में भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिये। आपके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है तो पी.पी.पी. मॉडल पर खोलो। हमारे पास झुंझुनूं जिले में जब कॉलेज को बनाने के लिये भामाशाह हैं, हमारी सारी की सारी चिकित्सा और शिक्षा देने वाले भामाशाहों ने झुंझुनूं जिले को अग्रणी रखा है, तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप पी.पी.पी. मॉडल पर वहां एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा करो, भामाशाह की व्यवस्था हम करेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरे झुंझुनूं जिले में एक पी.एच.सी. है लोयल, जहां एक भामाशाह ने भवन बना दिया है। उस पैसे को आप केड में स्थानान्तरित कर दें। हमें एक पी.एच.सी. की जरूरत है। सारी स्वीकृतियां आपने दे रखी हैं। वह पैसा जो आपने वहां प्रावधान कर रखा है, आपका पैसा वहां बेकार पड़ा है। अगर वह स्वीकृत होकर हमारे केड में आ जाएगा तो मेरी एक पी.एच.सी. बन जाएगी, जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

हमने सब-सैण्टर्स के लिये बहुत से पट्टे आपको दे रखे हैं। सब-सैण्टर स्वीकृत हैं। पर उनके भवन बनाने के लिये राशि की जरूरत है। जितने पट्टे आपको दिये, उन पट्टों की आप स्वीकृति जारी कर देंगे और 4-4, 5-5 लाख रुपये एक सब-सैण्टर के लगेंगे तो एक-एक गांव में सब-सैण्टर हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके स्वास्थ्य

(श्री शुभकरण चौधरी)

मंत्री बनने के बाद कुछ लोगों का स्वास्थ्य सुधरा है, कुछ का बिगड़ा भी है। हमारा सुधरा रह जाए, इसलिये आप इतनी सी हमारे ऊपर मेहरबानी करें कि आप गुढ़ा और पोंख, दो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिनमें 108 की व्यवस्था नहीं है। मैं बड़े विनम्र शब्दों से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सी.एच.सी. हैं दोनों और दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र में हैं, उन दोनों को एक-एक 108 एम्बुलेंस मिल जाए तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा।

मंत्री महोदय, मेरे छोटे भाई हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी थे, इन्होंने एक प्रशासनिक आदेश तो निकाला था कि 50-50 बैड गुढ़ा और उदयपुरवाटी को, क्योंकि वहां उदयपुरवाटी में उस टाइम मंत्री हुआ करते थे, इनके मित्र थे, आजकल है या नहीं मुझे नहीं पता। पर उस टाइम एक स्वीकृति निकाली थी, उनको क्रमोन्नत करके 50-50 बैड का, मंत्री महोदय, बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, मात्र एक-एक वार्ड बनवाने हैं और वार्डों की भी कोई कमी होगी तो कोई बात नहीं, वह भौतिक साधन मैं उपलब्ध करवाऊंगा। आज आप उन दोनों अस्पतालों को 30 की बजाए 50-50 बैड का घोषित कर दें, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी।

और, एक नीमकाथाना से सीकर तक, झुन्झुनूं से लेकर ठीक जयपुर तक बीच में कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें ट्रोमा सैंटर हो, एक मेरी उदयपुरवाटी में अगर ट्रोमा सेंटर खुल जाए तो जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सबके साथ-साथ इस PCPNDT अधिनियम में बढ़ रहे कन्या भ्रूण हत्याओं के घिनौने अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है और इस सैल को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है क्योंकि यह घिनौना कार्य समाज के लिए सबसे घृणित अपराध है, जिसके लिए मैंने आपसे कह दिया कि इसमें गंभीर सज़ा का प्रावधान हो।

निजी जांच केन्द्रों पर जांचों की फीस मनमर्जी से ली जा रही है, जिससे गरीब आदमी इलाज से वंचित रह जाता है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रावधान करना चाहिए।

मंत्री महोदय, निजी चिकित्सालयों में इलाज को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, उन पर इलाज की मनमर्जी वाली फीस पर नियंत्रण हो। सरकार इसको मान्यता देते वक्त तो नियमानुसार पालन करने के लिए बाध्य करती है लेकिन बाद में विभाग मोनिटरिंग नहीं करता, जिससे बड़े चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय मनमर्जी से शुल्क वसूल करते हैं, जिसका भार गरीब जनता पर पड़ता है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, यहां पर एक बात आपने कही थी कि तमाम निजी अस्पतालों को भामाशाह स्वास्थ्य योजना से जोड़ देना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए पर एक बहुत बड़ी बात जो आपके सामने खोलने जा रहा हूं मंत्री महोदय, एक चीज है जिसको आप सुनना। मेरे झुन्झनूं में एक डाक्टर धनखड़ है जो बी.डी.के. अस्पताल में सरकारी मुलाज़िम है। आज के दस-बारह दिन पहले उसने एक पेशेंट को बी.डी.के. अस्पताल से यह कहकर वह अपने अस्पताल में ले गया जो उसकी प्राइवेट क्लिनिक है, जहां एनेस्थेटिक की सब व्यवस्था नहीं, वहां कोई और दूसरा डाक्टर नहीं और वह व्यक्ति वहां ले जाकर कि मेरा अस्पताल भामाशाह योजना से जुड़ा हुआ है, तुम्हें अच्छा इलाज मिलेगा, तुम्हें पूरी व्यवस्था चिकित्सा की दी जाएगी, सरकारी अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं नहीं है। उसका इलाज किया अपेंडिक्स का और अपेंडिक्स का इलाज करते करते वह व्यक्ति मौत के घाट चला गया। माननीय सभापति महोदय, ऐसे डाक्टरों को इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जाए। ऐसे क्लिनिक को भामाशाह योजना से नहीं जोड़ा जाए। मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस डाक्टर के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करने की यहां घोषणा करें। मैं तो कह रहा हूं कि उस डाक्टर पर 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में बंद करें वर्ना कोई और व्यक्ति की हत्या वह कर देगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने आज घंटी नहीं बजाई इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं फिर भी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं कि मैंने अपने समय में रहकर अपनी बात को रखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम-राम।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)**:** माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अनुदान की मांग संख्या-26- चिकित्सा एवं लोक सफाई पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, अच्छा स्वास्थ्य जीवन के सारे सुखों का आधार होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार कई प्रकार से हमें सार्थक प्रयास करने पड़ते हैं। हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति में शरीर को रोगी होने ही न दे, ऐसे प्रयास की ओर ध्यान दिया जाता है लेकिन आज आधुनिक शैली में, बढ़ते प्रतिस्पर्धा में और उसके कारण उत्पन्न तनाव,

(श्री संदीप शर्मा)

मिलावटी खाद्य पदार्थ, फसलों में अधिक फसल प्राप्त करने के लिए अधिक उर्वरक का उपयोग, कीट-नाशकों का उपयोग यह सारे कारक हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को बीमार होना पड़ता है लेकिन यह भी सत्य है कि वह राष्ट्र उन्नति करता है, वह राष्ट्र प्रगति करता है जिसकी स्वस्थता की प्रतिशत दर ज्यादा होती है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। उस स्वस्थ व्यक्ति की भागीदारी एक राष्ट्र की प्रगति को निश्चित करती है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधान मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने देश और प्रदेश में निरोगी काया के लिए, निरोगी रखने के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन देश में और राज्य में किये। आज देश आधुनिक चिकित्सा की ओर अग्रसर है और बहुत सारे ऐसे आधुनिक चिकित्सा के कारक इस देश में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, इस राज्य में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

मुझे याद आता है, माननीय सभापति महोदय, आज से तीन वर्ष पूर्व का वह समय जब बिना किसी विवेक के, बिना किसी आवश्यकता के सरकारी धन को बर्बाद करने के लिए ऐसी योजनाएं लागू की गयीं जिनमें बिना गुणवत्ता की दवाई को नि:शुल्क दवा के नाम पर सरकारी अस्पताल में दिया गया। ऐसी नि:शुल्क जांचें जो जनता के लिए एक छलावा थीं, जनता के लिए एक धोखा थी। यह लाभ किसी जनता को नहीं दिया गया। राजस्थान की जनता निश्चित रूप से इस लाभ से वंचित रही, यह लाभ हुआ होगा तो दवाई की कंपनियों का हुआ होगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को पिछले तीन वर्षों में जब कांग्रेस की पूर्व सरकार इस राज्य में प्रशासन में थी तो निश्चित रूप से जनता मोहताज थी।

सेवा करने का संकल्प लेकर जो कार्य करते हैं, निःस्वार्थ भाव से जो कर सकता है, जिसने पढ़ा हो स्वामी विवेकानंद को, जिसने जाना हो अंत्योदय क्या होता है, जिसने समझा हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव-वाद को, वह व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। अंत से अंत, गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान की बात सोच सकता है, उस व्यक्ति को उदय करने का संकल्प ले सकता है। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने, हमारी यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे सिंधिया ने, इस राज्य में उस गरीब व्यक्ति तक, जिसको वास्तव में आवश्यकता थी चिकित्सा की, जिसको वास्तव में आवश्यकता थी, उसके इलाज की, उस जगह तक इलाज पहुंचाया तो हमारी माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे सिंधिया ने पहुंचाया।

(श्री संदीप शर्मा)

मैं माननीय चिकित्सा मंत्री कालीचरणजी सराफ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्य को सँभाला है और निश्चित रूप से कई क्रांतिकारी परिवर्तन राज्य में आज नजर आने लगे हैं। आज सात मेडिकल कॉलेज जिनमें तेजी के साथ कार्य चल रहा है, भरतपुर, अलवर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा यह ऐसे मेडिकल कॉलेज होंगे जहां जनता जनार्दन को पूर्ण उपचार का लाभ मिल सकेगा।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना सबने बताई है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वास्तव में गरीब व्यक्ति का इलाज हुआ है। माननीय सभापति महोदय, उस व्यक्ति का जो आज तक भ्रमित था, जो आज तक इलाज में सक्षम नहीं था, आज लगभग 850 राजकीय और निजी अस्पतालों में 43 हजार से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसी लगभग 1745 बीमारियों के पैकेज इस भामाशह योजना के अंदर है। प्रदेश में लोगों को ई-हैल्थ कार्ड बनाकर उनको स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो हमारे 1128 संविदा-कर्मी थे उनको नियमित करके पदस्थापन दिया गया है।

लगभग 4 हजार मेल नर्स (द्वितीय) की पदोन्नति मेल नर्स (प्रथम) के पद पर की गयी तो हमारे इस शासनकाल में की गयी है।

मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोटा में मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी है और पाँच वर्ष के अंदर उस मेडिकल कालेज को तैयार करके खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद 2008 से एक ईंट उस मेडिकल कालेज में नहीं लगी, कोई उपकरण नहीं आया। जहां आवश्यकता होनी चाहिये थी, कोई विकास कोटा की धरती पर उस मेडिकल कालेज में नहीं हुआ और आज उस मेडिकल कालेज में इन तीन वर्षों में कम से कम 300 करोड़ के काम हो चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, 150 करोड़ से सुपर स्पेशयलिटी का कार्य अपने अंतिम चरण में है। अभी वर्तमान बजट में 29 करोड़ 49 लाख रुपये देकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने द्वितीय तल के कार्य को प्रारम्भ कर दिया। बहुत जल्दी द्वितीय तल का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। बहुत जल्दी मेडिकल कालेज में जो लोगों की आवश्यकता थी कोटा, बूंदी, बारां, झालवाड़ के रोगी वहां उपचार कराने आते थे माननीय सभापति महोदय, आज उनको ऐसी इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जहां वह असाध्य से असाध्य रोगों का उपचार करा सकते हैं। पहले

(श्री संदीप शर्मा)

उनको दिल्ली, जयपुर भागना पड़ता था, लेकिन कोटा अब चिकित्सा के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले दो सालों में कोटा चिकित्सा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर रहेगा।

कैथ लैब जो कोटा में खोली गयी, वह हमारे शासनकाल में खोली गयी। वहां की बहुत बड़ी मांग थी कि कोटा में कैथ लैब खोली जाए। चूंकि प्राइवेट हास्पिटल्स में मोनोपोली थी, बेचारा गरीब हृदय के उपचार के लिये जाता था, तो उसका मकान, दुकान, उसके खेत बिक जाते थे पर उसका इलाज नहीं हो पाता था। आज बहुत सस्ती दरों पर कोटा के इस मेडिकल कालेज में जो कैथ लैब स्थापित हुई है, उसका इंस्टालेशन हो चुका है, निश्चित रूप से बहुत सस्ते पैसों में गरीब का इलाज हो सकेगा। ऐसा इलाज होगा जिसमें एंजियोप्लास्टी और हृदय के वॉल्व, ऐसे सारे इलाज अब कोटा के इस मेडिकल कालेज में संभव हो सकेंगे।

मैं इस अवसर पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत संवेदनशील हैं और निश्चित रूप से जो हमारी कैथ लैब की मांग है, उसमें अब आपने छह टैक्नीकल स्टॉफ तो नियुक्त कर दिये हैं, लेकिन एक कार्डियक सर्जन और एक कार्डियक फिजिशियन की आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी इस कैथलैब का कार्य प्रारम्भ हो जाये, इसके लिये आपसे निवेदन है कि आप इसे गंभीरता से लेते हुए कोटा मेडिकल कालेज के जो बाकी बचे हुए कार्य हैं, इनको पूर्ण करके कोटा की कैथलैब को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करने की कृपा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किडनी ट्रांसप्लांट जैसा कार्य कोटा के मेडिकल कालेज में प्रारम्भ करके 8 करोड़ रुपये की राशि कोटा मेडिकल कालेज को दी, यह एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। कोटा में चिकित्सा के रूप में एक नया अध्याय प्रारम्भ किया है, जहां कोटा के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट का काम भी प्रारम्भ हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, शहर में जो विज्ञान नगर में डिस्पेंसरी थी, उसको क्रमोन्नत करने की बड़ी मांग थी, 5 करोड़ की लागत से उस डिस्पेंसरी को क्रमोन्नत कर दिया गया है। केशवपुरा में, अनन्तपुरा में डिस्पेंसरियां खोल दी गयी हैं। बहुत विशाल रूप में हमारे चिकित्सा के कार्य इस समय कोटा शहर में चल रहे हैं। निश्चित रूप से सभी लोग कोटा के इस चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले कार्यों से बहुत संतुष्ट हैं।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 2008-09 में हमारा दाऊदयाल

(श्री संदीप शर्मा)

जोशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय 'ए' श्रेणी है, वह लगभग 22 बीघा भू-भाग में बसा हुआ चिकित्सालय है। उस चिकित्सालय में 2008-2009 में माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी सिंधिया जी ने घोषणा की थी 21 करोड़ की लागत से वैलनैस सेंटर बनाने की, और वह वैलनैस सेंटर, चूंकि लास्ट के समय में प्रस्ताव पहुंचा था और वह प्रस्ताव आचार संहिता लागू होने की वजह से अधूरा रह गया था, लेकिन अगली सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रबल इच्छा शक्ति होने के बाद भी अभी उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि आज हमारी जो भारतीय आयुर्वेद पद्धति है, उस आयुर्वेद को यदि हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो ऐसी जो वैलनैस सेंटर है, उन्हें स्थापित करने की बहुत आवश्कता है। जहां पर योग, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म आदि विधियों से लोगों का उपचार हो, जो भारतीय पद्धति है और वास्तव में इस पद्धति को आज विदेशों में भी स्वीकार करने लगे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस दाऊदयाल जोशी जिला आयुर्वेदिक अस्पताल को आप वैलनैस सेंटर प्रदान करें। मैं इस अवसर पर धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने उस 'अ' श्रेणी अस्पताल को शल्य चिकित्सा यूनिट प्रदान की है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। उस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शल्य चिकित्सा भी अब हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में मेरा निवेदन है कि एक ऐसी पद्धति है, जिसके माध्यम से असाध्य से असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है और बिना किसी साइड इफैक्ट के, बिना किसी दुष्प्रभाव के इस पद्धति का प्रचलन है और बहुत कारगर और सटीक पद्धति है और इसमें लोगों का रूझान बढ़ता जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथी को लेकर हम थोड़ा-सा कमजोर हैं, इसलिये मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस 12 लाख की जनसंख्या वाले शहर में सिर्फ 8 होम्योपैथी की डिस्पेंसरियां हैं। महोदय, नये कोटा शहर से महावीर नगर से रंगबाड़ी सीमा तक शहर के आखिरी छोर तक एक भी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी नहीं है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि महावीर नगर(तृतीय) में होम्योपैथी डिस्पेंसरी, जिसके लिये भवन भी हमारे पास उपलब्ध है, सिर्फ आपको हां बोलना है और आपको अपना आदेश देना है और वहां हम होम्योपैथी की डिस्पेंसरी प्रारम्भ कर देंगे और इस होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ कोटा की जनता को मिल सकेगा, महावीर नगर के लोगों को मिल सकेगा। होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, कम्पांउडरों की भी नई भर्ती

(श्री संदीप शर्मा)

की आवश्यकता है। होम्योपैथी चिकित्सा का प्रदेश में विस्तार हो सके। आज होम्योपैथी को लेकर यदि हम देखें तो इस राजस्थान में एक भी होम्योपैथी चिकित्सा का मेडिकल कालेज नहीं है माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, प्राइवेट कालेज हो सकते हैं, लेकिन इस राजस्थान में एक भी होम्योपैथी चिकित्सा का मेडिकल कालेज नहीं है, कृपया इस ओर ध्यान दें और राजस्थान में एक राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज खुलाने का आपका आशीर्वाद मिले।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं, उनके वेतनमान में भी विसंगति है। उनके वेतनमान और चिकित्सकों के अनुरूप नहीं हैं, अत: सातवें वेतन आयोग में आवश्यक है कि आपके द्वारा ऐसी सिफारिश जाए, जिसमें यदि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की चिकित्सा को हम इस राज्य में प्रभावी बना सकें तो निश्चित रूप से आपको इस ओर देखना होगा, जिसके द्वारा हम होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सकों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने तो होम्योपैथी चिकित्सा के लिये कहा है-"Holistic Healthcare remains a very big attraction. Best of the doctors are moving towards homeopathy. There's a mood for Holistic Healthcare. There's a mood to go toward stress free life from a stressful life."

तो इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के विस्तार के लिये हम निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक कार्य करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम राजस्थान प्रदेश को दे सकते हैं।

मैं कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में कोटा में ऐसे जटिल घुटने के जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण किये जा सके हैं और यहां विशेषज्ञ डाक्टर्स की टीम है अत: यहां ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सैण्टर यदि आप प्रारम्भ करवा दें तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी और चिकित्सक भी बड़े सुविधा पूर्ण रूप से यहां पर इलाज कर सकेंगे।

आज आवश्यकता है नये मेडिकल कॉलेज में, जिसका आउट डोर 35 सौ से लेकर 5 हजार तक रहता है, वहां पर महिलाओं की चिकित्सा के लिए नया शिशु एवं मातृ चिकित्सालय नहीं है, यदि नया शिशु एवं मातृ चिकित्सालय वहां बन जाए तो वहां पर जो महिलाएं हैं उनके सिजेरियन, नोन-सिजेरियन प्रसव और इसके

(श्री संदीप शर्मा)

अलावा और भी बच्चों की बीमारियां जो हम वहां सही करा सकते हैं, तो आवश्यकता है, इसको देखते हुए परिसर में एक नये शिशु एवं मातृ चिकित्सालय को आप प्रारम्भ कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मध्य में दादाबाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी समय से चल रहा है, इस दादाबाड़ी का बहुत बड़ा ओ.पी.डी. है, इस अस्पताल में प्रसव, लोगों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, कोटा शहर के मध्य स्थित होने की वजह से और आसपास में काफी सारी कच्ची बस्तियां होने की वजह से बहुत अच्छी संख्या में यहां पर ओ.पी.डी. होती है। लोगों की आवश्यकता को देखते हुए दादाबाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने का आप जरूर गम्भीर प्रयास करेंगे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर आवश्यकता है, आई.सी.यू. और वेंटिलेटर उपलब्ध कराये जाएं, वहां कॉटेज वार्ड बनना प्रस्तावित है, वो जल्दी बने, आइसोलेशन वार्ड, वातानुकूलित आपातकालीन यूनिट, न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा में आई.सी.यू. यूनिट की क्षमता में वृद्धि, चिकित्सालय में सर्विस एलाइंस सैण्टर, प्राइवेट कॉलेज व डीलक्स वार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में, कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधिकारियों के पद काफी सारे रिक्त हैं, उन्हें स्वीकृत करने के सम्बन्ध में, कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा में न्यूरोलोजी वार्ड की आवश्यकता।

और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं परन्तु हमारा ध्यान इस ओर भी होना चाहिए कि हमारा जो बजट है, जो चाहे मेडिकल कॉलज का हो, उस बजट पर आपकी मॉनीटरिंग की आवश्यकता है। कई बार अनावश्यक रूप से ऐसी जगह पैसा व्यय हो जाता है जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑपरेशन कहीं होने होते हैं, उसके उपकरण कहीं और लग जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा इस ओर ध्यान देकर आप गम्भीरता से प्रयास करेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. राजकुमार शर्मा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने और मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

डा. राजकुमार शर्मा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय।

आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उस मांग पर अपनी बात रख रहा हूं जिस विभाग के अन्दर मैं पांच साल काम कर चुका हूं। मैं इस पवित्र सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चिकित्सा एक मात्र ऐसा यह सेवा का विभाग है जिसमें राजनीति नहीं कर सकते, न मैं मेरी राजनीति की भाषा बोलना चाहता। जो सुझाव मैं मेरे अनुभव से दे सकता हूं वो आपको दूंगा, माननीय मंत्री महोदय, और जो चीजें हम नहीं कर पाये, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो कई माननीय सदस्य बोलेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, तो हमने क्या किया या नहीं किया, वो तो सब चीजें पुरानी हो गयीं लेकिन अब जो साढ़े तीन साल से आप हो तो आपने क्या किया, आप उसमें क्या कर सकते हो आने वाले समय के अन्दर, वो मेरी बातें कुछ रखना चाह रहा हूं।

कई सदस्यों ने, अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपकी जो योजनाएं थीं ये फर्जी योजनाएं थीं, किसी को लाभ नहीं मिला। मैं यह कह रहा हूं कि पिछली बार कांग्रेस का जो भी पूरा प्रचार था पूरे चुनाव के अन्दर, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, चुनाव ही लड़ा गया पूरा का पूरा मेडिकल विभाग पर, न निःशुल्क दवा योजना। आपके सामने भी कंडिडेट खड़े होंगे तो सब कहते थे कि हमने हॉस्पिटल खोले, दवाइयां फ्री करीं, जांचें फ्री करीं और सब को उसका लाभ भी मिलता लेकिन लाभ इसलिए नहीं मिला कि करोड़ों लोग लाभ लेकर गये, दवाइयां लेकर गये, आपरेशन करा के गये, खुशी-खुशी गये और कांग्रेस सरकार को बहुत धन्यवाद देकर गये। लेकिन, जब उनको

(डा. राजकुमार शर्मा)

पता चला कि जिस योजना को लागू करने वाला व्यक्ति, घर-घर तक ले जाने वाला व्यक्ति, रात-रात भर अस्पतालों के अन्दर लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की टिकट काट दी गयी, इसलिए कांग्रेस हार गयी। सच है यह। वर्ना अगर देखिये, कोई चीज लेकर आता है, कोई अच्छी योजना को लेकर आता है और उसके बाद में अगर उसको हटा दिया जाता है तो लोगों में दर्द तो होता ही है। तो यह बातें मैं कई बार कहता हूं कि आप ज्यादा खुश मत होइये। लेकिन आज जनता उस बात को याद करती है कि वास्तव में नि:शुल्क दवा योजना की हालत क्या है, नि:शुल्क जांच योजना की हालत क्या है।

सभी माननीय सदस्य भामाशाह योजना के लिए बोल रहे थे। मंत्री महोदय, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह भामाशाह की स्थिति धरातल पर क्या है, एक बार आप पता करना। उसमें जो सुधार हो सकता है वो करें। जो निजी अस्पताल हैं, आपने खुद ने भी देखा है, मेरी पहले भी आपसे चर्चा हुई है कि जो भी अच्छे अस्पताल, जिनको बोलते हैं पैसे वाले अस्पताल, वहां पर भामाशाह कार्ड लेकर अगर हमारा कोई मरीज जाता है तो वो लोग सबसे पहले तो उसको मना कर देते हैं और मना इसलिए कर देते हैं कि वो उनके स्टैंडर्ड का पेशेंट नहीं है। मैंने किसी बड़े अस्पताल के डाइरेक्टर से बात की, भई, आपने इस मरीज को वापस कैसे भेजा? तो उन्होंने कहा कि भामाशाह योजना के अन्तर्गत हमारे 67 लाख सरकार में आते हैं, वो ही नहीं दे रही तो हम ऊपर से भार कहां से लें? तो भामाशाह योजना का जो पैसा है, आप निजी अस्पतालों को नहीं देंगे तो वो लोग इलाज नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं निजी अस्पतालों पर अपन लोग क्यों आश्रित रहते हैं? हमारी सरकार का सिस्टम है, हमारे इतने सरकारी उपक्रम हैं हम उन पर आश्रित क्यों नहीं हो जाते?

आज मैं आपको बता दूं, साढ़े तीन साल में आप लोगों ने कोई अस्पताल नहीं खोले। मंत्रीजी को, मुझे लगता है कि शायद पहले मंत्री होंगे जिनको कोई अधिकार भी नहीं दे रखा होगा हॉस्पिटल खोलने का और मैं तो चाहता हूं आपको मिले क्योंकि आप दरियादिल हैं, आप जगह-जगह खोल देंगे। हमने हजारों सब-सैण्टर खोले, पी.एच.सी. खोली, सी.एच.सी. खोली। ...(व्यवधान)...

आपके, हजारों, तीन हजार तो सब-सैण्टर खोले हैं, माननीय सदस्य, और आपके क्षेत्र में हो सकता है आपके माध्यम से नहीं खुले होंगे लेकिन मैं कहता हूं सदन के अन्दर कि 200 के 200 विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अस्पताल खोले गये, जिन्होंने मांगा वहां खोला गया, जिसका मैं गवाह हूं क्योंकि मैंने मेरे हाथों से दिये हैं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

मैं यह चाहता हूं कि अब सरकार उनका बजट दे, आप उन भवनों को बनाओ। वो अस्पताल चल रहे हैं, नर्स काम कर रही है, डाक्टर काम कर रह हैं लेकिन वहां पर भवन नहीं है, तो आप वो व्यवस्था करवाओ। बजट का प्रावधान आप लोगों ने भी नहीं किया। अभी तक बजट नहीं मिला है, कुछ जगह को छोड़ कर, कुछ जगह मिला भी है।

अभी जो कैंसर की बात थी ...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बिना भवन के अस्पताल खोल दिये इन्होंने ...(व्यवधान)... नर्स भी काम कर रही है, बिना भवन के ही।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गुप्ता जी, आपकी सलाह से खोले थे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत अच्छा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं कब मना कर रहा हूं। भवन नहीं बने थे, अस्पताल वहां पर खोल दिये, बजट का प्रावधान रख दिया, वहां पर चिकित्सक बैठा दिया, लोगों का इलाज हो रहा है लेकिन भवन का पैसा वापस नहीं पहुंचा उनके पास में। इसमें नई चीज क्या है? आप महापौर थे, आपके साथ क्या हुआ था, आपको पता भी है क्या? आपको भी पता है और मेरे को भी पता है।

मैं यह कह रहा हूं, सभापति महोदय, आपकी सेहत को लेकर भी हम चिंतित हैं। पिछली बार भी मैं चिंतित था, मैंने आपको जिक्र भी किया था कि कैंसर के लिए अलग-अलग रोगों का जो नाम लेते हैं। अब रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो नहीं खाएगे कोई भी सदस्य, हाथ उठा कर संकल्प लो, तो यू.पी. में जो बाबा जी ने कहा है, यू.पी. में बाबा जी ने कहा है कि सरकारी ऑफिसेज के अन्दर पान, गुटखा नहीं खायेंगे। तो हम लोग भी क्यों नहीं ऐसा हो? हालांकि यू.पी. जैसे स्टेट में और पान, गुटखे के लिए कोई मना कर दे और वो बनारस जैसे, जहां पर 'खाई के पान बनारस वाला' हम बचपन से सुनते आये हैं, और वहां पर बाबा जी कह रहे हैं कि कोई भी पान मसाला नहीं खायेगा, तो यहां भी कर दो न। मुझे आपकी भी चिंता लगती है, राजपाल सिंह जी की भी चिंता रहती है और मैं खुद भी कई-कई बार सुपारी खा लेता हूं, खाता हूं मैं भी।

(16.59 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

तो अपन लोग इन चीजों को जड़ मूल से अगर बंद ही कर दें, ऐसा निर्णय ले लें...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कर रखा है न बंद। सिगरेट पीना बंद कर रखा है, पान खाना बंद कर रखा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपने कर रखा है लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये चीजें नहीं आएगी तो, मैं एक चीज वो कहना चाह रहा हूं।

चिकित्सक के मामले में, मैं शुरू से कहता आया हूं आज भी कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में हमारे पास चिकित्सकों की कमी है, आप भी स्वीकार करते हो खुले मन से। रेडियोग्राफर की बात करें, मैं आपको आंकड़े दूंगा, आप ही ने अभी, अभी दस दिन पहले के आंकड़े हैं, डाक्टर्स पर नहीं जा रहा क्योंकि डाक्टर्स की भर्ती न तो हम पूरी कर पाये न आप कर पाओगे डेढ़ साल के अन्दर, आज मैं कहता हूं।

अगली सरकार आएगी वह भी पूरा नहीं कर पाएगी। उससे अगली सरकार आएगी वह भी पूरा नहीं कर पाएगी। उसका कारण है कि मेडिकल कॉलेज सीमित हैं। आप जो 8-8 कॉलेजों की बात कर रहे हो ना, यह धरातल पर उतर जाएंगे उस दिन हम मानेंगे। वास्तविकता मेडिकल कॉलेजों की क्या है, यह सबको पता है।

सभापति महोदय, आज वरिष्ठ रेडियोग्राफर के 173 पद हैं और 87 खाली हैं। अधीक्षक जो रेडियोग्राफर हैं वह 55 में से 55 ही खाली हैं। रेडियोग्राफर के 382 में से 197 पद खाली हैं। सहायक रेडियोग्राफर जो कि सबसे ज्यादा काम करते हैं, उसकी स्थिति देख लीजिए कि 1398 पद स्वीकृत हैं और 1215 पद खाली हैं। आप कैसे जांच योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे? हम क्या निजी अस्पतालों को फायदा देने के लिए आए हैं, निजी लैब वालों को फायदा देने के लिए आए हैं?

सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो भर्तियां हम लोगों ने निकाली थी, आप नई भर्तियां मत निकालो, लेकिन आज एनआरएचएम के लड़के रोते-रोते घूम रहे हैं उनको आप देखो। माननीय मंत्री महोदय, साढ़े 3 साल में 108 एम्बुलैंस आप एक भी लेकर के आए? 750 की संख्या में 108 एम्बुलैंस थी, वह हमारे समय की हैं। आज कई माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां पर एम्बुलैंस दो। लेकिन मैं कहता हूं कि उस समय हमने कोशिश की और हर विधान सभा क्षेत्र में 108 एम्बुलैंस पहुंचाई।

सभापति महोदय, 104 जननी सुरक्षा, आज उनकी स्थिति बता दूं आपको। पहले सीएमएचओ चलाया करते थे। आज आपने एक एनजीओ GVK EMRI को दे दिया। एक ड्राइवर को उस समय 12470 रुपये मिलते थे माननीय मंत्री महोदय और

(डा. राजकुमार शर्मा)

वह अब वह कंपनी एक ड्राइवर को 9 हजार दे रही है। उस समय एक एम्बुलेंस के ऊपर 3 ड्राइवर का प्रावधान था, अब 2 ड्राइवर उन्होंने रख दिए हैं। मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूं कि किस तरह से यह कंपनी दादागीरी कर रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर। कोई अगर 104 का कर्मचारी यह कह दे कि मैं यह केस लेकर के गया था वहां पर और यह दिक्कत आ गई, तो उसको पनिश कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का एक डिसीजन है कि 104 का जो भी कर्मचारी है, उसको आप जिस जगह वह पोस्टेड है उससे हटा नहीं सकते। वहां झुंझुनूं वाले को ले जाकर के जालौर इसलिए टिका दिया गया क्योंकि उसने मनमानी का विरोध किया।

मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों की जांच कीजिए कि पहले कितना पैसा मिलता था और आज कितना पैसा मिलता है? नियमों में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 104 सिर्फ प्रसूताओं को ले जाने का काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर कंपाउंडर नहीं होता है, उसमें सिर्फ ड्राइवर होता है। आज यह निर्णय कर लिया उन्होंने कि हमें नहीं पता, हमें तो 5 केस डेली चाहिए 104 से। तो क्या वह किसी का सिर फोड़कर लायेगा क्या जबरदस्ती? अगर कोई बीमार नहीं है तो जबरदस्ती लेकर आएंगे? आप पता कीजिए इनसे कि यह कोई तरीका है कि हमें 5 केस चाहिए। उस ड्राइवर को क्यों यह सता रहे हैं? उसको क्यों वह मैंटली परेशान कर रहे हैं? मैं इसलिए आपको कहता हूं कि 104 के ऊपर भी आप ध्यान दोगे, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें निकलकर आएंगी।

सभापति महोदय, एनआरएचएम बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। नर्सिंग संवर्ग के पदनाम भारत सरकार ने चेंज किए, पंजाब सरकार ने चेंज किए, दिल्ली सरकार ने चेंज किए। राजस्थान के अंदर भी इन पदनामों को चेंज करने के लिए नर्सिंग कर्मियों ने बार-बार हड़तालें की हैं।

अभी तो 5 मिनट हुए हैं। मेरा विभाग रहा है, तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: 11 मिनट हो गये हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): राजस्थान के अंदर आपसे पहले वाले मंत्री महोदय ने उनको खुद जाकर के अनशन से उठाया था और कहा था कि मैं 1 माह के भीतर-भीतर जो भारत सरकार ने प्रावधान किए हैं, वह कर दूंगा। आज 6 महीने बीत गए। अब क्या हम वापिस इंतजार कर रहे हैं कि वह हड़ताल करेंगे। आपने देखा कि पिछली बार भी संविदा कर्मियों की हड़ताल आपने कैसे तुड़वाई, आपकी जान जानती है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

आज महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर 40 हजार डॉक्टरों ने भी अल्टीमेटम दिया है कि हम भी हड़ताल पर जाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं कि राजस्थान उस आंच से बच जाएगा? वह आंच हम पर भी आ सकती है। डाक्टर्स की सुरक्षा कैसे हो, उनके साथ मारपीट नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हम करें। डाक्टरों पर भी हम पाबंदी लगाएं कि वह हड़ताल जैसा रवैया नहीं अपनाएं वर्ना पिछली बार भी 25 लोगों की मौत हो गई। वह हमारे कीमती लोग थे। सरकार की नासमझी की वजह से उन 25 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आप उनके ऊपर नकेल कसें।

सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि एनआरएचएम में आपने एक विज्ञापन 31.08.2016 को निकाला। आप इसको जरूर देखना, आप उस समय मंत्री नहीं थे। परीक्षा 25.09.2016 को हुई। विभिन्न पदों की भर्ती हुई। पद अलग-अलग थे लेकिन परीक्षा एक थी। मैरिट सूची अलग-अलग थी। परीक्षार्थी को परीक्षा के बाद न तो पेपर दिया और न ही उसकी 'ओ' एमआरशीट दी गई। न ही परीक्षा परिणाम को ऑनलाइन किया। पहले विज्ञापन में पदों की योग्यता अलग-अलग थी और दूसरा जो विज्ञापन निकाला गया उसमें शैक्षणिक योग्यता के अंदर परिवर्तन कर दिया। यह बहुत गंभीर विषय है। आप इसकी जांच कराओ। मैं आपको कहता हूं कि इसके लिए जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो-जो लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, उनको पनिश करना चाहिए ताकि ट्रांसपरेसी बनी रहे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि आज बीएससी नर्सिंग चलती है। हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन आपके सामने है तो आप क्यों नहीं उसको एमएससी कर देते? विद्याधरनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो कि इस विभाग से जुड़े रहे हैं, आज गाइनोकॉलोजिस्ट हमारे पास नहीं हैं। आज हमारे पास महिला चिकित्सक नहीं हैं। एम.ओ. है, लेकिन हमारे पास में सर्जन नहीं है या गाइनोकॉलोजिस्ट नहीं है। आज उन्होंने खुद के अस्पताल खोल रखे हैं। अगर आज आप एमएससी नर्सिंग कर देंगे तो हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ तो आ जाएगा ताकि IMR कम हो सके।

मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए हमारी सरकार के प्रयास थे। आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं के अभियान का जो आप दावा करते हैं, झुंझुनूं जिले को जो पारितोषिक मिला है, वहां कृष्णा पूनिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हमने काम किया। जो आज माननीय सदस्य दीया कुमार जी उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। शुरूआत

(डा. राजकुमार शर्मा)

हमने की, उस चीज को आप भी आगे ले जाना चाहते हो तो इसमें हम और आप साथ हैं। हम हर अच्छी चीज में आपके साथ हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार की अच्छी योजनाएं थी उनको चाहे भर्तियों का मामला हो, जनहित का मामला हो, उसमें तो आप कम ध्यान देते हो, लेकिन जो चीज व्यक्तिगत हित की है उसको आप लेकर के बैठे हो। आज हैल्थ यूनिवर्सिटी के वाइंस चांसलर का, जब मैं मंत्री था, उस समय भी विरोध किया था कि यह व्यक्ति भ्रष्ट है, इसको वाइस चांसलर मत रखिए। आपकी तरफ से आप भी बार-बार कहते थे कि हैल्थ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज आपने उसकी मदद की। हमने मान लिया कि चलो, मदद करने का एक तरीका होता है, लेकिन ऐसी भी क्या मदद कि आपने नियमों में बदलाव कर दिया। क्या पूरे देश में एक ही ऐसा व्यक्ति काबिल है जो योग्यता रखता है बाकी सारे के सारे नियम आपने ताक में रख दिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर के कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, आप उसकी जांच कराइए। वह व्यक्ति भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत है। हमने उसको 3 साल झेला है। मेरी सरकार में मेरी नहीं सुनी गई। मैंने कहा था कि इस चोर को हटाइए और आज आपको भी कह रहा हूं कि आप उस व्यक्ति को वहां बैठाकर उस पूरे डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे हो। पीएमटी आपको दुबारा करनी पड़ी। वह आपको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति वहां का वाइस चांसलर बनकर के बैठा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हैल्थ सिस्टम इस राजस्थान की दिशा और दशा को तय करता है। अगर हैल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा व्यक्ति आएगा तो डॉक्टर्स ऐसे निकालेगा पीएमटी के अंदर, वह सिफारिशों के नाम पर, रीवैल्युवेशन के नाम पर पैसे खाएगा। आप उस आदमी को क्यों लेकर के बैठे हो? जब आप कांग्रेस की अच्छाइयों को नहीं अपनाते हो तो कांग्रेस की बुराइयों को भी क्यों अपना रहे हो। मैं कह रहा हूं कि कालीचरण जी भाई साहब आप बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। आज ही रिप्लाई में घोषणा करना कि उसको बर्खास्त कर दिया गया है। पूरा सदन इस बात पर धन्यवाद देगा।

सभापति महोदय, इस डिपार्टमेंट में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं आयुर्वेद पर जाना चाहता हूं। रिसर्जेंट राजस्थान में 52 एमओयू साइन हुए।

(डा. राजकुमार शर्मा)

उस समय बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम हमारी पैतृक पद्धति को, मैं पैतृक पद्धति कहता हूं क्योंकि माननीय गुंजल साहब ने भी कहा और माननीय शुभकरण जी, सबने कहा कि हमने हाथी का सिर काटकर एक व्यक्ति के लगा दिया, वह गजाधर जी हो गए। सभापति महोदय, आज उस 52 एमओयू में से एक भी व्यक्ति इस सरकार के पास वापिस लौटकर नहीं आया, 2 को तो आपने रिमाइंडर भी दिए हैं कि आ जाओ, हर्बल पार्क जो भी बनाना है, वह ले लो। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने जब पीपीपी मोड पर पीएचसी देना शुरू कर दिया, सीएचसी देना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा अस्पताल देना शुरू कर दिया, तो आयुर्वेद डिपार्टमेंट को भी, जो दूसरा बाबा बैठा है, जो डेली टेलीविजन पर बैठा है, उसको दे दो। हालांकि यह बहुत बड़ा पाप किया है। इसको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। उस बाबा को दे दो। उस पतंजलि को दे दो आयुर्वेद को भी ताकि कुछ हो जाए।

आप आयुर्वेद की भर्तियां निकाल नहीं रहे हो। वह बीएएमएस किया हुआ लड़का आज दर-दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। हमने निकाली थी, हम दावे के साथ कहते हैं। हमने कोशिश की और उनको लगाया। आज आयुर्वेद नर्सिंग की भर्ती नहीं कर रहे हो। आज आयुर्वेद विभाग किस स्थिति में है, यह जो आयुर्वेद को जानता है वह समझ सकता है।

सभापति महोदय, मैं तो साफ कहता हूं कि इस सरकार में गायों की जो दुर्दशा हुई, आयुर्वेद की जो दुर्दशा हुई।

बुजुर्गों की पेंशन बंद करने से जो दुर्दशा हुई वह किसी की भी नहीं है।

मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे विद्वान मंत्री, जो मेरे बड़े भाई हैं, पूरी उम्मीद के साथ कि मैंने जो कुछ सुझाव दिए हैं उन पर आप गौर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का वक्त दिया, आपका धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जैसी पूर्व में आसन से व्यवस्था हुई थी, उसके अनुसार समय की मर्यादा का ध्यान रखे, क्योंकि अगर सभी माननीय सदस्य जिन्होंने बोलने की रिक्वेस्ट की है उन सभी को इसी तरह से बुलवाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। बहुत लम्बी लिस्ट हैं, अदरवाइज न लें, कृपया अपनी मर्यादित बात कहें तो आसन का सहयोग होगा।

माननीय सदस्य, कैलाशजी चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आसन के आदेश की पालना करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26- चिकित्सा, स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

आज जिस तरह की मांग है उस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और उन विचारों से यह साफ जाहिर होता है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जाहिर कर रही हैं और उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में इस प्रदेश से बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं उनसे हमें निजात मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसको लेकर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अंदर भी बहुत अच्छा प्रावधान किया और जिस तरह से इस बार का जो बजट है उस बजट के अंदर भी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6315 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित आय अनुमानों से 8.21 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा के लिए आगामी वर्ष में 2474 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 33.40 प्रतिशत अधिक है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी स्वास्थ्य के प्रति कितनी गम्भीर है।

अभी पूर्व मंत्री और माननीय सदस्य ने बताया कि नि:शुल्क दवा योजना हमने प्रारम्भ की, निश्चित रूप से आपने की लेकिन आपने जिस तरह से जितनी दवाइयों की कम्पनियां या जितनी दवाइयां होनी चाहिए थी, गंभीर बीमारी की दवाई की आवश्यकता होती थी तो उसको बाहर दुकानों पर ही जाना पड़ता था, और उनका मूल्य चुकाने के बाद मरीज को लाकर देना पड़ता था, लेकिन इस बार हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य के प्रति क्षेत्र में राज्य सरकार ने देश में सर्वाधिक, पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा 1715 बीमारियों को शामिल करने वाली भामाशाह बीमा योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत प्रदेश की 68 प्रतिशत आबादी को 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सीमा तक नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के 494 राजकीय एवं 633 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा भी गया है। योजनांतर्गत अब तक 300 करोड़ रुपए की चिकित्सा सुविधा सुलभ कराई जा चुकी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उनके समय नि:शुल्क दवाई तो दी जा रही थी लेकिन जो गरीब व्यक्ति था, कई बार वह जाता था और जाने के बाद राजकीय

(श्री कैलाश चौधरी)

चिकित्सालय के अंदर वह उपचार करवाता और करवाने के बाद में अगर उसकी कभी पैसों के अभाव में अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिजनों के मन में एक पछतावा रहता था कि काश, मेरा आदमी किसी निजी चिकित्सालय के अंदर, प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज हो गया होता तो मैं ठीक रहता। उसके मन में जीवनपर्यंत एक टीस रहती थी। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने उसके अंदर संशोधन करके कहा कि निजी चिकित्सालय हैं उनके अंदर भी उन गरीबों का इलाज हो, इसको लेकर जिस तरह तीस हजार से लेकर तीन लाख रुपए तक का निजी चिकित्सालयों में गरीब आदमी को इलाज करवाने एक नि:शुल्क जांच करवाने का काम किया है वह स्वागत योग्य है। उसकी मैं पूरी तरह प्रशंसा करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के अंदर चिकित्सा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो यह चाहूंगा कि आने वाले समय में इस प्रदेश में चिकित्सा जैसा अभी पूर्व में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, गुंजल साहब बता रहे थे कि आज से दो सौ वर्ष पूर्व यह ऐलोपैथी हमारे इस देश में आई इससे पहले हमारे यहां आयुर्वेद से इलाज होता था तो आयुर्वेद से इतना इलाज होता था जिसकी अपन कह सकते हैं कि उस समय जिस तरह से इलाज की वह पद्धति थी जिसमें स्थाई इलाज होता था लेकिन इस ऐलोपैथी की वजह से आज देश में कितने अस्पताल खुल गए, कितने जिस तरह से उसके साइड इफैक्ट की वजह से देश में मरीज बढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से निश्चित रूप से ऐलोपैथी का मैं यह नहीं कहता कि अच्छी पद्धति नहीं है, तुरंत इससे इलाज होता है लेकिन आयुर्वेद से जिस तरह से इलाज होता है, आयुर्वेद के अंदर कैसे हमारे क्षेत्र में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं, ऐसे पौधे हैं उनको अगर हम उपयोग करें तो हमारे बीमारी हो ही नहीं सकती। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दूं आयुर्वेद का तो मेरे स्वयं के ऊपर भी मैंने उदाहरण देकर देखा है। माननीय सभापति महोदय, बीच में मैंने आंदोलन किया था, तो आंदोलन में 30-35 दिन जब मैंने आमरण अनशन किया तो मुझे उसके बाद में शुगर हो गया, शुगर होने के बाद में मैंने ऐलोपैथी से इलाज लेना प्रारम्भ किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको यह टैबलेट जीवन पर्यंत लेनी पड़ेगी इसका स्थायी इलाज कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इसके बाद में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के द्वारा इलाज लिया और उसके बाद मुझे आज दो साल हो गए, मुझे न तो कोई टैबलेट लेनी पड़ती है और मैं जैसा खाना चाहूं खा सकता हूं। इससे यह साफ जाहिर होता है, यह मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं।

(श्री कैलाश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, यदि हम वास्तव में आयुर्वेद में जाना चाहें तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि हर जिले में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर बीमारी हम धीरे-धीरे अस्पतालों की संख्या इस देश के अंदर हम कैसे कम कर सकें। इसकी हमें चिंता करनी चाहिए।

दूसरी यह चीज है कि हमारे आज हर चीज में मिलावट आ रही है। माननीय सभापति महोदय, मिलावट की वजह से इस देश में इतनी बीमारियां बढ़ रही है। मिलावट की अगर बात करें, बाजार में अगर हम कोई भी वस्तु लेने जाते हैं, तो उनमें मिलावट होती है, कोई मिर्ची लाने गए, उसमें मिलावट, हल्दी के अंदर मिलावट, धनिया में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, जो भी चीज अगर खाने की लेने जाते हैं तो उसमें मिलावट होती है। मैं तो माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि ऐसे जो मिलावटखोर हैं उन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि वह एक स्लो पाइजन देने का काम करते हैं। एक बच्चा जो छोटा होता है, वह जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जब वह शुरू में जो भी चीज लेता है तो उसमें किसी न किसी रूप में चाहे वह पेस्टीसाइड के रूप में जहर जा रहा हो या कोई भी दूसरी वस्तु के द्वारा उसके शरीर में स्लो पाइजन के रूप में उसके शरीर में जाता है और वह धीरे-धीरे अपने शरीर में इतनी बीमारियां ग्रहण कर लेता है कि बड़ा होने पर उसके शरीर में इतनी बीमारियां हो जाती है। इसलिए इन मिलावटखोरों के खिलाफ इतना सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप गंभीर है, लेकिन पिछले दो-तीन साल से इसके ऊपर सख्त कार्यवाही बहुत कम हो रही है, इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह रहेगा कि हमारे देश के अंदर जिस मिलावट और नशे की वजह से और जिस तरह से हम चीजों का उपयोग कर रहे है उसकी वजह से हमारे लोग कितने कमजोर हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि आज से 700-800 साल पहले हमारे बुजुर्गों की बात करें तो उनकी क्या कद काठी हुआ करती थी उनकी आठ-आठ, नौ-नौ फीट हाइट हुआ करती थी। इसी के साथ, उनके हाथों में, भुजाओं में इतनी ताकत होती थी कि उनके हाथों में सौ-सौ किलो की तलवारें हुआ करती थीं, इतने शक्तिशाली वह हुआ करते थे। 200-300 किलो का वज़न वह आराम से उठा लिया

(श्री कैलाश चौधरी)

करते थे। लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने के अंदर, मुगलों के जमाने के अंदर हमारे लोगों के अंदर नशा डाला, नशे की वृत्ति डाली जिसकी वजह से हमारे लोग कमजोर होते गए।

इसी के साथ में जिस तरह से उस समय अंग्रेजों के समय में, एक छोटा सा अगर उदाहरण दें, हमारे देश के उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेल के अंदर एल्युमिनियम के बर्तनों के अंदर खाना खिलाकर कमजोर करने की सोच थी। उसी तरह से नशे के अंदर भी वे कई चीजें लाये जिसकी वजह से हिन्दुस्तान का नागरिक कमजोर हो।

अगर हम इसी तरह कमजोर होते गये तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी हाइट आज 500-700 साल के अंदर 5 या 6 फीट आकर रह गई है। अगर इसी तरह हम कमजोर होते गये तो आपको पता है कि आज अगर कोई व्यक्ति को कह दें कि 20-25 किलो का वज़न झटके के साथ उठा ले तो वह वज़न नहीं उठा सकता। हम इतने कमजोर हो गये हैं। आने वाले 500 साल बाद में अपन कल्पना करें कि इस तरह की मिलावटी चीजें लेते गये तो आने वाले 500 साल बाद जो हमारी संतान पैदा होगी वे बहुत कमजोर संतानें पैदा होगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं उनकी आने वाले समय में उनकी हाइट 3 या 4 फीट पर आ जाएगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू)**:** इसी तरह कमजोर हुए तो 5-6 किलो वज़न भी नहीं उठा पाएंगे। उस समय हमारे देश की रक्षा कौन करेगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या वह 2-2.5 फीट की कमजोर संतान होगी क्या वह इस देश की रक्षा करेंगे?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू)**:** इसलिए यह बहुत गंभीर विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो मिलावट है और जिस तरह से हमारे इस देश के अंदर, राज्य के अंदर बूचड़खाने हैं, इन बूचड़खानों का भी नियमों के विरोध में (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य संजना जी आगरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू)**:** दो मिनट में मेरी मांग रखूंगा।

श्री सभापति: तीन मिनट हो गये हैं घंटी बजाते।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सिर्फ एक मांग है।

श्री सभापति: बोलो।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मेरा यह कहना है कि बूचड़खाने बंद होने चाहिए। दूसरा, जो मांस की दुकानें हैं, जो नियम विरुद्ध हैं वे भी हमारे प्रदेश के अंदर बंद हो, यह पुरजोर तरीके से मांग है।

मेरे क्षेत्र के अंदर, गिड़ा के अंदर मेरी मांग भी है, उस गिड़ा के अंदर पीएचसी है जो कि राजस्थान में अभी उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्वच्छता के मामले में हम हिन्दुस्तान में, राजस्थान में हम तीसरे नम्बर पर हैं, लेकिन हमारे गिड़ा की पीएचसी स्वच्छता एक नम्बर पर रही है इसलिए उसको और दूसरा आउटडोर भी उसका 45 हजार से बाहर है। इसलिए निवेदन है कि उसको क्रमोन्नत करने के लिए माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य संजना जी आगरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू)**:** बाकी जो हमारे चिकित्सा के रिक्त पद हैं उनको भी भरने का निवेदन करता हूं।

आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत)**:** माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण डिमाण्ड चल रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उचित दर पर बेहतरीन आधुनिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों से लगाकर मेडिकल कॉलेज जैसे स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीज के भर्ती होने पर गंभीर बीमारियों से पड़ने वाले वित्तीय भार की मार न झेलनी पड़े, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैनेरिक निशुल्क दवाओं से आगे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हमारे राजस्थान में 13 दिसम्बर, 2015 से लागू की। निश्चित तौर पर भामाशाह योजना स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गांव में मध्यम परिवार और मध्यम

(श्रीमती संजना आगरी)

परिवार के साथ में गरीब परिवार के लोगों को गंभीर बीमारियों में 30 हजार से लेकर 3 लाख तक की सहायता राशि के रूप में राज्य सरकार ने जो अहम कदम उठाया उसकी मैं वाकई सराहना करती हूं, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट 2016-17 में पाली जिलेवासियों को मेडिकल कॉलेज की घोषणा और वित्तीय स्वीकृति जारी की, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सौगात दी है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है वह इतना तीव्र गति से हो रहा है कि तीसरे मंजिल की इमारत तक हमारा कार्य पहुंच चुका है। तीन मंजिला इमारत के साथ ही मेडिकल कॉलेज, पाली के अंदर अभी बजट 2017-18 के अंदर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने प्रिंसिपल की नियुक्ति भी वहां कर दी है। इसके लिए भी मैं जिलेवासियों को, मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी। मेडिकल सुविधा के साथ-साथ युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा और समस्त डॉक्टर व स्टाफ की जो कमी चल रही है वह निश्चित तौर पर पूरी होगी। जिले के मरीजों को स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण डिमाण्ड मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी। आपके माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को अवगत कराना चाहती हूं कि रायपुर में हमारा राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय है, वह एनएच 162 पर स्थित है। वहां पर आसपास के 30 से 40 गांवों के क्षेत्रवासी और मगरा क्षेत्र भी लगता है।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्या कुछ मांग रख रही है, ध्यान से सुनें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उन 30-40 गांवों का हमारा मात्र एक राजकीय चिकित्सालय है। अबसे पहले कई बार विधानसभा के कार्यवाही वृत्तान्त के माध्यम से हमारे चिकित्सा मंत्रीजी और सदन को अवगत कराया कि राजकीय चिकित्सालय के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वह मगरा क्षेत्र है और निश्चित तौर पर वहां की महिलाएं ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी हैं, बच्चियां भी आती हैं, माताएं-बहनें भी आती हैं, आपसे निवेदन है कि गायनिक डॉक्टर की वहां व्यवस्था कराएंगे तो मेरे क्षेत्र की महिलाओं को और विशेष तौर पर बच्चियों को एक अच्छी सुरक्षा मिलेगी, संबल

(श्रीमती संजना आगरी)

मिलेगा। इसके साथ ही आप दो डॉक्टर्स और लगाने की कृपा करेंगे तो वहां 30 से 40 गांवों के लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी।

राजकीय चिकित्सालय के अंदर, चूंकि उपखण्ड कार्यालय, तहसील हैडक्वार्टर, वहां पर कोर्ट परिसर भी है और पूर्व विधान सभा क्षेत्र भी रह चुका है। वहां राजकीय चिकित्सालय में हमारे पास ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए वहां के मरीजों को ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है तो आपातकाल में ब्यावर जाना पड़ता है या सोजत आना पड़ता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि राजकीय चिकित्सालय, रायपुर में एक ब्लड बैंक की आप घोषणा कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारी चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगी कि राजकीय चिकित्सालय, सोजत, रघुस्मृति राजकीय चिकित्सालय में हमारे पास में पिछले एक वर्ष से शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है। मैं एक महिला होने के नाते आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि मारवाड़ जंक्शन और सोजत विधान सभा क्षेत्र का मात्र एक राजकीय चिकित्सालय है जिसकी प्रतिदिन की ओपीडी 600 से 700 मरीजों की है। पाली के बाद में जिले का दूसरे नम्बर का अगर चिकित्सालय है तो वह सोजत चिकित्सालय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि प्रसव के टाइम में जब महिलाएं वहां एडमिट होती है, नवजात शिशु के जन्म के बाद में उसको उस हालत में 40 से 50 किलोमीटर जिला स्तर पर ले जाना हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रही हूं कि आप अतिशीघ्र, चूंकि मैंने तीन दिन पहले नाम भी आपको अवगत करा दिया है, आप अतिशीघ्र एक शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति इसी हफ्ते के अंदर कराएंगे तो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 5 एमओ डॉक्टर्स की हमें आवश्यकता है, वे भी आप कराने की कृपा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि जो राजकीय चिकित्सालय एनएच 162 पर स्थित है, 162 पर स्थित होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और एक्सीडेंट के साथ में 30 से 40 गांवों के पूरे विधान सभा क्षेत्र के साथ ही मारवाड़ जंक्शन कांस्टीट्युएंसी के मरीज भी उपचार के लिए सोजत राजकीय चिकित्सालय में आते हैं। हमारे यहां पर 2006-07 में सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रोमा वार्ड की सैंक्शन आयी थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना

(श्रीमती संजना आगरी)

चाहती हूं कि सोजत में हमारे पास में 150 बैड का राजकीय चिकित्सालय के अंदर व्यवस्था है। प्रसूता वार्ड भी है और ट्रोमा यूनिट भी हमारे वहां चल रहा है। मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि नेशनल हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट केसेज और मरीजों की सुविधा देखते हुए सोजत ट्रोमा यूनिट के लिए जमीन भी हमारे पास में रखी है, उसके लिए आप भवन निर्माण की स्वीकृति आप कराएंगे तो निश्चित तौर पर पाली में मरीजों की संख्या कम हो जाएगी जिससे जिले के दूसरे मरीजों को वहां जिला स्तर पर लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगड़ीनगर में राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय निर्मित है। वहां मगरा क्षेत्र पड़ता है। मगरा क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों के 30 से 35 गांवों की महिलाएं और मरीज वहां पर अपने उपचार के लिए आते हैं।

वहां पर हमारे पास में 20 वर्ष पूर्व एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाई गई थी वो डेढ़ वर्ष पूर्व विभाग द्वारा कंडम हो चुकी है। तो अक्रियाशील उस एक्स-रे मशीन की एवज में आज की तारीख में हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं है। जबकि हमारी मुख्य मंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी पूरे संवेदनशील हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में मरीजों को अच्छी नि:शुल्क दवा मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, उनको भामाशाह के माध्यम से आपरेशन का अच्छा पैसा मिले। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मरीजों को एक्स-रे के लिए निजी लैब में जाना पड़ता है इसलिए निश्चित तौर पर अतिशीघ्र आप बगड़ी राजकीय चिकित्सालय के अन्दर एक एक्स-रे मशीन की व्यवस्था आप करवाएंगे तो यह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि मंत्री जी, आप विशेष तौर पर इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही यहां बगड़ी में ब्लड बैंक की आवश्यकता है, जो भी मैं आपकी जानकारी में देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, पाली जिला हैडक्वार्टर है और जिला हैडक्वार्टर होने के साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात हम लोगों को दी। उसके साथ ही वहां पर ए.एन.एम. सेंटर भी है और ए.एन.एम. सेंटर के साथ में हमारे पास में नर्सिंग कॉलेज भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सोजत राजकीय चिकित्सालय में छात्र-छात्राओं की

(श्रीमती संजना आगरी)
व्यवस्था को देखकर, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और विधान सभा क्षेत्र में जितने भी पी.एच.सी. खुले हुए हैं वहां पर भी स्टाफ की निश्चित तौर पर कमी है। तो नर्सिंग स्टाफ की सुविधा भी हो जाएगी इसके लिए मैं राजकीय चिकित्सालय सोजत के अन्दर एक नर्सिंग कॉलेज की मैं चिकित्सा मंत्री जी से मांग करती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि मैंने पाँच दिन पहले यहां हॉस्पिटल की कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराया था कि हमारे यहां पर सी.टी. स्कैन मशीन पिछले दो वर्ष से बन्द पड़ी है और आपने पाँच दिन के अन्दर जो सी.टी. स्कैन मशीन अपनी व्यवस्थाओं से शुरू करवाई है और आज सात दिन में दस मरीजों के सी.टी. स्कैन हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर इसका भी क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में ही मैं मेरी बात समाप्त करूंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी बेटियां कैसे बचे और कन्या भ्रूण हत्या कम हो इसके लिए सरकार ने हाईमास प्रेग्नेंसी के प्रबन्धन एवं देखभाल हेतु जुलाई, 2015 में कुशल मंगल कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की पालना में राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन के साथ में एक्टिव ट्रेकर के बाद अब नई मशीनों के साथ जी.पी.एस. ट्रेकर भी लगवाये जा रहे हैं और भारत सरकार की रिपोर्ट में राज्य सरकार के इस कार्य की सराहना भी की गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी को इसका धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार की यह योजना, प्रधान मंत्रीजी की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' से जुड़ी हुई है। तो हमारी बेटियां कैसे बचें, हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हों इसके लिए चिकित्सालयों में जितनी भी सोनोग्राफी प्रेग्नेंसी के समय में करवाई जाती हैं उनका प्रसव भी संस्थागत चिकित्सा केन्द्रों पर होना चाहिए ताकि योजना कितनी फलीभूत हुई है, कितनी क्रियान्वित हुई है, इसकी जानकारी भी हम लोगों को रहती रहे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य अर्जुन लाल जी गर्ग।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन

(श्रीमती संजना आगरी)
करना चाहती हूं कि हमारे उप सचेतक महोदय जी सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र से आते हैं और वहां पर अभी थोड़े दिन पहले ही चाणोद ग्राम पंचायत के अन्दर भामाशाहों द्वारा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुन्दर पी.एच.सी. बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। माननीय सभापति महोदय, चाणोद को पुराना राजा का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, ठिकाना वाली जगह है, भामाशाहों ने अच्छा पैसा भी खर्च किया है और हमारे माननीय उप सचेतक महोदय जी का यह विधान सभा क्षेत्र है और मैं इसलिए पैरवी कर रही हूं कि उसके पास ही में गांव बाला है जो मेरी पैतृक जन्मभूमि है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि चाणोद पी.एच.सी. बनाया गया है उसको सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाने की आप कृपा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अर्जुन लाल जी गर्ग।

श्री अर्जुन लाल (बिलाडा): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 26 पर आप मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

जैसा कि कहा गया है- 'पहला सुख निरोगी काया', जिस प्रदेश में उसका नागरिक स्वस्थ और स्वस्थ दिमाग, स्वच्छता के साथ यदि वो रहेगा तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का विकास और राष्ट्र का निर्माण दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे स्वस्थ नागरिक राष्ट्र और समाज की सम्पत्ति होगी। Health is Wealth की अवधारणा को लेकर हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और इस उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर एक संकल्प लिया था कि नई-नई योजनाएं लागू करके प्रदेश को स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ाया जाए। जिसमें उनके द्वारा मुख्य आरोग्य राजस्थान, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नि:शुल्क सेनेटरी नेपकीन वितरण योजना, ऐसी योजनाएं लाकर निश्चित रूप से उन्होंने जो संकल्प लिया था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने प्रयास किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे खान-पान, रहन-सहन, दिनचर्या के कारण भी बीमारियों का बढ़ना लाजिमी हो जाता है। जैसे मेरे से पूर्व माननीय सदस्या ने कहा था कि जब खेती के अन्दर यूरिया, डी.ए.पी. फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनमें कुछ अंश मात्रा के रूप में उन सब्जियों में, अनाज में आ जाती है, तो उससे नुकसान होता है। अब एक

(श्री अर्जुन लाल)

नई प्रथा और चल गई है कि जो विलायती गायें आ रही हैं उनको दुहने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को भी काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से दूध में भी उसकी मात्रा आती है जिससे कैंसर, अल्सर जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। इसके लिए भी हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने पाबंदी के लिए आग्रह किया था।

मैं विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं उनमें एक मुख्य मांग थी उसकी तो इस बजट के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी। ट्रोमा सेंटर बिलाड़ा में स्थापित करने की उन्होंने जो घोषणा की है उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। हमने, बिलाड़ा की जनता ने कई बार मुख्य मंत्रीजी से मिलकर एक करोड़ रुपया जन-सहभागिता से इकट्ठा किया था और बिल्डिंग बनाने का पूरी तरह से आश्वासन दिया था तो उन्होंने बिलाड़ा के अन्दर ट्रोमा सेंटर घोषित किया। इसके पहले 2008 के अन्दर बिलाड़ा में 100 बैडेड चिकित्सालय, सैटेलाइट हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, लेकिन सरकार बदलने के कारण तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पावटा सैटेलाइट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं बिलाड़ा से ट्रांसफर कर दीं।

उसके बाद जनता की हमेशा यह मांग बनी रही कि जोधपुर के अन्दर एम.डी.एम. है, एम.जी.एच. है, AIIMS है, 9-9 सैटेलाइट और रैफरल हॉस्पिटल हैं उसके बावजूद भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पावटा सैटेलाइट में यहां बिलाड़ा का ट्रोमा सेंटर जो स्वीकृत हुआ था वो वहां लेकर गये। फिर भी वापस हमारी सरकार बनी और मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने बिलाड़ा के अन्दर नया ट्रोमा यूनिट घोषित की उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

इसके साथ ही पीपाड़ शहर, जिसको तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी अपना दूसरा गांव समझते थे वहां पर उन्होंने सी.एच.सी. को रैफरल करने की घोषणा, विधान सभा में तो नहीं की लेकिन पीपाड़ की जनता को आश्वासन देकर आये थे, पर उन्होंने वो भी नहीं किया तो मैं अब मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे पीपाड़ शहर के अन्दर भी रैफरल चिकित्सालय खुलवाया जाए।....

इसके अलावा हमारे जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जैसी कृषि मंत्रीजी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप केन्द्र खोलने की घोषणा की थी, वैसे की वैसे मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय जहां पर सब सैंटर तो खुले हुए हैं लेकिन ऐसे बड़े गांव हैं जिसकी आबादी 5,000 से

(श्री अर्जुन लाल)

ज्यादा है, वहां एड-पोस्ट जो पहले चलती थी, उनको गत सरकार ने बंद कर दिया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर वापस चाहे जीएनएम ग्रेड-सैकिण्ड या जीएनएन ग्रेड-फर्स्ट का एड- पोस्ट करके वहां पर वापस स्थापित की जाती है तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को फायदा होगा। मेरे क्षेत्र में हरियाढाणा, डांगियावास, ओलवी, जेतीवास, बुचकला पलासनी, यहां पर पुराने एड-पोस्ट थे, उनको सरकार ने विथड्रा कर लिये थे तो पुन: वापस वहां पर स्थापित करवाएं।

इसके अलावा डाक्टर्स की कमी के लिए भी मेरा निवेदन है। कई माननीय सदस्यों ने बात की थी लेकिन मेरा एक सुझाव है इसके लिए, कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के जितने भी ट्रेड स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है। तो वह निजी अस्पतालों में एज ए पैरा मेडिकल स्टाफ या उनके पद के अनुसार उनको वहां पर लगाया जाता है। कई बार जो विशेषज्ञ होते हैं, सर्जन होते हैं, जो आपरेशन थियेटर में काम करते हैं। उनके साथ काम करते-करते उनका अनुभव इतना हो जाता है कि कई दफा निजी अस्पतालों में भी वह सर्जन का काम संभाल रहे हैं। ऐसे जो यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के डाक्टर्स हैं, उनको प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर, जहां पर सब सैंटर है, उस पर ही यदि उनको लगा दिया जाए, तो यह जो बड़े अस्पतालों तक की मारामारी है, इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा छोटी-मोटी बीमारी के लिए जो व्यवस्था होती है, वह वहां अपने उस पंचायत मुख्यालय तक ही उसको निपटा सकता है, उसका इलाज कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप निश्चित रूप से इनका कार्य करवाने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे और वैसे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हालांकि मैं मेरी विधान सभा तक ही सीमित हूं।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन सीएचसीज हैं। वहां सर्जन, कनिष्ठ विशेषज्ञ होते हैं, जेएस होते हैं, वह जेएस तो वहां लगे हुए हैं लेकिन एनेस्थिसिया डाक्टर्स की कमी है तो आप एनेस्थिसिया डाक्टर्स के लिए भी, जिस तरह से अभी आप जेएस के लिए डिप्लोमा करवा रहे हैं, वैसे की वैसे किसी एमबीबीएस के मार्फत एनेस्थिसिया के लिए भी ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, डिप्लोमा करवाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जो एनेस्थिसिया की कमी है, वह पूरी हो जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रमेशजी।

श्री रमेश (सपोटरा): घंटी मत बजाना माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: घंटी तो टाइम होगा तो बजेगी। नियम तो वही है।

श्री रमेश (सपोटरा): हमारा समय काट लेना आप।

श्री सभापति: किसी का नहीं काटते। हम किसी का नहीं काटते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं तो और क्या करोगे आप? 10 मिनट में क्या बोलेंगे?

श्री सभापति: सबके लिए यही है। नियम सबके लिए एक ही है। वह आसन की व्यवस्था है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में हैल्थ... (व्यवधान) डिस्टर्ब तो करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो मेरी बात को सुन लो, बस। यह तो कोई बात नहीं है, उन्हें बात करने दो। कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज यहां सदन में चर्चा हो रही है हैल्थ और सफाई पर, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा पर, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हम जब जाते हैं तो सीएचसी लेवल पर भी डाक्टर्स नहीं है, उनको भी डेपुटेशन पर लगाया हुआ है। हमारे जो साथी हैं सत्ता पक्ष के, उनकी तो +++ की मजबूरी है कि उनको तो हां में हां मिलानी पड़ेगी, बड़ाई करनी ही पड़ेगी।

आपको साढ़े तीन साल होने को आ गये, जिस प्रकार से यह चिकित्सा सेवा का बंटाधार किया है। मैं आज नहीं कह रहा हूं कि चिकित्सा मंत्री ने किया है। इनको तो अभी मिला है भार लेकिन इन्होंने इस सिस्टम में भ्रष्टाचार किया है...(व्यवधान) उनको हटाया है, जभी तो अच्छा किया और आगे भी ये भी अच्छा करें, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो पहले इनको भी हटाया था शिक्षा विभाग से, क्योंकि वहां दिल्ली तक इनकी शिकायत हो गई तो हम चाहते हैं कि इनमें भी सुधार हो। ये अच्छा काम करें।

जिस प्रकार राजस्थान में मेडिकल में डाक्टर्स के 11,139 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 3,000 पद वैकेंट चल रहे हैं। यह आज की बात नहीं है कि आपने नहीं किये या हमने नहीं किये लेकिन जो स्थिति है राजस्थान की, कनिष्ठ विशेषज्ञ 3,062 में से 1,020 पद रिक्त हैं। चिकित्साधिकारी 5,818 में से 1,457 पद रिक्त हैं। दंत चिकित्साधिकारी के 395 में से 100 पद रिक्त हैं।

आप लोग नि:शुल्क दवा योजना लेकर आये। इसे लेकर आई हमारी सरकार, उसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं, विश्व में भी हुई थी लेकिन हमारी इस व्यवस्था को

(श्री रमेश)

फेल करने के लिए आप भामाशाह योजना लाये। भामाशाह योजना लाये, यह अच्छी बात है लेकिन उसको उसी प्रकार चलाओ जिस प्रकार नि:शुल्क दवा योजना चल रही है। आज गांव का आदमी, उसको जिला अस्पताल आना पड़ता है। सीएचसी लेवल पर पूरी दवाइयां नहीं मिल पाती हैं। पीएचसी लेवल पर दवाइयां नहीं मिल पाती हैं और इसमें करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें प्राइवेट अस्पतालों को इंश्योरेंस कम्पनी ने 50 अस्पतालों को कि हम आपसे इलाज नहीं करवाएगे, उनको बाहर कर दिया। कुछ अस्पताल से डी-पैनल्ड कर दिया उनको। तो इस प्रकार जो व्यवस्था बिगड़ी है।

आज आपके एसएमएस में देख लो, क्या स्थिति है? पूरी दवाइयां लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। अव्यवस्थाएं पूरे अस्पताल में हो रही हैं लेकिन कोई धणी-धोरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आपके सिस्टम में जो करप्शन हो रहा है, पहले मैं उसकी बात करूंगा। फिर राजस्थान की स्थिति चिकित्सा में क्या है, उसके बाद अगर समय देंगे तो मैं उसकी भी बात करूंगा।

तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि भामाशाह योजना में सिर्फ लाभ हो रहा है तो बीमा कम्पनियों को हो रहा है या निजी अस्पतालों को धन का लाभ हो रहा है और यदि किसी को लाभ हो रहा है, तो पूरी प्लानिंग से जो इस सिस्टम को समझता है, जो बीमार नहीं है और फिर भी पर्ची बनवा ले और पैसा लेता रहे, उसको लाभ हो रहा है।

इस विभाग में +++ नाम का व्यक्ति जूनियर होते हुए भी राजकीय नर्सिंग कालेज, जयपुर का प्रिंसिपल बन गया और उसके साथ-साथ राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का डीन भी बना हुआ है। उसने एक काम और किया, यह फर्जी तरीके से यहां पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने +++ को कालेज में विशेष सुविधाएं एवं नियम विरुद्ध राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में प्राइवेट कालेज में भेजते हैं...

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): नाम कैसे ले रहे हो? जबरदस्ती आरोप कैसे लगा रहे हो? नाम लेकर कैसे बोल रहे हैं?

श्री रमेश (सपोटरा): मेरे पास सबूत है। ये सबूत हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): नहीं, होंगे। आप नाम लेकर बोल नहीं सकते। नाम लेकर नहीं बोल सकते।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति

(श्री कालीचरण सराफ)

महोदय, जो सदन का सदस्य नहीं है, ऐसे लोगों का नाम ले-लेकर ये बातें करना ठीक नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): ये सबूत हैं। और भी बोलेंगे।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लेकर बोल नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था है।

श्री रमेश (सपोटरा): यह देख लो आप। बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं।

श्री सभापति: आप विराज जायें। माननीय सदस्य, नियमों के अनुसार आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं तो आरोप लगाने के तरीके से लगाएं।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, बिलकुल यह आरोप लगा सकते हैं। नियम में मैं लगा रहा हूं। मैं जानता हूं नियम।

श्री सभापति: नहीं। पहले नोटिस देना पड़ता है।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, जानता हूं। नोटिसेज को जानता हूं। कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। यह अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं नहीं, +++ जो सबूत है, वह बता रहा हूं मैं आपको।

श्री सभापति: दादागीरी नहीं है। नाम बताने के तरीके हैं, आप जरूर बतायें। आपको मना थोड़े ही है।

श्री रमेश (सपोटरा): नर्सिंग पद के आईएनसी एक्ट, 1947 के 3 आईजी के अन्तर्गत सदस्य के रूप में भेज रखा है। आईएनसी एक्ट, 1947 के 3 आईजी में सदस्य के लिए न्यूनतम योग्यता प्रोफेसर की है जबकि इस लेडी को, जो नर्स ग्रेड की है, नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर 2015 में नियुक्त हुई है। (व्यवधान) उसके बाद नियम विरुद्ध नर्सिंग कालेज में कार्य कर रही है। इस नर्स को ग्रेड-द्वितीय में नियुक्ति एनआरएचएम में संविदा में कार्य दिखाकर दी है जबकि इस नर्स ने इसी अवधि में पीबीएससी एवं एमएमएससी की है। इसकी जांच हो जानी चाहिए।

अब दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि यह +++ है, नाम कटवा देना आप, कोई बात नहीं है। इसकी एसीबी में जांच चल रही है...

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): जो सदन का सदस्य नहीं है ऐसे कैसे लेंगे नाम जबरदस्ती, नियमों में आकर लो आप। ...(व्यवधान)... नहीं, कभी नहीं लेने दिया आज तक नहीं हुई ऐसी परम्परा।

श्री रमेश (सपोटरा): और डीन के पद पर कैसे रख रखा है सरकार ने ...(व्यवधान)... बिलकुल हम बात करेंगे आपकी।

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): कैसे लेंगे नाम? कोई दादागीरी थोड़े है। नाम नहीं ले सकते।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, ले सकते हैं क्यों नहीं ले सकते।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): आरोप लगा सकते हो पर नाम नहीं ले सकते। नोटिस देकर आइये आप। ...(व्यवधान)...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, ये नोटिस लेकर आएं नियमों की परिधि में।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): नहीं-नहीं, नहीं ले सकते ...(व्यवधान)... नहीं नाम नहीं ले सकते। ...(व्यवधान)...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप नोटिस लेकर आओ न। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): बात हो गयी। आगे चलो। हो गया पूरा। ...(व्यवधान)...

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): नहीं, ले सकते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना वक्तव्य दें। उत्तेजित करने वाली बातें न करें।

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): अब आगे चलो। आगे सुन लो।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप नोटिस देकर आओ न। आरोप लगाना है तो नोटिस देकर आओ न।

श्री सभापति: नाम हटा दिया जाए।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): अपने शब्द वापस लो आप।

श्री रमेश (सपोटरा): क्यों +++ लग रही है, क्यों दर्द हो रहा है आपको? कोई भ्रष्टाचार का मामला है उसको मैं उठाना चाहता है। ...(व्यवधान)...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): +++ तो आपके लग रही है। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते ...(व्यवधान)...

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते आप यहां पर। ...(व्यवधान)... व्यक्तिगत नाम नहीं बोल सकते आप।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये तो आपको कष्ट हो रहा है। आरोप लगाना है तो आप नोटिस देकर आओ न। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वो क्या है ...(व्यवधान)... जो नाम नहीं लेंगे उसका। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजे आप।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, इसी तरह इसी विभाग में कंसल्टेंसी के माध्यम से...।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट ऑफ ऑर्डर सर। व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं मैं। व्यवस्था का प्रश्न यह है, माननीय सभापति जी, नोटिस की प्रक्रिया होगी जब अपन कहते हैं कि इस सदन में जो हैं उनके अलावा किसी का नाम न लें, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेन्द्र मोदी जी, हम तारीफ कर सकते हैं न उनकी? यहां सवाल है कि जब कोई ...(व्यवधान)... आप सुनें। यदि आप इस नियम से चलेंगे तो फिर यह सारी बहस ही नीरस हो जाएगी। आप उनको पिन पाइंट कर सकते हैं कि नाम न लें लेकिन इशारे से तो कोई बात कह ही सकते हैं।

श्री सभापति: यही तो कहा है। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा है, आप पद के लिए बोलिये पर नाम नहीं ले सकते। पद का नाम लीजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यही कहा है। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बेईमानों का नाम लेना पड़ेगा ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं माननीय मंत्री जी, यह कह रहा हूं...।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपकी बात बिलकुल ठीक है। नाम ले रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं-नहीं, अपन तारीफ भी करते हैं जो सदन में नहीं हैं उनकी तारीफ भी करते हैं जो सदन में नहीं हैं उनकी खूब तारीफ भी करते हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): तारीफ करें। आरोप लगाने से पहले की बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो सदन में नहीं हैं, सुनिये, जो एंटी करप्शन में लोग नामजद हैं उनका नाम भी लेते हैं वो सदन के सदस्य नहीं हैं हम उनका नाम ले सकते हैं। उनका नाम भी लेते हैं। वो सदन के सदस्य नहीं हैं हम उनका नाम ले सकते हैं। ये एक कोई छोटे-मोटे कर्मचारी की कोई बात है तो, उसमें ऐसा तूफान खड़ा करने की तो माननीय सभापति जी, आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ले सकते हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजे-विराजे।

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान)... दूसरा मेरा निवेदन है कि इस विभाग में कंसल्टेंसी के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों को भर्ती किया गया, क्योंकि अब नाम नहीं लेना है, वो मंत्री के रिश्तेदार नजदीकी लोग थे और आज से पहले तम्बाकू नियंत्रक की जो पोस्ट थी, आज से पहले कोई इस तरह की कंसलटेंसी या ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उसमें विधि सलाहकार के रूप में एक छोटी सी विज्ञप्ति निकाली गयी जो लोगों को पता नहीं है। कुछ फार्म 37 फार्म...।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कौन से मंत्रीजी के रिश्तेदार? आपने कहा कि मंत्रीजी के रिश्तेदार।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पहले वाले।

श्री रमेश (सपोटरा): अब आप कहोगे कि कौन सा मंत्री तो फिर नाम की बात आएगी।

श्री सभापति: आप बिराजें। मंत्री महोदय, आप बिराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपका आगे आएगा यह पहले वालों का आ रहा है आपका आगे आ रहा है अभी।

श्री रमेश (सपोटरा): तो उसकी जो वेकेंसी निकाली और उसको जो नियुक्ति दी वो अवैध है मंत्रीजी, इसकी जांच करवाना आप, क्योंकि पद का दुरुपयोग किया मंत्रीजी ने और उसके बाद जो काम हुआ आगे, वो भी आप देख लें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.4.2016 को संयुक्त निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य नोडल ऑफिसर, के निर्देशन में मैसर्स आईटीसी लिमिटेड केयर ऑफ बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कारपोरशन, जयपुर पर 7 पी.एम. पर निरीक्षण पर पाया कि विभिन्न ब्रांड के सिगरेट के पैकेट में 53,320.7 यू.एम. के सिस्टम के कार्टूनों के अन्दर रखे हुए हैं और उस सिगरेट के जो पैकेट थे उनमें जो चेतावनी लिखी हुई होती है कि 60 परसेंट चित्र के माध्यम से 25 परसेंट शाब्दिक चेतावनी होती है, 85 परसेंट मुख्य पैकेट पर रहती है वो पैकेट पर नहीं थी। इस कंपनी पर छापा मारा गया तो वहां पर मारने के बाद में वहां सारे अधिकारी थे और वहां माल को सीज किया गया। फिर उसके बाद यह माल बिक रहा था। बेचान किया जा रहा था सारा वहां लिखा है पैकेट पर। चेतावनी उस पर नहीं थी और इसमें +++ नाम का जो व्यक्ति था जिसने हस्ताक्षर किये...।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो नाम लिये हैं वो एक्सपंज करें।

श्री रमेश (सपोटरा): नाम तो हो ही रहा है एक्सपंज।

श्री सभापति: एक्सपंज हो गया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक्सपंज हो गया?

श्री रमेश (सपोटरा): सारे करा दो आप तो।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री रमेश (सपोटरा): वो जो माल की कीमत थी वो 41 करोड़ रुपये थे। तो ये तो आईटीसी कंपनी का 7 बजे हुआ। इससे पहले एक कंपनी सिगरेट की वो उस कंपनी का नाम है मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, होटल कोहीनूर, वनस्थली मार्ग, सिंधी कैम्प स्टैंड के सामने, जयपुर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विधि सलाहकार और संयुक्त निदेशक सबने उस पर छापा मारा। वहां भी करीब साठ करोड़ रुपये की सिगरेट जब्त की गयी और वो जो चेतावनी वाला 85 परसेंट चेतावनी का उसमें कहीं कोई चेतावनी नहीं थी और यह कंपनी किसकी है? माननीय सभापति महोदय, यह कंपनी है +++ की उस +++ की कंपनी और आईटीसी कंपनी की सिगरेट एक करोड़ से ऊपर की...।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा। यह गलत बात है। क्या मतलब है। इस प्रकार से कैसे बोल सकते हैं आप? क्या मतलब है आप किसके लिए बोल रहे हैं?

श्री रमेश (सपोटरा): एक करोड़ से ऊपर की सिगरेट पकड़ी गयी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नरेन्द्र मोदी नहीं +++। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप विषय पर आइये न। आप विषय पर बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह नहीं चलेगा तो क्या गोली चलाओगे क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नरेन्द्र मोदी नहीं +++।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आज की जो मांग है उस पर बोलो आप। अनर्गल आरोप लगा रहे हैं आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह मांग ही है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अनर्गल आरोप मत लगाओ आप। आपकी अपनी एक मर्यादा है और मर्यादा में रहें आप।

श्री सभापति: बैठिये। आप बैठो। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यहां पर मर्यादाविहीन कोई भी किसी भी प्रकार का भाषण नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)... यह क्या तरीका है।

श्री रमेश (सपोटरा): ये मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो सिगरेट्स पकड़ी गयी उनका जो मैनेजर था सुरेश अग्रवाल उसके निरीक्षण में पाया गया कि 66,000, 53 एमएम स्ट्रिप फाइलों के अन्दर रखे हुए थे उसमें पैकेटों पर किसी प्रकार की चेतावनी अंकित नहीं थी और बेचान किया जा रहा था। स्पष्ट संशोधित नियम, 2014 का उल्लंघन है। प्रत्येक पैकेट पर सुरेश अग्रवाल के साइन कराये गये और मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के गोदाम को सीज किया गया। माल की कीमत करीब साठ करोड़ रुपये थी। इस प्रकार दोनों कंपनियों का जो माल सीज किया गया वो एक अरब से ऊपर का था और सही पैरवी नहीं करने की वजह से माल को कोर्ट के द्वारा छोड़ा गया।

तो मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि

(श्री रमेश)

जिस प्रकार इस सिस्टम में इस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है कि अधिकारी जब्त करते हैं माल को और फिर उसको छोड़ दिया जाता है तो जब हमें पता लगा कि फलां की कंपनी है तो हमने देखा कि सिगरेट पर वैट का टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब पता लगा हमें कि पिछली बार नहीं बढ़ाया और इस बार मात्र पन्द्रह परसेंट ही बढ़ाया तो किन्हीं विशेष लोगों को यह सरकार लाभ देने के लिए सिगरेटों को इस प्रदेश में बिकवा रही है। लोग मर रहे हैं पी रहे हैं और यहां सिगरेट पीओ और एक तरफ बात हो रही है स्वास्थ्य की चर्चा की, स्वास्थ्य का लाभ होगा।

तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकरण की पूरी जांच करवाओ कौन अधिकारी थे, किन अधिकारियों और किन मंत्री की वजह से यह माल छूटा, क्योंकि स्पष्ट चेतावनी के बाद में और बिलकुल संशोधित नियम, 2014 के एक्ट के अनुसार माल पकड़ा गया फिर छूट गया। यह क्यों छूट गया? तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसकी जांच करवाये।

आज हमारे प्रदेश की जो स्थिति है देश में कि एचआईवी की रोकथाम के लिए जो काम हो रहा है इस देश में एचआईवी संक्रमित लोगों में 9 परसेंट की कमी आई है और राज्य में बीस परसेंट का इजाफा हुआ है इससे हमारे राज्य में पचास परसेंट मौतें बढ़ी हैं।

प्रत्येक नसबंदी सामान्य ऑपरेशन के माध्यम से महिलाओं की मृत्यु हो रही है और 550 से अधिक प्रकरणों में फेल हुए हैं तो सरकार इसको भी देखें कि कौन जिम्मेदार है क्योंकि सरकार का इसमें भी पैसा लग रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पाँच मिनट लूंगा अभी बोलने दें। ऐसे नहीं। फिर आप बोलने ही नहीं दोगे इसका मतलब यह है।

श्री सभापति: मैंने रोका नहीं आपको कभी भी। मैं कह रहा हूं कि आप अपना वक्तव्य कंटीन्यू करें।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं बोलने देंगे तो नहीं बोलेंगे। ऐसे रोकोगे आप जबरदस्ती करोगे। +++ है आप लोगों की तो नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति: आपकी मर्जी है बोलें नहीं बोलें It is upto you whether you want to say or not.

श्री रमेश (सपोटरा): इतना आप घमंड मत करो बहुमत में। यह कोई तरीका है? ...(व्यवधान)...

(18.00 बजे)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक मिनट, यह क्या शब्द है +++, यह कैसे बोलते हैं, आसन के ऊपर +++ और ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, यह आसन का अपमान है।

श्री रमेश (सपोटरा): डर लग रहा है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है आपका? शब्दावली तो ठीक काम में लो। आप मर्यादित भाषण करें, शब्दावली ठीक काम में लें।

श्री सभापति: एक मिनट में पूरा करें वरना मैं दूसरा नाम पुकारुंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): पाँच मिनट दे दो।

श्री सभापति: पाँच मिनट नहीं, एक मिनट में बोले।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पाँच मिनट क्या होता है, आपने +++ शब्द कैसे प्रयोग किया। कोई मर्यादा नाम की चीज भी होती है।

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान)... आपकी मर्जी हो जो कर लो जो करना है, नहीं बोलता। आपको डर लग रहा है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, इनकी भी एक छोटी-सी कहानी सुन लो, सुनना चाहते हो तो। आरोप लगा रहा हूं इन पर ...(व्यवधान)... सामने बैठे हैं, आरोप लगा सकता हूं। यह भी नियम में आता है, अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे हम।

श्री सभापति: माननीय अजीत सिंह जी। एक मिनट पहले पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन बता दे।

सूचना

भीलवाड़ा के विधि महाविद्यालय के प्राचार्य की आकस्मिक सेवानिवृत्ति

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमारे भीलवाड़ा के विधि महाविद्यालय के प्राचार्य ने स्वयं की सेवानिवृत्ति स्वयं के आदेश से कर दी है और आज की तारीख में वहां पर कोई भी प्राचार्य नहीं है। 27 तारीख बच्चों के फार्म भरने की आखिरी तारीख है। सरकार किसी को भी वहां लगाए ताकि बच्चे परीक्षा का फार्म भर सके। वर्ना सारे लडके परीक्षा से वंचित रह जाएंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा कर रहे हैं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का पूरी तरह आनंद लेना चाहता है। जीवन का पूरा आनंद सही अर्थों में तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य संबंधी आचरण पर निर्भर करता है। हमारा दैनिक आचरण, हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार, विचार आदि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत में ऋषि मुनियों की लंबी परम्परा रही है, जिन्होंने स्वयं अपनी स्वदेशी स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र विकसित किया है। आयुर्वेद, योग एवं सिद्ध हमारी परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां रही है। समय बीतने के साथ हमने विभिन्न सभ्यताओं और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश भी किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह सभी पद्धतियां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहें, के दर्शन पर आधारित थी। हमारे आयुर्वेद को सामान्यत: जीवन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। आयु यानी जीवन एवं वेद यानी विज्ञान। सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कौनसी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं कैंसर सबसे बडी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बन गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार गैर संक्रामक रोगों से प्रतिवर्ष 38 मिलियन लोग मरते हैं। इनमें से 28 मिलियन निम्न एवं मध्य आय वर्ग वाले देशों में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति में स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं व्यक्ति केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाओं के लिये पारंपरिक एवं संपूरक औषधियों के योगदान का प्रयोग करने की विधियां हैं। इन रोगों के बचाव के लिये हमें हमारे परंपरागत खानपान की ओर आना होगा जो हमारे आसपास ही है लेकिन दैनिक डाइट में नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 का जो बजट प्रस्तुत किया है वो प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख कर किया है। इस बजट में चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गांव, गरीब और किसान का पूरा ध्यान रखा है। देश

(श्री अजीत सिंह)

में सर्वाधिक 1715 बीमारियों को शामिल करने करने वाली भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की 67 प्रतिशत आबादी को 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सीमा तक निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के 494 राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों को जोडा गया है तथा योजनान्तर्गत अब तक 300 करोड रुपये की चिकित्सा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने चिकित्सा विभाग के लिये आगामी वर्ष में 2574 करोड 86 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 33.40 प्रतिशत अधिक है। माननीय सभापति महोदय, 31 जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित है जिनमें से 18 जिला आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित है, शेष 13 जिलों में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों को भी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने की घोषणा की गई है। साथ ही जिला मुख्यालय टोंक में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जाने की भी घोषणा की गई है। जिसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं चिकित्सा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जिला मुख्यालय पर स्थित सआदत अस्पताल में 2016-17 में ओपीडी मरीजों की संख्या एक साल में करीब 4,71,515 है और इंडोर में 52,000 के करीब है। वहां मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होने तथा ट्रोमा, एफबीएनसी, आई सी यू वार्ड होने के कारण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मरीजों को समय पर सुलभ चिकित्सा का लाभ मिल सके इसके लिये पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ की सुनिश्चितता की जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टोंक में सआदत अस्पताल में चिकित्सक पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पद हैं, उनको भरने की कृपा करें, क्योंकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र और सआदत अस्पताल, दोनों 500 मीटर की दूरी पर हैं। प्रतिदिन लगभग 20 से 30 प्रसव वहां पर होते हैं। ऐसे में पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव में जनता को बेहतर गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं नहीं मिल रही हैं क्योंकि नर्स ग्रेड सैकिण्ड़ के पद समाप्त कर दिये गये हैं।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप टोंक पधारे थे। आपने टोंक के सआदत

(श्री अजीत सिंह)

अस्पताल की जीर्ण शीर्ण स्थिति देखी थी और वहां की जो मूलभूत आवश्यकता थी, उसके लिये मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारे टोंक सआदत अस्पताल को आप बजट उपलब्ध कराएंगे। मेरा आज आपसे निवेदन है कि टोंक में सआदत अस्पताल में, जब हम प्राइवेट हास्पिटल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं तो जिला मुख्यालय के अस्पताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट देने की आप घोषणा करेंगे, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

हमारे टोंक में एक निजी व्यक्ति ने मेडिकल कालेज के लिये अपनी एक फाइल लगाई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई छोटी मोटी कमी हो तो उसको पूरी करा कर अगर टोंक जैसे पिछडे हुए शहर में मेडिकल कालेज देने की बात करते हैं तो निश्चित ही आपका आभार रहेगा, टोंक की जनता पर आपकी बडी कृपा रहेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि टोंक में जो एनआरएचएम कर्मी 2007 से जिला स्तर पर व खण्ड़ स्तर पर कार्यरत हैं, उन्हें एक खण्ड़ से दूसरे खण्ड़ व अन्य एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के क्या नियम व प्रक्रिया है? पिछले 10-12 वर्षों से जिला स्तर पर एनआरएचएम व संविदा कर्मी कार्यरत हैं जिन्हें मानदेय भी दिया जा है, लेकिन उनको एक ही जगह पर रखा जा रहा है, क्या उनको आगे पीछे करने की भी कोई व्यवस्था है क्या?

राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर, 2011 से प्रारंभ की गई है। क्या उसमें लगे हुए चिकित्सकों के अभाव में भी निशुल्क दवा योजना संचालित की जा रही है क्या? यदि हां तो उसमें लगे हुए चिकित्सकों को सरकार अन्य अस्पतालों में कार्य कराकर चिकित्सकों की स्थाई कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है जिसके अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए हैं। टोंक जिले में बीएसबीवाई योजना में 2017 तक 19500 करीब बीपीएल परिवारों के मरीजों के निःशुल्क उपचार का निजी अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना में किया जा चुका है। ऐसे में इस योजना की सफलता को देखते हुए निजी अस्पतालों पर भी सरकार का नियंत्रण होना अनिवार्य है। एक मेरा निवेदन है कि क्या सरकार निजी अस्पताल में मरीजों से वसूल किये जाने वाले परामर्श शुल्क, व जांच शुल्क को निर्धारित कर सकती है? विभिन्न निजी अस्पताल अपनी मनमानी दर

(श्री अजीत सिंह)

पर परामर्श शुल्क, जांच शुल्क लेकर जनता को लूट रहे हैं। क्या सरकार निजी चिकित्सालय पर नियंत्रण एवं विनिमय हेतु Clinical Establishment Act बिल पारित करने का विचार रखती है क्या?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम गरीब की चिंता करते हैं लेकिन जिसके पास भामाशाह नहीं है और जो भामाशाह कार्ड से थोडा सा ऊपर स्थिति में है वह गरीब प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराने जाता है, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि गरीब का अपना इलाज होता है और अमीर व्यक्ति के पास मेडिकल पालिसी होने के कारण वह अपना इलाज फाइव स्टार फेसेलिटी से कराता है। मध्यम वर्गीय से जिस तरह से प्राइवेट हास्पिटल में लूट खसोट होती है, कोई नीति तय की जाये। कोई एमआरआई के लिये 7 हजार लेता है, कोई 5 हजार लेता है, कोई 4 हजार लेता है। एक ब्लड सैम्पल के 5-5, 7-7 हजार लैबोरेट्री वाले ले लेते हैं। इसको कहीं न कहीं आप रोकने का प्रयास करें। एक मध्यम वर्गीय के लिये भी आपको चिंता करनी चाहिये, यह हमारी आपसे बहुत बडी मांग है, क्योंकि चिकित्सकों का जिस तरह का एक गिरोह टाइप बना हुआ है ...

पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसके बारे में चिंता नहीं की है, लेकिन यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। इनको कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने उन अस्पतालों को कोड़ियों में जमीन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वे जिस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं। उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इस लिमिट को तय करना चाहिए और इस राजस्थान का आम आदमी नहीं लुटना चाहिए। चाहे ई.एच.सी.सी. हास्पिटल है, आपने उसको जमीन दी, आपने फोर्टिस को जमीन दी। मैं गरीब की सोचता हूं। एक पार्षद था, उसके पिता ई.एच.सी.सी. में भर्ती हुए, उसके दस लाख खर्च हो गए। किस चीज के पैसे लेते हैं? कौन मॉनिटरिंग करता है? इन लोगों का एक बड़ा माफिया गिरोह है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर में जिस तरह आम आदमी को लूटा जा रहा है। यह एक अच्छी पद्धति नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई अंकुश लगाने के लिए एक Clinical Establishment Act राजस्थान में लागू करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में बूचड़खाने एवं मांस की दुकानें, जबकि चिकित्सा विभाग उसका लाइसेंस देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: आपका विषय आ गया। माननीय सदस्य श्री जगसी राम जी।

श्री अजीत सिंह (टोंक): मैं चाहता हूं कि नियमों के द्वारा जारी लाइसेंस वाले वे दुकानें चलाएं। आज हमारे मंदिरों के पास, चाहे स्कूलों के पास, चाहे हिंदू मोहल्लों के अंदर वे बिना पर्दा लगाए खुले में मांस बेचते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय नियमों को सख्ती से लागू करने का प्रयास करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई है। जिस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने अपनी-अपनी बातें रखी है पक्ष और विपक्ष की ओर से। चिकित्सा के रूप में हम देखें तो भगवान के बाद दूसरा नंबर चिकित्सक का आता है। अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति यदि हम जरा भी लापरवाही करें तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय ने प्रदेश की चिंता करते हुए प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, गंभीर संक्रात्मक व अन्य रोगों के नियंत्रण, उन्मूलन व रोकथाम के लिए उपचारात्मक निवारण चिकित्सा सेवाएं कायम की हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध रही है।

सभापति महोदय, प्रदेश में वर्तमान में 17556 एलोपैथिक, 3700 आयुर्वेदिक और 190 होम्योपैथिक और 280 यूनानी आदि छोटी-बड़ी इकाइयां जो स्वास्थ्य के लिए संचालित की हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने चिकित्सा की प्रत्येक छोटी-छोटी इकाइयों पर भी ध्यान दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्तमान बजट के अंदर 3 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 9 चिकित्सा इकाइयों को क्रमोन्नत और दस जिलों में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा इकाइयां और प्रदेश के चिकित्सालयों में 220 शय्याओं की जो वृद्धि की है, वह सराहनीय है। साथ ही, प्रदेश की चिकित्सा इकाइयों में सैंकड़ों रुपए से एक्टेंशन व नव-निर्माण की जो घोषणा की है, सराहनीय कदम है। जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में माता-बहनों के बढ़ते कैंसर और उसके उपचार के लिए स्क्रीनिंग जांच हेतु प्रदेश में 14 जिलों के अंदर अस्पतालों के लिए 3.36 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, वह काबिल-ए-तारीफ ही नहीं, माता-बहनों के स्वास्थ्य के प्रति तत्परता एवं गंभीरता को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय,

(श्री जगसी राम)

एस.एम.एस. अस्पताल के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए, कोटा मेडिकल कालेज में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे हार्ट और किडनी के रोगियों को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो कि एक सराहनीय कदम उठाया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में आकस्मिक दुर्घटनाओं से समुचित इलाज एवं उपचार के लिए जोधपुर में ट्रोमा अस्पताल की जो घोषणा की है, वह पूरे जोधपुर संभाग और क्षेत्र की जनता के लिए सराहनीय है।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की महत्वाकांक्षी 'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना' जो प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में 67 प्रतिशत आबादी को तीन लाख रुपए की वित्तीय सीमा तक नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में प्रदेश में 1127 सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से 300 करोड़ की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए ये एक सराहनीय कदम उठा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे सिरोही जिले के अंदर और रेवदर विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर जगह पत्थर गढ़ाई व पत्थर चुनाई का कार्य होता है, उसमें मूर्तियां बनाई जाती हैं और देश के कोने-कोने में मिस्त्री लोग कार्य के लिए जाते हैं। उससे एक बीमारी जो कि सिलिकोसिस के नाम से जानी जाती है, जिसे दमा की मानते हैं। सभापति महोदय, पूरे सिरोही जिले के अंदर इसका डॉक्टर नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गंभीर बीमारी जिसे कैंसर के समान माना जाता है, इसे आप गंभीरता से देखें और उनके इलाज की व्यवस्था के लिए आप निश्चित तौर पर आज ही बताएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सिराही जिले में माउंट आबू विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र है। यहां विश्व के कोने-कोने से पर्यटक लोग आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जिला अस्पताल, सिरोही में एम.आई.आर. व डिजीटल एक्स-रे मशीन और इसी तरह से आबू रोड़ और रेवदर विधान सभा क्षेत्र में ब्लड बैंक नहीं है। वहां की व्यवस्था प्राइवेट बैंकों के माध्यम से की जाती है। इसलिए वहां आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से जिला अस्पताल में आई.सी.यू., सेंटर वेंटीलेटर की व्यवस्था नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, माननीय सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य आपके लिए बता रहे हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मैंने जो बात बताई है, उनको आप गंभीरता से लें। इसी तरह से हमारी जो आबू रोड़ सी.एच.सी. है, वहां पर जो नई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। वह तीन करोड़ की लागत से बनी है, वह दो महीनों में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में वहां पर स्टाफ की बहुत कमी है। सारे पद रिक्त हैं, मात्र एक या दो डॉक्टर ही हैं। आप इनको भरवाने की कृपा कराऐ। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर उपखंड में सामुदायिक केंद्र की भी यही स्थिति है, वहां पर भी एक या दो ही डॉक्टर हैं साथ ही, एक्स-रे और रेडियोग्राफी दोनों की मशीनें भी खराब पड़ी हैं और रेडियोग्राफर का पद भी रिक्त पड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय, सिर्फ दो मिनट लूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 108 एम्बुलैंस पिछले दो वर्षों से बंद पड़ी है। एम्बुलेंस एनजीओ द्वारा चलाई जा रही है, इनकी जांच करवाई जाए क्योंकि हो सकता है कागजों में ही यह चल रही हो। इनकी निष्पक्ष जांच करवाए। इसमें अधिकारी या उच्च स्तर पर जो लापरवाही होती है, निश्चित रूप से उन पर आप कार्यवाही करें। यह जनता से जुडी हुई और जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस मानी जाती है। दो वर्ष से बंद पड़ी है। जांच कराए, चालू करवाए।

माननीय सभापित महोदय, क्षेत्र की प्रमुख ग्राम पंचायत है, रेवदर। एक मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं। भटाना, अनादरा, सिरोडी मंडर, गिरवर, दात्रेयी, जामुडी, आदि है,एक-एक कम्पाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहे हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, ट्राइबल भी है, जनता उपचार के लिए रेवदर और गुजरात जाती है, कम से कम हमारे क्षेत्र की 50 गाड़ियां जा रही होगी,तो वहां पर डाक्टर्स की व्यवस्था करवाए। मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्रीराम जी भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कई इस प्रकार की योजनाएं है जिसमें शहरी व ग्रामीण जनता को बहुत बढ़िया वर्तमान में फायदा मिल रहा है। मुख्य मंत्री राजश्री योजना,

(श्री श्रीराम भींचर)

इस योजना में सरकार अस्पताल में बालिका का जन्म होने पर उसको 2500 रुपये हाथों हाथ नकद दिए जाते हैं। बच्ची की एक वर्ष आयु तक सम्पूर्ण टीके लगने के बाद 2500 रुपये और दिए जाते हैं। जब बच्ची की आयु 5 वर्ष हो जाती है और राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया जाता है उस वक्त उसको 4 हजार रुपये और मिलते हैं। जब बच्ची 6 वर्षकी हो जाती है, छठी कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसको 5 हजार रुपये और मिलते हैं। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर बच्ची को 11 हजार रुपये मिलते हैं, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो उस बच्ची को 25 हजार रुपये और मिलते हैं। इस प्रकार इस योजना के अंदर कुल 50 हजार रुपये मिलने का प्रावधान है।

बालिका सम्बल योजना। इस योजना में पुत्र रहित दम्पत्तियों को एक या दो पुत्रियों पर नसबंदी आपरेशन करवाने पर राज्य सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपये के बाण्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। बालिका की आयु 0 से 18 पूर्ण होने पर 76 हजार 909 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना। इस योजना में सरकारी संस्थान में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु को निशुल्क दवा, जांच व परिवहन की व्यवस्था के साथ गरम भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार और भी कई योजनाएं हैं जिनके अंदर काफी सुविधा मिलती है।

माननीय सभापति महोदय, हालांकि पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने योजना पर काफी चर्चा की है इसलिए मैं उन पर दुबारा चर्चा नहीं करके सीधे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा में चिंडालिया, जूसरी, नादौली चांदावता यह तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। भूमि उपलब्ध है परंतु अभी तक वहां पर भवन नहीं बना है। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, नून्दडा, शिवमंदिर, झलामलिया, रतनास, लोरोली,गुणवती, नगवाड़ा कल्ला, सिरसला, सिरसु, कालवा छोटा, मामडोली, नावद, आसरवा, भरनाई, कचौलिया, धानक्यानाड़ा, गोठड़ी और लाड़पुर, यहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र सैंक्शन है, जमीन उपलब्ध है परंतु आज दिन तक वहां पर भवन नहीं बने हैं। कर्मचारी को तो असुविधा होती ही है। मेरा निवेदन है कि आप वहां भवन बनाने की कृपा करें।

इसी प्रकार मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीलू, मनाना और रानीगांव, तीन पीएचसी थी, इनको आदर्श

(श्री श्रीराम भींचर)

पीएचसी में क्रमोन्नत किया गया। मुझे अफसोस के साथ सदन में कहना पड़ता है कि यह आदर्श पीएचसी बनने के बाद तीनों ही अस्पतालों में आज डाक्टर ही नहीं है। फिर कैसी आदर्श पीएचसी हुई? मेरा मंत्री से निवेदन है तीनों आदर्श पीएचसी है वहां इमीएट डाक्टर लगाए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर हजारों की संख्या में मार्बल खान व मार्बल चिनाई की मशीनें हैं। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा ध्यान दे, बहुत सीरियस मैटर है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मकरना की सीएचसी है, वहां हज़ारों की संख्या में कल कारखाने, मशीनें तो है ही लेकिन इसके साथ ही हज़ारों की संख्या में वहां मजदूर काम करते हैं। जहां पर रोज छोटी मोटी घटनाएं होती है लेकिन वहां पर सर्जन डाक्टर नहीं है, न गाइनिकी है, न आर्थोपेडिक्स का, न एनेसथिसिया का, न ही नाक कान गला, न ही बच्चों का डाक्टर है। आप मुझे यह बताइये कि वहां पर जो डाक्टर हैं, एम ओ स्तर के डाक्टर लगे हुए हैं। जो भी मरीज आता है उसको सीधे अजमेर या जयपुर के लिए रेफर कर देते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मकराना सीएचसी के अंदर मुख्य डाक्टर्स की कमी है, वहां पर आप अविलंब पोस्टिंग करके वहां की जनता को राहत दिलाए।

जैसा कि मैंने बताया मकराना औद्योगिक क्षेत्र है, मार्बल नगरी है जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में मार्बल संगमरमर के नाम से प्रसिद्ध है। लाखों आदमी वहां पर काम करते हैं, घटनाएं होती रहती है लेकिन वहां पर ब्लड बैंक भी नहीं है। मेरा चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि वहां ब्लड बैंक की स्वीकृति भी कराएं।

ओर्थोपेडिक्स आपरेशन थियेटर में उपकरणों का कोई नाम निशान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खान और फैक्ट्रियों के अंदर एक्सीडेंट होते हैं तो अक्सर हाथ-पैर टूटते हैं। वहां ओर्थोपेडिक्स के उपकरण ही नहीं है तो मरीज का क्या इलाज होगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां आपरेशन थियेटर में उपकरणों की व्यवस्था भी आप कराएं।

जूसरिया का उप स्वास्थ्य केन्द्र बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुका है इसलिए मेरा निवेदन है कि उस सब सैंटर पर आप नये भवन की स्वीकृति दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी बड़े-बड़े गांव है जैसे गोरावा, कल्याणपुरा, खेडी लीला, डोबडी कलां, भैयाखुर्द

(श्री श्रीराम भींचर)

और छपाड़ा लेकिन वहां पर सब सैंटर नहीं है इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप वहां पर सब सैंटर स्वीकृत कराए।

चिकित्सा मंत्रीजी, आपके लिए दो लाइन मैं कहना चाहूंगा।

आंसू इतने मंहगे कर दें कि किसी की आंखों में आंसू न आ सकें

और हंसी इतनी सस्ती कर दें कि हर होठो पर हमेशा रह सके।

श्री सभापति: इसमें तो ज्यादा समस्या ही नहीं है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री भजनलाल जी।

श्री भजन लाल (वैर): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश में डाक्टर्स की बहुत भारी कमी है परन्तु सरकार बिलकुल चिंतित नहीं है। क्योंकि हमारी मंशा है वह डाक्टर्स को ठीक तरह से सुविधा मुहैय्या कराने में असफल रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इतने संवेदनशील नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि डाक्टर ग्रामीण एरिया में चौबीस घंटे पीएचसी पर सेवा देते हैं। अपना घर परिवार छोड़कर वहां मरीजों को देखते हैं परन्तु उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। एक तरफ जहां हम चिकित्सा क्षेत्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, वहीं हालत यह है कि धरातल पर कुछ है नहीं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हजारों डाक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रुरल एरिया में डाक्टर की जब पोस्टिंग होती है, उसको तीन साल वहां नौकरी करनी होती है, नौकरी करने के बाद उसको जब पी.जी. में एडमिशन लेना पड़ता है तो उसमें उसको 50 प्रतिशत सीटों का प्रावधान है। परन्तु इस सरकार ने उनके साथ जो भेदभाव किया है, उन ग्रामीण क्षेत्र के डाक्टरों को प्री-पी.जी., एम.डी., एम.एस. या और भी करने में 50 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इसी आदेश से डाक्टरों को 10 प्रतिशत अंक देने का प्रावधान किया गया है। जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की एम.सी.आई. के नियमों के बिलकुल विरुद्ध है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार इस मामले को बड़े गम्भीर तरीके से लें कि जो डाक्टर हैं, उनका मनोबल टूटेगा। किसी व्यक्ति का डाक्टरी की तरफ जाने का मन

(श्री भजन लाल)
नहीं करेगा। इसलिये शीघ्र ही इन डाक्टरों को 30 प्रतिशत बोनस अंक देकर पी.जी. में सलेक्शन करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के अन्दर जो नि:शुल्क दवाएं मिलती थीं, वे नि:शुल्क दवाएं, आज चाहे, पी.एच.सी. के अन्दर चले जाओ, चाहे सी.एच.सी. के अन्दर चले जाओ, चाहे एस.एम.एस. हास्पिटल, जयपुर, वे ना के बराबर हैं। और मिलती हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल की दुकानें हैं, वहां पर नकली दवाइयों का एक बहुत बड़ा गोरखधंधा चल रहा है। उन नकली दवाइयों पर जब तक हम नकेल कसने का काम नहीं करेंगे, तो भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी दवाइयों को जब वे लेते हैं तो उनकी किडनी डैमेज हो जाती है और लीवर डैमेज हो जाता है। इसलिये हम लोग यह अभियान चलाकर, जो नकली दवाइयां बेचते हैं, उनके ऊपर एक कठोर कानून बनाकर उनको दण्डित करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र वैर की तरफ लेकर जा रहा हूं। मेरा क्षेत्र पहाड़ी एरिया होने के कारण वहां आवागमन की परेशानी है। प्रथम तो यह कारण है कि वहां साधनों का अभाव है। उससे भी अधिक वहां सड़कों की दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जन दूरदराज गांवों मेंनिवास करते हैं, जहां पर बड़ा चिकित्सालय तो दूर की बात, डिस्पेंसरी तक नहीं होने के कारण आमजन चिकित्सा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सैंकड़ों मौतें हो जाती हैं। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के अभाव में अनेकों महिलाओं को प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील हैड-क्वार्टर पर जो चिकित्सालय संचालित हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि पर्याप्त चिकित्सक नहीं हैं और न ही वहां दवाएं हैं। इतना ही नहीं, मरीजों की जांच के उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं। चिकित्सालय होते हुए भी वहां केवल संख्या पूर्ति हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने देश में सर्वाधिक 1715 बीमारियों को शामिल करने वाली भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत 67 प्रतिशत आबादी को 03 लाख की वित्तीय सीमा तक नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जायेगा। अब तक इस योजना से प्रदेश के 494 राजकीय एवं 633 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि आज गरीब लोग हैं, बी.पी.एल. कार्डधारक हैं, जिनके भामाशाह कार्डों में बहुत बड़ी गड़बड़ियां मिली हैं।

(श्री भजन लाल)

उनके इलाज के लिये बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव दीवली का एक महेन्द्र नाम का व्यक्ति है। उसकी पत्नी गम्भीर रूप से पीड़ित है। उसके भामाशाह में कमी है। जब वह हास्पिटल जाता है तो वहां पर कहते हैं कि आपका भामाशाह नहीं जुड़ता है। जब वह एस.डी.एम. आफिस जाता है तो वह कहते हैं कि भामाशाह ठीक है। इसलिये बड़ी दिक्कत इस भामाशाह कार्ड से हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह योजना केवल मात्र कागजों पर ही बनी है या झालावाड़ जिले के लिये। इससे प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस आंकड़े को प्रस्तुत कर इस पवित्र सदन में अपना वक्तव्य देकर जनता को गुमराह करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर के किसी चिकित्सालय को आज दिन तक किसी योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों का नितान्त अभाव है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय मंत्रीजी को पूर्व में ही प्रश्न के माध्यम से अपनी पीड़ा से अवगत कराया गया है। आज इस सरकार को बने तीन वर्ष व्यतीत हो गये। परन्तु चिकित्सालय, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के अभाव में वही हालात बने हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर व भुसावर में सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि बैड्स की जो संख्या 25 है, उसको बढ़ाकर 50 किया जाये, ताकि मरीजों को इससे लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर से एक नेशनल हाई-वे नम्बर 11 गुजरता है। अकसर मंत्रीजी वहां जाते रहते हैं, क्योंकि भरतपुर जिले के प्रभारी भी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि उस रोड के ऊपर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट्स होने के कारण महुआ से लेकर भरतपुर तक कोई भी वहां ट्रोमा सैंटर नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि दुर्घटना को रोकने के लिये जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके तुरन्त उपचार के लिये हलेना में हमारे पास एक पी.एच.सी. है। उस पी.एच.सी. को आप ट्रौमा सैण्टर में तब्दील करेंगे, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि वहां के जो पीड़ित लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, पूर्व में जो डेंगू की बीमारी फैली थी, उसके पर्याप्त इलाज हेतु उपकरण नहीं होने के कारण आमजन की मौतें हो रही हैं। अत: मेरा आपके माध्यम से

(श्री भजन लाल)
माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में डेंगू की जांच हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएं ताकि आमजन को बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, आज छोटे हास्पिटल्स की बात छोड़ो, पूरे प्रदेश में, एस.एम.एस. की स्थिति भी इतनी ही खराब है, जहां भ्रष्टाचार, पैसेलिये बगैर मरीज का इलाज नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ...(व्यवधान)... सर बता दूंगा, प्रमाण भी दे दूंगा। मैंने तो पहली बार वहां जाकर व्यवस्थाएं देखीं, मैं बताऊंगा आपको और बिलकुल नामबद्ध बता दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, प्रतिदिन जो आयुर्वेदिक के अस्पताल हैं वे बंद हो रहे हैं। जो औषधालय वर्तमान में कार्यरत हैं, न तो उनमें वैद्य हैं, न नर्सिंग स्टाफ है, न ही वहां औषधि उपलब्ध है। जिससे वे औषधालय नहीं के बराबर चल रहे हैं। न ही औषधालयों में वैद्य, और न ही नर्सों की भर्ती ही की है। जिन जड़ी- बूटियों से ऋषि-मुनियों के जमाने से इलाज होता था, वे आज देश में समाप्त हो गई हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर के औषधालयों में वैद्य और नर्सिंग के रिक्त पदों को अविलम्ब भरते हुए पर्याप्त दवाई की व्यवस्था की जाए ताकि इसका लाभ आमजन को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सालयों की संख्या न के बराबर है। जबकि होम्योपैथिक इलाज द्वारा पुरानी बीमारियों के जड़ से समाप्त होने का दावा चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जाए। इससे असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त किया जाता है और आमजन को इससे लाभ मिलता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री भजन लाल (वैर): बस, एक मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हलेना जो पी.एच.सी. है, मुझे निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आप उसकी घोषणा करेंगे और मैंने अपने बजट से वहां पर सोलह लाख रुपये, ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, उसकी आप घोषणा करें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कंवरलालजी।

श्री भजन लाल (वैर): जो पद रिक्त हैं, जो विशेषज्ञों के पद हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ है नहीं, गाइनिकोलोजिस्ट हैं नहीं,

(श्री भजन लाल)

टैक्निकल, रेडियोलोजिस्ट, डेण्टल चेअर नहीं है, ...(व्यवधान)... डेण्टल वहां पर विशेषज्ञ हैं, लेकिन डेण्टल चेअर नहीं, इसलिये माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन मांगों को माननीय मंत्रीजी ध्यान में रखें। आपने मुझे बोलने का टाइम दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय सभापतिजी, आपने मांग संख्या 26, चिकित्सा स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

आज टी.बी. दिवस है। माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा के मामले में बहुत गम्भीर हैं। मैं मेरा वक्तव्य आयुर्वेद विभाग से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद विभाग से जुड़ा हुआ हूं। सारे माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने की अपने स्तर पर मांग उठाई है। राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता आयुर्वेद पर विश्वास करती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुर्वेदिक विभाग को मेडिकल खोलने के लिए एक मीटिंग का, मंत्री बनते ही, गठन कर रिपोर्ट मंगवा ली है, वह रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें तय किया गया है कि एलोपैथिक में डब्ल्यू.एच.ओ. के मापदंडों के अनुसार एक हजार की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए और आयुर्वेद में तय किया गया है कि कम से कम दो हजार की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए। इस नाते प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष दस मेडिकल कॉलेज की आप मान्यता दे सकते हैं और आप ऐसा विचार रखते हैं, आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारी यह आयुर्वेद पद्धति पुरानी पद्धति है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई पद्धति है। पंचभूतों और छठी आत्मा से मिलकर यह आयुर्वेद बनती है और इससे हमारा पूरा संसार बनता है। आप लोग, आप इसमें पोजिटव आदेश करेंगे, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान सरकार की महती योजना जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। PCPNDT एक्ट आपने बनाया और लिंगानुपात में वास्तव में फर्क पड़ा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि अनुपात में अंतर किया है लेकिन इस एक्ट में और इस योजना में एक जो त्रुटि है, उसको आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि प्रत्येक मशीन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें active tracker G.P.S. system लागू

(श्री कंवर लाल)
किया है, उसके माध्यम से जो सोनोग्राफी होती है, प्रत्येक सोनोग्राफी की सीडी बनकर अपने आप रिकार्ड हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस active tracker का राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने कोई उपयोग नहीं किया है, उसको नहीं देखा है। ऑनलाइन सोनोग्राफी होते वक्त किसी भी एक मरीज को ट्रैक करके उस सोनोग्राफी मशीन को सीज नहीं किया गया है, वह G.P.S. और वह जो active tracker मशीन लगायी है, वह बेकार है।

मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर 20 हजार हमारी सोनोग्राफी हुई हैं तो 20 हजार समय आने पर ई.डी. पर डिलीवरी होना चाहिए अगर बीच में अंतर रहता है तो उसकी वास्तव में सरकार को जांच करवाकर यह अध्ययन करना चाहिए कि बीच में यह जो पेशेंट गायब हुए है, जो डिलीवरी हुई है, जो अबॉर्शन हुआ है, यह वास्तव में गये कहां है, यह वास्तव में बहुत सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। इस पर गंभीर चिंतन करके और जो active tracker मशीन है, उसके रिकार्ड की जांच करनी चाहिए। 24 घंटा उस पर रेडियोलॉजिस्ट बैठाना चाहिए, जो सोनोग्राफी करने वाला चिकित्सक है, उस प्रोब को घुमाते घुमाते, वह जो शिशु है, बारबार internal genital sex organ को चैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? G.P.S. सिस्टम का मतलब यही है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। एक भी ऑन-लाइन ट्रैकर को रेजिड्युल करके किसी भी सोनोग्राफी मशीन को सीज नहीं किया है जबकि शिकायत होती है तो यह जांच होती है, तब जाकर चिकित्सक के ऊपर कार्यवाही होती है। मैं चिकित्सकों की बुराई न करते हुए, प्रत्येक चिकित्सक बुरा नहीं है।

चिकित्सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हर व्यक्ति इसमें पोजिटिव सोचता है। मरीज को ठीक करने की पूरी-पूरी कोशिश करता है। कोई भी चिकित्सक यह नहीं चाहता है कि मेरा मरीज मेरे पास आने के बाद ठीक नहीं हो। सबकी पोजिटिव ही सोच होती है।

इसके बाद आई.एन.सी. ने नर्सिंग क्रिटिकल केयर और ट्रेनिंग सेंटर के नाम से एक कोर्स चालू किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार में भी इसकी एन.ओ.सी. देकर वास्तव में कॉलेज खोलना चाहिए क्योंकि आई.एन.सी. ने कहा है कि जिन्होंने बी.एससी. कर रखा है, वह एम.आई.सी.यू. में, एन.आई.सी.यू., आई.सी.यू. में इस दो साल की ट्रेनिंग करने के बाद चिकित्सक की अनुपस्थिति में यह चिकित्सक की तरह दवाई लिख सकता है, जांच कर सकता है, मरीज गंभीर होने पर ट्यूब डाल सकता है, incubation कर सकता

(श्री कंवर लाल)
है, जीवन रक्षक प्रणाली को चालू कर सकता है, मशीनों को चालू कर सकता है, ऐसे करके यह कोर्सेज चालू करने की आई.एन.सी. ने जो आदेश दिये हैं, राजस्थान में भी इस कोर्स को चालू करके हमारे जो इमरजैंसी वार्ड है, आई.सी.यू., एम.आई.सी.यू. है, उसमें चिकित्सक की जगह पर यह काम करेंगे।

आपके माध्यम से राजस्थान में सी.एच.सीज. 385 है, पी.एच.सीज. 1523 है, सैटेलाइट हॉस्पिटल मतलब 5 हैं और जिला अस्पताल 33 हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इसमें जो प्रभारी चिकित्सक लगे हुए हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक लगे हुए हैं, जो अपने-अपने विषय में पारंगतता रखते हैं, इन चिकित्सकों को प्रभारी बना रखा है और प्रभारी बने होने के कारण यह अस्पताल की साफ-सफाई से लेकर, पूरी व्यवस्था को यह देखते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जगह कोई एम.बी.ए. किया हुआ, हॉस्पिटैलिटी में जो व्यक्ति है, उसको नियुक्त किया जाए और इन चिकित्सकों को अपने मूल काम पर लगाया जाए ताकि हमारे कम से कम दो सौ, दो हजार चिकित्सक पुन: अपने काम पर लौटेंगे। कई बार हम फील्ड में देखते हैं कि जो प्रभारी चिकित्सक होता है, सर्जन होता है, ऑपरेशन नहीं करता है, मीटिंग के माध्यम से जिले में मीटिंग में जाना है, पूरे दिन अपनी गाड़ी को घर के सामने खड़ा रखता है, मीटिंग करके आता है और कोई पेशेंट देखने का काम नहीं करता है। माननीय, ऐसे चिकित्सकों को, हम लोग अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए पूरा काम ले सकते हैं।

एक और, राजस्थान में 16 मेडिकल कॉलेज, जिसमें कुल 2450 छात्र-छात्राएं हैं और यह इंटर्नशिप करने के माध्यम से एक साल हमारे अस्पताल में, हमारे वार्डों में, हमारे मतलब मरीजों का देखने के लिए इंटर्नशिप करवायी जाती है। आपने सरकारी डिपार्टमेंट से, आपके डिपार्टमेंट से आदेश भी दिये है कि इंटर्नशिप जो हमारे छात्र-छात्राएं करेंगे लेकिन मैं ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सारे छात्र, 2450 छात्र ईमानदारी से एक साल हमारे अस्पतालों में इंटर्नशिप करे, प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक-एक महीना, पन्द्रह-पन्द्रह दिन ड्यूटी लगती है तो 2450 डाक्टर पूरे राजस्थान में हमें फ्री काम करने को मिल सकते हैं और यह वास्तव में मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ यह डिवोट होंगे और यह काम करने लगेंगे।

बहुत सारे एम.बी.बी.एस. करने के बाद इनमें उनका मन नहीं लगता है और वह आई.पी.एस. बन जाते हैं या आर.ए.एस. बन जाते हैं। आई.पी.एस. बन जाते हैं,

(श्री कंवर लाल)
आई.ए.एस. बन जाते हैं और डाक्टर बनने के बाद अपराधी के पीछे डंडा लेकर भागते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने एम.बी.बी.एस. किया है, वह वास्तव में जनता की चिकित्सा के माध्यम से सेवा करे, वह दूसरी तरफ उनका मन परिवर्तन नहीं हो।

इसी प्रकार पूरे राजस्थान में मैं बात करूं कि ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एम.एससी. नर्सिंग कॉलेज, लगभग-लगभग 365 कॉलेज संचालित हैं, 16 हजार 55 छात्र उसमें कार्यरत हैं। इन लोगों को भी ईमानदारी के साथ अगर हम इंटर्नशिप करवाते हंध तो अपने कोर्स के बाद एक साल यह हमारे अस्पताल में, राजस्थान के सरकारी अस्पताल में गरीबों की सेवा करने के लिए नि:शुल्क यह हमारा काम करने के लिए तैयार है। इनसे काम करवाकर इनको स्किल हम करें ताकि यह ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब आर.एन.सी. में रजिस्ट्रेशन होता है तो यह हमारे अस्पतालों में जनता में जाकर मरीजों की जोरदार सेवा कर सके।

मुझे पता है कि समय बहुत कम है। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया है। अपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और मैं कोई मांग नहीं रखना चाह रहा मंत्री महोदय के सामने, राजस्थान में पेस्टिसाइड के नाम से और बहुत सारी जो आर्गेनिक मेडिसिन चलती है जो हम खेती में काम लेते हैं, गुस्सा होने के वक्त, नाराजगी के वक्त महिला पुरुष इस इंडोसलफान नाम की दवा को पी लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह इतनी खतरनाक है कि पीने के बाद मरना तय होता है और जब उसको बचाया जाता है तो बचाने के लिए भी जहर ही काम में लिया जाता है जिसको हम धतूरा कहते है, एट्रोपिन, बराबर मात्रा में इसको देकर उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से यह पेस्टिसाइड जो दवाइयां हैं, इनको न ले और शरीर का नुकसान होने से बचाए। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री नारायण सिंहजी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

यहां कहीं पर पठार हैं, कही मरूस्थलीय एरिया है, ऐसी स्थिति में सभी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे यहां एक लोकोक्ति कही गयी है - 'पहला सुख निरोगी काया'। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है और स्वस्थ नागरिक राष्ट्र और समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। हैल्थ इज वैल्थ, यह भी कहा गया है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है और इसी उद्देश्य को लेकर सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा की सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, हमारे यहां गांवों में आज भी गरीबी से लोग त्रस्त हैं और वह अपना इलाज समय पर नहीं करवा पाते हैं, परन्तु मैं आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 13 दिसम्बर, 2015 को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में लाईं और इस स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीब व्यक्ति बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। पहले बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में धनाढ्य व्यक्ति ही इलाज करा पाते थे और इसमें 1715 बीमारियों को सम्मिलित किया गया है तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे गरीबों को काफी बड़ा फायदा होगा, 30 हजार से लेकर 3 लाख का नि:शुल्क इलाज इसमें जो बीमित हैं, वह करवा पाएंगे। बड़े से बड़े अस्पताल और करीब 623 निजी अस्पतालों में भी यह इलाज करवा सकते हैं।

सभापति महोदय, अभी तक राजस्थान में 300 करोड़ से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आरोग्य राजस्थान अभियान की दिसम्बर, 2015 को शुरूआत हुई और दिसम्बर, 2016 तक 94 लाख 48 हजार ग्रामीण परिवार का डेटाज आज आरोग्य राजस्थान के तहत तैयार है और गांवों में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य शिविर लगाये गये, उसमें 18 लाख 85 हजार लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गयी और इन तीन सालों के अंदर 4 हजार 164 नये डॉक्टरों की भी भर्ती की गयी। आदर्श पी.एच.सी. फर्स्ट फेज में 295 आदर्श पी.एच.सी. विकसित की गयी। ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आदर्श पी.एच.सी. बनायी गयी और इसमें 15 तरह की नि:शुल्क जांच आयुर्वेदिक, डॉक्टर और योग सुविधाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और सैकिण्ड फेज के अंदर 600 आदर्श पी.एच.सी. विकसित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वर्तमान सरकार में तीन साल के कार्यकाल में 4 हजार 594 चिकित्सक और 20 हजार

(श्री नारायण सिंह देवल)

पैरा-मेडिकल पदों पर नियुक्तियां दी गयीं। नये हास्पिटल और भवनों के लिये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा फायदा होगा, 8 नये मेडिकल कालेजों की भी सरकार ने घोषणा की है, उसका काम भी राजस्थान भर में हो रहा है। आगामी वर्ष में 6 हजार 315 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 8.21 प्रतिशत अधिक है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि रानीवाड़ा उपखण्ड क्षेत्र पर सी.एच.सी. है और वहां पर चार चिकित्सक हैं। ...(व्यवधान)..

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री सभापति: एक मिनट ठहरो, नारायण सिंहजी। माननीय सचेतक महोदय, अपने माननीय सदस्यों को बताएं नियम और कायदे। हां, आप कन्टीन्यू करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): चार पद सर्जन चिकित्सक के हैं और वह पद खाली हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई गंभीर रूप से बीमारी या घायल हो जाता है तो मजबूरीवश उनको गुजरात जाना पड़ता है तो इन सर्जन के पदों को भरने की मैं मांग करता हूं। दूसरा, जालौर से रानीवाड़ा 100 किलोमीटर दूर है और उससे आगे गुजरात पड़ता है और वहां पर कोई सैटेलाइट हास्पिटल नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक सैटेलाइट हास्पिटल भी खोले जायें और उप स्वास्थ्य केन्द्र, जो हमारे बड़े-बड़े गांव हैं, धनपुरा, खापरोल ढाणी, शिवगढ़, राजपुरा, चांडपुरा वाड़ा, तुलसानियों की ढाणी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं और पी.एच.सी. जो हमारे पंचायत मुख्यालय हैं पावली, रोपसी, दाता, सुरावा लूणियासर, वहां पी.एच.सी. खोलने की भी मैं मांग करता हूं और सुरावा में पी.एच.सी. के लिये दानदाता भवन बनाने के लिये भी तैयार हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सुरावा की भी स्वीकृति दी जाए। इसके अलावा जहां पी.एच.सी. स्वीकृत है, परन्तु चार जगह बिल्डिंग नहीं है - सेवाड़ा, वणदर, कोडका और सरनाऊ, वहां पर बिल्डिंग के लिये भी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वीकृति दिलायें और उप स्वास्थ्य केन्द्र जो स्वीकृत है, वहां बिल्डिंग नहीं है - गोलाणा, रूपावटी कला, मैत्रीवाड़ा, नागोलडी, मडारदी, इनके भवन भी स्वीकृत किये जाए।

सभापति महोदय, 2015 की अतिवृष्टि में हमारे कुडा सब-सैंटर है, पूरा सब-सैंटर अतिवृष्टि में नदी में बहकर चला गया है तो उस भवन की भी स्वीकृति दिलायी जाये। इसके अलावा हमारे मालवाड़ा में एक भामाशाह ने नेत्र चिकित्सालय बनाया

(श्री नारायण सिंह देवल)

हुआ है, वहां पर कोई स्टॉफ नहीं है तो ऐसी स्थिति में मांग करता हूं कि वहां पर नेत्र चिकित्सक लगाया जाये। इसके अलावा जहां पर एक्स-रे मशीनें हैं, वह सारी खराब पड़ी है तो ग्रामीण क्षेत्र में लाभ नहीं मिल पाता है। बर्न यूनिट हमारे जालौर जिले में कहीं नहीं है। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो लोगों को मजबूरन गुजरात जाना पड़ता है तो वहां पर एक बर्न यूनिट भी लगायी जाये।

सभापति महोदय, पूरे राजस्थान भर में डाक्टर तो सरकार ने खूब लगाये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परन्तु डाक्टर्स हास्पिटलों के अंदर आते नहीं हैं तो वह डाक्टर नियमित आए, उसके लिये बायोमैट्रिक मशीन लगाने की भी मैं मांग करता हूं, ताकि वह डॉक्टर यहां आए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विट्ठल शंकर जी अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य की अनुदान मांग पर आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, इस देश में आजादी के बाद से जो राजनीतिक स्वास्थ्य और चारित्रिक स्वास्थ्य इस देश का गिरा हुआ था, इन वर्षों में हमारे प्रधान मंत्रीजी के आने के बाद देश के 60 प्रतिशत हिस्से का राजनीतिक स्वास्थ्य और चारित्रिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्वास्थ्य सुधर चुका है, इसकी मैं पूरे देश को बधाई देता हूं और पूरा देश स्वच्छता की ओर अग्रसर है। आज केवल सात-आठ परसेंट भू-भाग पर इस देश की अब कुछ बीमारियां बची हैं, उनको भी भगवान जल्दी दूर करेगा और हमारा देश बिल्कुल निरोग बनेगा। निश्चित रूप से हम इस सफाई अभियान के लिये हमारे प्रधान मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम आपकी बात सुनने के लिये तो बैठे हैं, इधर कोई बैठा ही नहीं है देखो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप कह रहे हो बीमारी बैठी है, बीमारी कहां है?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह कांग्रेस पार्टी तो मर-मरा गयी साहब, यह तो एकाध जिन्दा है, जो आ जाते हैं, बाकी अब इसमें क्या है। आप जैसे ही कुछ लोग विपक्ष में आओ तो बात अलग है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालूलालजी, नींद लेकर आए हो क्या? नींद लेने जाओ वापस।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं तो नींद लेता हूं या क्या लेता हूं, लेकिन आप क्या लेते हो, सोचा? नाम तो आपका सुखराम है और सबसे ज्यादा दु:खी रहते हो। कम से कम दु:खी तो मत होओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): केवल सात-आठ परसेंट बीमारी बची है, भगवान इसको भी दूर करेगा, हम बिल्कुल नियमित रूप से इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। समय कम है, सभापति महोदय, इसलिये मैं केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(19.00 बजे)

जब से मैं चुन कर आया, सात-आठ वर्ष हो गये, पिछले सात वर्षों से हर बजट में मैंने मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा की मांग उठायी थी और मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे भीलवाड़ा का मेडिकल कॉलेज शुरू करवाया और इसी सत्र में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं पूरे भीलवाड़ा जिले की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे एक पुर कस्बा है, पूरे शहर में उसके चार वार्ड है, वो पुर कस्बा भीलवाड़ा शहर से 15 किलामीटर की दूरी पर है और उस कस्बे में 25-30 वर्षों पहले एक पी.एच.सी. खुली थी। उस कस्बे की आबादी लगभग 50 हजार है और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 50 हजार की आबादी का, और आसपास के गांव लगते हैं और वो केवल 15 किलोमीटर की दूरी होने के कारण से एक लाख की आबादी उस पी.एच.सी. पर डिपेंड है। उस पी.एच.सी. में एक भी डाक्टर नहीं लगा हुआ है, केवल टेम्परेरी लगा हुआ है और वो एक लाख की जनता छोटी-मोटी बीमारियों के लिए 15 किलोमीटर आती है जबकि वो शहर का ही पार्ट है। सुराज संकल्प यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने यह आश्वासन दिया था कि पुर की पी.एच.सी. को किसी भी तरीके से हम क्रमोन्नत करेंगे। तो यह सुराज संकल्प यात्रा का भी आश्वासन है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे पुर कस्बे में जो चार वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या दस, बारह हजार से नीचे नहीं है, वो 50 हजार की आबादी है और आसपास के क्षेत्र की 50 हजार आबादी की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारु करने के लिए 35-40 वर्षों पुरानी पी.एच.सी. का आप किसी भी तरीके से क्रमोन्नत करके वहां व्यवस्थाएं सुचारु करें जिससे इस शहर में हमारे चिकित्सा व्यवस्था आसान हो सके।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

मेरे एम.जी. हॉस्पिटल, महात्मा गांधी अस्पताल जो जिला अस्पताल है वहां पिछले आठ-दस वर्षों से डाक्टरों की भयंकर कमी है और 90 डाक्टरों की पोस्ट होने के बावजूद वहां मुश्किल से 30-32 डाक्टर। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी छह महीने पहले जब माननीय राजेन्द्र जी चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने 25 डाक्टर दिये थे लेकिन ऐसे डाक्टर दिये हैं जो भीलवाड़ा नहीं आना चाहते। तो मेरा निवेदन है कि जब आप नई भर्ती करें तो उनकी च्वाइस जरूर पूछ लें कि, भई, आपको कहां रहना है नहीं तो वो ज्वाइन ही नहीं करते और केवल दो डाक्टरों ने ज्वाइन किया है। तो अब जब भी आप भर्ती करें तो जो वहां जाना चाहते हों, ऐसे डाक्टर को लगाएंगे तो वो निश्चित रूप से वहां आकर ज्वाइन करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन डाक्टरों की कमी को आप तत्काल, जल्दी से जल्दी पूर्ति करने की कोशिश करें।

मेरे एम.जी. हॉस्पिटल में डाक्टरों की कमी होने के साथ-साथ जो अनुभवी फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग स्टॉफ था उन 22 नर्सिंग स्टॉफ को भी आपने वहां से हटा दिया, रोज अखबारों की खबर बनती है, अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैंने लिख कर भी दे रखा है, मेरे जो अनुभवी कम्पाउंडर थे फर्स्ट ग्रेड के, आई.सी.यू. में, ऑपरेशन थियेटर में, ब्लड बैंक में जिनकी मास्टरी थी, ऐसे लोगों को हटा कर आपने दूर पी.एच.सी. या सी.एच.सी. में ग्रामीण क्षेत्र में लगाया है तो उनके बजाय वहां से उठा कर उन अनुभवी लोगों को लगाएं जिससे कि यह व्यवस्थाएं कुछ तो सुधर सकें। यह मैं आप से मांग करता हूं।

आप सब लोग, जो हमारे भीलवाड़ा और पूरे राजस्थान में कांग्रेसी जिस तरह से चिल्लाते हैं कि हमारी योजनाओं को बंद कर दिया लेकिन इन तीन सालों में आपने देखा है कि निशुल्क चिकित्सा, निशुल्क दवाइयां, निशुल्क जांच सुविधाएं और आगे बढ़ी हैं, कम होने के बजाय और आगे बढ़ी है। तो इस कारण से मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जनोपयोगी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आपने जिस तरह से लागू किया है, यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं आशा करता हूं कि चिकित्सा मंत्री जी मेरे भीलवाड़ा शहर में जिला अस्पताल में जो कमी है और पुर पी.एच.सी. को सी.एच.सी. या उसमें, जिस तरह से भी, सिटी डिस्पेंसरी को किस तरह से हम क्रमोन्नत कर सकते हैं, उसको क्रमोन्नत कर के वहां की चिकित्सा व्यवस्था सुधारने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री घनश्याम जी मेहर। माननीय सदस्य, श्री घनश्याम जी मेहर। (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य, श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सफाई पर चर्चा हो रही है और शरीर कैसे स्वस्थ रहे, जिसके लिए हम सब को चिंता करनी है। इस मौके पर, सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को सुझाव ही देना चाहूंगा कि किस तरह से आज तरह-तरह की नई बीमारियां फैल रही हैं, किस तरह से अपने खाने में, चाहे दूध हो, घी हो, पानी हो, तेल हो, मसाला हो, जिस तरह से मिलावट का बाजार में आ रहा है और लोग उसको यूज कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अगर इन पर हम रोक लगाएगे तो निश्चय ही बीमारियां कम होंगीं। आज जिस तरह से कैंसर का रोग हमारे उधर और इस जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में भयंकर रूप ले रहा है, इसका मेन कारण है कि शुद्ध आहार नहीं मिल रहा है, इसकी जांच नहीं हो रही है, सैम्पल फेल हो रहे हैं, दवाइयां किस तरह से हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हॉस्पिटल में सबसे पहले आवश्यकता है सफाई की। मरीज के साथ में लोग जाते हैं और हॉस्पिटल के हाल ऐसे हैं कि गंदगी से भरे होते हैं, बाथरूम में तो घुस ही नहीं सकते और जो बैड है वो कितने दिन का गंदा होता है, उनको अगर आप एक ठान लें कि अच्छी तरह से आप हॉस्पिटल को साफ कर लें तो निश्चय ही आधी बीमारी उससे कम हो जायेगी, जो मरीज जाएं और उसके साथ में उसके जो रिश्तेदार भी जायेंगे तब तो वो अन्दर जायेंगे नहीं तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए पहला आप यह तय कर लें कि हॉस्पिटल को साफ और सुन्दर किस प्रकार रखें। प्रधानमंत्री की भी सोच है हमारे कि, भई, किस तरह से हम स्वच्छता लाएं, तो पहला आप इस पर जोर दें।

आज आवश्यकता है निःशुल्क दवा लोगों को किस तरह से मिले, जिस तरह से हमारी सरकार ने शुरू की और धीरे-धीरे आज वो कम होती जा रही है। आप हॉस्पिटल में चैक कराइये, पर्चियां लिखी जा रही हैं, आधी से ज्यादा दवाइयां मार्केट से लायी जा रही है। आप इसको चैक करें, गरीब को इतना फायदा नहीं मिल रहा है जो हमारी सरकार के समय मिल रहा था।

आज निःशुल्क जांचें हैं, उसको आप प्राइवेट में देना चाह रहे हैं और जो जांचें हमारे समय हो रही थीं उसमें से आधी भी जांचें नहीं हो रही है। आप इसका सर्वे करा लो, जांच कर लो कि आम गरीब को इसमें कितना नुकसान हो रहा है। आप इस ओर ध्यान दो और इन जांचों का गरीब को फायदा कैसे मिले।

(श्री मेवाराम जैन)

आज डाक्टरों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हालांकि आठ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए है परन्तु आज वो धरातल में जमीन पर ही है, उसको अब कितने साल लगेंगे, यह तो वक्त ही बतायेगा पर आप प्रयास करें कि कैसे जल्दी यह मेडिकल कॉलेज तैयार हो और इसमें हमारे डाक्टर तैयार हों।

डाक्टर जब आएंगे आप दूसरे खर्चों पर कटौती करो, डाक्टरों की तनख्वाह बढ़ाओ, उनके जो ग्रामीण एरिया में परसेंटेज है कि 30 परसेंट ज्यादा देने की बात है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है, आप डाक्टरों को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा भर्ती करो और ग्रामीण एरिये में खाली पद हैं उनको भरने का प्रयास करो तब आपकी यह स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो पाएंगी।

आज नर्सिंग स्टॉफ की भी कमी है। नर्सिंग स्टॉफ सैकिण्ड ग्रेड के मेरे ख्याल से 6 हजार पद ऐसे हैं जो काम कर रही है और उनको एक साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने पी.एच.सी. और सी.एच.सी. के अन्दर मेल नर्स, सैकिण्ड का पद ही खतम कर दिया और वो लगी हुई हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो कृपया इस ओर भी ध्यान दें।

दूसरा, जो भी पी.एच.सी. और सब-सैण्टर खुले हैं, उसका भवन बनाएं। भवन नहीं बनेगा तब तक वहां डाक्टर और स्टॉफ कैसे रहे। इसलिए, मंत्री जी, आप इस ओर भी ध्यान दें। जितने भी पी.एच.सी. और सब-सैण्टर सैंक्शन हुए हुए हैं वो भवन रहित हैं, उनको शीघ्र ही बनाएं।

सभापति महोदय, मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बाड़मेर के अन्दर डिस्पेंसरी है, शहर के चारों ही तरफ चार डिस्पेंसरी हैं, उनके अन्दर डाक्टर एक भी नहीं है, डाक्टर लगाओ ताकि जिले के मुख्यालय पर जहां सारा लोड पड़ रहा है, अगर उन डिस्पेंसरियों में डाक्टर लग जाएं तो आधी भीड़ उसमें वैसे ही कम हो जाएगी। एक डिस्पेंसरी विष्णु कॉलोनी है, उसकी स्वीकृति हो गयी और बिल्डिंग छत तक आ गयी है और उसको जानबूझ कर, शिकायत कर के रुका दिया है, वो आपके पैसे फालतू के वेस्टेज में जा रहे हैं। मंत्री जी, थोड़ा इधर ध्यान दें, ये बातें तो आप करते करेंगे। जब इतने पैसे खर्च हुए हैं, वो बिल्डिंग बने तभी काम आनी है नहीं तो यह वेस्टेज हो जाएगी। इसलिए आप उस भवन को पूरा करवाएं।

सभापति महोदय, बाड़मेर में 3 साल पहले एक बालिका नर्सिंग छात्रावास के लिए ढाई करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए। लेकिन अभी तक उसके लिए जमीन तय नहीं

(श्री मेवाराम जैन)
होने से वह भवन नहीं बना है। कृपया उसके लिए जल्दी जमीन की व्यवस्था करके शुरू करवाएं।

सभापति महोदय, डॉक्टरों का ठहराव अस्पताल में हो और स्टाफ समय पर पहुंचे इसके लिए बॉयोमेट्रिक मशीन आपने जगह-जगह लगाने की घोषणा की है और लगाई भी है। उसके अंदर जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तो आप फिंगर प्रिंट, चेहरा दिखाकर के, आईज दिखाकर के हाजिरी लेते हो। लेकिन डॉक्टर के लिए अलग नियम बनाया है। उसके लिए आपने कार्ड इश्यू किया है। वह कार्ड तो डॉक्टर पीछे नर्सिंग स्टाफ को दे जाते हैं और खुद चले जाते हैं। पीछे से स्टाफ उस मशीन में कार्ड डाल देता है और उसकी हाजिरी लग जाती है, इसलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर्स के लिए भी फिंगर प्रिंट, चेहरा या आइज का करो ताकि वह डॉक्टर उस डिस्पेंसरी, पीएचसी या सीएचसी में हाजिर रहे।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यही निवेदन करुंगा कि बाड़मेर में 725 सब सैंटर्स हैं और उनमें 1100 से ज्यादा एएनएम हैं, उसके बाद भी 30 परसेंट सब सैंटर्स खाली हैं। एक सब सैंटर में तो 3-3 नर्सें लगी हुई हैं और एक में बिलकुल नहीं हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आए थे और उन्होंने बाड़मेर में मीटिंग ली तो इन्होंने कहा भी कि जहां 2-2, 3-3 एएनएम लगी हैं और एक में एक भी नहीं है, तो जिन सब सेंटर्स में एएनएम नहीं हैं उसको तो भर दें, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। मैं गत बजट में भी बोला था तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा। इस बार भी जब मैं बोल रहा हूं तो मंत्री जी शायद कम सुन रहे हैं। ध्यान दूसरी ओर है। मैं कहना चाहूंगा कि जो सब सेंटर्स खाली हैं और आपके पास एएनएम अवेलेबल हैं, तो उनको भी भरो ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि चाहे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है उनमें भी अधिकांश पद रिक्त हैं। दवाइयां नहीं हैं। उसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हम लोगों को मेडिकल सुविधा दे सकें, इस ओर हम सबको प्रयास करने होंगे। स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो हमारा विकास होगा।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऐसा सब्जैक्ट है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। राजनीति नहीं करें। सबको साथ में लेकर चलें। जनता को हम किस तरीके से राहत दे सकते हैं। गरीब जनता को इसकी आवश्यकता है। गरीब की आत्मा जानती है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा और मेरा इलाज फ्री हो

(श्री मेवाराम जैन)
जाएगा और मैं ठीक होकर के वापिस आ जाऊंगा तो उसकी आत्मा कितनी दुआ देगी। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामलाल जी।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे मांग संख्या 26 चिकित्सा, स्वास्थ्य और सफाई की मांग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने 13 दिसम्बर, 2015 को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। लोग हार्ट की, वाल्व की, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते थे। इन जैसी बीमारियों का इलाज कराना उनके लिए बड़ा दूभर था। वह अलग-अलग जगह सेठों से व्यवस्था करने के लिए जाते थे। वह व्यवस्था भी मेनटेन नहीं हो पाती थी। इलाज के अभाव में अंत में उनको खतम ही होना पड़ता था।

सभापति महोदय, भामाशाह योजना का ऐतिहासिक काम हुआ है। इससे 97 लाख परिवार लाभान्वित हैं। इसमें हॉस्पिटल में जाने के 7 दिन पहले से लेकर के हॉस्पिटल छोड़ने के 15 दिन तक बाद तक खर्च सम्मिलित किया गया है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, 'पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब माया'। स्वास्थ्य का विषय प्राथमिकता में सबसे पहले आता है। अगर व्यक्ति इस दुनिया में जिंदा है तो वह सब कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर वह दुनिया में मौजूद ही नहीं रहेगा तो फिर क्या कर पाएगा। मुख्य मंत्रीजी ने 6315 करोड़ 38 लाख का बजट दिया है जो कि पूर्ववर्ती वर्ष से 8.21 प्रतिशत अधिक दिया है। इसमें भी आगे रेगुलर बजट बढ़ता जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में भी 13.65 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था 31.10.2016 को डोडा, पोस्त बंद कर दिया था। गावों में बहुत ज्यादा लोग इसका सेवन करते हैं। वह अफीम वगैरह खाते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, लेकिन सरकार ने 250 नशा मुक्ति के कैम्प विभिन्न जगह अस्पतालों में, पीएचसी, सीएचसी में लगाए। इसमें 8411 ओपीडी और 2541 आईपीडी लगाकर डोडा, पोस्त से नशा मुक्ति दिलवाई। यह बहुत ही अच्छा काम रहा।

सभापति महोदय, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीएचसी हमारी सरकार ने

(श्री राम लाल गुर्जर)
की। यह एक अच्छा काम था क्योंकि वहां धीरे-धीरे सारी सुविधाएं हो जाती हैं। आदर्श पीएचसी हो जाती है तो उसके लिए सुविधाओं की मांग डॉक्टर्स भी करने लग जाते हैं। हमारा भी नैतिक दायित्व बन जाता है कि एमएलए फंड से दें या सरकार से लेकर के करें। भामाशाह लोगों से मिलकर के उनका भी सहयोग कराते हैं ताकि यह निरंतर आगे बढ़ती रहें।

सभापति महोदय, सरकार ने जो 180 लाख खर्च करके 6 योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान केन्द्र बनाए हैं, यह ऐतिहासिक काम है। 21 जून को आप जानते हैं कि योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लागू किया है। यह ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर से लगाकर के संभाग स्तर तक, सभी जगह किया जाता है। यह पूरे संसार में आज के दिन किया जाता है। योग बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है।

सभापति महोदय, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग चिकित्सा ये सब शानदार पद्धतियां हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरफ रैगुलर बढ़ोतरी की जाए। जब किसी एलोपैथिक दवाई का इफैक्ट नहीं आता है तो मैं खुद इसका उदाहरण हूं कि मेरी एलर्जी, खांसी हो गई थी, एलोपैथी से मिटने में काफी दिक्कत आई, लेकिन यूनानी दवा जब मैंने ली तो दो दिन में ही मुझे फायदा हो गया। कहने का मतलब यह है कि ये दवाइयां बहुत ज्यादा असरदायक हैं। ये साइड इफैक्ट नहीं करती हैं। अब सरकार ने भी इसके बारे में सोचकर आयुष डॉक्टर लगा दिए। अब आयुष डॉक्टर योगा भी कराते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में भी बताते हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा राजस्थान जननी, शिशु सुरक्षा योजना है, जननी एक्सप्रेस है, यह भी काफी उपयोगी है। यह 104 नंबर टोल फ्री पर सुविधा उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में लगभग 600 एक्सप्रेस संचालित हैं। इससे भी महिलाओं का काफी रिलीफ मिली है। लाने, ले जाने, छोड़ने एवं ब्लड़ तक का काम इसमें हो जाता है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री राज श्री योजना भी जो लागू की है, इसमें बच्ची का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो 50 हजार तक की सहायता मिलती है। यह भी बड़ी अच्छी योजना है। इसके अलावा मातृ शिशु योजना, जो इंदिरा गांधी प्रोत्साहन योजना के तहत हमारे भीलवाड़ा जिले में और उदयपुर जिले में लागू थी, अब शायद सारी जगह लागू है। इसमें शुरूआत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बता देगी डिलीवरी के बारे में तो 3 हजार दे दिए जाएंगे। एक साल के बाद में जब टीकाकरण हो जाता है तो 3 हजार और दिए जाएंगे।

(श्री राम लाल गुर्जर)

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करुंगा कि एक गंभीर बीमारी सिलिकोसिस मेरे क्षेत्र में ज्यादा है। यह ज्यादातर माइंस की वजह से होती है। मांडलगढ़ की तरफ जो लोग काम करने जाते हैं, उनको यह बीमारी हो जाती है। यह बहुत ही गंभीर बीमारी है।

सरकार ने सहायता भी उपलब्ध कराई है लेकिन इसके लिए माइन्स की थोड़ी देख रेख करके ठेकेदारों को पाबंद करके कम से कम इनके सुख सुविधा मिले, इनकी सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ रेगूलर जांचें और टाइमली मौके पर कैम्प लगाकर काम करे।

माननीय सभापति महोदय, मिलावट का लें तो मिलावट करने वालो के लिए सरकार को विशेष कानून भी बनाना चाहिए, क्योंकि मिलावट चाहे हल्दी ले लो, तेल ले लो, मिर्च ले लो, घी ले लो, दूध ले लो, सब मारने के उपाय किए जा रहे हैं। सब चाहते हैं, हर दुकानदार, हर व्यापारी चाहता है कि मैं ज्यादा नोट कमाऊं, ज्यादा आगे बढ़े, कोई लिमिट नहीं रखता। मिलावट का हाल यह है।

हरी सब्जियों का भी यही हाल है। गंदे नाले की सब्जियां ले लो, वह मारने का उपाय चालू है, धीमी गति से जहर का काम कर रहे हैं। गंदा नाला पहले जयपुर के अंदर था, उसको बंद कराया है इससे थोड़ा ठीक है लेकिन काफी जगह गंदे नाले में जो सब्जिया पैदा करते हैं, इन पर दवाई छिड़कते हैं वह ज्यादा नुकसान करती है, जहरीली होती है तो सीधा असर धीरे-धीरे अपने ऊपर आ रहा है, फैक्ट्रियां वगैरह है, उनके प्रदूषित पानी को भी छोड़ दिया जाता है, इसकी वजह से पानी का जल स्तर भी खराब हुआ है, पानी खराब हो गया है इसका पानी पीने से बीमार। बीमार हो जाता है। इनके सिवाय हवा भी शुद्ध नहीं है। कई जगह पॉल्यूशन के कारण सांस तक नहीं ले सकते सही ढंग से।

माननीय सभापति महोदय, इन सबका ध्यान सरकार को तो देनाही चाहिए लेकिन आम जन की भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा इस ओर ध्यान दें। इसके लिए विशेष कानून बनाया जाए और लोगों में धीरे-धीरे खतरों की पहचान करके उनसे बचने के उपाय भी प्रचारित किए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मांस की दुकानें, मर्जी पड़े वहां लगा देते हैं, वह अवैध मांस की दुकानें हैं, कहने का मतलब मांस भी कोई जो लिमिटेड दुकान है वहां पर नहीं, नदी में लगा दी, चौराहे पर लगा दी, स्कूलों के पास लगा दी और बच्चे बच्चियां जो देखते हैं उनका दिमाग भी खराब होता है क्योंकि किसी

(श्री राम लाल गुर्जर)
को किसी से एलर्जी होती है तो होती है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र पर आना चाहता हूं ज्यादा टाइम हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे गायनिक डॉक्टर नहीं है जबकि जिले का यह एक टॉप हॉस्पिटल है, पिछली बार भी 75 बैड किया था और भीलवाड़ा के बाद यही है सैकिंड जहां सबसे ज्यादा डिलीवरी होती है। इसके सिवा यहां पर इन्डोर 14 से 15 हजार है और डिलीवरी दो से ढाई हजार हो जाती है जबकि लेडी डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी यहांएक लाख से ऊपर ओपीडी है यहां एनेस्थेटिक भी नहीं है, सर्जन नहीं है, एमओ नहीं है, इनको आसींद में लगाया जाए। और भी डाक्टर उपलब्ध हों पर ये तो नैसेसरी है।

माननीय सभापति महोदय, सीएचसी, बदनौर के लिए भी कहना चाहता हूं कि यहां भी डॉक्टरों की कमी है। नई पीएचसी के लिए मेरे यहां मोटरास, बरसड़ी, मोड़ का नीम्बेड़ा, बरसणी, रामपुरा जरूरी है क्योंकि ये काफी दूरी पर हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र आसींद राजस्थान में झोटवाड़ा के बाद सबसे बड़ा है, वहां तीन एसडीएम हैडक्वाटर हैं, वहां सुविधा की काफी कमी है तो यह भी पूरी की जाए। मेरे रिक्त पदों वाले सब सैंटर भी हैं, करनगढ़, लाचूड़ा, रतनपुरा, रघुनाथपुरा, पांडरू, हीरास, जगपुरा, कर्मा का बरड्या, मोगर, गारिया खेड़ा, परां, कांवलास, बराना, बामणी, यहां पर पदों को भरा जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे गुलाबपुरा सीएचसी में एक गायनिक, एक मेडिसन, एक चाइल्ड, एक एम ओ, एक सर्जरी, एक रेडियोग्राफर की सख्त आवश्यकता है। गुलाबपुरा के सब सैंटर कोटड़ी, बरांठ्या, भोजराज, आजियास, देवरिया, कानपुरा, उंखल्या, भारल्यास, जोगीखेड़ा, कुशालपुरा में रिक्त पद पड़े हैं वहां पर सब सेंटर पर लगाए जाएं। मेरे पीएचसी इरडा और कंवलियास के अंदर डॉक्टर के पद रिक्त पड़े हैं वहां पर भी डॉक्टर की उपलब्धता की जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, जयनारायणजी पूनिया।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, तारानगर क्षेत्र में मांग संख्या 26 चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि तारानगर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, यह तीस

(श्री जय नारायण पूनियां)

बैड का था, इस बजट में बढ़ाकर पचास बैड का क्रमोन्नत कर दिया गया है, इससे बड़ी भारी सुविधा जनता को दी है। लोग बहुत खुश हैं। दूसरी और भी योजनाएं दी हैं सरकार ने उनके लिए मैं और बोलना नहीं चाहता। आदर्श पीएचसी, देहाती क्षेत्र में खोलने की जो योजना बनाई है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, इसमें सारी सुविधाएं होंगी और उनका लाभ ग्रामीण जनता को मिलेगा। मैं एक धन्यवाद और देना चाहता हूं कि मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, पैरा मेडिकल स्टाफ के 25 हजार की नई भर्ती की है जिससे खाली पड़े इन औषधालयों में, अस्पतालों में उन स्थानों को भरने में बहुत बड़ी मदद मिली है जिससे इन अस्पतालों में काम शुरू हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की मांग जो बहुत आवश्यक है उनके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। तारागनर क्षेत्र में दूदवा खारा से लेकर राजगढ़ के बीच 35 किलोमीटर का फासला है, वहां पर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य से सम्बन्धित अस्पताल नहीं है, इसलिए भालेरी गांव को जो स्वास्थ्य केन्द्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं, यह बहुत जरूरी है। बीकानेर-दिल्ली राज्य राजमार्ग संख्या 6 पर ददरेवा गांव स्थित है, जहां पर बहुत बड़ा मेला भरता है, बारहों महीने वहां यात्री दूर-दूर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आते रहते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी हर प्रकार से मदद करने के लिए वहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बहुत आवश्यकता है, यहां पर भी स्वास्थ्य केन्द्र है, भालेरी में भी स्वास्थ्य केन्द्र है, इन दोनों ही महत्वपूर्ण स्थानों पर इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करना बहुत ही जरूरी है, मैं इसकी माननीय मंत्रीजी से अपील करता हूं। राजपुरा, रतनपुरा और पुनराम में यहां सिर्फ उप स्वास्थ्य केन्द्र है बहुत छोटे हैं, किसी भी प्रकार से देहात के एरिया के अंदर उनकी सही व्यवस्था नहीं हो सकती मरीजों की, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है इसलिए यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए, यह मेरी अर्ज है।

माननीय सभापति महोदय, दूर दराज के क्षेत्रों में मेरे यहां चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, जैसे गांव मोडावासी, नांगली, रेवासी, गोडास, थेलाना, ढाणी मेघसर, मदावास, ढाणी माना, गोगटिया, करनान, बास थेलाना, अमरपुरा, धोलिया, मलवास, करणपुरा, द्यावठ, खरतवास और ढाणी तेतरवाल, इनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की बहुत आवश्यकता है इसलिए मैं नम्र निवेदन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को करना चाहता हूं कि ये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं।

(श्री जय नारायण पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र के अलावा भी एक ऐसे पॉइंट पर याद दिलाना चाहता हूं कि वहां के स्टूडेंट्स मेरे से मिले हैं और उन्होंने अपनी आवश्यकता भी बताई है और कुछ और भी मिले हैं। जयपुर में एक नर्सिंग कॉलेज है, एक डी फार्मा है, एक जीएनएम है, नर्सिंग कॉलेज और डी फार्मा का भवन एक ही कैम्पस में है और जीएनएम का इनसे दूर भवन है तो जीएनएम और नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम के छात्र मिलाकर एक हजार से ऊपर होते हैं, डी फार्मा के विद्यार्थी साठ के ही लगभग हैं, तो डी फार्मा का भवन काफी स्पेसियस है।

काफी जगह वहां पर रहने के लिए उपलब्ध है। इसलिए यहां तो जीएनएम को स्थानांतरित कर दिया जाय और जीएनएम के स्थान पर डी फार्मा के विद्यार्थियों को स्थानांतरित कर दिया जाय। इसलिए इस व्यवस्था का सुधार करने के बाद विद्यार्थियों में फायदा होगा। क्योंकि उनको एक ही लैबोरेटरी मिल जाएगी, एक ही पुस्तकालय मिल जाएगा, और भी कई फायदे होंगे, इसलिए एक तो यह किया जाय।

इसके अलावा मैं आपका एक कमी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मंत्री महोदय से आग्रह है कि नर्सिंग ट्यूटर पद राज्य में राजपत्रित दर्जा प्राप्त नहीं है। इसी के समकक्ष, जैसे चिकित्सा व स्वास्थ्य, सहकारिता, ग्रामीण विकास, वन विभाग के समान योग्यता एवं समान वेतन श्रृंखला, पे-बैण्ड 2, ग्रेड-पे भी 4800, सब प्रकार से शिक्षा आदि में इनका दर्जा बराबर है, लेकिन औरों में राजपत्रित संवर्ग में रखा गया है और नर्सिंग ट्यूटर को अराजपत्रित में रखा गया है। इसी कारण से वहां असंतोष है, हीनता की भावना है। इनको पद देने में गवर्नमेंट को बोझ नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं नर्सिंग ट्यूटर के बारे में अराजपत्रित है, इनके समकक्ष व्याख्याता-स्कूल शिक्षा राजपत्रित, व्याख्याता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीएसटीसी, आरएसटीसी के व्याख्याता राजपत्रित, व्याख्याता-कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजपत्रित, प्रोग्रामर राजपत्रित, सहायक लेखाधिकारी भी राजपत्रित, सहायक रजिस्ट्रार राजपत्रित, रेंजर ग्रेड-प्रथम वन विभाग का है यह भी राजपत्रित, व्याख्याता-ग्राम सेवक ट्रेनिंग भी राजपत्रित है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) एक पाइंट और हैं। ये समकक्ष है इसलिए नर्सिंग ट्यूटर को भी राजपत्रित अधिकारी पद का दर्जा दिया जाय।

दूसरी इसमें और भी है। नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों को जो स्टाइपेड दिया जाता है, जो पढ़ने वाले हैं मेडिकल में और कॉलेज के अंदर सेवाएं देते हैं, उनमें पुरुष प्रशिक्षणार्थियों को मात्र 150 रुपये प्रतिमाह है, महिला प्रशिक्षणार्थियों को 250, 260, 270 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति है। इन सबको एकरूप किया जाय। इनके स्टाइपेंड में

(श्री जय नारायण पूनियां)

एकरूपता लाते हुए आप 2 हजार प्रथम वर्ष वाले को, द्वितीय वर्ष को 2500, तृतीय वर्ष को 3500 रुपये करने की कोशिश करें, सरकार से मेरा यह निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कन्हैयालाल जी।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर चर्चा चल रही है, इस पर भाग लेने का व बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जिस तरह से हमारी शिक्षा के लिए आजादी के बाद 5 हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खुली थीं, 5 हजार स्कूलें एक साथ खोलीं, उसी तरह से चिकित्सा में भी आजादी के बाद में जितनी मेडिकल कॉलेज थीं डॉक्टर्स की पूर्ति करने के लिए एक ही साल में 8 मेडिकल कॉलेज खोलीं इसके लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

जिस तरह से हमारे विद्वान सदस्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अपनी-अपनी राय दी, मैं तो इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जिस तरह से पिछले 6 महीने के अंदर जब सरकार जा रही थी, जाते-जाते लगभग 200 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सीएचसी में क्रमोन्नत किया। लगभग हजार बैड क्रमोन्नत किया, बाकी पैसा बजट के नाम पर एक रुपया भी नहीं दिया। उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पूरा करने में आज हमने तीन साल में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर या तो हमारी बिल्डिंग बन रही है, सब जगह डॉक्टर लगाये इसके लिए भी हमारी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि तीन साल तो हमने उनकी पूर्ति की, लेकिन अब हमारे सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस वर्ष में कम से कम 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाय जिससे सभी को कहीं न कहीं एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिले और हम भी जनता को कुछ दे सकें क्योंकि उनकी पूर्ति करने में बहुत समय लगा, इसके लिए हमारी मुख्यमंत्रीजी धन्यवाद की पात्र है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने जिस तरह से भामाशाह कार्ड द्वारा गरीबों की सेवा के लिए, जो गरीब आदमी होता था, कहीं किसी के हार्ट अटैक आ जाता था, कहीं कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी उसके लिए आज भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के जरिये गरीब आदमी को राहत दी इसके लिए भी धन्यवाद

(श्री कन्हैयालाल)
के पात्र हैं। मॉडल पीएचसी खोली। ऐसे बहुत से प्रयास मेडिकल में सुधार करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने किए।

मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें रखूंगा। माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां मालपुरा हॉस्पिटल लगभग 75 बैडेड है, बाकी उसमें अभी भी केवल 50 बैड की ही सुविधा है। इसलिए वहां जिस तरह 75 बैड हो रखे हैं उसी तरह से उनकी सुविधा 75 बैड के हिसाब से की जाए। इस हॉस्पिटल को, क्योंकि अभी यहां पर 2 नेशनल हाईवे निकल गये हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दोनों नेशनल हाईवे की वजह से यहां आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए इस हॉस्पिटल को ट्रोमा हॉस्पिटल में तब्दील करने की कृपा करें जिससे इमरजेंसी में कहीं जयपुर लाना पड़ता है या कहीं अजमेर जाना पड़ता है जिनकी दूरी लगभग 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसलिए वह सुविधा वहीं पर मिल जाय।

इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में डिग्गी कल्याणजी प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां पर रोजाना लगभग 15 से 20 हजार लोग दर्शन करने आते हैं और मेले के अंदर दो महीने पर-डे 50 हजार लोग आते हैं। वहां अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उसको भी क्रमोन्नत करने की कृपा करें जिससे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके।

इसके साथ-साथ जिस तरह से पिछली सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंतिम 6 महीने के अंदर खोले, बजट नहीं दिया, उसी तरह से लगभग 1000 बैड इन्होंने 2012-13 के बजट में सैंक्शन किये। उसमें मेरे टोडारायसिंह के स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बैड से 50 बैड का किया। वे बैड भी बढ़ाये जाएं। यहां साल में 2 लाख से ज्यादा मरीज आते हैं। इसको भी 50 बैडेड किया जाय। काफी बड़ा उपखण्ड है, लगभग 2.5 लाख आबादी की सीएचसी है। इसको कम से कम 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किया जाय। क्योंकि इन्होंने तो एक असत्य घोषणा की थी, इन्होंने दिया नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं इसको भी किया जाए। जिस तरह से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने राजश्री योजना चालू की है जिसमें किसी के डिलीवरी होती है तो वह डिलीवरी एएनएम के सामने या किसी जगह होने के बाद उसको पैसा मिलता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 20 एएनएम के पद खाली है। इसके कारण डिलीवरी या तो घर पर हो जाती है, एएनएम की कमी की वजह से डिलीवरी का कहीं पंजीकरण नहीं हो पाता। इसलिए ये पद भी भरने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में काफी पद थे, एनआरएचएम की वजह से वहां पोस्ट थीं, एनआरएचएम के कर्मचारियों का प्रमोशन करके दूसरी जगह जीएनएम पर

(श्री कन्हैयालाल)

लगा दिया। कई पोस्टें हैं, कई एडपोस्ट हैं जिनको पिछली बार तोड़ दिया। वहां पंचायत हैडक्वार्टर हैं, वहां पर एक भी जीएनएम नहीं है। उन पदों को सृजित किया जाय जिनमें मुख्य रूप से मेरे पतराज, पारली सवारा, यहां ऐसे पद हैं, जहां ढाई-तीन हजार की आबादी है, यहां एक भी जीएनएम, एएनएम नहीं है। इन पदों को भी भरा जाय।

इसके साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेरे यहां मोर, पारली, उनियारा में खोला जाए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका बैनेफिट मिले। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछली सरकार ने जाते-जाते जो झूठी घोषणाएं कीं उनको हम पूरा करें तो अब कम से कम हमारे पास समय है, हमें भी मौका दें और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा करें। यही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती अंजू धानका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ कुछ मांगों को रखना चाहती हूं।

मेरे क्षेत्र में तूंगा, कानोता और बस्सी तीन सी.एच.सी. हैं। परन्तु सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं का जबरदस्त अभाव है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा विभाग ने चिकित्सकों को पाबन्द कर रखा है परन्तु चिकित्सकों द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। चिकित्सक के स्थान पर रात को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेल नर्स ही इलाज करते हैं जो कि मरीजों की जान से खिलावाड़ है। रात्रि में आये हुए केसों को चिकित्सक की अनुपस्थिति के कारण मेल नर्स बिना जांच किए ही जयपुर रैफर कर देते हैं। बांसखो सी.एच.सी. एवं बस्सी सी.एच.सी. पर चिकित्सकों के नहीं ठहरने की शिकायत भी प्राप्त होती रहती है। चिकित्सकों की लापरवाही के कारण स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्सपायरी डेट के बाद की दवाइयों का वितरण किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोता को क्रमोन्नत करने के बाद भी विभाग के कर्मचारियों द्वारा नजरअंदाज कर रखा है। यहां पर कमरों की कमी के चलते मरीज

(श्रीमती अंजू देवी धानका)
और चिकित्सक, दोनों ही परेशान हैं।

तहसील बस्सी जिला जयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी, बांसखो, तूंगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोता, सांभरिया, रोजवाड़ी है जहां पर मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण जैसा कि अभी मेवाराम जी बता रहे थे कि हॉस्पिटलों में ही बीमारियां हैं तो फिर हॉस्पिटलों में जाकर आदमी कैसे ठीक हो सकता है।

हमारे यहां बस्सी सी.एच.सी. में खुला कमीशनखोरी का खेल चलता है। यह मांग मैंने भी रखी थी कि जो वहां पर डॉक्टर्स हैं वो 10-10, 15-15 साल से टिके हुए हैं और वो अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं। वहां पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है और अगर उसकी व्यवस्था करने की बात भी होती है तो वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि सोनोग्राफी मशीन वहां पर चले क्योंकि उनके अपने निजी क्लिनिक, अपने खुद के डायग्नोस्टिक सेंटर बन्द होते हैं। उनका मैन रीजन यह होता है कि जो बाहर उनके अपने सेंटर्स हैं वहां पर वो लिंग परीक्षण भी कराते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो नहीं सकता है। इसी कारण ये लोग जो बहुत समय से टिके हुए हैं उनका तबादला करना या फेरबदल करना, मैं समझती हूं कि, बहुत जरूरी है।

दूसरा, तूंगा में हमारे जो डाक्टर्स हैं वो दम्पत्ति लगे हुए हैं और वहां पर मरीजों को कम देखा जाता है, घर-गृहस्थी के काम ज्यादा होते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देकर के, हालांकि डॉक्टर्स की काफी कमी है लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा समय से, 20-20 साल से लगे हुए हैं उन पर ध्यान देकर के उन्हें हटाया जाए। क्योंकि जो भी योजनाओं को डॉक्टर्स को मिलता है हॉस्पिटल्स में वो वहां पर किसी तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते हैं, 55 लाख रुपये हमारे सी.एच.सी. बस्सी को मिले थे, इतने ही कानोता और तूंगा में मिले थे लेकिन वहां पर किसी भी तरह का लाभ, कोई शौचालय, कोई किसी तरह के नये बैड या किसी भी तरह की सुविधाएं वहां देखने को नहीं मिलती हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो मेल नर्स वगैरह हैं वो ही रात को टिकते हैं जबकि वहां डॉक्टर्स को पाबंद किया हुआ है रुकने के लिए और ज्यादातर मरीजों को जयपुर रैफर कर दिया जाता है। माननीय मंत्री जी, मेरी जो सबसे बड़ी मांग है वो यह है कि इतना पैसा, अगर 55 लाख रुपया भी दिया जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें काफी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थीं लेकिन समस्याएं जस की तस है तो उसके लिए आप सी.एच.सी. बस्सी, सी.एच.सी. तूंगा और सी.एच.सी. कानोता में ऑडिट कराएं जो कई सालों से नहीं हुई है। यह एक मेरी सबसे पहली मांग आपसे हैं।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

दूसरा, मैं यह चाहूंगी कि सी.एच.सी. बस्सी में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. के लिए भी जरूर प्रयास करें क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है।

एक हमारे यहां पर बस्सी क्षेत्र की अब तक की जो सबसे बड़ी मांग है वो है ट्रोमा सेंटर। आपको ध्यान होगा कि अभी कानोता में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ गई थीं, लगभग 40 गाड़िया वहां पर भिड़ी थीं लेकिन वहां पर कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है तथा एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलैंस तो आपने आने के बाद शायद एक भी नई किसी को दी नहीं है और जो पुरानी थी वो खटारा हो चुकी है। तो अभी हाल में जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानोता में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दर्जनों गाड़ियां एक-दूसरी गाड़ियों से टकरा गई थी। इस एक्सीडेंट में बहुत से लोगों को चोटें आई थीं और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी। अगर बस्सी में ट्रोमा सेंटर होता तो शायद आज कई व्यक्तियों की जान भी बच सकती थी क्योंकि एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को जयपुर लाया जाता है और जयपुर लाने में इतनी देर हो जाती है कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। पत्रिका में इसकी एक खबर भी प्रकाशित हुई थी क्योंकि उस समय सबसे बड़ी विडम्बना यह थी कि इतना भयंकर हादसा था और सब इतने हताहत थे परन्तु वहां पर एम्बुलैंस नहीं थी, तीन-तीन सी.एच.सी. होने के बाद भी वहां एम्बुलैंस की बहुत दिक्कत है। पत्रिका ने उसी में एक खबर छापी थी - 'एम्बुलैंस स्वयं बीमार, चिकित्सक का इंतजार'। बस्सी तहसील में अगर एम्बुलेंस ठीक रहती तो शायद इतने बड़े हादसे को किसी हद तक टाला जा सकता था। मंत्री जी, आप अपनी जगह पर आ जाइये। काम तो कितने करेंगे, सुन ही लें तो बहुत है।

दूसरा, बिल्डिंग्स की सभी की प्राब्लम है और मेरी भी एक प्राब्लम है। कहां गये मंत्री जी? हमारे यहां बिल्डिंग नहीं है। अभी-अभी हम लोग बात कर रहे थे बड़वा आदर्श पी.एच.सी. की तो बांसखो में हमारे सी.एच.सी. क्रमोन्नत कर दी है लेकिन वहां पर बिल्डिंग ही नहीं है, जगह भी राज्य सरकार ने दे दी है लेकिन बिल्डिंग नहीं है तो उसके अभाव में वो एक छोटे से कमरे में चल रही है।

उसके अलावा कानोता में भी बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। बैनाड़ा में तो अभी तक जगह ही नहीं मिली है, सिर्फ घोषणा ही हो रखी है और वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है इसलिए मैं चाहूंगी कि वहां पर जगह दी जाए और बाकी बांसखो, कानोता में नई बिल्डिंग बनाई जाए।

अभी आदर्श पी.एच.सी. की बात हो रही थी तो मेरे क्षेत्र में बड़वा पी.एच.सी. है

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

उसकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां दिन में तो कुत्ते-बकरियां घूमते हैं, रात को शराबियों का अड्डा हो जाता है और सुबह वहां पर कबाड़ियों का डेरा होता है उन बोतलों को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद भी वो आदर्श पी.एच.सी. कहलाती है, यह वहां का हाल है। क्योंकि वहां पर न तो बाउण्डरी है, न वहां पर कोई देखरेख करने वाला है। वहां पर बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर है कि पानी टपकता है तो डाक्टर्स वहां टिकते नहीं है। रात को मरीज आते हैं, चक्कर लगाकर चले जाते हैं। जब आपने वहां पर आदर्श पी.एच.सी. अगर नाम दिया है तो आप उसको फुलफिल भी करें। एम्बुलेंस की मैंने जैसे आपको बात बताई है।

यह जो फोगिंग का है और सबसे ज्यादा प्राब्लम अभी आने वाली है और जैसे-जैसे गर्मी आएगी तो मच्छर वगैरह, इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा गर्मियों में हो जाते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक छोटी सी बात है। फोगिंग के टाइम पर, जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फोगिंग की आप व्यवस्था करते हैं परन्तु ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, बस्सी अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि कौन-कौन से क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप है। अगर कोई व्यक्ति ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहता है तो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से अनुपस्थित मिलते हैं और पूछने पर ज्ञात होता है कि ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र के दौरे पर हैं। जब वो क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो उन्हें मौसमी बीमारियों का कैसे पता चलेगा पर यह एक प्रश्नचिहन है और इसके लिए मैं आपसे मांग करती हूं कि जो भी सफाई के लिए या फोगिंग के लिए, इंसेक्ट्स के लिए योजनाएं करते हैं उसकी बी.सी.एम.एच.ओ. को आदेश की पालना करने के लिए सख्त निर्देश दिए जाएं क्योंकि उनसे बीमारियां बढ़ती हैं।

इतनी सारी बातें जो मैंने कही है तो एक मैं सी.एम. रिलीफ फण्ड का भी बोलना चाहती हूं कि मरीज के पास चैक पहुंचने में आठ दिन लगते हैं तब तक कई मरीजों को इतना टाइम नहीं मिल पाता, इतना समय नहीं होता कि वो इतना वेट कर सकें तो मैं चाहूंगी कि एप्रूवल कम से कम दो दिन में दे दी जाए और पैसा चाहे बाद में आता रहे। अगर एप्रूवल उसको रिटन में मिल जाए तो उसका इलाज ठीक से हो सकता है। एक जो सबसे बड़ी मेरी मांग है, मैं यह जानती हूं, जैसे आप पहले भी शिक्षा मंत्री थे और आपने जो कालेज पर बयान दिया, वह मुझे याद है कि (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) लेकिन जो ट्रोमा सेंटर है...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): दो मिनट में समाप्त कर रही हूं। बस ट्रोमा सेंटर अगर नहीं हो सकता तो मैं चाहूंगी, ट्रोमा सेंटर की बहुत बड़ी मांग है लेकिन अगर आप वितीय संसाधनों का हवाला देंगे तो वह मुझे मालूम है कि आप मन में कह रहे हैं कि काश, मैं यह कह दूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री गोरधनजी।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): ...लेकिन आप आर्डर जरूर बस्सी, तूंगा और कानोता का जरूर कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वह वास्तव में सराहनीय है। राजस्थान में एक अभिनव पहल जिसको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें उस गरीब, असहाय, पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाई जाती है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा और चिकित्सा विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का लाभ उस पीड़ित जनता को दिया जाता है चाहे वह नि:शुल्क दवा योजना हो, चाहे वह मुख्य मंत्री राजश्री योजना हो, चाहे वह जननी सुरक्षा हो। मैं सोचता हूं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे उस असहाय पीड़ित व्यक्ति की सहायता की जाती है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं... यह क्या है कि ये घंटी बजा देते हैं, उस घंटी का बहुत डर लगता है। (व्यवधान) चलो चलो, ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, पहले केवल पंजाब, हरियाणा में यह जो विशेषकर रोग जैसे कैंसर, हार्ट अटैक और पैरालाइसिस और ब्रेन हैमरेज, ये चार ऐसे रोग हैं जिनका पहले कोई संकेत नहीं मिलता है। यह वहां पर पंजाब में पहले ज्यादा होता था क्योंकि वहां पर यह रासायनिक दवाइयों का फसल में ज्यादा उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग जहां भी खरीफ की फसल होती है, वहां सबसे ज्यादा किया जाता है और इन रासायनिक दवाइयों का ही कारण है कि आज 100 में से लगभग 70 परसेंट लोग कैंसर से, हार्ट अटैक से, पैरालाइसिस से और ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हैं। इसके पहले कोई ऐसे सिम्पटम्स नहीं होते कि इसका इलाज पहले किया जा सके। मेरा इसमें निवेदन यही है कि एक गम्भीर बीमारी है। हमारी सरकार इसके प्रति बहुत चिंतनशील है। इन

(श्री गोरधन)

रोगों का, एक विशेष प्रकार से रोगियों की खोज की जाए जिससे उनका समय पर इलाज हो जाए क्योंकि हार्ट अटैक और कैंसर ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से चाहे वह 30 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, ग्रसित हो जाता है। पहले यह कहते थे कि हार्ट अटैक 50 से ऊपर वालों के आता है लेकिन आज तो यह देखने को मिलता है कि यह 20 साल में भी आ सकता है, 15 साल में भी आ सकता है। यह गम्भीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज करने के लिए, हमें रोगियों की वास्तव में पहले खोजबीन करनी चाहिए और उनका इलाज प्राथमिक रूप से ही हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे चिकित्सा मंत्रीजी के द्वारा बेरोजगारों को चाहे हमारे 25,000 की भर्ती चाहे पैरामेडिकल्स हो चाहे आयुर्वेदिक डाक्टर्स हों और गांवों में सुविधा देने के लिए इन सभी चिकित्साकर्मियों की भर्ती की गई, जो वास्तव में एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में लोसल नगरपालिका स्थित है। मैंने माननीय मंत्रीजी को कल भी ज्ञापन देकर अवगत कराया था कि वहां पर बद्रीनारायण जी सोढ़ानी का एक हास्पिटल बनाया हुआ है और वह काफी जगह में है और एक बहुत बड़ा भवन भी है। वहां पर जो डाक्टर लगाया गया है, वह डेपुटेशन के आधार पर या प्रतिनियुक्ति के आधार पर वहां पर पेशेंटों को देखने के लिए लगाया गया है। मेरा आपसे निवेदन यही है कि उस हास्पिटल में क्योंकि काफी बड़ा भवन है और उसमें सभी प्रकार की छोटी मशीनें या बड़ी मशीनें, वे भी वहां पर उस हास्पिटल में दी हुई हैं तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सिटी डिस्पेंसरी के रूप में दर्जा दे दिया जाए तो क्योंकि वहां का आउटडोर भी 200 से 250 मरीजों का है, वह शहर के बीच में है तो उससे काफी लोगों का फायदा हो सकता है।

वहां पर भी हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बैडेड अस्पताल है, यदि उस हास्पिटल को भी 50 बैडेड का कर दिया जाए। वहां पर लगभग 15-20 गांव ऐसे हैं और नगरपालिका क्षेत्र है, जिससे उन लोगों को, क्योंकि डीडवाना और कुचामन से चलने के बाद में सीकर ही एक हास्पिटल आता है तो एक बीच में बड़ा सेंटर हो सकता है तो वहां पर भी इस हास्पिटल को क्रमोन्नत करके वहां पर डाक्टर्स जो लगे हुए हैं, वहां पर कोई विशेषज्ञ डाक्टर नहीं

(श्री गोरधन)

है तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जो भी हम एम डी डाक्टर लगाते हैं, उनको दो साल कम से कम फील्ड पोस्टिंग दें, गांवों में पोस्टिंग दें जिससे हर डाक्टर जो होता है एम डी विशेषज्ञ डाक्टर, वह यह चाहता है कि मैं शहर में ड्यूटी करूं तो मेरा यह निवेदन है कि दो साल कम से कम उनको फील्ड में पोस्टिंग दी जाए जिससे आमजन को भी फायदा हो सके। वहां पर यदि फिजिशियन डाक्टर हो या आर्थोपेडिक्स का हो या शिशुरोग विशेषज्ञ हो या गायनिक का कोई डाक्टर हो, तो उसमें एक-दो डाक्टर लगा दिया जाए जिससे वहां पर मरीजों को देख सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे काफी पीएचसी और सीएचसी खुले हुए हैं, उनमें कुछ के भवन नहीं बने हुए हैं तो उनका शीघ्र भवन बनाया जाये जिससे स्थाई एक उनकी बिल्डिंग हो सके। जिसमें हमारे पलथाना पीएचसी है, जिसका भवन नहीं बना हुआ है और सीएचसी कासली है जिसका भवन नहीं बना हुआ है। पीएचसी कुण्डलपुर है, उसका नहीं बना हुआ है तो मेरा यह निवेदन है कि उनका पीएचसी का भवन बनाकर वहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण हो सके जिससे एक स्थाई भवन बन सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैंने कहा था कि आप वह घंटी बजा देंगे। घंटी आपने बजा दी लेकिन मैं दो मिनट का समय और लेना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में वैसे डाक्टर्स और एएनएम और जेएनएम की सब पोस्टें लगभग भरी हुई हैं। लेकिन विशेषज्ञ डाक्टर्स की वास्तव में वहां जरूरत है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें वास्तव में पीएचसी होनी चाहिए। जिसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, भढाडर एक ऐसा हाईवे पर गांव है, जिसमें भी पीएचसी होनी चाहिए। रशीदपुरा है जिसमें पीएचसी है लेकिन वह बीकानेर-जयपुर हाईवे रोड है। उसमें क्योंकि एक बीच का मिड पाइंट है, वहां पर उसको क्रमोन्नत करना चाहिए। सांगलिया स्थान है जहां पर पीएचसी खोलने की मैं मांग करता हूं।

कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। जिसमें कई ऐसे गांव है, ज्यादा नहीं है, वैसे 4-5 गांव हैं लेकिन मेलासी है, कुचाकवा है, ऐसे दो-तीन गांव विशेषकर है, जिनमें यह खोला जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री गोरधन)

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हमारे सीकर जिले में मेडिकल कालेज खोलकर उस क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस मेडिकल कालेज को क्योंकि उसका भवन बना हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत यदि राशि देकर उसको इस जुलाई से चालू कर दिया जाये तो शेखावाटी क्षेत्र का भला हो सकता है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, वन्दे मातरम।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नानालाल जी अहारी।

(20.00 बजे)

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-26 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सफाई पर बोलने का मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, 2013 में मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता संभाली और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना लेकर जनता के बीच में आई। 30 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक भामाशाह योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क इलाज करवाने का काम किया। मेरा क्षेत्र पूरा जनजाति क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग वहां निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। दूरदराज का क्षेत्र है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप समय ज्यादा दे नहीं रहे हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है और मेरा जो क्षेत्र है नेशनल हाइवे-8 पर स्थित है, यहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहां आपने ट्रोमा सेन्टर खोलने की अनुमति दी है पर वहां पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। ट्रोमा सेन्टर का भवन बना हुआ नहीं है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज की तारीख में तीन लाख लोग निवास करते हैं और वहां एक सीएचसी ऋषभदेव खुली है जहां पर बारह डॉक्टर्स की पोस्ट है और एक भी डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं है। डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं होने के कारण वे मरीज इधर-उधर भटकते हैं और ऋषभदेव, कैरवाड़ा और सेमारी तीन पंचायत समितियां हैं यहां पर कई झोलाछाप डॉक्टर हैं, गुजराती डॉक्टर हैं। ये सारे मरीज उनके पास जाते हैं अगर पर्याप्त डॉक्टर हों, पर्याप्त सुविधा हो तो ये जितने भी मरीज हैं वो इधर-उधर नहीं जायें।

मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे जो सीएचसी ऋषभदेव है वह सीएचसी 1978 में 30 बैड की गयी थी और आज भी वह स्थिति वैसी की वैसी है। आज से करीब बीस वर्ष पूर्व उस सीएचसी में बड़े-बड़े ऑपरेशन हुए। अच्छे डॉक्टर भी थे पर आज उस सीएचसी की हालत बिलकुल खराब है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है, मैंने पर्ची के माध्यम से भी यह बात उठायी थी तो मंत्रीजी ने जवाब दिया

(श्री नाना लाल अहारी)

था कि वहां पर ओपीडी नहीं होती है अगर वहां डॉक्टर बराबर रहेगा चाहे वो विशेषज्ञ हो, सभी प्रकार के, हड्डी का डॉक्टर हो और बच्चों का डॉक्टर हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां की ओपीडी बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो ऋषभदेव सीएचसी है उसे तीस बैड से पचास बैड की जाए और मेरे यहां पर करीब-करीब 201 पोस्टें पूरे विधान सभा क्षेत्र में है जिसमें डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, ए.एन.एम. भी हैं, सारे हैं और उन 201 में से मात्र 134 कर्मचारी कार्यरत हैं तो इन सभी अस्पतालों में डॉक्टर और जो-जो भी पोस्टें खाली हैं उनको भरी जाए। दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार जो ग्राम पंचायत हमने गोद ली हैं उन दो ग्राम पंचायतों में मेरे पीएचसी का भवन नहीं है तो वहां पर दो पीएचसी स्वीकृत कर उनके भवन भी बनाये जाए तो वहां के लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि हमारे उदयपुर मुख्यालय पर आने-जाने के लिए करीब 120 किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ती है। नेशनल हाईवे है। आज भी सुबह ऋषभदेव के नजदीक दो किलोमीटर दूरी पर दो बालक एग्जाम देने के लिए आये थे और जब वो हाईवे क्रोस कर रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। एक बच्चा वहीं मर गया और दूसरे के हाथ-पैर टूट गये थे तो उसको उदयपुर पहुंचाने में बहुत बड़ी दिक्कत आई। तो, मेरा आपसे निवेदन है कि जो ट्रोमा सेन्टर आपने वहां खोला है उसका भवन और ट्रोमा सेन्टर में जितनी भी सुविधा होती है वह सारी सुविधा वहां उपलब्ध कराएं।

(20.06 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यही मेरा आपसे आग्रह है निवेदन है। कानपुर और कुण्डा जो हमने गोद ले रखी हैं उसमें दो पीएचसी खोलने का और ऋषभदेव को 30 बैड से 50 बैड करने की जरूर आपकी घोषणा में आज घोषणा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-26 पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार। सर्वप्रथम तो मैं हमारी मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने दौसा क्षेत्र में डेढ़ सौ बैड से ढाई सौ बैड का हॉस्पिटल किया और साथ ही कुल दौसा क्षेत्र में 38 करोड़ रुपये के पीएचसी, सब सेन्टर रामगढ़जोशी जो ढाई सौ बैड का हॉस्पिटल किया उसके अन्दर इस पीरियड के अन्दर 38 करोड़ रुपये लगा कर और स्वास्थ्य को निरंतर अच्छी तरह से करने के लिए मौका दिया। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि

(श्री शंकर लाल शर्मा)
आज मुझे खुशी है कि हमारे यहां पन्द्रह सब सैन्टर, पाँच नयी पीएचसी जिसके सब सेन्टर के लिए 27-27 लाख, पीएचसी के लिए 1 करोड़ 85 लाख के आस-पास पैसा दिया। आज हमारे इस होस्पिटल के अन्दर ट्रोमा भवन खास तौर से परिजनों के रात्रि विश्राम के लिए धर्मशाला, केंटीन सभी की इसके अन्दर आज सेवाएं उपलब्ध हैं। तो इनको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा, खास तौर से मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जब आप शिक्षा मंत्री थे तो दौसा को बहुत कुछ दिया। मैं आपसे भी एक छोटी सी मांग करना चाहूंगा कि आज दौसा के अन्दर इन सब बदलाव के कारण हमारे दौसा सेन्टर का जो होस्पिटल है उसमें ओपीडी है 6,23,851 गत एक साल की। आईपीडी है 46,209, सिजेरियन प्रसव 489, सामान्य डिलीवरी है 10,846 और सर्जरी है 2667 मेरा आपको यह बतलाने का कारण यही है कि इसके लिए हम आपसे, क्योंकि यह दौसा हॉस्पिटल जयपुर के नजदीक भी है, 40-50 किलोमीटर दूर होने के कारण यहां का आपके एसएमएस पर प्रेशर भी कम होगा। साथ में चारों तरफ हाईवेज भी आते हैं। पेशेंट चारों तरफ से आते हैं अगर ऐसे में इसको ढाई सौ बैड से तीन सौ बैड का कर दिया जाए और उसी के अनुसार हमारे को सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो आपका जयपुर का भार भी कम होगा और हमारे लिए बहुत-बड़ी सुविधा होगी।

साथ ही आपने देखा होगा 489 सीजिरियन प्रसव है और 10846 सामान्य डिलीवरी है। हमारे एसएनसीयू यूनिट, जो बच्चों के लिये है, केवल 13 है। जबकि ढाई सौ प्रसव के ऊपर एक होना वैसे भी लाजिमी है। ऐसे में कम से कम 40 बैड एसएनसीयू यूनिट के और बढ़ाए जायें। खास तौर से जननी सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा का वैसे भी आपका प्रथम ध्येय यही है। जो प्राइवेट हास्पिटल हैं उनके बच्चों की भी जब कहीं पर भी भर्ती होती है तो इसी हास्पिटल में आते हैं। इसलिए यह भी हमारे यहां बढ़ाये जाना अति आवश्यक है। ढाई सौ बैड करने के बाद बहुत कुछ उपकरण अभी तक भी बकाया चल रहे हैं। जिसमें ईको-कार्डियोग्राम, ओटी टेबल, ओटी लाइट्स, सीआर मशीन, व्हीलचेयर डेंटल, बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो अब तक भी नहीं मिली है जबकि इसके शायद टेंडर भी हो चुके लेकिन सप्लाई नहीं हुई है। अभी जो आपने सीटी स्कैन मशीन दी है वह चाहे पीपीपी मॉडल पर है लेकिन उसकी सुविधा इतनी बढ़िया रूप में मिल रही है, सभी पेंशेट्स को, डाक्टर्स को उसका लाभ बहुत अच्छी तरह मिल रहा है, उसके लिये भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा।

आपने दो आदर्श पीएचसी घोषित कर रखी हैं। नाना राजावतरान और कुंडन, यह दोनों अलग क्षेत्र में है, अगर इन पीएचसी को सीएचसी में बदल दिया जाए या कम

(श्री शंकर लाल शर्मा)

से कम आदर्श पीएचसी में, वहां पर प्रसूति का और कुछ डाक्टर्स की व्यवस्था अलग से कर दी जाए तो इस आदर्श पीएचसी का लाभ भी मिलेगा और जनता की आवश्यकता भी है। मेरा खास तौर से यही निवेदन है कि इन दो पीएचसी को सीएचसी में और हमारे हास्पिटल को 300 बैड का किया जाए।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा चिकित्सा विभाग की नियमित नर्सेज भर्ती, 2013, इसमें एएनएम के 12278 और जीएनएम के 15773 पदों की भर्ती की जानी थी, लेकिन पदों की कटौती के कारण 2006 में जो संविदा में भर्ती हुई थी उनमें 2100 जीएनएम और 855 एएनएम की भर्ती नहीं हो पाई। अब यह ओवर एज भी होने वाली हैं, अगर आप 2013 की थोडी बहुत भर्ती और निकाल देंगे तो यह ओवर एज होने से बच जाएंगे और यह भी नियमित सर्विस में आ जायेगी। पुन: आपका बहुत-बहुत आभार क्योंकि दौसा मैं जिस तरह से आपने शिक्षा पर ध्यान दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी एक छोटी सी मांग है इसकी पूर्ति करेंगे, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या २6 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत आभार। 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:', इस उक्ति को लेकर हमारी सरकार जिस प्रकार से चली इस राज्य के सभी लोग निरामय होकर अपना जीवन यापन करें, स्वस्थ होकर अपना जीवन यापन करें तभी सुखी रह सकते हैं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। इसी बात को लेकर अनेक ऐसी योजनाएं बनाई, विभिन्न योजनाओं का जिक्र मेरे साथी सदस्यों ने किया, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करुंगा क्योंकि समय की सीमा है और सीमा में मैं अपने क्षेत्र के साथ न्याय करना चाहूंगा कि वहां की बातों को मैं उठा पाऊं।

राजस्थानी में एक लोकोक्ति है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, तीजा पुत्र आज्ञाकारी, इस प्रकार की उक्ति है। यानी पहला सुख कोई है तो वह है कि शरीर स्वस्थ हो। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो घर में माया भी होगी और सारे सुख उसकी तरफ अपने आप खिंचे चले आएंगे। जिस प्रकार से बजट एक्सपेंडीचर हुआ उसके आधार पर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो कांग्रेस के समय में शुरू की गई परंतु कतिपय दवाइयां ही थीं, परंतु

(श्री पब्बाराम)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमान संभाली उसके बाद अनेक दवाइयों को उसमें शामिल किया गया। इसमें एक वर्ष 2016-17 में ही 345.69 करोड की राशि खर्च हुई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दवाएं लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये दी जा रही है। इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जांच योजना है। जिस प्रकार से डोडा पोस्त की गिरफ्त में पूरा का पूरा प्रदेश था, उसके लिये कैम्प्स लगाकर उनको डी-एडिक्शन के लिये काम किया। पिछले दो वर्षों में दस हजार लोगों का डी-एडिक्शन, यह भी एक सराहनीय कदम था।

राजस्थान के इतिहास में 13 दिसम्बर, 2015 दिवस स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। इस दिन राज्य की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धमरा राजे जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जो संपूर्ण भारत में अद्‌वितीय थी। कोई गरीब अगर बीमार पडता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है गरीब बीमार पड़ गया और उसको हास्पिटल में ले गये, उसका इलाज करते-करते डाक्टर ने कहा कि इसके दो लाख लगेंगे, तीन लाख लगेंगे, वह बुजुर्ग अपने बेटों की चिंता करता है और वह छोटी मोटी दवाई लेकर आ जाता है कि मेरा जीवन तो पूरा हो गया अब तुम्हारे पर बोझ बन कर जाऊंगा, सारी उम्र तुम कर्जे से निजात नहीं पा सकोगे, इसलिए मुझे घर पर ही ले लो। इस प्रकार के अनेक अवसर मैंने अपनी आंखों से देखें है। परंतु उन मरीजों के लिये, आम जनता के लिये एक लाइट हाउस की तरह यह योजना वसुन्धहरा राजे जी लाई। यह जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है जिन जिन गरीब लोगों ने इलाज करा कर अपना स्वास्थ्य ठीक किया वह लोग 13 दिसम्बर, 2015 की तारीख को अपने पुनर्जन्म के रूप में मनाते हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। लगभग संपूर्ण राजस्थान, 97 लाख परिवार इससे जुड़ गये। जो भी खाद्‌य सुरक्षा में आते हैं, लगभग सारे गरीब लोग आते हैं, 30 हजार से लेकर 3 लाख तक का इलाज फ्री में होता है। इस योजना में वर्तमान में न सिर्फ सरकारी, प्राइवेट हास्पिटल में भी इलाज होता है, 499 सरकारी और 674 निजी चिकित्सालयों में इलाज होता है। उस सुख की भी प्राप्ति करता है जब एक धनवान आदमी अच्छे प्राइवेट हास्पिटल में इलाज कराता है और गरीब का बेटा भी साथ-साथ पास के बैड पर पड़ा निशुल्क इलाज कराता है, इससे बडी बात और क्या हो सकती है।

इन सब बातों का जिक्र मेरे साथियों ने किया, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि इसको वह अपने प्रत्युत्तर में देंगे। मेरा फलौदी क्षेत्र, वह फलौदी जो चार जिलों से 150-175 किलोमीटर की दूरी पर है और अन्य कहीं पर

(श्री पब्बाराम)

इलाज नहीं है, जिला स्तर के लगभग सभी आफिसेज वहां पर हैं, परंतु वहां पर हास्पिटल नहीं है। छोटा हास्पिटल है, उसमें सुविधाओं की कमी है। वर्तमान में अभी 50 शय्याओं का हास्पिटल चल रहा है।

वहां पर स्वीकृत चिकित्सक 11 हैं और उनमें से 6 पद रिक्त हैं। आप समझ सकते हैं। उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गुप-2, जयपुर की तरफ से 03.05.2013 को एक आदेश प-25(11)चि.स्वा./गुप-2/175/2013 निकला है। इसमें पचास से सौ किया है। कांग्रेस की सरकार, घोषणाओं की सरकार ने घोषणा तो कर दी, पर न तो उसके अंदर बजट दिया, न इस प्रकार से डॉक्टरों की नियुक्ति की। उसके बाद वहीं पर नहीं रुके। इसके अंदर दो वरिष्ठ विशेषज्ञ होने चाहिए, दो कनिष्ठ विशेषज्ञ होने चाहिए, एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होना चाहिए। चार चिकित्सा अधिकारी होने चाहिए और 34 अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत होने चाहिए। वे अभी तक नहीं लगे हैं। 2013-14 में एक बार..। प्रतिवर्ष, ऊपर से ऊपर बढ़ रहे हैं। प्राइमरी से इन्होंने सीधा यूनिवर्सिटी तक कर दिया। 2013-14 में 150 सहायिकाएं स्वीकृत कर दीं, परंतु कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की और न ही पद दिए। न नर्सिंग स्टाफ दिया, न चिकित्सा अधिकारी लगे। वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से दरकार करता हूं कि आप कम-से-कम इस हास्पिटल को, जो इतना महत्वपूर्ण स्थान है। चारों तरफ ऐसे धार्मिक स्थान हैं, रामदेवरा जो कि कलियुग में पश्चिमी राजस्थान का कुंभ है और इस प्रकार से जांभा, जहां पर हमेशा पैदल तीर्थ यात्री चलते रहते हैं। जांभा में लाखों यात्री वर्ष में दो बार आते हैं और उसी प्रकार से कोड़ूबाबूजी और अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जहां पर हर समय यात्रियों की रेलमपेल रहती है और दुनिया भर के एक्सीडेंट्स इसलिए मैं वहां पर एक ट्रोमा सेंटर की भी मांग करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, शायद राज्य मंत्री महोदय सुन रहे हैं। आप इस बात की तरफ ध्यान दें। आप एक बैरियर हटा दीजिए। हमारे उपखंड स्तर पर या तहसील स्तर पर कोई डॉक्टर नहीं लगता है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सब जगह डॉक्टर्स लगा दिए हैं। सर, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, परंतु हमारी बाप में सी.एच.सी. है और वहां पर तहसील और एस.डी.एम. हैडक्वार्टर्स है, परंतु वह पंचायत है। आपने एक नियम कर रखा है कि इसको एक सिटी मान लिया और सिटी मान लिया तो जब डॉक्टर का फर्स्ट अपाइंटमेंट होता है तो गांव का रूख करता है और वह वहां नहीं आता। आज वहां पर स्थिति बड़ी नाजुक है। वहां पर नेशनल हाइवे पड़ता है और दुनिया भर के लोग आते-जाते हैं। डेली कोई-न-कोई एक्सीडेंट होता है और वहां पर डॉक्टरों की

(श्री पब्बाराम)

बहुत कमी है। कनिष्ठ विशेषज्ञ के बाप में पाँच पद स्वीकृत हैं, उनमें से एक भी भरा हुआ नहीं है। सभी खाली हैं। चिकित्सा अधिकारियों के तीन में से एक पद रिक्त है। मेल-नर्स के छह में से पाँच पद रिक्त हैं। उस हास्पिटल की क्या दशा हो सकती है? हास्पिटल स्वयं बीमारी की स्थिति में आ गया है। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि आप इस बैरियर को हटा दीजिए, जहां पर ग्राम पंचायत है, उसको सिटी मत मानिए। तहसील हो या चाहे उपखंड, वहां पर ग्राम पंचायत है। आप नगरपालिका क्षेत्र को सिटी मानिए। उसको सिटी क्यों मानते हो? जब उसको सिटी मानेंगे तो डॉक्टर्स पहले के दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा और उसके बाद वह पी.जी. करने के लिए जाएगा। उसके लिए पहली प्राथमिकता है कि उसके पास दो साल का ग्रामीण अनुभव होना चाहिए। इसी कारण से हमारे वहां पर नहीं आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में अपनी बात को पूरा कर देता हूं। हमारे केशव नगर में सिटी डिस्पेंसरी खुली है। उसके अंदर लैब की स्थापना हो और रिक्त पदों को भरो, ताकि उसके अंदर काम चल सके। नई जो पंचायतें हैं, उनके अंदर स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं। विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो शेखासर और जांबा बड़ा गांव है, यहां पर सी.एच.सी. क्रमोन्नत की जाए और अंत में विधान सभा क्षेत्र फलौदी के राजकीय चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केंद्र बाप में सोनोग्राफी, डिजीटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर अपनी बात कहता हूं। उसके बाद एक, जो कि पूरे जोधपुर का कार्य है। माननीय वसुन्धरा जी से पिछली बार मैंने कोई पूनमंचद प्रजापत था, जो गरीब था और उसका बेटा बिलकुल गूंगा और बहरा था।, मैंने वसुन्धरा जी को cochlear implant के लिए निवेदन किया तो उन्होंने सात लाख रुपए स्वीकृत किए। वहां पर बहुत अच्छी यूनिट चल रही है। परंतु वहां पर एस.एन. मेडिकल कॉलेज में स्पीच एंड हियरिंग कालेज की आवश्यकता है। इसी प्रकार से उसको रीजनल सेंटर री-हेबलिएशन डिपार्टमेंट के रूप में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। जिससे एक छत के नीचे इलाज होगा, जिसको जोधपुर सहित दस जिलों के लोग काम में लेंगे। Department of ENT, Jodhpur को रीजनल सेंटर घोषित किया जाए। वहां पर भारती सोलंकी नाम की एक ऐसी डॉक्टर है, जो अच्छी तरह से। (व्यवधान) बस एक मिनट में ही पूरा कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से आसन ही टोक सकता है, सचेतक या उप मुख्य सचेतक नहीं टोक सकते हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
एक यह कि राजेंद्र राठौड़ साहब कोई दूसरा मिनिस्टर बना गए। काफी देर से हम देख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे कि किसको बना गए, परिचय तो बता दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप को इस तरह बीच में खड़े होकर बोलने का अधिकार किसने दिया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अनुमति नहीं ली।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ने अनुमति नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों ही सचेतकों ने अनुमति नहीं ली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे दोनों सचेतक आसन की सहायता करने के लिए नियमों के अंतर्गत हैं। अब आपके सहायक हैं या बाधक हैं, यह आप तय करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी प्रकार के रिसर्च की वहां पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि वह सेंटर अच्छा काम कर रहा है। cochlear implant में सर्जिकल आई.सी.यू. स्थापित हो और वहां पर सारा इलाज सी.एम. फंडेड हो रहा है। इसी बात के साथ मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का पूरा समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदया और स्वास्थ्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि प्रदेश में आठ मेडिकल कालेज की घोषणा की और काम शुरू हुआ है। हमारे डूंगरपुर जिले में भी मेडिकल कालेज दी, उसके लिए उनको धन्यवाद अर्पित करती हूं। जब भी प्रदेश में सरकार बनती है, सरकार विकास के बारे में विचार करती है तो सबसे पहले विचार करती है आम नागरिकों का, ग़रीबों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो विकास अपने आप संभव होगा। यही उदाहरण हमारे पूर्व में आदरणीय वसुन्धरा जी की पिछली सरकार के समय में सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में साबित हुआ। क्योंकि 70 सालों से पेटियां भर भरकर जिन्होंने वोट लेने का काम किया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं कह रहा हूं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कि मंत्री जी नींद लेकर आ गए क्या वापस? आ गए क्या वापस?

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि वागड़ की गरीब जनता को चिकित्सा की भी जरूरत होती है। ऐसा इन्होंने कभी विचार नहीं किया और उदयपुर और गुजरात पर ही यह जनता निर्भर थी, अपना इलाज कराने के लिए। जब वसुन्धुरा जी की सरकार बनी तो राज्य सरकार एवं भामाशाहों के द्वारा सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सभी अत्याधुनिक आवश्यकताओं से परिपूर्ण पंडित दीनदयाल चिकित्सालय बना और जब यह चिकित्सालय बनाकर अपनी सरकार गई तो जितने डाक्टर अपनी सरकार ने लगाए थे।

इसके बाद में एक भी डाक्टर लगाने का काम इन्होंने नहीं किया। पुन: अब अपनी सरकार बनी तो मैं पूरी सरकार को धन्यवाद देती हूं कि पूरे डाक्टर सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चार्ज देकर तो जाओ, ऐसे ही क्या जा रहे हो, चार्ज ही नहीं दिया वापस।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): जो सरकार सेवा भाव से, सेवा करने की इच्छा से आती है उस सेवाभावी सरकार से मांगने की इच्छा आम गरीब जनता रखती है। पंडित दीनदयाल चिकित्सालय बना है उसमें 150 बैड़ का हास्पिटल चल रहा है। मैं अपनी मांग के अनुसार 150 से 300 बैड का करवाने की मांग रखती है। इसमें चौरासी, आसपुर, सागवाड़ा, गढी, धरियावाद आदि सभी विधान सभाओं के मरीज सागवाड़ा चिकित्सालय में आते हैं।

इसके साथ ही मैं स्टाफ के रहने की सुविधा को लेकर बात करना चाहूंगी, 150 का स्टाफ है और सिर्फ 18 आवास वहां पर उपलब्ध है, तो उसके लिए भी मैं मांग करूंगी कि 150 के हिसाब से डाक्टर्स के रहने के लिए आवास की सुविधा हो।

ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सागवाड़ा विधान सभा का बिलूडा गांव सबसे बड़ा गांव है। करीब 50 हजार की आबादी है। पीएचसी बिलूडा को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मैं मांग रखती हूं। ग्राम पंचायत बिवड़ाबड़ा मेरा आदर्श गांव है। ठाकेडा, पाडेडीबड़ी, लिमड़ी, सूरज गांव में पीएचसी स्वीकृत करने की मांग रखती हूं। ग्राम पंचायत गाटाकागांव, पाड़वा, बिलूडा, गरीयता, पीएचसी भवन के निर्माण के लिए बजट जारी करने का सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वागड़ में, आदिवासी क्षेत्र में डाक्टर्स की कमी की

(श्रीमती अनिता कटारा)

बात उठती है, तो कौन डाक्टर वहां अभाव में रहकर नौकरी करना चाहेगा। जो सुविधा गांवों में नौकरी करने वालों को मिलती है वही सुविधा शहर में नौकरी करने वाले को मिलती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए अगर विशेष ऐसा कोई नियम बने जिससे आदिवासी क्षेत्र में जो डाक्टर नौकरी करते हैं उनकी पदोन्नति में या पीजी वगैरह करने जाते हैं उसमें विशेष अंक या जो भी आप उचित समझे, ऐसी अगर डाक्टर्स को सुविधा मिलेगी तो आने वाले समय में वागड़ में, आदिवासी क्षेत्र में डाक्टर्स की कमी नहीं रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। आपको स्पेसिफिक जिस विषय पर मंत्रीजी को अपनी बात अभिव्यक्त करनी है वह आप स्पेसिफिक विषय पर कर दीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 पर, उसमें लिखा था, कि बानसूर की सीएचसी है उसमें सोनोग्राफी मशीन होनी चाहिए। ईसीजी, सीटी स्कैन, शिशु चिकित्सक, महिला चिकित्सक, एक सर्जन, इन सारी चीजों के लिए मैंने मंत्रीजी को लिखित में भी दिया हुआ है।

आज के युग में हार्ट की सबसे बड़ी बीमारी है। उसके लिए एक इंजेक्शन 30 हजार के लगभग आता है। अगर वह इंजेक्शन समय पर उपलब्ध हो जाता है तो व्यक्ति की जान बच जाती है। अभी सर्दी के सीजन में मेरे यहां एक-एक ग्राम पंचायत में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, नारायणपुर में तो सात युवाओं की मृत्यु हो चुकी है। मेरा मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि अगर यह इंजेक्शन उपलब्ध हो तो ऐसी नौबत दुबारा से नहीं आएगी।

फोगिंग मशीन हो, क्योंकि बीमारी का सीजन अभी गर्मी में चलेगा। आपसे निवेदन है कि यह हर सीएचसी, पीएचसी पर होनी चाहिए। हर सीजन में पूरी पंचायतों में दो-दो, चार- चार लोगों की मृत्यु हो जाती है। आपसे निवेदन है कि इस तरीके की सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाए। नारायणपुर में जनरेटर खराब पड़ा है, एक्सरे मशीन खराब पड़ी है। बीसीएमएचओ सभी को सूचित कर दिया जाता है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है, इस तरह की यह बड़ी परेशानी है।

मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हमारे हास्पिटल को भी क्रमोन्नत करने का आप कष्ट करें जिससे इससे निजात पा सकें। आपने मेरे को यह कहा था कि बानसूर में 26 डाक्टर के पद हैं और

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

25 भरे हुए हैं लेकिन इसमें तो गाइनिकी, मेडीसिन, बच्चों का एनेसथिसिया, सर्जन कहीं कैम्प में डयूटी कर रहे हैं। यह सभी मेरे पीएचसी और सीएचसी के हालात हो रहे हैं। चतरपुरा में बिल्डिंग भी दी हुई है। वहां पर एक पीएचसी खोलने का आप कष्ट करें, चतरपुरा में भी। एक ईएसआई हास्पिटल का कई दिनों से अलवर में मैटर चल रहा है। वह आज तक नहीं खुला नहीं है,तीन वर्ष से। आपने कहा तो है कि इस सत्र से चल जाएगा लेकिन मुझे लगता नहीं है। मेडिकल की दुकान पर फार्मासिस्ट मरीजों को दवा देते हैं, कई बार गलत दवा के लोगों की कारण मृत्यु भी हो जाती है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सभी चिकित्सकों के, अभी तक निदेशक और महानिदेशक, सहायक निदेशक के पद भी सृजित नहीं हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके अनुरोध से, 104 और 108 में ड्राइवरों को हटाकर सारा निजी कम्पनियों को दे दिया गया है। पुराने सारे ड्राइवर्स को हटा दिया गया है। मन माने अपने तरीके से उनको दुबारा से ट्रेनिंग देकर, जो ड्राइवर इतने दिन से चल रहे थे उनको क्या ट्रेनिंग नहीं दी गई थी।

एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है लेकिन उसके नोडल अधिकारी बनाए हैं, जिनको अदर स्टेट ने हटा दिया था, निकाल दिया गया था, उन्हीं को अपन ने राजस्थान में नियुक्ति दे दी। उसका सुचारू रूप से जो नियम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

उससे भी बड़ा एक भामाशाह योजना का चल रहा है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि भामाशाह कार्ड को लेकर लोग आए दिन हास्पिटल के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अभी मेरे पास धर्मसिंह सन आफ दिलीप सिंह एक पेशेंट आया, यह यहीं रहते हैं, विधायकपुरी के पीछे हथरोई किला सरदार बस्ती में ।जैसे ही गाड़ी निकल रही थी उसके आगे आ गए। इसका लीवर खराब है, कार्ड भी बना है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनके फादर भी बीमार है। इनके घर की हालत ऐसी है कि इनको खाने को दाने नहीं है, तो यह बीपीएल के लायक नहीं है क्या? इनको मैंने नगर निगम में भी भेजा लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मैंने कृपलानी जी को भी बोल दिया है। तो कम से कम ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट हो जाए। वह तरस-तरस कर घर पर नहीं मरे।

दूसरा उदाहरण है महेश पुत्र श्री नंदकिशोर। पारखचंद जी ने बात की थी कोकलियर इम्लांट सर्जरी, इसके लिए एसएमएस में 13 जून,2014 को आया और

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

चक्कर लगाते लगाते आज 2017 आ गई। मुख्य मंत्रीजी के यहां से 19.12.2016 को यह लिखकर आया कि उपरोक्त विषय में लेख है कि चिकित्सकों की राय के अनुसार 6 वर्ष से अधिक आयु में अब मूक बधिर बालकों के सुनने एवं बोलने की क्षमता विकसित नहीं हो सकेगी इसलिए हम मुख्य मंत्री सहायता कोष से इसकी मदद करने में असमर्थ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चक्कर पर चक्कर काटता-काटता, 2014 से 2016 तक चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर क्यों भामाशाह और बड़ी-बड़ी योजनाओं का नाम कर रहे हैं। अगर समय रहते इस बच्चे को सुविधा मिल जाती तो यह दिन उसको नहीं देखना पड़ता और आज उसके मां-बाप अपने बच्चे के दर्द को लेकर, अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से फिर रहे हैं। इस तरीके का एक केस नहीं है, ये कितने ही केस हैं, मैं आपको गिना सकती हूं। आप मदद करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके निर्देशानुसार एक अनुरोध है कि ऐसे लोगों की तुरन्त सुनवाई की जाये। अगर इस बच्चे को राहत दे सकते हैं तो इसको राहत दी जानी चाहिये, मशीन लगनी चाहिये। मैं इतना ही कह कर कि, मां-बाप बहुत रोये थे घर आकर अकेले में, अपनी संतान के दुःख को ले करके दर-दर भटकते रहे मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। धन्यवाद, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामपाल।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सफाई पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये आभार।

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' मंत्र के अनुरूप माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में एक ऐतिहासिक पहल की, जिसमें 1715 बीमारियों को शामिल कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में प्रारम्भ करके प्रदेश की 67 प्रतिशत जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी। उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई।

साथ ही, माननीय प्रधान मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं, आपने पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिये एक बहुत बड़ी पहल की। आप सबको विदित है कि खुले में शौच से 80 प्रतिशत बीमारियां होती हैं। साथ ही साथ उज्ज्वला योजना, मेरे गांव की माताएं अकसर चूल्हे का उपयोग करती थीं, आज उनको गैस कनेक्शन देकर अंधता रोग से, 80 प्रतिशत जनता को काफी राहत महसूस हुई है। साथ ही स्वामी रामदेवजी, माननीय प्रधान मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत बधाई कि आपने

(श्री रामपाल)

विश्व के 96 देशों के साथ-साथ भारत का विश्व योग दिवस के रूप में मान बढ़ाया।

साथ ही, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि प्रदेश में काफी संख्या में सरकारी और निजी ब्लड बैंक संचालित हैं। मैं निवेदन करुं कि क्या सरकार ने ब्लड बैंक के लिये कोई नीति बनाई है! जनता काफी जागरूक हुई है, रक्तदान-महादान के रूप में युवा बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। परन्तु उस रक्त का सरकारी तंत्र में किस प्रकार उपयोग हो रहा है, यह चीज गोपनीय है। पता नहीं एक सामान्य गरीब असहाय व्यक्ति, उसको यदि ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वह भटकता फिरता है और एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिये तत्काल ब्लड़ की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इसमें कोई समानता लाएं एवं उस रक्तदाता के लिये भी कोई प्रमाणित डोनर कार्ड की व्यवस्था करें ताकि वह समय पर उसका उपयोग भी कर सके।

साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि टी.बी. जैसी गम्भीर बीमारी के लिये जिला मुख्यालयों पर मरीज को भर्ती करने के लिये सुविधा नहीं है। एम.डी.आर. एवं एस.डी.आर. टी.बी. के मरीजों के लिये केवल जयपुर में ही सुविधा है। माननीय मंत्रीजी, यह सुविधाएं प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में हों और जिला स्तर पर जो टी.बी. वार्ड बंद किये हुए हैं उनका शुभारम्भ भी हो तो जनहित में बहुत लाभकारी होगा।

साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में थायराइड के रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों के समय पर इसकी जांच नहीं करवाने के चक्कर में उनकी बीमारी और गम्भीर होती जाती है। इनकी जांच की व्यवस्था केवल मेडिकल कॉलेजों तक ही सीमित है। मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर न्यूनतम दर पर यदि इसकी जांच हो तो जनहित में बहुत लाभकारी होगा।

साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि गत सरकार के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय पर बारां जिला अस्पताल की हालत जर्जर थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिला अस्पताल, बारां का सुदृढ़ीकरण करके 12 करोड़ के काम करवाये। मातृ-शिशु वार्ड को चमचमाता हुआ बनाया। बर्न वार्ड, गाइनिक वार्ड, इनमें सारी सुविधाओं को एवं ओ.पी.डी. वार्ड का काम अभी निर्माणाधीन है, इतनी जोरदार सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मैं तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता

(श्री रामपाल)

हूं कि यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज भवन के मापदण्ड के अनुरूप है। यदि माननीय मंत्रीजी बारां में मेडिकल कॉलेज दे दें तो वहां की जनता का बहुत बड़ा उद्धार होगा। क्योंकि बारां के आसपास 80 किलोमीटर दूर तक के लोग वहां इलाज करवाने आते हैं। साथ ही साथ, एम.पी. से नजदीक होने के कारण एम.पी. के खूब सारे मरीज भी बारां में इलाज के लिए आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करूं, मेरे क्षेत्र में जो समस्या है। जिला मुख्यालय पर सीटी स्केन की मशीन 2012 से बंद पड़ी है। उसकी व्यवस्था अस्पताल में न होने के कारण वह गरीब बाहर निजी जांच केन्द्र पर जाता है और अधिक धन व्यय करता है। साथ ही बारां-अटरू जिला चिकित्सालय पर पुरानी एक्स-रे मशीन है, जो जर्जर हो चुकी है। तो सीटी स्कैन मशीन के साथ डिजिटल एक्स-रे मशीन भी लगवाई जाए। जिला अस्पताल में काफी समय से 108 एम्बुलेंस की सुविधा ही नहीं है। जिला अस्पताल है, कम से कम दो एम्बुलेंस वहां उपलब्ध होनी चाहिये। परन्तु अभी वर्तमान में एक भी एम्बुलेंस नहीं होने के कारण काफी असुविधा महसूस होती है। जिला मुख्यालय पर अभी वर्तमान में काफी सारे पद रिक्त चल रहे हैं। दस चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं। दो सर्जन, एक चर्म रोग विशेषज्ञ, 25 नर्सिंग स्टाफ, 25 वार्ड ब्वाय, एक्स-रे के तीन, एनेस्थिसिया के दो तथा रेडियोग्राफर के तीन पद रिक्त हैं। साथ ही अटरू सी.एच.सी. अस्पताल में डाक्टरों के 06 पद थे, उप खण्ड मुख्यालय है, 35 हजार के लगभग आबादी है। साथ ही 35 ग्राम पंचायतें उस अटरू उपखण्ड मुख्यालय से जुड़ती हैं। वहां 06 डाक्टर थे, 06 में से 04 डाक्टर पी.जी. करने चले गये। आज की तारीख में केवल 02 डाक्टर हैं, जिसमें एक दंत चिकित्सक है। वह सही इलाज नहीं कर पाता, वह तो केवल दांतों की चिकित्सा करता है। केवल एक डाक्टर है जो चिकित्सालय की व्यवस्था देखता है। इससे मरीज बड़े परेशान होते हैं। सभापति महोदय, मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप तत्काल रिक्त पदों की व्यवस्था करवाते हैं तो हमारा बहुत भला होगा।

इसके साथ ही, मेरा लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। उसमें कुंजैड, कटावर और मोठपुर में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करेंगे तो बहुत ही आभार रहेगा। इसी के साथ में मेरा एक निवेदन और है। सी.एम.एच.ओ. के पास सफाई के लिये खूब फण्ड भी दिया जाता है। मेरे बारां शहर में, अपितु मैं

(श्री रामपाल)

तो कहूं, पूरे राजस्थान में जहां-जहां बड़े शहर हैं, उस सघन आबादी के बीच में खाली भूखण्ड पड़े हैं।

अपने मकान के सामने की तो सब सफाई करते हैं, नाले की भी सफाई होती है और सफाई भी होती है और वह सफाई की गदंगी कचरा उस खाली भूखंड में डाला जाता है मलबे के ढेर के रूप में, इतनी गदंगी हो जाती है। मेरे बारां शहर के अंदर छोटी तलाइयां हैं तीन वार्डों में और खाली भूखंडों को अंबार है और उनमें गंदगी और मलबे का ढेर भरा हुआ है तो मेरा निवेदन है कि उनको नोटिस देकर, ऐसे भूखंड मालिकों को, या तो वह निर्माण करे या फिर उसको निरस्त करके किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को देकर शीघ्र निर्माण करवाए तो बहुत अति उत्तम रहेगा।

साथ ही, मुख्य बाजार के बीच में यह मांस की दुकानें हैं, लोगों का निकलना दूभर हो जाता है तो मेरा निवेदन है कि ऐसी मांस की दुकानें या तो शहर से दूर लगाई जाए या इनको बंद करवाया जाए, इसी के साथ आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती रानी सिलौटिया।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और मैं धन्यवाद देती हूं अपनी सरकार को और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने हर तबके की जनता को, चाहे वह गरीब हो या पैसे वाला हो, सबको ध्यान रखकर जिस तरह स्वास्थ्य का ध्यान रखा है तो मैं अपनी सरकार को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के पाँच साल में उन्होंने सिर्फ 42 हजार करोड़ रुपये पाँच साल में खर्च किया और आज हमारी सरकार ने सिर्फ तीन साल में ही 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी सरकार किस तरह अपनी जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है और मैं इसी तरह, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो भामाशाह बीमा योजना लागू कर प्रदेश के गरीब को 30 हजार से 3 लाख रुपये तक का इलाज करने की जो व्यवस्था की है, वह एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही, जननी सुरक्षा,

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, राजश्री योजना जैसी योजनाएं हैं, जिससे राजस्थान की आम जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में दो सी.एच.सी. है, जिसमें एक सरमथुरा की सी.एच.सी. है जहां पर मतलब पोस्ट तो आठ है लेकिन एक भी डाक्टर नहीं है और एक डाक्टर है जो डेपुटेशन पर लगाया है तो भाई साहब, जहां जो डांग क्षेत्र है, जहां पर लोगों को, जनता को इतनी परेशानी होती है तो कम से कम वहां पर मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि वहां पर डाक्टर की व्यवस्था जरूर से जरूर करें क्योंकि वहां की जनता, जो मेरा क्षेत्र खनन एवं डांग क्षेत्र है, जहां पर जो मजदूर वर्ग रहता है, गरीब लोग रहते हैं, उनको जो पत्थर में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में इस बीमारी के लिए एक कैम्प लगाया जाए जिससे कि जनता को लाभ हो सके।

अभी हमसे पहले नवलगढ़ से आने वाले एक माननीय सदस्य राजकुमारजी शर्मा ने कहा था कि हमारी सरकार ने हर विधान सभा क्षेत्र में एक पी.एच.सी. को, हर विधान सभा क्षेत्र में, 200 विधान सभा क्षेत्र में खोला था लेकिन मैं यह कहूंगी कि इस कांग्रेस के पाँच साल में मेरी विधान सभा में एक भी पी.एच.सी. नहीं खोली गयी, यह झूठ बोल रहे थे क्योंकि अगर ऐसा पी.एच.सी. और सी.एच.सी. खोलने का काम किया है तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार कर रही है जिन्होंने तीन साल में हर विधान सभा क्षेत्र में सी.एच.सी. और पी.एच.सी. और मेडिकल कॉलेज भी, जो भी स्वास्थ्य के लिए काम किया है, वह हमारी ही सरकार कर रही है और आगे भी करेगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नई पी.एच.सी. खोली नादनपुर जो कि एक डांग क्षेत्र है तो इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यह पी.एच.सी. खोली है और उसका टेंडर भी हो गया है और डाक्टर भी लगाया गया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

इसके बाद में इतनी बड़ी मतलब, 15 पंचायत के बीच में एक सी.एच.सी. है भाई साहब, और उसमें 30 बैड का हॉस्पिटल है तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि वहां पर 50 बैड का अगर हॉस्पिटल किया जाए तो वहां की जनता को बहुत सुविधा होगी क्योंकि जैसे ही गंभीर बीमारी होती है तो न तो कोई लेडी डाक्टर है, न कोई स्पेशलिस्ट लगा हुआ है, जिससे कि वहां जनता जैसे ही हॉस्पिटल में जाती है तो उनको परेशानी होती है और उसका धौलपुर रैफर किया जाता है जो कि वहां से 60 किलोमीटर है तो मैं यह चाहती हूं कि 30 बैड से 50 का किया जाए और उसमें डाक्टरों की भी व्यवस्था की जाए।

इसी तरह बसेड़ी में भी 30 बैड का ही हॉस्पिटल है, जो कि 20 पंचायतों में सिर्फ एक ही सी.एच.सी. है, जहां पर बसेड़ी की 20 पंचायतों के बीच एक सी.एच.सी. है तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि वहां भी जो बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं उनमें पी.एच.सी. खोली जाए। एक तो बोरेली, गुलावली और जारगा जो इतनी बड़ी-बड़ी पंचायते हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, इनके लिए बसेड़ी में आने के लिए 25 किलोमीटर की दूरी है तो मैं यह चाहती हूं कि इन तीनों पंचायतों में पी.एच.सी. खोली जाए क्योंकि गुलावली में तो जगह भी आबंटित हो चुकी है लेकिन वहां पर अभी तक नहीं खोली गयी तो मैं यह चाहूंगी वहां पर खोली जाए।

मैं यही कहना चाहूंगी कि बसेड़ी में जितने रिक्त पद हैं, सरमथुरा में तो डाक्टर की कमी है लेकिन बसेड़ी में भी डाक्टर नहीं है। तीन डाक्टर लगे हुए हैं और वहां पर मेल- नर्स की और एक तो सफाई कर्मचारियों की जगह खाली है। एक एक्स-रे मशीन तो है लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं है जिससे कि जनता को एक्स-रे की जरूरत पड़ती है तो उनको वापस रैफर कर दिया जाता है तो वहां पर एक एक्स-रे के लिए एक कर्मचारी लगाया जाए और ड्राइवर की भी कमी है जैसे कि गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो ड्राइवर की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या-26 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय मानिक चन्दजी सुराना, आप बोलें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विगत तीन वर्षों से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य सूचकांक में कुछ अच्छी दिशा में बढ़ोतरी हुई है। हमारी प्रजनन दर में कुछ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कमी हुई है, हमारी शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है और मातृ मृत्यु दर में भी कमी हुई है।

राज्य की प्रजनन दर जो 2012 में भारत के 2.4 के मुकाबले 3 परसेंट थी, उसमें 2014 में सुधार हुआ और अब भारत की प्रजनन दर 2.3 के मुकाबले हमारी प्रजनन दर 2.4 है तो काफी सुधार प्रजनन दर में हुआ, शिशु मृत्यु दर में हुआ, मातृ मृत्यु दर में हुआ। स्वास्थ्य के बजट में 6.31 परसेंट की बढ़ोतरी 2016-17 के बजट में हुई और 2015-16 के बजट में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 82.39 परसेंट हुआ। मैं यह पूछना चाहूंगा सरकार से कि जब बजट उपलब्ध था तो 18 परसेंट बजट 2015-16 में खर्च क्यों नहीं किया गया? 2016-17 में भी 83.19 परसेंट हुआ, यह बजट खर्च नहीं हो रहा है और परिवार कल्याण हेतु जो बजट अनुमान है, उसमें वास्तविक व्यय 80.29 परसेंट है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि बजट उपलब्ध होते हुए भी 18 परसेंट, 19 परसेंट, 17 परसेंट बजट खर्च न होना निश्चित रूप से यह शुभ चिन्ह नहीं है। अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक पूंजीगत व्यय करके मशीनें, उपकरण, बिल्डिंग्स बनाने की बात कही है और सारे बजट में जब मैं देखता हूं तो हजारो-सैकड़ों करोड़ की बचत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी शुभ चिह्न है कि पूंजीगत व्यय में 2012-13 में जो 5.5 था, 2015-16 में 7.42 हुआ, 2016-17 में 23.23 हुआ और वह 2017-18 में 13.65 हो गया।

(21.00 बजे)

निश्चित रूप से सरकार ने माइक्रो लेवल पर राजस्थान की पी.एच.सी. और सी.एच.सी., डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, इन सबमें जो भी उपकरणों का अभाव है, बिल्डिंग का अभाव है, अन्य अभाव है, उन पर ध्यान दिया है और पूंजीगत बजट में वृद्धि हुई है। पर, उपाध्यक्षजी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विशेषज्ञ के 1566 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पदस्थापित मात्र 526 हैं, 1040 विशेषज्ञों की कमी है, यानी 66 प्रतिशत विशेषज्ञ कम हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ कुल पद 271, इनमें कार्यरत 99 हैं और रिक्त पद 172 हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ 229 हैं, इनमें कार्यरत 189 और रिक्त 140 हैं। चिकित्सकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 565 पद हैं, उनमें, उपाध्यक्ष महोदय, 286 खाली हैं, 279 कार्यरत हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है Proof of pudding is in the eating. भोजन कैसा बना है, वह तो खाने से ही पता चलेगा। यह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थितियां हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार में जो स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या थी 28 हजार, उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी की है। जो 28 हजार थी, वह अब 49 हजार हो गयी है, बढ़ोतरी 21 हजार की है, लेकिन रिक्त पद भी 15 हजार 663 हैं। हम मात्र पाँच-छह हजार पद भर पाये हैं। हमने निश्चित रूप से स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के अनुकूल पदों का सृजन किया है, लेकिन उन पर प्रोपर पदों की भर्ती करने में अभी तक सरकार सफल नहीं हुई है।

उपाध्यक्षजी, इसी संदर्भ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सी.एच.सी. है, उस सी.एच.सी. की स्थिति यह है, अनेक माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की पी.एच.सी. और सी.एच.सी. की स्थिति बतायी है, मेरे यहां एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद है, वह रिक्त है, कनिष्ठ विशेषज्ञ 6 में से सिर्फ 4 काम कर रहे हैं, चिकित्सा अधिकारी 5 पदों में से सिर्फ 3 है, कुल मिलाकर 15 पद डाक्टर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर के पद भी रिक्त हैं। कुल 15 पदों में 9 पदों पर कार्यरत हैं।

उपाध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र में कालू में जो पी.एच.सी. थी, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया, उसके लिये मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जिले में खाजूवाला में भी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में कन्वर्ट किया, उसके लिये भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। छतरगढ़ में भी जैसा खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि सी.एच.सी. खुली है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बीकानेर और सूरतगढ़ की दूरी 170 किलोमीटर है और इसके 170 किलोमीटर की दूरी में एक भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 175 किलोमीटर की दूरी में लूणकरणसर 70 किलोमीटर पर है तो बीच में जो भी 125 या 150 किलोमीटर में कोई दुर्घटना होगी तो ट्रोमा सेंटर लूणकरणसर बनाइये ताकि जितने एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और जिस पर काफी चर्चा भी हुई है सार्वजनिक निर्माण की मांग पर, कि 15 हजार से ऊपर एक्सीडेंट में लोग मरे हैं तो मरने वाले लोगों का बचाव करने के लिये निश्चित रूप से मेरा सुझाव होगा कि आप एक ट्रोमा सेंटर लूणकरणसर में खोलें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा भामाशाह योजना की काफी चर्चा हुई। भामाशाह योजना पर मैंने एक प्रश्न लगाया था और उस प्रश्न का इसी एक मार्च

(श्री मानिक चन्द सुराना)
को जवाब आया कि 7 लाख 24 हजार 982 लोगों को लाभान्वित किया गया। यह 362 करोड़ 15 और कुछ हजार रुपये में लाभान्वित किया गया। निश्चित रूप से भामाशाह स्वास्थ्य योजना जन-जन तक पहुंच रही है। आज 7 हजार 24 लोगों तक तो 28 फरवरी तक पहुंच चुकी है इस साल में। मैं निवेदन करना चाहूंगा लेकिन भामाशाह में जो शिकायतें आती हैं, प्रान्तीय स्तर पर, जिला स्तर पर उन शिकायतों का निवारण तत्काल किया जाना चाहिये। डॉक्टर्स को हिदायत दी जानी चाहिये कि जब 30 हजार से 3 लाख तक खर्च किया जा सकता है, तो वह उपयुक्त दवाइयां उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने सवाल पूछा था उसमें मैंने फीगर पूछा कि कितने लोगों को एक लाख से तीन लाख के बीच में उपचार दिया गया है? उपाध्यक्ष महोदय, 1306 व्यक्तियों को दिया है। माननीय पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी सुनें, मात्र 1306 व्यक्तियों को 6 जिलों में यह सुविधा एक लाख से तीन लाख के बीच में उपलब्ध कराई और उसमें भी सिर्फ जयपुर में 865 लोगों को, उदयपुर में 333 लोगों को और अजमेर में सिर्फ 3 आदमियों को, बीकानेर में 18 को, जोधपुर में 81 को और कोटा में मात्र 6 लोगों को उपलब्ध करायी गयी है। यह 6 जिलों को आप 33 जिलों में बढ़ाएं, 27 जिले जो वंचित हैं एक लाख से तीन लाख की जो सीमा बना दी है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उसके लाभ से जो वंचित हैं, आप कृपया 27 जो जिले वंचित हैं, जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं, यह आपका ही दिया हुआ आंकड़ा है मेरे प्रश्न के उत्तर में। मैं चाहूंगा कि इस भामाशाह स्वास्थ्य योजना का 30 हजार से 3 लाख तक विस्तार सभी जिलों में किया जाए। असल तो यह जयपुर और उदयपुर में दिया गया है, यह सभी जिलों में बिलकुल उदारता के साथ, जिस उदारता से सरकार ने 30 हजार से 3 लाख का है, उसका उपयोग किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ चिकित्सा मंत्री थे, तो उनको याद होगा कि गारबदेसर गांव में इन्होंने फरमाया था कि यहां पी.एच.सी. की बिल्डिंग बने। वह वर्तमान मंत्रीजी सुने कि आज तक नहीं बनी है। पंचायत का पट्टा आपको मिल गया है। ततरियासर गांव में भी पंचायत का पट्टा मिल गया है। पी.एच.सी. दोनों जगह पर घोषित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, पंचायत का पट्टा दोनों जगह नहीं मिला है। इन दिनों में मिल गया तो मुझे मालूम नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं-नहीं, पंचायत का पट्टा आपके समय में भी मिल गया था, माफ करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं जो आपने घोषणा की

(श्री मानिक चन्द सुराना)
उसका तो स्वागत किया है हमने। मैं यह ध्यान दिला रहा हूं कि जब पंचायतों ने पट्टे दे दिये, पी.एच.सी. स्वीकृत है तो फण्ड्स रिलीज कीजिये, बिल्डिंग बनाइये। मैं आलोचना नहीं, समालोचना कर रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं कि जो कार्य अपन ने घोषित किये, वह बाकी हैं, तो पूरा करना अपना दायित्व है।

उपाध्यक्षजी, बामणवाली में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा की गयी थी। वह बिल्डिंग भी बननी है, वहां पर भी खुलना है।

खैर, और कोई छोटी-मोटी बातें हैं वह मैं कहूंगा। मैं चिकित्सा शिक्षा के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। अभी सरकार ने 7 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी की शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा के हस्ताक्षर से। जिसमें कहा कि विशिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ को प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के समकक्ष बनाया जाएगा।

सारे राजस्थान के मेडिकल टीचर्स ने राज्य सरकार को इस्तीफे सुपुर्द किये। इतना जरूर है कि वर्तमान मंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ, जिन्होंने इस्तीफे दिये मेडिकल कॉलजेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तत्काल उनके प्रतिनिधि मण्डल को बुलाया और प्रतिनिधि मण्डल को बुला कर, उपाध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को ही, यानी 7 को विज्ञप्ति जारी हुई, 7 की शाम तक उन्होंने हड़ताल कर दी, 8 को हड़ताल रही, जो कुछ उससे नुकसान हुआ, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन 9 तक वापस विज्ञप्ति माननीय मंत्रीजी ने जारी करवा दी कि यह विज्ञप्ति नये मेडिकल कॉलेजेज के लिए है।

अपने को नये मेडिकल कालेज 8 बनाने है। पूरी सरकार से मेरा निवेदन है कि नये मेडिकल कालेजज का स्तर, उसके विद्यार्थी का स्तर, उसके एम.बी.बी.एस. का स्तर हमारे वर्तमान राजकीय मेडिकल कालेजेज जो हम चला रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर वगैरह-वगैरह, उनसे कम नहीं होना चाहिए। आपने जो 9 तारीख को यह विज्ञप्ति जारी की है, आपने अपनी विज्ञप्ति में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मार्च, 2005 की अधिसूचना, बिंदु संख्या 11 (1)(डी) का जिक्र किया है। 11 (1)(डी)) जो है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो यह कहती है कि उन डाक्टर्स को, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा पढ़ाई है 18 साल, 10 साल और वो मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल नहीं हैं लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल से सम्बन्धित है, जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उनको उसमें चिकित्सा शिक्षा पढ़ाने का अनुभव है. तो उनको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के समकक्ष बनाया जा सकता है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को मालूम है कि एक मात्र रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है और 6 साल बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाता है। डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट एसोसिएट प्रोफेसर का नहीं होता है और प्रोफेसर का भी नहीं होता है। जो एसोसिएट प्रोफेसर्स बनते हैं, चार साल बाद वो क्वालिफिकेशन उनकी हो जाती है कि उनको प्रोफेसर बनाया जाए। जब आप एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर की डाइरेक्ट भर्ती नहीं कर सकते, वो भर्ती प्रमोशन से है और जिन्हें आप प्रमोट करना चाहते हैं वो लोग तो क्लिनिकल साइड के लोग हैं।

क्लिनिकल साइड के लोग होने के कारण, मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूं कि पहले दो साल में मेडिकल कॉलेज में जो विषय पढ़ाये जाते हैं, माननीय वर्तमान चिकित्सा मंत्रीजी नोट करें, एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, फार्माकोलोजी, पैथोलोजी, आपके क्लिनिकल साइड के डाक्टर जो जनरल मेडिसिन के हैं, ईयर नोज थ्रोट के हैं, ऑर्थोपेडिक्स के हैं, टीबी चेस्ट के हैं, आई के हैं वो कैसे एनाटोमी पढ़ा देंगे, कैसे वो फिजियोलोजी पढ़ा देंगे, कैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ा देंगे? मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया का प्रथम दो साल का कोर्स फिक्स्ड है कि इन-इन विषयों में पढ़ाना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के अनुसार, एम.डी. हैं एम.एस. हैं, उनको आप एसोसिएट प्रोफेसर बना सकते हैं, पर आपने जब 8 मेडिकल कॉलेज, पहले 6, फिर 8 मेडिकल कॉलजेज की घोषणा की, आपने पी.एस.सी. को क्यों नहीं लिखा कि वो ऑल इंडिया में विज्ञापन करते कि हम को प्रोफेसर चाहिए हमको एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए? उपाध्यक्ष जी, 70 लोग चाहिए एक मेडिकल कॉलेज में जो अलग-अलग विधाओं में पढ़ाने वाले हैं। तो 70 चाहिए, हम को 8 बनाने हैं तो 560 लोगों की विज्ञप्ति आपने जारी क्यों नहीं की? अब एक तरफ तो जारी नहीं की और अब आप जो क्वालिफाइड नहीं हैं उनको आप क्वालिफाइड करना चाहते हो यह बिलकुल उचित नहीं है।

जो 11 (1)(डी) का प्रावधान है, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आपके उप सचिव ने 11 (1)(डी) का जो अर्थ किया है और जिस तरह से उसमें लिखा है वो भी गलत लिखा है और उसमें अनर्थ किया है। उन्होंने हॉस्पिटल के बाद जो शब्द है 11 (1)(डी) में "not attached to any medical college" और जो मुख्य बात है 11 (1)(डी) में।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बस मैं चिकित्सा शिक्षा पर कह कर आपके आदेश की, आप फरमाएं तो अभी कर दूं, लेकिन मैं बात पूरी कर देता हूं।

माननीय मंत्रीजी, सुनिये। सुनिये भी और पढ़ियेगा भी और अपने प्रशासन को भी कहियेगा पढ़ें। “Consultants of Specialists who have the experience of working for a period of not less than 18 years and 10 years in the teaching and other general departments in the institutions or hospitals.” आप वर्ड मार्क करें “institutions or hospitals” “not attached to any medical college where with the affiliation from any university post-graduates teaching is being imparted as contemplated in sub-regulation 1(d) of regulation 8.” तो आप 11 (1)(डी) को पढ़ लें, सारा जोर चिकित्सा शिक्षा जो इम्पार्ट कर रहे हैं उनको प्रोफेसर का पद, एसोसिएट प्रोफेसर का पद और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिये जाने का प्रावधान है। आपके उप सचिव ने “not attached with medical college” लिख कर इनको विलोपित करके और अनर्थ किया है। 11 (1)(डी) को बिलकुल उलटा कर दिया है सरकारी विज्ञप्ति में।

मेरा निवेदन है कि हमारी 8 मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी, हमारे वर्तमान राजकीय मेडिकल कालेजेज के स्तर के हों इसलिए जो लोग सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हैं, आपको आपके सचिव ने बताया भी था कि, हां, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही मानेगी, इससे ऊपर नहीं मान सकते। तो मैं निवेदन करता हूं कि इस पर आप पुनर्विचार करिये और जो 11 (1)(डी) की व्याख्या है कि जिन्होंने टीचिंग किया है, हमारे डाक्टरों ने जो क्लिनिकल साइड के हैं, कौनसा टीचिंग किया है? मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप देखें, इसको रिवाइज करें।

इस एस.एम.एस. हॉस्पिटल को आपने जयपुर मेडिकल कालेज से जो अनाप-शनाप अस्पतालों को सम्बन्धित कर लिया है, वो अनर्थ है। एस.एम.एस. को रैफरल हॉस्पिटल बनाइये और जितने हॉस्पिटल्स हैं, आपने दूसरे लिये हैं, कांवटिया, बनीपार्क, इन सब को वापस मेडिकल कालेज, जयपुर मेडिकल कालेज से सम्बन्धित करिये और आपके यहां जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं और जो जूनियर स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, उन सब को इन अस्पतालों में भेज कर इनके स्टैंडर्ड को, इनके उपचार के स्तर को आप उच्च स्तर का बनाइये। जो एक खांसी का, एक मामूली बुखार का आदमी एस.एम.एस. आता है और ऐसे 20 हजार जो इण्डोर है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन सब को सैटेलाइट्स में भेजिये, सैटेलाइट्स में आपके स्पेशलिस्ट को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

भेजिये और एस.एम.एस. को रैफरल हॉस्पिटल बनाइये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट की तरह और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट की तरह बनाने का जो अपना सपना है उसको पूरा करने का काम करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी निवेदन के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मास्टर मामन सिंह यादव।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर चर्चा के लिए आपने अनुमति दी इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के समय मेरे ही क्षेत्र से चिकित्सा मंत्री थे इसलिए मैं उनके बारे में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा बारीकी से जानता हूं तो एक मिनट मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सीधे वर्तमान विषय पर आ जाएं। पूर्व चिकित्सा मंत्री क्या करते थे, यह तो छोड़िये। आप तो वर्तमान पर आ जाइये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): नहीं, नहीं, उनका नाम नहीं। उनकी कार्य प्रणाली पर बात करूंगाय़

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के समय में चिकित्सा की व्यवस्था इतनी अस्त-व्यस्त हो गई थी कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, सभी जगह खाली पोस्टें थी। चलते-चलते सरकार ने इतने सब सेंटर्स और पीएचसी खोलने की घोषणा कर दी और उनकी लिस्ट बनाकर के सचिवालय में चस्पा कर दी। उन पीएचसी, सीएचसी की ना तो कोई बजट की व्यवस्था की, न ही स्टाफ की व्यवस्था की और न ही डॉक्टरों की व्यवस्था की।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने केवल काम किया तो एम्बुलैंस और 104 की व्यवस्था की। उनके अंदर भी ऐसे चालक लगाए गए जो अपराधी तत्व और एक वर्ग विशेष के लोग थे। उनके लिए न तो कोई टेस्ट था, न ही कोई क्राइटेरिया था। उनमें 5 सालों तक मरीजों को लाने ले जाने का काम नहीं, अपराध करने का काम किया गया। इससे सब त्रस्त थे।

उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिए मेरे तिजारा में ही जाते-जाते 15-16 पीएचसी खोल दीं और एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। उनमें से कुछ तो ऐसी जगह खोल दी जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक वर्ग विशेष के लिए ही खोल दी।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

पहाड़ों में, नदी, नालों में जहां उनकी आवश्यकता ही नहीं थी वहां पर खोल दी। जहां पर कि आबादी ही नहीं है। जब आबादी ही नहीं है तो वहां डाक्टर क्या करेगा। अब भी यही हालत है वहां पर। वहां कोई डाक्टर जाता नहीं है, वहां कोई मरीज नहीं, उबड-खाबड़ जगह है, लेकिन खोल दी क्योंकि वहां उनका हित था। यह जितनी भी खोली उनके लिए भी बजट की कोई व्यवस्था नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री महोदय, राठौड़ साहब इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने चलते-चलते खोल दी थी लेकिन फिर भी 19 करोड़ 38 लाख रुपए का बजट देकर सारी पीएचसीज, सब सेंटर्स पर भवन की व्यवस्था की। डाक्टर, जीएनएम, एएनएम के सभी पद खाली थे पूर्व सरकार के समय में।

मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी तिजारा विधान सभा क्षेत्र में एएनएम, जीएनएम, डाक्टर्स आदि सभी कर्मचारियों की सम्पूर्ण व्यवस्था है। कोई पद खाली नहीं है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया, वर्तमान मंत्री महोदय को और विशेष रूप से राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भी मैं इनके पास गया तो इन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया।

हमारी सरकार ने ही 2 अरबन एरिया खजुरियावास और साड़ौद में पीएचसी खोली। उनका बजट भी हाथ की हाथ दे दिया। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्सिंग कालेज, तिजारा के लिए 5 करोड़ का बजट माननीय मंत्री महोदय ने अभी 2016-17 के बजट में दिया। साथ की साथ ही उसकी स्वीकृति दे दी और उसके टेंडर होकर के काम चालू हो गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी जब अलवर पधारी थी तो उसका शिलान्यास भी कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पीएचसी पहाड़ों में अनावश्यक रूप से खोल दी गई, वैसे तो इनकी संख्या 5-7 हैं, लेकिन इनमें से 3 तो ऐसी हैं जिनके लिए जमीन ही नहीं मिली। पहाड़ में पीएचसी कैसे बनेगी? नाला, नदी में कैसे बनेगी? वहां न तो भूमि मिली और न ही वहां पट्टा मिलने के कारण भवन बना। डाक्टर वहां 7 दिन में 1 दिन जाता है और वहां कोई मरीज नहीं मिलता। इस तरह की पीएचसीज में सारेकलां, रूपवास और मिलकपुर तुर्क, पंचायत समिति तिजारा हैं, यह 3 तो ऐसी हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि पूरे

(मास्टर मामन सिंह यादव)

तिजारा विधान सभा क्षेत्र में गोठड़ा, जो कि सबसे बड़ा गांव जनसंख्या में है और वह आदर्श ग्राम पंचायत भी है। किशनगढ़ विधान सभा और तिजारा दोनों के मरीज वहां पर आते हैं। वह गांव बीच में पड़ता है लोकेशन के हिसाब से, लेकिन उसको उपेक्षित रखा गया क्योंकि उनके लोग उसमें नहीं थे।

दूसरा कमालपुर गांव, जो कि मेरा पैतृक गांव है। उसके चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र हैं। वह पूर्व मंत्री महोदय ने इसलिए वंचित रखा क्योंकि मैं उनका विरोधी था, प्रतिद्वंद्वी था।

कोटकासिम पंचायत समिति जो कि मेरे से सटते हुई ही है। उसके अंदर भी सबसे बड़ी आबादी का गांव बूढ़ी बावल है। यह पूरे कोटकासिम क्षेत्र की सबसे बड़ी आबादी का गांव है और यह हरियाणा के बॉर्डर पर भी लगता है। उसको भी वंचित रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह जो 3-4 मैंने पीएचसीज बताई हैं, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर वित्तीय व्यवस्था नहीं बैठे तो इनको रद्द करके, संशोधन करके व्यवस्था करें। अगर कोई सरकार गलत करती है तो जनता इसीलिए सरकार बदलती है कि उनके गलत निर्णयों पर पुनः निरीक्षण करके उसमें बदलाव करें और जनता को सुविधाएं दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय कालीचरणजी सराफ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब यह उच्च शिक्षा मंत्री थे तो मैंने इसी तरह का एक निवेदन किया था कि जो आईटीआई कालेज खुला, उसमें केवल अल्पसंख्यकों के लिए धर्म के नाम पर पूर्व सरकार ने शिक्षा दी और माननीय माननीय मंत्री महोदय ने सटीक निर्णय लेते हुए यहीं से घोषणा की कि शिक्षा सभी धर्मों के लिए, सभी जनता के लिए होगी। यह आपका एक उदाहरण है।

मुझे उम्मीद है कि आज भी जो अनावश्यक पीएचसीज हैं उनको रद्द करके यह जहां जरूरी हैं, वहां खोलनी चाहिए थी, जिनका हक है, इनकी आज घोषणा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक निवेदन और है कि भिवाड़ी एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर गरीब कार्मिक, मजदूर लोग रहते हैं। वहां पर एक ब्लड बैंक और ट्रोमा सेंटर खोलने की व्यवस्था करें। वहां पर रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो अनावश्यक पीएचसीज हैं, यह सूची भी मैं आपको दे रहा हूं, उनको रद्द करके उनका स्थानान्तरण जहां आवश्यकता है वहां

करने की कृपा करें। वहां इनका ना तो अभी तक भवन बना है और ना ही उसका कोई बजट है। वहां पर कोई डाक्टर भी नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो मैं यह मंत्री महोदय को दे दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के 34 माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष् जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट कर मेरा मार्गदर्शन किया।

उपाध्यक्ष महोदय, 149 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अपनी मांगें प्रस्तुत की। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, कल सुबह जब आप जगेंगे, उसके पहले उसका जवाब आपके घर पर पहुंच जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहस में माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं। मैं उन सभी सुझावों के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं और इनमें से जो सुझाव लागू करने योग्य होंगे यथासंभव उनको लागू करने का मैं प्रयास करुंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया।...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री ने कहा है कि कल सुबह तक सब कट मोशन के जवाब पहुंच जाएंगे, जवाब तो आ जाएगा लेकिन आपने कट मोशन को स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, यह तो आपको बताना ही पड़ेगा। अस्वीकृति के जवाब आएंगे या स्वीकृति के जवाब आएंगे यह बता दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह आपको सुबह पता चल जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह सुबह नहीं अभी बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह अंदर की बात है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पाँच-पाँच मिनट हम भी बोल लें। उपाध्यक्ष महोदय, सब बोले हैं तो हम भी कुछ बोल लें। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री का वक्तव्य जब पूरा आ जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो निवेदन कैसे करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद आसन कुछ आप लोगों से निवेदन करेगा। अगली चार डिमांड उसी आधार पर चलेगी। पहले वक्तव्य आ जाए फिर मैं निवेदन करूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही प्रदेश और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है। हमारी सरकार जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के आम अवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, 3 लाख 42 हजार 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व मात्र 200 है। प्रदेश के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों सहित दूरस्थ स्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना एक बड़ी चुनौती है। आज प्रदेश की जनसंख्या का अधिकांश भाग 17 हजार से अधिक राजकीय चिकित्सा संस्थान, उप केन्द्र से लेकर मेडिकल कालेज, राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो कार्यरत हैं, पर निर्भर है।

राजकीय चिकित्सा संस्थानों में वर्ष 2016 में जनवरी से दिसम्बर तक के कुछ तथ्य मैं बताना चाहूंगा कि 2016 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 11 करोड़ 27 लाख 58 हजार 141 आउटडोर, 1 करोड़ 57 लाख 7 हजार 427 मेडिकल कॉलेज और अटैच्ड हॉस्पिटल्स में आउटडोर और कुल 12 करोड़ 84 लाख 65 हजार 567 का आउटडोर हमारे प्रदेश में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में है। इनका यदि प्रतिदिन का औसत निकालें तो 3 लाख 8 हजार 926 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, 43 हजार 34 चिकित्सा शिक्षा विभाग के 6 मेडिकल कालेजों और अटैच्ड हॉस्पिटल्स में और कुल 3 लाख 51 हजार 960। इन्डोर का यदि विश्लेषण करें तो कुल 55 लाख 11 हजार 60 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, 13 लाख 97 हजार 324 चिकित्सा शिक्षा विभाग और कुल मिलाकर 69 लाख 8 हजार 384। प्रतिदिन का औसत निकालें तो कुल 18 हजार 297 का प्रतिदिन का औसत है इन्डोर का। मेजर सर्जरी की यदि हम बात करें तो कुल मेजर सर्जरी चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(श्री कालीचरण सराफ)

विभाग में मिलाकर 4 लाख 46 हजार 656 की मेजर सर्जरी होती है। औसतन प्रतिदिन यदि देखें तो 1 हजार 223 सर्जरी हमारे प्रदेश में हो रही है। माइनर सर्जरी को यदि हम देखें तो कुल मिलाकर 2 हजार 447 माइनर सर्जरी हमारे प्रदेश में होती है।

मैं आदरणीय वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष के सम्मिलित बजट में जो उल्लेखनीय वृद्धि की है, वर्तमान सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में गत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल से दुगनी राशि से भी अधिक हम लोगों ने अधिक व्यय हम कर चुके हैं। 2008 से नवम्बर, 2013 तक जन स्वास्थ्य विभाग ने 1637.91 करोड़ की राशि खर्च की गई और परिवार कल्याण में 228 करोड़ 9 लाख की राशि खर्च की गई। यानी कुल आपके राज में पांच साल में 1866 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमने नवम्बर, 2013 से नवम्बर, 2016, यानी तीन साल में कुल 4099.31 करोड़ रुपए खर्च किए; यानी 1866 आपके पाँच साल के और हमारे 4099.31 तीन साल के। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गत सरकार के पाँच साल के कार्यकाल में 4811.16 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई जबकि हमारे तीन साल के कार्यकाल में 5172.69 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6 हजार 315 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि जो वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 8.21 प्रतिशत अधिक है।

यदि वर्तमान सरकार और गत सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल की तुलना करें तो दिसम्बर, 2013 से अक्टूबर, 2016 तक की हमारी उपलब्धियां, उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हमने 488 कराए और आपके दिसम्बर, 2008 से अक्टूबर, 2011 के यानी तीन साल में आपके जीरो। एक भी उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण नहीं कराया। इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण हमने 58 का कराया, आपके यहां जीरो। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर आवासीय भवन के निर्माण हमने 253 के कराए, आपके यहां जीरो। पीएचसी, सीएचसी और जिला चिकित्सालयों पर आवासीय भवन के निर्माण हमने 307 कराया आपके जीरो। पचास व सौ बैड वाले मातृ एवं शिशु केन्द्र के भवन निर्माण हमने 45 कराए और आपके जीरो।

इसी प्रकार से नियुक्तियों का जहां तक सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये खोले किसने यह तो बता दो।

पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, आपने कितने खोले सवा तीन साल में? यह तो उपलब्धि बता रहे हो यह माननीय मंत्री महोदय तो बता सकते हैं, आपका तो जीरो है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं अभी बता रहा हूं कि चाहे यह मंत्री रहे हैं, या मैं मंत्री रहूं, भारतीय जनता पार्टी में आपके जैसे कोई फर्क नहीं है कि अशोक गहलोतजी क्या कहें और सचिन पायलटजी क्या कहें, रामेश्वरजी डूडी क्या कहे और डोटासराजी क्या कहे। हमारे यहां एक ही बात है। ...(व्यवधान)... ठीक है न?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्तियों का जहां तक सवाल है, अभी बड़े बढ़ चढ़कर कह रहे थे कि डाक्टरों की बड़ी कमी है, पैरा मेडिकल स्टाफ बिलकुल कम है तो मैं वह भी आंकड़े बता दूं कि गत सरकार के प्रारम्भिक तीन वर्षों में मात्र 1 हजार 543 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई जबकि वर्तमान सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में हमने 4 हजार 164 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की। ...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उनमें से जोइन कितनों ने किया?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठो, आप सबका जवाब दूंगा चिंता मत करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दंत चिकित्सकों के 80 पदों पर भी हमने नियुक्ति प्रदान की। संविदा के आधार पर वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से 479 व पे माइनस पेंशन के आधार पर 51 चिकित्सा अधिकारियों को भी नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 684 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती तथा 82 चिकित्सा अधिकारी, दंत के पदों की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है।

नर्सिंग ग्रेड द्वितीय के 11 हजार 113 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5 हजार 361 पदों पर नियुक्ति के साथ फार्मासिस्ट के 670, प्रयोगशाला सहायक के 646, प्रयोगशाला तकनीशियन के 313, नेत्र सहायक के 102 और सहायक रेडियोग्राफर के 83 पदों पर भी नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। इन तीन वर्षों में पैरामेडिकल स्टाफ की कुल 8 हजार 368 पदोन्नतियां की जा चुकी है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2014-15 में की गई घोषणा की पालना में 13 दिसम्बर, 2015 से प्रारम्भ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश की दो तिहाई जनसंख्या को सामान्य बीमारियों के लिए तीस हजार रुपए और गम्भीर बीमारियों के लिए तीन लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। योजना में 1715 पैकेज शामिल है।

(श्री कालीचरण सराफ)

यह सुविधा 496 राजकीय चिकित्सा संस्थानों और सूचीबद्ध 660 निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 445 करोड़ रुपये की राशि के लगभग 8 लाख 75 हजार क्लेम बुक किये जा चुके हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बीमा कंपनी को जा चुके हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 662 व्यक्तियों की प्लास्टिक सर्जरी, 6376 की एंजियोप्लास्टी, 681 के हार्ट बाईपास, 354 की हार्ट सर्जरी, 1470 की ब्रेन सर्जरी, 2172 की स्पाइनल सर्जरी और 662 की प्लास्टिक सर्जरी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत की गयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हेयर ट्रांसप्लांट कितनों ने कराया?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हेयर ट्रांसप्लांट होता तो मेरे भी बाल आ जाते, वे अभी तक नहीं आये। उसकी कोशिश करेंगे।

आदर्श पीएचसी योजना। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2016 से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना हमने प्रारंभ की। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वैलनैस सेंटर के रूप में विकसित किया गया। आयुष चिकित्सक को पदस्थापित कर आयुर्वेद एवं योग सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध करायी गयी। योजना के प्रथम चरण में 15 अगस्त, 2016 से 295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं, तो टेबल ही कर दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लिखा हुआ नहीं है, आंकड़े हैं ये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम मान लेंगे, आप तो टेबल कर दो। हमारा तो पीछा छोड़ो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये आंकड़े हैं, आंकड़े किसी को याद नहीं रहते, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। विराजो आप। (व्यवधान)

योजना के प्रथम चरण में 15 अगस्त, 2016 से 295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया गया। इन चिकित्सा संस्थाओं पर सभी दवाइयों और निशुल्क जांच योजना के तहत की जाने वाली 15 जांचों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गत 6 माह के दौरान ही औसतन आउटडोर में 30 प्रतिशत और संस्थागत प्रसव में 5

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने यह तय किया है कि इसके सैकिण्ड फेज में 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसी प्रकार से राज्य के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध उपकरणों की देखरेख और कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए ई-उपकरण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इंवेंट्री मैपिंग व प्रविष्टि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में 147 तरह के बायोमेडिकल उपकरणों की मेंटिनेंस के लिए किर्लोस्कर टेक्नालोजी प्राइवेट लिमिटेड से एमओयू करके अक्रियाशील एवं मरम्मत योग्य उपकरणों की मरम्मत प्रारंभ कर दी गयी है। अब तक कुल 48700 उपकरणों की मैपिंग की गयी है और 3193 खराब उपकरणों को रिपेयर किया जा चुका है।

पीपीपी मोड। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस पीपीपी मोड से पता नहीं क्या हो गया? मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ने अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी सहभागिता की पहल की है। बिना वित्तीय भार के 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक ट्रोमा सेंटर के संचालन का दायित्व निजी क्षेत्र को सौंपा गया। आउटडोर, संस्थागत प्रसव और चिकित्साकर्मियों की उपस्थिति में आशातीत वृद्धि के बाद पूर्ण पारदर्शिता से 243 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड के आधार पर संचालित करने के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। इस ई-निविदा से 44 पीएचसी को 3 माह के संचालन हेतु अनुबंध किया गया है। पीपीपी मॉडल को लेकर अनेक भ्रांतियां रही हैं, किन्तु मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक परिणाम काफी उत्साहजनक है। ओपीडी में लगभग 100 प्रतिशत की तथा संस्थागत प्रसव में लगभग 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीपीपी आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित कर 9 नवीन सीटी स्कैन मशीन, 14 पूर्व से स्थापित सीटी स्कैन मशीन और 3 एमआरआई मशीनों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। साथ ही ई-निविदाएं आमंत्रित कर 10 हिमोडाइलिसिस मशीन के लिए एलओआई जारी हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह राठौड़ साहब को पूछो, दो बार निरीक्षण किया पीपीपी मॉडल का क्या हाल है? कोई नहीं मिला और एब्सेंट लगाकर उसको बंद करने का प्रयास किया। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मंत्रीजी से अधिकारी गलत जवाब दिला रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, 6 महीने से एक पीएचसी हमारे भी दे रखी है पीपीपी मोड पर, लेकिन आज तक उस पर ताले लगे हुए हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आप धरातल पर तो जाओ।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठिए, मैं एक-एक का जवाब दूंगा, विराजो। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यह जवाब तो मान लिया हमने। जवाब तो मान लिया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जिनको दिया है वे आ ही नहीं रहे। शहरों की चला रहे हो। गांव की पीएचसी एक भी नहीं चल रही।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये आंकड़े ऐसे ही हैं?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आप एक बार धरातल पर जाओ।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ठीक है।

बेटी बचाओ अभियान। बेटी बचाओ अभियान का संचालन कर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सुधारने के प्रयास हमने किये हैं। बालिका जन्म पर मुख्यमंत्री महोदया का बधाई संदेश अभिभावकों को भेजा जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात जहां 888 था। राज्य सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट की पालना सुनिश्चित करने और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का सघनता से संचालन करने के परिणामस्वरूप (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप हमारी तरफ मत देखो, पेज रह जाएगा, इसलिए कृपया पन्ने में ही देखो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप विराजो। आप चिन्ता मत करो, आप सुनते जाओ। (व्यवधान)

आज जीवित जन्मों में लिंगानुपात बढ़कर 939 हो गया है। पंजीकृत 2719 सोनोग्राफी सेंटर्स में अब तक 10625 निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर 613 सैंटर्स का पंजीकरण निरस्त किया गया है। इसके साथ ही 475 सेंटर्स को सील किया गया है और 641 शिकायतों को कोर्ट में पेश कर 145 शिकायत के विरुद्ध आरोप तय किये गये हैं।

यह मैं पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि ये आंकड़े हैं।

मुखबिर योजना के अंतर्गत 80 लोगों को पुरस्कृत किया गया है एवं 63 डिकोय

(श्री कालीचरण सराफ)

ऑपरेशन, जिसमें 33 डिकोय ऑपरेशन तो मार्च, 2016 के बाद किये गये हैं जिसमें 12 इंटरस्टेट डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत 145 मुकदमों में 202 व्यक्तियों को सज़ा हो चुकी है और 125 चिकित्सक और 77 दलाल इसमें शामिल हैं।

यह कहा गया, इसको मैं बाद में बताऊंगा।

निशुल्क दवा योजना। यह भ्रम फैलाया गया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करके निशुल्क दवा योजना को बंद करने का षड्यंत्र है। यह हमारे मित्रों ने आरोप लगाया। तो मैं बताना चाहूंगा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कर हमने निःशुल्क दवा और जांच योजना को बंद करने का षड्यंत्र का आरोप लगाया वह इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि वास्तविक स्थिति यह है कि हमने इस योजना को और प्रभावी ढंग से लागू किया है। जहां पिछली सरकार के शासन में 30 नवम्बर, 2013 तक लगभग 554 करोड़ रुपये खर्च किये गये, वहीं अब तक तीन साल में हमने आपसे लगभग दुगुनी राशि 1193 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत गत सरकार के कार्यकाल में मात्र 14 करोड़ 22 लाख 16 हजार 913 रोगियों को लाभान्वित किया गया और हमने अब तक 28 करोड़ 24 लाख 8 हजार 381 रोगियों को लाभान्वित किया है। आप लोग यह आरोप लगाते हैं कि हम इसे बंद कर रहे हैं।

इसी प्रकार से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसके भी आंकड़े देखिए। इस योजना के तहत पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां 1 करोड़ 66 लाख 73 हजार 346 निशुल्क जांचें की गयी थीं, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 11गुनी, यानी 12 करोड़ 37 लाख 633 जांचें हम लोगों ने की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रतिदिन एक लाख जांचें निशुल्क की जा रही हैं।

मरीजों की भर्ती संख्या के कारण जांच सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करते हुए चिकित्सा संस्थानों में 271 एक्स-रे मशीनें, 378 ई.सी.जी. मशीनें, 374 सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर्स, 460 सेल काउंटर और 32 फुली ऑटोमेटेड बायोकेमेस्ट्री एनलाइजर भी उपलब्ध करवाये गये।

इसी प्रकार से सुरक्षित मातृत्व, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011-13 में मातृ मृत्यु दर 244 प्रति एक लाख जो हमारे सब के लिए चिंता का विषय है। गत तीन वर्षों में हमने कुशल मंगल कार्यक्रम और सुरक्षित मातृत्व दिवस, प्रधान मंत्री

(श्री कालीचरण सराफ)

सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान और प्रसूति नियोजन दिवस के कार्यक्रम लागू करके फरवरी, 2017 तक कुल 1 लाख 97 हजार 781 शिविर आयोजित किये और 10 लाख 96 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को इससे लाभान्वित किया।

इसी प्रकार से शिशु स्वास्थ्य में मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां 2011 की जनसंख्या के हिसाब से प्रति हजार 63 बच्चों की मृत्यु होती थी, हम लोगों ने प्रयास किये और आज 41 प्रति हजार का आंकड़ा आ गया है और हमारा यह लक्ष्य है कि 2020 तक हम इसको 28 तक ले आएं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिवर्ष 17 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और इनमें से लगभग 1 लाख 27 हजार बच्चे 5 वर्ष तक की आयु से पूर्व ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए विभाग द्वारा व्यापक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। नवजात को इन्फेक्शन, दस्त, कम वज़न, तापमान में कमी, पीलिया इत्यादि से होने वाली मृत्यु से बचाव की उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

इसी प्रकार से हमने मदर मिल्क बैंक, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2015-16 के बजट भाषण में घोषणा की थी, हमने ब्यावर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू और टोंक में मदर मिल्क बैंक की स्थापना के लिए निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और अलवर और भरतपुर में मदर मिल्क बैंक का संचालन भी प्रारम्भ किया जा चुका है और शेष का भी शीघ्र ही कर देंगे।

इसी प्रकार से आश्रय पालना गृह, 2015-16 की बजट घोषणा के अनुरूप 65 पालना गृह खोलने की घोषणा की गई थी और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इन सभी पालना गृहों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें अब तक 36 बच्चों का सुरक्षित परित्याग किया गया है तथा इनके सुरक्षित पुनर्वास हेतु इन्हें बाल अधिकारिता विभाग के शिशु गृहों को सुपुर्द किया जा चुका है।

इसी प्रकार से कुपोषण के खिलाफ जो हमने कार्यक्रम चलाये उनके हमें सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, मैं यह बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने 13 दिसम्बर, 2014 को केन्द्र प्रवर्तित योजना एन.यू.एच.एम. के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के कुल 61 शहरों व कस्बों में बसने वाली सवा करोड़ आबादी को शहरी चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभिनव कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इसके तहत प्रति सी.एच.सी. 5 करोड़ की दर से 13

(श्री कालीचरण सराफ)

शहरी सी.एच.सी. स्वीकृत की गईं। इन सभी को चिह्नित किया जा चुका है और 7 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार से 75 लाख की दर से 140 शहरी पी.एच.सी. के लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है, 22 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त मौजूदा सिटी डिस्पेंसरीज में से 83 में 10 लाख रुपये प्रति डिस्पेंसरी और 22 में 25 लाख रुपये प्रति डिस्पेंसरी खर्च कर उन्हें शहरी पी.एच.सी. के रूप में क्रमोन्नत किया गया है।

सामुदायिक सहभागिता के तहत 61 शहरों में 4708 महिला आरोग्य समितियों का गठन कर 4410 के बैंक खाते खुलवाकर 5-5 हजार रुपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

गत 6 माह में 29616 शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का आयोजन किया गया तथा शहरी कच्ची बस्तियों में 1082 कैम्पों का आयोजन कर लगभग पौने दो लाख मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया।

शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन के लिए 140 पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी, 245 अर्द्धकालीन चिकित्सा अधिकारी और 2169 अन्य कार्मिकों को संविदा के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रॉक नियंत्रण के रोकथाम के कार्यक्रम भी हम लोगों ने चलाये हैं। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाये। तम्बाकू, कैंसर और बोनोमेरो के रोग के लिए भी कार्यक्रम चले। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाये।

कल बात आई थी सिलिकोसिस की। माइनिंग एरिया में कार्य करने वाले श्रमिकों को लम्बे समय तक माइनिंग के कार्यों में धूल के सम्पर्क में आने के कारण उनमें सिलिकोसिस होने की सम्भावना बढ़ जाती है। प्रदेश में माइनिंग का कार्य अधिक होने वाले 20 जिलों में माइनिंग श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच हेतु 10 मोबाइल चिकित्सा वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। सभी जिलों में न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड का गठन किया जा चुका है तथा सिलिकोसिस की पुष्टि होने पर श्रमिकों पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता और पीड़ित श्रमिक की मृत्यु होने पर परिजनों को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान हमने किया है।

इसी प्रकार से स्वाइन फ्लू ने पुन: हमारे प्रदेश में दस्तक दी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम एवं उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की

जा रही हैं। स्वाइन फ्लू पोजिटिव पाये जाने पर प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त रेपिड रेस्पोंस टीमों द्वारा स्क्रीनिंग करवाकर लक्षण वाले रोगियों का तुरन्त उपचार करवाया जा रहा है। स्वाइन फ्लू रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों में सर्दी, खांसी, जुकाम और गले के दर्द के लक्षण पाये जाने पर उनका उपचार कराया जा रहा है एवं आस-पास के क्षेत्र के 50 घरों का सर्वे किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं एवं पाँच वर्ष से छोटे बच्चों में सर्दी, जुकाम एवं बुखार के लक्षण पाये जाने पर तुरन्त टेमीफ्लू दवा दी जा रही है। स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए सभी चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त मात्रा में आल्सल्टामेवेर दवा उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू रोगियों के उपचार के लिए सभी मेडिकल कालेजेज के अस्पतालों, जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग से आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है। इन आइसोलेशन वार्डों में 921 बैड उपलब्ध हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्रीजी, इस पन्ने को बिना देखे एक बार दुबारा रिपीट कर दो, तो नम्बर वन मंत्री मान लेंगे आपको।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मत मानो क्या फर्क पड़ता है, जनता मानती है। अच्छा मैंने जो अभी पढ़कर सुनाया वो जरा आप सुना दो। आप सुना दो। सुनाओ-सुनाओ। क्या हुआ? सुन नहीं रहे हो ध्यान से।

सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों व जिला अस्पतालों में अलग से आई.सी.यू. और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कुल 211 आई.सी.यू. बैड स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। समस्त सरकारी मेडिकल कालेजों और डी.एम.आर.सी. जोधपुर में 5 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों सहित अन्य पात्र मरीजों को नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है।

इसी प्रकार से हमने एक नवाचार किया है कि सभी हॉस्पिटल्स में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में 15 फरवरी, 2017 से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रारम्भ कर दी है और लगभग 95 प्रतिशत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में इस समय बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रारम्भ की जा चुकी है।

अब जो घोषणाएं हैं वो मैं बताना चाहता हूं। राज्य में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भावना से राज्य के 10 जिला अस्पतालों सीकर, झुन्झुनूं, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, एम.सी.एच. जयपुर, एवं एम.सी.एच. टोंक में 12 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 14 स्थानों अलवर, चित्तौड़, पाली, जैसलमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, नागौर, गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर और अजमेर में 8 करोड़ की राशि से जिला अस्पतालों की सीवर लाइन को शहर की सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा।

सआदत जिला अस्पताल टोंक में 38 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से निर्माण, मरम्मत व नवीनीकरण के कार्य करवाये जाएंगे।.....

(22.00 बजे)

राज्य के हनुमानगढ़ जिले में संचालित मातृ शिशु चिकित्सा इकाई को 50 से 100 शय्याओं में क्रमोन्नत करने के लिए राशि 11 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य करवाया जायेगा। अन्य वृहत् निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि भी व्यय की जाएगी।

राजकीय बीडीएम चिकित्सालय, कोटपूतली में, यह कहते हैं न राजनैतिक भेदभाव, कोटपूतली में कांग्रेस के विधायक हैं, राजकीय बीडीएम चिकित्सालय, कोटपूतली में वार्ड, क्वार्टर, आपरेशन थियेटर आदि निर्माण के लिए 14 करोड़ 69 लाख रुपये, 50 बैड मातृ व शिशु इकाई के लिए 4 करोड़ रुपये और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

चूरू जिले के राजकीय सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़ में 9 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण, रिपेयर एवं नवीनीकरण के कार्य कराये जाएंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, एमएलए कोटपूतली के कहने से किया है क्या यह काम? आप कह रहे हो ना कि उनके कहने से किया। यह तो बताओ। नहीं, आप ऐसे कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो विराजो। अब किसके कहने से किया, यह अंदर की बात है। विराजो विराजो, विराजो।

रींगस में 2 करोड़ रुपये खर्च करके ट्रोमा सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।

प्रदेश के 32 सीएचसी भवनों के निर्माण के लिए 135.78 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें दौसा में बड़ागांव, झुंझुनूं में इंडाली, गंगानगर में निरवाणा एवं रिडमलसर, बांसवाड़ा में बोदीगांव, जोधपुर में टेपू एवं बावड़ी, अलवर में अकबरपुर, चित्तौड़गढ़ में अकोला, दौसा में बांसखो, भीलवाड़ा में बदनोर, हनुमानगढ़ में पल्लू, भरतपुर में बंशी पहाड़पुर, चूरू में कानोता, सवाई माधोपुर में बहरावड़ा खुर्द, बाड़मेर में

(श्री कालीचरण सराफ)

बटादू व पटोदी, कोटा में चेचट, चित्तौड़गढ़ में घटियावाली, बूंदी में केशोरायपाटन, जयपुर में फुलेरा व नरेना, भीलवाड़ा में फूलिया कलां, चूरू में पड़िहारा, रतननगर एवं जैतसीसर, सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर, नागौर में मारोठ एवं मकराना, उदयपुर में सेमारी, सीकर में खण्डेला एवं बीकानेर में जसरासर सीएचसी शामिल हैं।

इसके साथ ही 13 सीएचसी पर 8 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जायेंगे। इनमें अलवर में हरसोली, खैरथल, लक्ष्मणगढ़ व पिनान, बारां में केलवाड़ा, भीलवाड़ा में बिजौलिया, दौसा में सिकन्दरा, झालावाड़ में रतलाई एवं बकानी, जोधपुर में देचू, बांसवाड़ा में सरेड़ी बड़ी एवं पलोदा, जैसलमेर में मोहनगढ़ और जालौर में सिवाना शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 में राज्य के चिह्नित 323 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबर रूम, वार्ड, शौचालय इत्यादि निर्माण कार्य के लिए 29 करोड़ रुपये की लागत से ये निर्माण करवाये जाएंगे।

नये आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 में 242 करोड़ रुपये की लागत से 121 पीएचसी भवनों का निर्माण कराया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 104 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 131 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य करवाये जाएंगे। साथ ही 165 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर 9 करोड़ रुपये से लेबर रूम इत्यादि का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को मद्दे नजर रखते हुए जिला चिकित्सालय, पाली में एक फेको मशीन, जिला चिकित्सालय, चूरू में कलर डोपलर मशीन एवं डिजिटल एक्स-रे मशीन की स्थापना करवाये जाने की घोषणा करता हूं।

वर्ष 2015 में जिला चिकित्सालय पर प्रारम्भ किये गये क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम से जिला चिकित्सालयों में अच्छी रैंक, पुरस्कार तथा पहचान पाने हेतु उनमें आपसी प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत हुई है। इसकी सफलता को देखते हुए इस कार्यक्रम को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक एक्सटेंड करने की घोषणा करता हूं।

हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निजी जन सहभागिता के आधार पर संचालित करने का निर्णय लिया गया था जो ग्रामीण जनता

के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इसके बेहतर परिणामों को देखते हुए इसे शहरी क्षेत्र के 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): गलत कर रहे हो आप ये। गलत है ये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य के 15 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में उप स्वास्थ्य केन्द्र तक तथा शेष जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय व जिला अस्पताल तक शीघ्र ही महिलाओं के लिए हर तीन माह में एक बार इंजेक्शन से दिया जाने वाला गर्भ निरोधक शुरू किया जाएगा।

मनोचिकित्सा केन्द्र, सेठी कालोनी में देश में सर्वप्रथम सेंटर फोर इंटिग्रेटेड केयर आफ द एल्डरली की स्थापना की जाएगी...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने ये गलत फैसला ले रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजकुमारजी, बैठिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): गलत ले रही है सरकार फैसला। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठ जाओ। इस सेंटर की लागत लगभग दो करोड़ 56 लाख रुपये होगी...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): हम तो उपाध्यक्ष महोदय को निवेदन कर रहे हैं। आपको कुछ कह नहीं रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नवजात को चिकित्सा सुलभ कराने के लिए 16 नये विशिष्ट नवजात शिशु इकाइयों को कार्यशील किया जाएगा। नवजात शिशुओं की देखभाल में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अधिक प्रसव होने वाले 600 स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा सभी विशिष्ट नवजात शिशु चिकित्सा इकाइयों पर आनसाइट मानीटरिंग की जाएगी।

उदयपुर एवं डूंगरपुर जिले के एसएनसीयू पर नवजात शिशुओं को हाईपोथरमिया से बचाने हेतु हाईपोथरमिया अलार्मिंग मशीन का वितरण किया जायेगा।

आरोग्य आनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला चिकित्सालयों का कम्प्यूटराइजेशन किया गया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...मिलना चाहिए था, कितना लम्बा

लिखकर दिया है। यह पढ़ने की परम्परा ही नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो आसन पर विराजमान हैं। यह मंत्रीजी का जवाब, केवल पाइंट्स देख सकते हैं। यह तो ऐसे हैं जैसे पहली क्लास, तीसरी क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, वैसे पढ़ रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भाई, घोषणा तो पढ़कर ही होगी श्रीमानजी। (व्यवधान) कितनी बार से एमएलए हो आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो बार।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी दो बार बने हो, मैं छह बार बन गया, समझे। यह घोषणा तो पढ़कर ही होती है। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): भाई साहब, मंत्री महोदय, हैल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अभी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करो। अभी करो घोषणा उसकी हैल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बजट भाषण, अशोकजी गहलोत साहब बजट भाषण को कैसे पढ़ते थे?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): भाई साहब, मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो विराजो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): हैल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बर्खास्तगी की घोषणा अभी करो आपके मुखारविंद से।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, क्या बात है।अभी करते हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अभी करो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप कर रहे हो क्या?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भी कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत और अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जोडा जायेगा और डिजिटल प्लेटफार्म भविष्य में टेली-कंसल्टेंसी तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भी काम में लिया जा सकता है।

(श्री कालीचरण सराफ)

राज्य के चिकित्सा संस्थानों में दानदाताओं के सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग की तर्ज पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किये जायेंगे। जिला स्तर पर 21 लाख रुपये, संभाग स्तर पर 51 लाख रुपये तथा राज्य स्तर पर आयोजित समारोह में 51 लाख रुपये से अधिक राशि का दान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा।

अब मैं बताना चाहूंगा, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन। (व्यवधान) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी को दूर करना राजस्थान की ही नहीं, बल्कि अधिकांश राज्यों में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस समय प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र के 16 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं 15 दंत महाविद्यालयों के माध्यम में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध है।

राजकीय क्षेत्र के अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़ और उदयपुर मेडिकल कालेज तथा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कालेज आफ मेडिकल साइंस में एमबीबीएस की कुल 1,450 सीट और बीडीएस की 40 सीटें हैं।

राज्य के निजी क्षेत्र में वर्तमान में आठ मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की 1,150, पीजी की 173 और 14 दंत चिकित्सालयों में बीडीएस की 1,310 सीटें हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु पिछली सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में... सुनिये सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रगति प्रतिवेदन पढ़ रहे हो। यह हमारे सबके पास आया हुआ है। ईमानदारी से कह रहा हूं। बिलकुल असत्य नहीं बोल रहा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आपके पास नहीं आया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रगति प्रतिवेदन में सब कुछ लिखा हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसके क्या तकलीफ हो रही है? कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या आपके? क्या है आखिर? आप अपने ये कारनामे तो सुनो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एकमात्र तो ऐसे मंत्री महोदय हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक घोषणाएं कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां बताओ, और फिर भी नहीं सुन रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए पिछली सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में कुल 4,139 करोड़ 32 लाख रुपये का बजट आबंटित किया गया था...

और वर्तमान सरकार द्वारा 2017-18 के बजट के बजट एस्टीमेट सहित कुल 7,851 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है। आपके पाँच साल का चार हजार और हमारे तीन साल का सात हजार इस प्रकार पाँच वर्षों की तुलना में हमारे चार वर्षों में ही लगभग प्रतिशत से अधिक बजट आबंटित किया गया है। 2016-17 में शिक्षक चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए ऑप्थोमोलॉजी में 8 सहायक आचार्य, पैथोलॉजी में 20, पीएमआर में 3, बायोकेमिस्ट्री में 10, सामान्य सर्जरी में 28 सहायक आचार्य एवं 52 सीनियर डिमोंस्ट्रेटर्स की नियुक्ति की गयी है। अब ये उपलब्धियां देखिये। हमारी सरकार के कार्यकाल में आठ नये मेडिकल कालेज चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, मेवारामजी कह रहे थे कि भेदभाव मत करो बाड़मेर में भी मेडिकल कालेज खुल रहा है। ...(व्यवधान)... बैठिये। पाली, अलवर, और सीकर में स्वीकृत किये गये हैं इनमें से 6 मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए केन्द्र के साथ एमओयू हस्ताक्षर के साथ ही निर्माण कार्यों पर केन्द्र द्वारा जारी 233 करोड़ 20 लाख रुपये के मुकाबले राज्य सरकार द्वारा 243 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज 189 करोड़ रुपये की लागत के अनुसार अप्रैल, 2016 से प्रारंभ हुआ और निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण के निर्माण कार्य करवा कर एमसीआई का प्राथमिक निरीक्षण करवाया जा रहा है।

वर्तमान में आठ राजकीय मेडिकल कालेज तथा आठ निजी मेडिकल कालेज में यू.जी. की 2600, पी.जी. की 829 और सुपर स्पेशियलिटी की 93 सीट्स हैं। पिछले तीन वर्षों में यू.जी. की 750 व पी.जी. की 72 सीट्स की वृद्धि हुई है और वर्ष 2017-18 में यू.जी. की पाँच सौ सीट्स की वृद्धि की संभावना है। राज्य कैंसर संस्थान के लिए 120 करोड़ रुपये के प्रावधान के तहत केन्द्र द्वारा 16 करोड़ और 20 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मानसिक रोग चिकित्सालय, जिसकी गोविन्द जी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये पहले हो जाता न मानसिक चिकित्सालय तो हो सकता है हमें इतना नहीं झेलना पड़ता। आपको डेढ़ घंटे से नहीं झेलना पड़ता।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं कह रहा हूं कि आप ये जो बार-बार खड़े हो रहे हो न तो मानसिक चिकित्सालय में जो तीस करोड़ रुपये की लागत से सेन्टर फोर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है और इसके लिए केन्द्र द्वारा ...(व्यवधान)... सुनिये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना शांति से चल रहा था सदन +++

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और इसके लिए केन्द्र द्वारा तीन करोड़ रुपये प्राप्त भी हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़ और उदयपुर में मल्टी डिसिप्लीनरी रिसर्च लैब की स्थापना की जा रही है इसके लिए केन्द्र द्वारा प्रत्येक कालेज के लिए सवा करोड़ रुपये की ...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से निवेदन है कि हमारा पीछा छुड़वाया जाए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठिये। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट मंत्री महोदय, विराज जाएं आप। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप विस्तृत रूप से अपना वक्तव्य दें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां-हां, आप निश्चिंत रहें। सुनिये, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा दस करोड़ छियालीस लाख रुपये की राशि भी जारी हो चुकी है। अजमेर में दो नये मेडिकल वार्ड, दो शिशु रोग वार्ड, कार्डियोलॉजी आईसीयू तथा कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्क्युलर सर्जरी की सेवाएं भी प्रारंभ कर दी गयी है। एसएमएस जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोमेटोलॉजी का भवन पूर्णत: क्रियाशील कर दिया गया है। अजमेर में पीपीपी मोड पर ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। ये बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं कराते क्या? बेरियाट्रिक सर्जरी आती हैं न आजकल एक जिसमें मोटापा होने पर पेट की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सर्जरी होती है तो आपके लिए, कालूलाल जी के लिए...।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पीडियाट्रिक में तो बच्चों का इलाज होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां तो वो कराओ। वो भी खोलो एक।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो आप। एसएमएस में जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोमोटोलॉजी का भवन पूर्णतया क्रियाशील कर दिया गया है। अजमेर में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन और एमआरआई तथा झालावाड़ में पीपीपी मोड पर सीटी स्केन प्रारंभ कर दी गयी है। झालावाड़ और अजमेर में पीपीपी मोड पर डायलेसिस की सुविधाएं और कौशल प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। झालवाड़ में पीपीपी मोड पर नर्सिंग कालेज भी शुरू कर दिया गया है। बीकानेर मेडिकल कालेज में ट्रोमा सेन्टर और एमसीएच विंग शुरू कर दी गयी है। जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में 150 करोड़ रुपये प्रति कालेज स्वीकृत कार्यों का शुभारम्भ हो गया है। अब एसएमएस मेडिकल कालेज, ये अपना हास्पिटल देश के सबसे बड़े एसएमएस हास्पिटल में प्रतिवर्ष लगभग पैंतालीस लाख मरीजों का आउटडोर और चार लाख मरीजों का इनडोर में इलाज किया जाता है। यहां कुल बेड की संख्या 5300 है। इस वर्ष 2016-17 के दौरान प्रथम विदेशी मरीज का बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर द्वारा किये गये काकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन को विश्व स्तर पर प्रसारित करने हेतु प्रधान मंत्रीजी द्वारा देश के तीन ईएनटी सर्जन्स में चुना गया। शल्य चिकित्सा विभाग के डाक्टर जीवन कांकरिया ने पित्त की थैली से 13 हजार पथरियों वाला सबसे बड़ा गुच्छा निकाल कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया। धन्वंतरि भवन के ऊपर अतिरिक्त तीन मंजिलों का निर्माण किया गया है। ...(व्यवधान)... इनके क्या आफरा आ रहा है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई मंत्री जितना लिखा हुआ पढ़े उसमें से अगर कुछ छोड़ दे तो कोई सज़ा है क्या? अगर सज़ा है तब तो हम आराम से सुनेंगे। अगर सज़ा नहीं है तो फिर...।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो आसन का निर्देश हो गया छोड़ेंगे कैसे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): धन्वंतरि भवन के ऊपर

अतिरिक्त तीन मंजिलों का निर्माण किया गया है। एमएमएस के मुख्य भवन एवं ट्रोमा सेन्टर के मध्य सब वे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है जेडीए से बात हो गयी है और जल्दी ही एसएमएस हास्पिटल और ट्रोमा सेन्टर के बीच में अण्डरग्राउण्ड सब वे बनाया जाएगा। जे.के. लोन में नवीन आईसीयू भवन का निर्माण किया गया है। जनाना अस्पताल में नवीन ओपीडी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और जयपुरिया हास्पिटल में आरयूएचएस के अधीन जयपुरिया अस्पताल को तीन सौ अस्सी बैड वाले आरयूएचएस मेडिकल कालेज अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इस चिकित्सालय में मेडिकल, सर्जिकल और नियोनेटल आईसीयू को क्रमोन्नत किया गया है। इस चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं के आउटडोर प्रारंभ किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत महाविद्यालयों में नॉन क्लिनिकल विषयों में सहायक आचार्यों की कमी को दूर करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों की नॉन क्लिनिकल पी.जी. सीटों पर प्रवेश हेतु इन विषयों में सेवारत वरिष्ठ प्रदर्शकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्राथमिकता स्वयं की विशिष्टता में तीन वर्ष के अनुभव एवं नीट प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले वरिष्ठ प्रदर्शक को दी जाएगी। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबंधित चिकित्सालयों में शिक्षक चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में पी.जी. करने वाले छात्रों के लिए पाँच वर्ष की सेवा हेतु बांड भरवाये गये हैं। इस वर्ष पी.जी. पूर्ण करने वाले छात्रों के लिए चिकित्सा विद्यालय में एक वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी करने की अनिवार्यता होगी। भविष्य में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति से पूर्व एक वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी आवश्यक होगी। सुपर स्पेशियलिटी विषयों में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए वर्तमान में अधिकतम आयु 42 वर्ष है। चिकित्सक शिक्षकों की कमी की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम आयु 42 से बढ़ा कर 45 वर्ष की जाएगी। मेडिकल कालेज में निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिए 74 करोड़ 40 लाख रुपये के प्रावधान एवं उपकरण मद में 34 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान इस साल किया गया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय। मुख्य सचेतक महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठिये। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी तो केवल मुख्य सचेतक सो रहे हैं बाकी सब नहीं सो जाएं तब तक नहीं रुकना अपने को।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, विराजो आप। बड़ी तकलीफ हो रही है इनको।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा बोलने के बाद पानी, कालीचरण जी...।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुनिये-सुनिये। एसएमएस मेडिकल कालेज में आगामी शैक्षणिक सत्र से करीब 275 अतिरिक्त पी.जी. सीटों की वृद्धि की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अस्सी करोड़ के राज्यांश सहित 200 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि से एसएमएस में आर्गन ट्रांसप्लांट और सुपर स्पेशियलिटी की सेवाएं विकसित की जाएगी। वीएसएल थर्ड लैब का पाँच करोड़ रुपये की राशि से नवीन कार्डियक लैब का पाँच करोड़ रुपये, नवीन परीक्षा केन्द्रों का निर्माण दस करोड़ रुपये सम्बद्ध चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए बीस करोड़ रुपये, बेसमेंट पार्किंग के लिए बीस करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, कान की मशीन लगा ली क्या मंत्रीजी ने?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठ जाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि मशीन लगा ली क्या आपने? सुनाई दे रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कि लोरी सुना रहे हो कि भाषण दे रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पीपीपी मोड पर एसएमएस अस्पताल में पेट स्कैन व गामा कैमरा तथा जेकेलोन में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा प्रारंभ की जायेगी। जयपुरिया चिकित्सालय में 6 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर बैड संख्या में 120 की वृद्धि की जायेगी और 2017 से इसे 500 बैड का कर दिया जायेगा। चिकित्सालय में मदर एवं चाइल्ड़ विंग स्थापित करने के लिये 6 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर 20 करोड़ रुपये की लागत से अंडर ग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। अस्पताल में डाक्टर्स और स्टाफ के लिये आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। एमआरआई, सीटी स्कैन और कैथ लैब की

सुविधा आगामी तीन माह में प्रारंभ कर दी जाएगी। इस चिकित्सालय में पाँच माड्यूलर ओटी का निर्माण करवाया जायेगा, साथ ही इमरजेंसी में 20 बैड की अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी। आगामी एक माह में ... ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी लगे हाथ यह भी कह दो कि सभी चिकित्सालयों में मरीजों का इलाज कराया जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, आपको नहीं पूछूंगा, बैठो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... बार-बार खड़े हो रहे हो, बार-बार व्यवधान डाल रहे हो, आपको कोई कहने वाला नहीं है। कमाल हो गया, आपको पता ही नहीं रहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्य सचेतक महोदय पर जो सोने का आरोप लगाया है वह अपने आप में निराधार साबित हो गया है, खड़े होकर बोल रहे हैं यह।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरे सोने से आप लोगों को क्या परेशानी है? मैं सुखी हूं इसलिए सोता हूं और आपके सुखराम जी दुःखी हैं इसलिए वह ज्यादा बोलते हैं। मैं तो सुखी हूं और वह दुःखी हैं, उनका नाम गलत है, उनका नाम बदलो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जयपुरिया में डायलेसिस की सुविधा 20 बैड के साथ यथा शीघ्र प्रारंभ की जायेगी। मरीजों के अत्यधिक भार को दृष्टिगत रखते हुए कांवटिया अस्पताल, जयपुर में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की जायेगी।

अजमेर मेडिकल कालेज में निर्माण व मरम्मत आदि के लिये वर्ष 2017-18 में 35 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि का एवं उपकरणों के लिये 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 4 करोड़ रुपये की राशि माड्यूलर ओटी के लिये भी उपलब्ध कराई जायेगी। कोटा मेडिकल कालेज में निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये 34 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि से नवीन चिकित्सालय में एक गायनिक वार्ड, ड्रग वियर हाउस, सेंटर लैब एवं मेडिकल रिकार्ड रूम का निर्माण कराया जायेगा। उपकरणों के लिये 14 करोड़ 63 लाख रुपये की राशि से न्यूरोलोजी इंटरवेंशनल कैथ लैब, यूरोलोजी वर्क स्टेशन एवं अन्य नवीन उपकरणों

(श्री कालीचरण सराफ)

की व्यवस्था की जायेगी। बीकानेर मेडिकल कालेज में निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये 38 करोड़ 18 लाख की राशि का प्रावधान है। इससे ट्रोमा सेंटर में ऊपरी मंजिल, सेमीनार हॉल, चर्म रोग, नेत्र विभाग, टीबी हास्पिटल आदि के निर्माण कार्य करवाये जाएंगे। उपकरणों के लिये 17 करोड़ 96 लाख रुपये का बजट प्रदान किया गया है। कैथ लैब और जनाना हास्पिटल आदि के लिये आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। उदयपुर मेडिकल कालेज में निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये 44 करोड़ 68 लाख रुपये के प्रावधान से नर्सिंग हास्पिटल, कर्मचारियों के 20 व चिकित्सकों के आवासीय क्वार्टर सहित अन्य निर्माण कार्य करवाये जाएंगे। उपकरण मद में 11 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। जोधपुर मेडिकल कालेज में निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये 35 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जनाना हास्पिटल विस्तार और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य निर्माण करवाये जायेंगे। उपकरण मद में 24 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। जोधपुर में वर्ष 2017-18 में रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर की स्थापना कर रीनल ट्रांसप्लांट प्रारंभ किया जायेगा। 2 करोड़ 99 लाख की लागत से मथुरा दास माथुर अस्पताल में स्टॉक सेंटर की स्थापना की जायेगी।

इसके अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एक तरह से हमारी जीवन पद्धति है। सरकार आयुष चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा तथा शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बजट में गत सरकार की तुलना में 51 प्रतिशत की वृद्धि हमने की है। आयुर्वेद का बजट 2012-13 में 455.55 करोड़ था, जबकि हमारी सरकार में यह बढकर 607.52 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार यूनानी चिकित्सा का बजट 2012-13 में 137.78 करोड़ से बढाकर हमने इसको 218.70 करोड़ और होम्योपैथिक का 2012-13 में जहां 214.74 करोड़ था, उसको बढाकर हमने 345.36 करोड़ रुपये किया है। 2017-18 में 654.91 करोड़ रुपये आयुर्वेद, 268.24 करोड़ यूनानी और 362.71 करोड़ रुपये होम्योपैथिक विभाग के लिये प्रस्तावित किये हैं।

आयुर्वेद की दृष्टि से राजस्थान में प्रदेश की सबसे बड़ी संरचना उपलब्ध है। प्रदेश में आयुर्वेद के 3696, यूनानी के 280 और होम्योपैथिक के 252, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के 39 चिकित्सा केन्द्र हैं। वर्ष 2013 में आयुर्वेद तथा होम्योपैथिक के 50 प्रतिशत एवं यूनानी के 74 प्रतिशत चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त थे।

(श्री कालीचरण सराफ)

हमारी सरकार ने संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सा कर्मियों को स्थाई करने की घोषणा की पालना कर नियमित नियुक्तियां प्रदान की है। हमने फरवरी, 2017 तक आयुर्वेद के 1461 के, यूनानी 143, होम्योपैथिक के 134 सहित कुल 1738 आयुष चिकित्सकों को नियुक्तियां प्रदान की है। इसी प्रकार आयुर्वेद में 313 नर्स, कंपाउंडर की नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा यूनानी में 127 व होम्योपैथी में 158 नर्स, कंपाउंडर की नियुक्तियां प्रक्रिया में है।

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में 13 वर्षों से रिक्त चल रहे 5 प्रोफेसर व 13 एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय हैल्थ मिशन की तर्ज पर राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन किया गया है। इसके तहत तीन वर्षों में 82 करोड़ रुपये की औषधि की आपूर्ति एवं 145 औषधालय भवनों का निर्माण व मरम्मत करवाई जा रही है। इस वर्ष से आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक औषधालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श पर मुख्य मंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वृद्धावस्था में होने वाले सामान्य रोगों के उपचार को ध्यान में रखते हुए 33 जरावस्था जन्य रोग निवारण केन्द्रों की स्थापना की गई है। मातृ शिशु दर और कुपोषण को कम करने के लिये 33 आँचल प्रसूता केन्द्रों की स्थापना की गई है। 2013 में मात्र 4 स्थानों पर पंच कर्म केन्द्र स्थापित थे। जबकि हमारी सरकार द्वारा 29 चिकित्सालयों पर नवीन पंच कर्म केन्द्रों की स्थापना से अब 33 पंच कर्म केन्द्रों द्वारा आम जन को पंच कर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्ष मुख्य मंत्री महोदया द्वारा धौलपुर एवं प्रताप नगर जयपुर में दो नवीन पंच कर्म केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज एक जरूर आप लोगों को करना पड़ेगा कि माननीय शिक्षा राज्य मंत्रीजी एक नंबर पर रहे या यह एक नंबर पर रहे। क्योंकि दोनों में कंपीटिशन है, मुझे बाहर कह रहे थे कि उन्होंने दो घंटा बोला, मैं तीन घंटे बोलूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): व्यवधान करने में तो नंबर एक आप ही हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिखा हुआ पढ़ना भी व्यवधान की श्रेणी में आता है लेकिन आसन मेहरबान है इसलिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आंकडे तो पढ़ने पड़ते हैं न।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो आप, सुनो, समझो। राज्य के 295 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 15 अगस्त, 2016 वैलनैस सेंटर की सुविधा प्रारंभ की गई। इन केन्द्रों पर आयुष चिकित्सक लगाने के साथ ही योगाभ्यास, मनोस्थिति की जानकारी तथा आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून, 2015 को प्रथम तथा 21 जून, 2016 को द्वितीय समारोह ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर तक आयोजित किया गया। प्रथम अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर 35 लाख व्यक्तियों ने और द्वितीय अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर लगभग 42 लाख व्यक्तियों द्वारा एक ही समय में योगाभ्यास कर एक नया रिकार्ड कायम किया। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भवनों हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में दस-स एवं वर्ष 2016-17 में छह जिला मुख्यालयों पर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया है। औषधीय संवर्धन, संरक्षण, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढावा दिये जाने हेतु वित्त के आदेश दिनांक 9.11.2016 द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2014 में संशोधन कर आयुर्वेद योग ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समाज कल्याण मंत्रीजी पास में आये है कि कहीं दुबारा नहीं पढने लग जाए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पंच कर्म केंद्रों को विभिन्न छूटों, प्रावधानों तथा आयुर्वेदिक औषधियों के संवर्धन हेतु भी कई छूट के प्रावधान किए हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा के रिसर्च एवं प्रसार..।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कालीचरणजी, एक मिनट। आप इनके भाषण में 70 बार उठ चुके हैं।

एक माननीय सदस्य: इनके स्प्रिंग लगी हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कम है क्या, फिर भी हम सुन रहे हैं। हम फिर भी मंत्रीजी को झेल रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): और कितनी बार उठोगे, यह बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): झेल तो रहे हैं न।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चलिए बैठो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप गलती से दुबारा पढ़ रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो। कोई दुबारा नहीं पढ़ रहा। होम्योपैथिक चिकित्सा के रिसर्च एवं प्रसार एवं प्रसार हेतु केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद् द्वारा..।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। प्रतिपक्ष के सचेतक, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसी प्रकार व्यवधान डालेंगे तो मैं मंत्रीजी को सारा वक्तव्य वापस देने के लिए कह दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अंतर्गत छह नवीन विषयों में तथा आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में तीन नए विषयों में एम.डी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि आयुष सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार हेतु चिकित्सालयों और औषधालयों का समानीकरण व श्रेणीकरण किया जाएगा। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आउटडोर व इनडोर खेलों की सुविधा प्रदान करने के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्पोर्टस कॉम्पैलक्स का निर्माण इसी वर्ष प्रारंभ किया जाएगा।

अजमेर और जोधपुर में जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालयों का 88 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से छह संभाग मुख्यालयों पर आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाएगा।

वर्तमान में संचालित 33 पंच क्रम केंद्रों की सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने हेतु जॉब बेसिस पर मसाजर लगाए जाएंगे।

नाथद्वारा के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के नवीन भवन का निर्माण 61 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। डूंगरपुर, कुंडी(बारां), मुंकदगढ़ (झुंझुनू) तथा साखुफोर्ट(चुरू) के होम्योपैथिक एवं औषधालय भवनों में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराए जाएंगे।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के संबद्ध यूनानी महाविद्यालय, टोंक का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यूनानी महाविद्यालय के नाम से किए जाने की घोषणा करता हूं।

अब, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए थे। मैं बताना चाहूंगा कि पाली सी.एम.एच.ओ. का माननीय ज्ञानचन्दजी पारख ने मोतियाबिंद आपरेशन के लिए

(श्री कालीचरण सराफ)

एन.जी.ओ. को दी जाने वाली राशि का मुद्दा उठाया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष पाली सी.एम.एच.ओ. को कुल 64 लाख रुपए की राशि दी गई है। जिले को दी गई 64 लाख दी गई राशि में से 46.38 लाख रुपए की राशि सी.एम.एच.ओ. द्वारा एन.जी.ओ. को दी गई। इसमें पाली सेवा मण्डल को 36.14 लाख की राशि दे दी गई तथा संस्था के केवल 8 लाख रुपए बाकी हैं, जिसका भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा नीति आयोग के तहत एन.जी.ओ. दर्पण पोर्टल शुरू किया गया है। जिसमें यू.आई.डी. नंबर लेने के उपरांत ही एन.जी.ओ. को भुगतान किया जा सकता है। सभी एन.जी.ओ. को बार-बार आग्रह किया जा रहा है कि वे अपना यू.आई.डी. नंबर लें ताकि उन्हें शीघ्र भुगतान किया जा सके।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की कमियों को दूर करने का आग्रह किया तो मैं बताना चाहूंगा कि यह एग्रीमेंट दिसम्बर, 2017 तक का है। पैकेजेज को रिव्यू करने की आवश्यकता को मैं स्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने हेतु योजना की गाइड लाइन व रिसोर्स को ध्यान रखते हुए आवश्यक रूप से विचार करेंगे। इस संबंध में मार्च से ही सभी पक्षों से सलाह लेकर नई निविदा बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें पैकेज संबंधी व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जाएगा।

सिलिकोसिस से बचाव के बारे में प्रश्न किया था। सरकार इस बारे में पूरी तरह सचेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने सिलिकोसिस क्षेत्र वाले जोधपुर व कोटा में सिलिकोसिस विंग की घोषणा की है। इससे बचाव व इलाज दोनों कार्य सुचारु रूप से हो सकेंगे।

आदरणीय नरपत सिंहजी राजवी जो विद्याधर नगर से आते हैं, उन्होंने कहा कि एस.एम.एस. हास्पिटल में सोनोग्राफी और अन्य जांचों में वेटिंग लिस्ट रहती है तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में सोनोग्राफी और अन्य जांचों ब्लड इनवेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, एम.आर.आई. इत्यादि में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। टू-डी इको में एक से दो दिन की वेटिंग लिस्ट है। साथ ही, अन्य संबद्ध अस्पतालों में यह जांच प्रारंभ होने से यह वेटिंग लिस्ट भी समाप्त हो जाएगी।

आदरणीय नरपतसिंहजी ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी की तकनीक आउटडेटेड होने की बात कही है। वर्तमान में एस.एम.एस. हास्पिटल जयपुर में एम्स के समकक्ष समस्त आधुनिक लेप्रोस्कोपी सर्जरी की जा रही है।

एम.एल.ए. एवं एम.पी. द्वारा पर्चियों पर 'फ्री-पूअर' लिखा जा रहा है। यह आदरणीय राजीव साहब ने कहा था। वर्तमान में विगत तीन-चार वर्षों से ऐसी कोई परम्परा नहीं है। फ्री का कोई अधिकार किसी भी एम.एल.ए., एम.पी. को नहीं है। उन सबका पैसा रिएम्बर्स होता है। इसलिए यह लिखने का कोई कारण नहीं है।

एस.एम.एस. हास्पिटल में कार्डियो थोरेसिक सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर नहीं होने के कारण वेटिंग लिस्ट ज्यादा है। वर्तमान में बँगला नंबर 9 और 10 में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जिसमें कार्डियो थोरेसिक सर्जरी विभाग का संस्थान विकसित होगा और उससे वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी।

पोस्ट आपरेटिव केयर के लिए पर्याप्त क्वालीफाइड नर्सिंग स्टाफ हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 2017-18 की बजट घोषणा में एम.एम.एस. हास्पिटल में कार्डियो थेरेसिक विभाग को 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है, जिससे वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनका ज्यादा कहना मत मानना नहीं तो यहां नहीं रहोगे। मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप जवाब सुनिए। बैठ जाओ। बृजेन्द्र सिंहजी ओला ने कहा कि डाक्टरों से बॉन्ड भरवाया जाए, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी पर आएं। मैं बताना चाहूंगा कि डाक्टर्स से एम.बी.बी.एस. और पी.जी. दोनों कोर्सेज के पूर्व बॉण्ड भरवाया जाता है। एम.बी.बी.एस में पाँच लाख और पी.जी. कोर्स में 25 लाख का बॉण्ड भराया जाता है। ओला साहब ने कहा कि मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स को शक्ति से लागू किया जाए। हां, नियमों के तहत मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथक्करण एवं छोटे-छोटे टुकड़े करके डिस्पोजल किया जाता है।

ओला साहब ने 8 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने के संबंध में कहा वर्तमान में मेडिकल कॉलेज खोले जाना प्रक्रियाधीन है। भवन निर्माण का कार्य अधिकांश स्थानों पर पूर्णता के निकट है। फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और उपकरणों आदि की क्रय प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

प्रहलाद गुंजलजी ने एक बात कही कि भीमराव हास्पिटल में कोई फैकल्टी या कोई डिपार्टमेंट कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा, वह यही रहेगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

हमारे शुभकरणजी चौधरी ने बताया कि डॉ. संजय धाकड़, सर्जन, बी.डी.के. हास्पिटल, झुंझुनू ने राजकीय चिकित्सालय में दिखाने आए युवक हिमांशु, S/o श्री प्रताप सिंह, उम्र 10 वर्ष को भामाशाह योजना का लाभ देने का लालच देते हुए स्वयं के निजी अस्पताल में ले गए और वहां पर आपरेशन करते वक्त एनेस्थीसिया के डाक्टर के न होते हुए स्वयं ने ही एनेस्थीसिया दिया, जो अधिक होने के कारण उक्त बालक की मृत्यु हो गई। बालक अपनी माता-पिता की एकमात्र संतान था। अत: सरकारी चिकित्सक का निजी अस्पताल में कार्य करना और एक इकलौती संतान का लापरवाही पूर्ण इलाज करने की गंभीरता के मद्देनजर इसे जांच पूर्ण होने तक निलंबित करने की घोषणा करता हूं, जिससे राज्य में इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावर्ती नहीं हो।

राजकुमारजी शर्मा ने यह कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्स श्रेणी द्वितीय के 11259 पद, महिला स्वास्थ्य कर्ताओं के 5559 पद, लैब टेक्निशियन के 129 पद, प्रयोगशाला सहायक के 646 पद, नेत्र सहायक के 102 पद, डेंटल टेक्निशियन के 172 पद, फार्मासिस्ट के 798 पद तथा सहायक रेडियोग्राफर के 43 पदों पर भर्ती की गई है। इस प्रकार कुल 18 हजार 748 पदों पर भर्ती की गई है। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर के 1025 पद, लैब-टेक्निशियन के 1393 पद, डेंटल टेक्निशियन के 42 पद, नेत्र सहायक के 178 पद, प्रयोगशाला सहायक के 1670 पद, कुल 4309 पदों की भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाना प्रक्रियाधीन है।

श्री शुभकरणजी चौधरी ने कहा कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अधीन डाक्टरों का कुछ नहीं बिगड़ता।

मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय में कुल 641 परिवाद पेश किए गए जिनमें से माननीय न्यायालय द्वारा अब तक 145 परिवादों में दोष सिद्ध किया गया है।

उक्त 145 दोष सिद्ध में 125 डाक्टर्स को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा 21 चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया गया है।

राजकुमारजी शर्मा ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों को भुगतान नहीं होने की बात कही। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि योजना के प्रारम्भ से लेकर आज तक इस योजना के तहत प्रदेश के

(श्री कालीचरण सराफ)

660 निजी चिकित्सालयों को बीमा कम्पनी द्वारा 220 करोड़ 75 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अब केवल कुल राशि दो करोड़ का भुगतान शेष है। योजना के तहत भुगतान के लिए 21 दिन का प्रावधान है। शुरू में भुगतान में 15 से 18 दिन लगते थे और अब 6-8 दिन में यह भुगतान हो जाता है। ...(व्यवधान)...

हमारे कांग्रेस के उप नेता, आदरणीय रमेश जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। कि कांग्रेस जो अत्यन्त भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ...(व्यवधान)...विराजो। मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले 108 की सर्विस थी उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। उसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रीजी के सुपुत्र, आपके प्रदेशाध्यक्ष ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):108 की हमने सेवाएं प्रारम्भ की थी आप तो टायर नहीं लगा सके। उन 108 की एम्बुलेंस के आप तो नये टायर नहीं दे सके।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केन्द्रीय मंत्री +++ के लड़के उसमें पाटर्नर थे। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। उसका ठेका कैंसिल करके हमने सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को शुरूआती घंटे, गोल्डन आवर में चिकित्सा सुविधा प्रदान कर जान बचाई जा सकती है। साथ ही प्रसूताओं और बीमार नवजात को...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिना पढ़े बोल दो, इतना तो बिना पढ़े बोल दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिना पढ़े लो । तो 108 और 104 की एम्बुलैंस सेवा है, इंटीग्रेटेड सेवा हमने चालू की है। इसमें यदि कोई भी फोन करता है तो उसको रिकार्ड किया जाता है और यदि वह गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर पैनल्टी की जाती है। आपके समय में जिसमें पाटर्नर थे आपके प्रदेश अध्यक्षजी, पूर्व मुख्य मंत्रीजी के सुपुत्र और एक केन्द्रीय मंत्री ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज किया जाए ।यह नहीं लगा सकते। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): भ्रष्टाचार किया है तो आरोप तो लगेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पैट्रोल पम्प की बात भूल गए क्या मंत्री जी। ...(व्यवधान)... पैट्रोल पम्प से पर्चियां आती थी आपकी तो खुद की पैट्रोल पम्प से ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध करना चाहूंगा कि मांग पारित की जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): भ्रष्टाचार किया है तो आरोप भी लगेंगे ही जांच भी होगी। ...(व्यवधान)... आरोप लगेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजे। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आपस में अगर आप कोई मर्यादित बात कर लें, कोई हंसी मजाक कर लें वहां तक तो ठीक है। लेकिन इस प्रकार की बातें आप करेंगे तो मैं जो यह लिबर्टी आपको देता हूं, आसन यह देना बंद कर देगा। ...(व्यवधान)... I don't. आसन आपसे किसी से एक्सप्लेशन की आवश्यकता महसूस ही नहीं करता है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): +++

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय आप विराज जाए न, आसन पाँव पर है। आसन यह आदेश देता है कि जब से मांग पर वक्तव्य चालू हुआ, जब से जो-जो सदस्य बिना आसन की अनुमति से बोले, वह सारा अपलिखित कर दिया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सा के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपके 9.3.17 की विज्ञप्ति के बाद,आपके भाषण के अनुसार संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी या नहीं। क्योंकि आपकी विज्ञप्ति के अंत में यह लिखा हुआ है चिकित्सा शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थी के आवश्यक अर्हता के अनुरूप नहीं जाने पर समतुल्यता निरस्त करने का अधिकार होगा। क्या इसको भी आप मोडीफाई करने वाले हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान)... इनका मूड नहीं है ...(व्यवधान)... इसलिए आप तो मांग पारित करवाइये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। माननीय मंत्री महोदय, आज पूरे राजस्थान में मेडीकल के मामले में आपने पूरी बरसात कर दी है। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि हमारे बगडी सीएचसी में 200 बैड का अस्पताल है और 20 वर्ष पुरानी एक एक्सरे मशीन वहां पर थी। विभाग की ओर से डेढ वर्ष पूर्व उसको कंडम घोषित कर चुके। मेरा आपसे निवेदन है कि इतनी बरसात के अंदर हम कोरे रह जाएंगे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ध्यान रखेंगे आपका।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अगर एक एक्सरे मशीन डिजिटल विद की आप घोषणा कर देंगे तो मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष: आसन दोनों सचेतक से निवेदन करता है, कल सवेरे साढ़े दस बजे आप दोनों स्पीकर के चैम्बर में उपस्थित होंगे। अगर संसदीय कार्य मंत्री आप भी उपस्थित हो सके, आप कहीं और व्यस्त न हो तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): आपकी आज्ञा की पालना होगी उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सदन के संचालन के समय किस प्रकार के मर्यादित आचरण की आसन अपेक्षा करता है उस पर आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे।

मांग संख्या 26 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,39,12,23,000/- (तिहत्तर अरब उनतालीस करोड़ बारह लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 25 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.49 बजे शनिवार, दिनांक 25 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी में रिक्त पदों पर पदस्थापन

404. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1 विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में संचालित राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने पदों पर कार्मिक पदस्थापित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1 विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में संचालित राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी में वर्तमान में स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त	भरे हुए /पदस्थापित
क.लि.	01	- -	01
व.लि.	02	01	01
व्याख्याता	07	06	01

रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित कार्मिक उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

प्रदेश में संचालित गौशालाओं को देय अनुदान में वृद्धि करने की योजना

408. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित गौशालाओं को प्रति गौवंश के अनुसार अनुदान दिया जाता है? यदि हां तो प्रति गौवंश कितनी राशि?

(2) क्या यह सही है कि गौशालाओं को देय अनुदान समय पर नहीं मिलने के कारण गौशालाओं के संचालकों को गोशालाओं के संचालन में कठिनाइयां हो रही हैं, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त देय अनुदान समय पर उपलब्ध करवाने का विचार रखती हैं? यदि नही, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रति गौवंश अनुदान बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर लगाये गये अधिभार से सृजित निधि से 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के पालन पोषण के लिए माह जनवरी फरवरी एवं मार्च 2017 अधिकतम 90 दिवस की सहायता राशि, चारा पानी एवं पशुआहार हेतु बड़े गौवंश हेतु 32 रुपये तथा छोटे हेतु 16 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से दिये जाने का प्रावधान हैं जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जिलो में अभाव अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य आपदा मोचन निधि में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर बजट उपलब्धता अनुसार पंजीकृत गौशालाओं को नियमानुसार राहत सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। राजस्थान गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016

(डेयरी मंत्री)

के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देश परिपत्र दिनांक 23.11.2016 में पात्र गौशालाओं/कांजी हाउस को सहायता राशि समय सीमा में उपलब्ध हो सके इसके लिए समुचित प्रावधान किया गया है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्व प्राप्ति/उपलब्धता के आधार पर ही सहायता राशि को भविष्य में बढ़ाया जाना सम्भव हो सकेगा।

बड़ी सादड़ी में संचालित लघु सिंचाई लिफ्ट परियोजनाएं

409. श्री गौतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में कुल कितनी लघु सिंचाई लिफ्ट परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं व उनमें से कितनी परियोजनाएं बन्द हैं? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2013 से 2016 के के मध्य बन्द परियोजनाओं को पुन: चालू किया गया है? यदि हां तो कौन कौन सी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2016 के मध्य नई लघु सिंचाई लिफ्ट परियोजनाओं के लिए चिरवा, नकोर, नालवा, डेलाफला, बुझा का फला, उठाखेड़ा, अनोपपुरा व धावड़ाफला के प्रस्ताव एवं एस्टीमेट भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजनाओं को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि नही, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई लघु सिंचाई लिफ्ट परियोजना को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पूर्व वर्षों में कुल 41 लघु सिंचाई लिफ्ट परियोजना (सामुदायिक

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं) का निर्माण करवाया गया था। इनमें से वर्तमान में 36 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई परियाजनाएं बंद हैं। (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

(2) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013 से 2016 के बीच मे 5 बंद सामुदयिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओ को पुन: प्रारम्भ करने हेतु स्वच्छ परियोजना को स्वीकृति जारी की गई।

क्र. सं.	स्थान	ग्राम पंचायत
1	रोहनखंडा	नकोर
2	रोजमगरी	नकोर
3	मगरी 1	जोलर
4	धावड़ा मेडतिया	जोलर
5	बिल्लीखेड़ा	सरीपीपली

(3) निम्नलिखित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्राप्त हुए है। प्राप्त पत्र के साथ तखमीने संलग्न नहीं हैं।

क्र. सं.	स्थान	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1	चिरवा	बारावरदा	प्रतापगढ़
2	नकोर	नकोर	प्रतापगढ़
3	नालवा	नकोर	प्रतापगढ़
4	डेला फला	जोलर	प्रतापगढ़
5	बुझा का फला	बारावरदा	प्रतापगढ़
6	उठाखेड़ा बिलिखेड़ा	सरीपीपली	प्रतापगढ़
7	अनोपपुरा	ग्यासपुर	प्रतापगढ़
8	धावड़ा फला	मधुरा तालाब	प्रतापगढ़

(4) प्रस्तावों का परीक्षण किया जाकर राशि की उपलब्धता के आधार पर आगामी निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में पालनहार योजना की बकाया राशि का भुगतान

410. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकाकरिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर एवं रोहट तहसील में पालनहार योजना के किस-किस प्रकरण में कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से कितनी-कितनी राशि दी जानी शेष है? शेष राशि कितनी अवधि में दे दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कौन-कौनसा सा प्रकरण किस-किस दस्तावेज की कमी के कारण लंबित है एवं उक्त दस्तावेजों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किस-किस समय क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार पालनहार योजना में प्रतिमाह राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में पाली शहर एवं रोहट तहसील के पालनहार योजना के आवेदको की बकाया राशि का बकाया रहने के कारणों सहित विवरण परिशिष्ट अ एवं परिशिष्ट ब पर सलंग्न है। उक्त बकाया राशि का आवेदनो में पाये गये आक्षेपो की पूर्ति होने के पश्चात् भुगतान कर दिया जावेगा।

(2) पाली जिले के पाली शहर एवं रोहट तहसील में पालनहार योजनान्तर्गत दस्तावेजों की कमी के कारण लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' पर सलंग्न है। आवेदनों में आक्षेप पूर्ति/दस्तावेजो की पूर्ति हेतु निम्नाकित कार्यवाही की गई है:-

अ. निदेशालय स्तर पर की गई कार्यवाही

1. विभाग के आदेश दिनांक 16.05.16 द्वारा आवेदन पत्रों में त्रुटि अथवा कमी पाये जाने की स्थिति में पालनहार को दूरभाष/पत्र के माध्यम से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. पालनहारों से दूरभाष पर संपर्क करने एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

3. विभाग के पत्र दिनांक 22.11.16 द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को जिले में योजना से जुड़े जिला शिक्षा अधिकारी/विकास अधिकारी/ब्लाक शिक्षा अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिये लिखा गया।
4. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाये एवं शासन सचिव, माध्यमिक एवं स्कूल शिक्षा विभाग को बच्चो के दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु संबन्धित अधिकारियो को निर्देशित करने हेतु लिखा गया।
5. विभाग द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संबन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।
6. दिनांक 09.09.15 से 15.10.15 तक दस्तावेज प्राप्त करने हेतु अभियान चलाया गया।
7. दिनांक 18.01.17 से 31.01.17 तक अभियान चलाया जाकर बच्चों के आवश्यक दस्तावेजो को अधतन करवाया गया है।
8. विभाग द्वारा आक्षेप पूर्ति करवाये जाने हेतु राज्य एवं जिला स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई है।

ब. जिला स्तर पर की गई कार्यवाही

1. दिनांक 15.12.16 को दस्तावेज जमा कराने हेतु जिला स्तर से विज्ञप्ति जारी की गई है।
2. जिला कलेक्टर पाली द्वारा योजना से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित कर दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये है।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 03.01.17 को सभी संस्था प्रधानों को योजना से जुड़े बच्चों के दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।
4. जिले में पदस्थापित छात्रावासों अधीक्षकों को पालनहारों से दस्तावेज प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. जिला कलक्टर पाली द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी/विकास अधिकारी आदि को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) जी हां। सरकार पालनहार योजना में प्रतिमाह राशि का भुगतान करने हेतु साफटवेयर/ आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल पर पालनहार के भामाशाह एवं बच्चों के आधार आदि दस्तावेजो को अधतन करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर भविष्य में सभी पालनहारों को समय पर प्रतिमाह भुगतान करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में पुरातत्व एवं सांस्कृतिक धरोहरों की मरम्मत पर व्यय राशि

411. श्री विद्याधर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में पुरातत्व एवं सांस्कृतिक धरोहरों की देखरेख के लिये क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 व 2016-17 में कोटा जिले में पुरातत्व एवं सांस्कृतिक धरोहरों की मरम्मत एवं निर्माण के कौन-कौनसे कार्य करवाये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुरातत्व विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुरा धरोहरों की देखरेख के लिए किये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न हैं।

(2) पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में कोटा जिले में कोई कार्य नहीं करवाया गया है। वर्ष 2016-17 में राजकीय संग्रहालय, कोटा में स्थित रियासतकालीन बावड़ी की सफाई एवं फाउन्टेन स्थापित करने के लिए रुपयें 20.66 लाख की लागत के कार्य, आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा करवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस प्राधिकरण द्वारा राजकीय संग्रहालय, कोटा के रियासतकालीन भवन के 121.37 लाख रु. लागत के संरक्षण, मरम्मत एवं विकास कार्य किये जा रहे हैं। इसी तरह इस भवन के 70.56 लाख रु. लागत के बिजली संबंधी कार्य भी प्रारम्भ किए गए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लाभार्थी

412. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्‌वारा प्रदेश में दिनांक 01 जून, 2016 से मुख्य मंत्री राजश्री योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से जिलों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से बाड़मेर जिले में दिनांक 01 जून, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया एवं कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01.06.2016 से प्रदेश के सभी जिलों में मुख्य मंत्री राजश्री योजना प्रारम्भ की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में दिनांक 01.06.2016 से 31.01.2017 तक लाभान्वित लोगों एवं लम्बित आवेदनों का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

विधान सभा क्षेत्र	कुल केसेज	लाभान्वित	लम्बित
सिवाना	2310	2261	49
गुडामालानी	2110	1695	415
बाड़मेर	3298	2838	460
बायतु	1352	1271	81
शिव	1484	1345	139
चौहटन	3251	2903	348
पचपदरा (बालोतरा)	2478	2126	352
योग	**16283**	**14439**	**1844**

विधान सभा क्षेत्रवार नाम सहित सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर के महाविद्यालयों में नवीन विषय खोलने की योजना

413. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीन विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर में छात्राओं की मांग के अनुसार स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र, अंग्रेजी व हिन्दी विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर में रसायन विज्ञान, संस्कृत व हिन्दी विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाई माधोपुर को बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में वर्ष 2017-18 में इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर एक नवीन विषय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(2) राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाई माधोपुर को बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई है, जिसकी अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2017-18 राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाई माधोपुर में स्नातकोत्तर स्तर पर एक नवीन विषय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(3) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाई माधोपुर में स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान, संस्कृत व हिन्दी विषय प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

जमवारामगढ़ के सीनियर सैकण्डरी स्कूल से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

414. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है, कि सरकार द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की नीति बनाई गई है? यदि हां, तो कब एवं क्या उक्त नीति का प्रदेश में पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में सीनियर सैकण्डरी विहीन ग्राम पंयाचतों में पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना लक्ष्य था, जिसके फलस्वरूप बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर जहां गैर राजकीय/ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, उन ग्राम पंचायतों पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य की क्रियान्वित की पालना में 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मय विज्ञान/वाणिज्य संकाय सहित क्रमोन्नत किए गए। जिन नवीन 692 ग्राम पंचायतों में से 240 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जा चुके हैं। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से विद्यालयों को क्रमोन्नत वर्ष 2020 तक किया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की निम्न ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नही है:-

1. भुरानपुरा

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

2. नांगल तुलसीदास
3. कैला का बास
4. राम्यावाला
5. लाली

(3) जी नहीं। 692 नवगठित ग्राम पंचायत में से राजकीय प्राथमिक से राजकीय उच्च प्राथमिक 46 तथा राजकीय उच्च प्राथमिक से राजकीय माध्यमिक में 240 विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके है। वर्ष 2015-16 से बजट सत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में गैर राजकीय/ राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं होने पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसकी पालना में 240 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 तक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जा सकेंगे,जिसमैं मुख्यालय अथवा मुख्यालय के राजस्व ग्राम के विद्यालय भी हो सकते हैं।

नगर परिषद् सुजानगढ़ द्वारा अमृत योजना के तहत कराये गये कार्य

415. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् सुजानगढ़ में अमृत योजना के अन्तर्गत ड्रेनेज, सीवरेज, सड़क सौन्दर्यीकरण, नाथो तालाब को सौन्दर्यकरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है?

(2) उक्त कार्यों को करने हेतु किस फर्म के नाम निविदा स्वीकृत हुई व कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत निविदाधारी फर्म की क्या-क्या शर्तें तय की गई हैं? डी.पी.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्यों हेतु भारत सरकार/राजस्थान सरकार से कितनी-कितनी कितनी राशि नगर परिषद सुजानगढ़ को प्राप्त हो गयी है व उक्त कार्यों में किस-किसका कितना-कितना हिस्सा होगा तथा नगर परिषद द्वारा दी जाने वाली राशि के लिये किन-किन शर्तों पर ऋण/अनुदान दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद सुजानगढ़ में अमृत योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

सीवरेज	रुपये 100 करोड़
जलापूर्ति	रुपये 25.00 करोड़
ग्रीन स्पेस	रुपये 2.50 करोड़
ड्रेनेज	शून्य
सड़क सौन्दर्यीकरण	शून्य
नाथो तालाब का सौन्दर्यीकरण	शून्य

(2) सीवरेज कार्य की निविदाधारी फर्म का नाम M/S YFC Project Pvt. Ltd. - M/S ZIT (JV) है। कार्य पूर्ण करने की अवधि 24 माह है।

जल आपूर्ति कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है।

ग्रीन स्पेस कार्य की निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है।

(3) उक्त सीवरेज निविदाधारी फर्म की शर्तें बिड डाक्यूमेन्ट में उल्लेखित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट- अ पर संलग्न है एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(4) अमृत योजनान्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिशा-निर्देशिका के अनुसार हिस्सा राशि (केन्द्र:राज्य:नगरीय निकाय) 50:30:20 के अनुपात में निर्धारित है। जिसके अनुसार कुल 127.50 करोड़ रुपये में से 63.75 करोड़ रुपये केन्द्र का, 38.25 करोड़ रुपये राज्य का एवं 25.50 करोड़ रुपये नगरीय निकाय का हिस्सा होगा। सीवरेज परियोजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा राशि, रुपये 10.05 करोड़ राज्य सरकार से प्राप्त हिस्सा राशि, रुपये 6.03 करोड़ कुल 16.08 करोड़ रुपये नगर परिषद सुजानगढ़ को हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा नगर परिषद द्वारा इस हिस्सा राशि बाबत ऋण/अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की ग्राम सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के लम्बित प्रकरण

416. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता और गबन के कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में कितनी राशि की वसूली की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश की कई सहकारी समितियां नियमित रूप से अंकेक्षण नहीं करवा रही हैं? यदि हां, तो प्रदेश में वर्तमान में ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिन्होंने अंकेक्षण नहीं करवाया व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता और गबन के 1935 मामले लम्बित है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त में से 34 मामलों मे 72.22 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रदेश की अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा नियमित रूप से अंकेक्षण करवाया जा रहा है। दिनांक 01.04.2016 को पंजीकृत 6471 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से माह फरवरी, 2017 तक 5479 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। माह फरवरी, 2017 तक ऑडिट प्रतिशत 84.65 रहा है। ऑडिट से शेष 992 ग्राम सेवा सहकारी समितियों मे अंकेक्षकों को नियुक्ति की जा चुकी है व उक्त 992 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अंकेक्षण माह मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खैरवाड़ा में प्रतियोगी परीक्षा के लिये विशेष कोचिंग की व्यवस्था

417. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में विभाग द्वारा स्थानीय क्षेत्र के जनजाति मद में किन-किन कार्यों के लिए बजट आवंटित किया गया? उक्त आवंटित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किस प्रकार की योजनाओं पर बजट में से व्यय किया गया? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षो में कितने नवीन छात्रावास खोले गये व उन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खैरवाड़ा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट का आवंटन विधानसभा वार नहीं किया जाता हैं क्षेत्रीय आवश्यकता एवं मांग के अनुसार किया जाता हैं। विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा में जनजाति विभाग द्वारा वर्ष 2013 से आज दिनांक तक जनजाति मद अन्तर्गत सड़क निर्माण, खेल छात्रावासों में खेल सुविधा का विकास, कन्या आश्रम छात्रावासों में शौचालय निर्माण, कन्या आश्रम छात्रावासों की बाउण्डीवॉल निर्माण, सामुदायिक भवन, छात्रावासों में डाइनिंग हॉल निर्माण आदि कार्यो के लिए बजट आवंटन किया गया।

मदवार योजना बजट आवंटन का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) खैरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक नवीन छात्रावास बिरोठी भीलान गोहावाड़ा (बालिका) का निर्माण कार्य पूर्ण कर जुलाई 2016 में संचालन प्रारम्भ किया गया। इस कार्य पर राशि रु. 264.38 लाख रु. की राशि का व्यय हुआ।

(3) वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा निदेशक टी आर आई उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग व्यवस्था की जा रही है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पर्याप्त संख्या में जनजाति अभ्यार्थियों के होने पर खैरवाड़ा मुख्यालय पर प्रतियोगी परीक्षा की विशेष कोचिंग पर विचार किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित विमंदित गृहों के निरीक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश

418. श्री रमेश (सपोटरा) क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने राजकीय विमंदित गृह किन-किन मानदण्डों के अधीन कहां-कहां संचालित है एवं जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक उक्त केन्द्रों में कहां- कहां कितने-कितने विमंदित बालक-बालिकाओं की किन कारणों से मृत्यु हुई?

(2) जामडोली, जयपुर स्थित विमंदित गृह में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक किस-किस आयु के कितने विमंदितों की मृत्यु किन-किन कारणों से हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विमंदित गृह में जनवरी, 2015 से अगस्त, 2016 तक किस किस श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत रहे एवं उनका क्या-क्या दायित्व निर्धारित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विमंदित गृहों के निरीक्षण हेतु क्या निर्देश/नियम है? जामडोली स्थित विमंदित गृह का जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक कब-कब किस-किस अधिकारी ने निरीक्षण किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त विमंदित गृह में हुई मौतों की जांच कराई गई है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ एक राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, स्वयसिद्वा परिसर, जामडोली जयपुर में संचालित है। जनवरी 2014 से

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

दिसम्बर से दिसम्बर 2016 तक उक्त गृह में एक आवासिनी की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त 8 बालको एवं 16 बालिकाओं की चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 25 मानसिक विमंदितो की मृत्यु हुई। मृत मानसिक विमंदित बालक बालिकाओं की सूची मय मृत्यु के कारणों के सलंग्न परिशिष्ट- अ एवं अ-1 पर उपलब्ध है।

(2) जामडोली जयपुर स्थित राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में जनवरी 2015 से दिसम्बर 2016 तक एक आवासिनी की गृह में मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त 7 बालको एवं 15 बालिकाओं की चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 23 मानसिक विमंदितो की मृत्यु हुई। मृत मानसिक विमंदित बालक-बालिकाओ की सूची मय मृत्यु के कारणो के सलंग्न परिशिष्ट- ब एवं ब-1 पर उपलब्ध है।

(3) जनवरी 2015 से अगस्त 2016 तक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली जयपुर में कार्यरत रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके दायित्व सलंग्न परिशिष्ट- स एवं स-1 पर उपलब्ध है।

(4) मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली जयपुर एक राजकीय संस्थान है, जिसका निरीक्षण किसी भी प्रशासनिक/न्यायिक/राजकीय अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। जामडोली स्थित मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह का जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 तक विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी के नाम व निरीक्षण की तिथी का विवरण सलंग्न परिशिष्ट- द पर उपलब्ध है।

(5) जामडोली स्थित मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुर्नवास गृह के 16 आवासियों की मृत्यु के संबध में जांच हेतु श्री सुर्दशन सेठी प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति गठित कर जांच करवाई गई। उक्त घटना के क्रम में गृह में कार्यरत तत्कालीन अधीक्षक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मनोचिकत्सक व केयर टेकर एवं उप निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन,

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

मुख्यावास उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर (शहर) को प्रथम दृष्टतया लापरवाह मानकर निलम्बित किया गया एवं निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन को पदस्थापन आदेशो की प्रतिक्षा में रखा गया है। जाच रिपोर्ट की प्रति सलंग्न परिशिष्ट- य पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली के ऐतिहासिक स्थलों के विकास की योजना

419. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली के ऐतिहासिक शक्ति पीठ धुणीमाता, श्रृंगी ऋषि महादेव व उमर जोगा महादेव का विकास कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास हेतु राज्य योजनान्तर्गत व केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में कराये जा रहे कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग में धुणीमाता, श्रृंगी ऋषि महादेव व उमर जोगा महादेव के विकास से संबंधित कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले के राजकीय आयुर्वेद औषद्यालयों के चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति

420. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर जिले के राजकीय आयुर्वेद औषधालय चणावदा, गिर्वा व सेमड़ के चिकित्सक गत दो वर्षों में कब-कब और कहां-कहां प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे तथा उक्त औषधालयों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति में मरीजों के इलाज की क्या व्यवस्था रही?

(श्री फूलसिंह मीणा)

(2) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा कितनी बार कब-कब चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने हेतु आदेश जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त दोनों औषधालयों के चिकित्सकों को जिला आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर द्वारा कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया था। दोनो औषधालयों मे कम्पाउण्डर कार्यरत है। कम्पाउण्डर द्वारा औषधालय की व्यवस्था संचालित की गयी हैं। इन्हे व्यवस्थार्थ लगाये जाने पर औषधालय की व्यवस्था बाधित नहीं हुई हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट- क पर संलग्न हैं।

(2) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त करने हेतु निम्नानुसार दो बार आदेश प्रसारित किये गये हैं:-

1. राज्य सरकार के पत्रांक प.10(28)आयु./2015 दिनांक 19.01.2016
2. राज्य सरकार के पत्रांक प.10(3)आयु./2013 दिनांक 13.02.2017

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडारायसिंह में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

421. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं? यदि हां तो उपखण्ड टोडारायसिंह में भूमि पर उपलब्ध होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय नही खोलने के क्या कारण रहे व अब कब तक खोल दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में टोडारायसिंह में निजी क्षेत्र में 01 (राजीव गांधी बालिका महाविद्यालय, टोडारायसिंह) महाविद्यालय संचालित है। मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर उपखण्ड टोडारायसिंह में सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

बाड़मेर जिले में उत्कर्ष योजना में चयनित विद्यालय

422. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले के कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उत्कर्ष विद्यालय योजना में चयनित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उत्कर्ष विद्यालय चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उत्कर्ष विद्यालय योजना में चयन किये गये विद्यालयों में योजना के अनुरूप संसाधन उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना की शुरूआत से 31 जनवरी, 2017 तक बाड़मेर जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जहां उत्कर्ष विद्यालय की समस्त सुविधायें उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित 447 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की नामवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में 01 राजकीय उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्थापित करने के संबंध में जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(3) राज्य सरकार द्धारा विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 01 राउप्रावि/राप्रावि को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना हैं।

विभाग द्वारा चयनित उत्कृष्ट विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डानुसार पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु प्रयास जारी है। इस क्रम में मनरेगा योजना के अंतर्गत खेल मैदान का विकास,वृक्षारोपण,जनसहयोग से भौतिक विकास, वृक्षाणोपण,जनसहयोग से भौतिक सुविधाएं जुटाने के प्रयास जारी है तथा सर्व शिक्षा अभियान में उलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अतिरिक्त

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

अन्य योजनाओं से विद्यालय भवन/कक्षा कक्षों के निर्माण जैसे डिस्ट्रक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में होने वाले खनन प्रदार्थो की रॉयल्टी की राशि में से जिला कलक्टर के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विकास योजनाओं व मनरेगा,विधायक/सांसद कोष तथा भामाशाह दानदाताओं एवं सीएसआर के माध्यम से अतिरिक्त भौतिक संसाधन जुटाने के प्रयास जारी है।

(4) जिला बाड़मेर में उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयनित 180 विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाए उपलब्घ है जिनका नामवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के ग्राम भदाना में वन भूमि पर अतिक्रमण

423. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा नगर निगम के वार्ड संख्या 11 के ग्राम भदाना में वन विभाग की कितनी हैक्टेयर जमीन हैं। उक्त जमीन में से कितनी जमीन पर अतिक्रमण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा नगर निगम के वार्ड संख्या 11 के ग्राम भदाना में 39.26 हैक्टयर वन भूमि है। लगभग 25 हैक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं लगभग 14 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है, जिसमें ग्राम भदाना की आंशिक आबादी भी वन भूमि पर बसी हुई है।

(2) भू-राजस्व अधिनियम 1991 के तहत प्रकरण दर्ज कर वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के लाभार्थी

424. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगाराम पटेल)

(1) क्या यह सही है सरकार द्वारा प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सह-निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु "भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना" प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना प्रदेश के किन-किन श्रेणी के किस-किस मजदूरों के लिए कब से प्रारम्भ की गई है तथा इसका लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक/मजदूर के लिए क्या-क्या अर्हताएं निर्धारित हैं? विवरण सदन की मज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पात्रता रखने वाले व विधिवत रजिस्टर्ड मजदूर तथा उसके परिवार/आश्रित/हितकारी को कब-कब क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं तथा प्रदेश में वर्तमान में उक्त योजना में पात्रता रखने वाले कितने पंजीकृत श्रमिक/मजदूर हैं व उनमें से अब तक कितने लोगों ने कितनी राशि का लाभ प्राप्त कर लिया है? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत आने वाले निर्माण श्रमिक एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिक जो पंजीकृत हैं के लिए "भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना" 1.1.2016 से प्रारम्भ की गई। निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह एक बहुआयामी योजना है जिसके अंतर्गत निम्नांकित 4 योजनाएं सम्मिलित हैं:-

1. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
2. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
3. भामाशाह निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना
4. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

उक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों/ उनके आश्रितों से संबंधित पात्रता तथा योजना के अंतर्गत देय लाभ का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना में पात्रता रखने वाले

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

पंजीकृत हिताधिकारी तथा उनके परिवार/ आश्रित को देय हितलाभ का विवरण उक्तानुसार परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत जनवरी, 2017 तक 14 लाख 28 हजार पंजीकृत हिताधिकारी है जिनमें से इस योजना की पात्रता अनुसार देय हितलाभ दिये जाते है। राजस्थान भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा अब तक लाभान्वित हिताधिकारियों का जिलेवार, पंचायत समितिवार व योजनावार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जोड़े गये नये प्रावधान हटाने की कार्यवाही

425. श्री नन्दकिशोर (फतेहपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नवीनीकरण हेतु सहकारी विभाग का पत्र क्रमांक फा. 4628 साविरा बैंक-2 दिनांक 29-8-2016 के द्वारा योजना की वर्ष 2016-17 में क्रियान्विति हेतु मैसर्स एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रस्ताव का अनुमोदन जारी करने से पूर्व सरकार से अनुमति ली गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के पूर्व एम.ओ.यू. में अधिकतम आयु सीमा 79 वर्ष के व्यक्ति को बीमित किए जाने का प्रावधान था? यदि हां, तो दिनांक 1-10-2016 को समझौता ज्ञापन, निष्पादन में अधिकतम आयुसीमा दस वर्ष घटा कर 69 वर्ष करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार आयु सीमा पुन: बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत गत एम.ओ.यू. में किसान को एक लाख से अधिक की राशि का बीमा करवाने पर अच्छे स्वास्थ्य का घोषणा पत्र देने का प्रावधान नहीं था? यदि हां, तो एम.ओ.यू. दिनांक 1-10-2016 में उक्त प्रावधान क्यों जोड़ा गया? क्या सरकार नए जोड़े गए प्रावधानों को

(सहकारिता मंत्री)

हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग की पत्रावली पर दिनांक 22.08.2016 को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की वर्ष 2016-17 में क्रियान्विती हेतु एस.बी.आई. लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

(2) जी हाँ। उक्त योजना के गत वर्ष 2015-16 के एम.ओ.यू. में, जो शीर्ष बैंक व भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य निष्पादित हुआ था, में बीमित की अधिकतम आयु सीमा 79 वर्ष के प्रावधान थे। वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक 01.10.2016 को एस.बी.आई. लाईफ इन्श्योरेन्स के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा 69 वर्ष का प्रावधान बीमा कंपनी द्वारा ऑफर की गई प्रतिस्पर्धात्मक दरों तथा गुणावगुण के आधार पर जोडा गया था। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की अनवरतता के लिए बीमा कंपनी के चयन, बीमा प्रीमियम दरें, बीमित व्यक्ति की आयु संबंधी प्रावधानों आदि समस्त पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंषा भिजवाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।

(3) जी हां। दिनांक 01.10.2016 को मैं. एस.बी.आई. लाईफ इन्श्योरेन्स कंपनी के साथ हुए एम.ओ.यू. में बीमा कंपनी की नीति के अनुसार एक लाख से अधिक की राशि का बीमा करवाने पर अच्छे स्वास्थय का घोषणा पत्र देने का प्रावधान रखा गया था। आगामी वर्ष हेतु नये सिरे से बीमा कंपनी का निर्धारण करते समय बीमा कंपनी द्वारा आफर की गई प्रीमियम की दरें एवं अन्य प्रस्तावित शर्तों/प्रावधानों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक आधार पर एम.ओ.यू. को अंतिम रूप दिया जाता है।

कपासन के एस.टी. बाहुल गांवों में विशेष सहायता की योजना

426. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(1) क्या यह सही है कि टी.एस.पी. एरिया में रहने वाले एस.टी. के लोगों को सरकार द्वारा विशेष लाभ देने की योजना व नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन में रहने वाले एस.टी. के लोगों को भी टी.एस.पी. एरिया में रहने वाले लोगों के बराबर लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार कपासन क्षेत्र के एस.टी. बाहुल गांवों में विशेष सहायता योजना या अन्य सहायता के माध्यम से भौतिक संसाधन व आर्थिक सहायता देकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जनजाति लोगों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान एवं क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से अधिकांश योजनाओं का लाभ माडा एवं बिखरी क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लागों को भी प्रदान किया जाता है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन बिखरी क्षेत्र में आता है। बिखरी क्षेत्र में संचालित विभागीय योजनाओं में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा हैं।

(3) कपासन क्षेत्र के बिखरी क्षेत्र में आने वाले गांवों को विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान हैं। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब अनुसार संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरण

427. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(1) प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन से 31 जनवरी, 2017 तक कितने मामलों में स्वप्रेरणा से प्रकरण दर्ज किये गये? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आयोग द्वारा दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निस्तारण कब-कब किया गया व दोषी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिये तथा विभाग ने उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयोग द्वारा कितने प्रकरण में पीड़ित बच्चों तथा उनके अभिभावकों को सहायता/अनुदान दिलवाया गया? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राज्य बाल अधिकार सरक्षण आयोग द्वारा गठन के उपरान्त से 31 जनवरी 2017 तक स्वप्रेरणा से 280 प्रकरण दर्ज किये गये। प्रकरणवार सूची परिशिष्ट अ पर सलंग्न है।

(2) आयोग द्वारा उक्त में 165 प्रकरणो का निस्तारण किया गया एवं दोषी के विरुद्ध संबन्धित विभाग को दिये गये निर्देशो तथा विभाग द्वारा उन पर अब तक की गई कार्यवाही की प्रकरणवार सूची परिशिष्ट ब पर सलंग्न है।

(3) उक्त आयोग द्वारा 09 प्रकरणो में पिड़ित बच्चे तथा उनके अभिभावको को सहायता/अनुदान दिलवाया गया। प्रकरणवार सूची परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर व जोधपुर में पर्यटक पुलिस थानों की स्थापना

428. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़)**:** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सुराज संकल्प-2013 में प्रदेश के चार प्रमुख शहरों- जयपुर उदयपुर, जैसलमेर एवं जोधपुर में देशी-विदेशी पर्यटकों/ सैलानियों को सुरक्षा प्रदान करने व लपकों से बचाव हेतु पर्यटन पुलिस थाने खोलने एवं उनमें विशेष पुलिस बल नियुक्त करने की घोषणा

(श्री बाबू सिंह)

की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा की अनुपालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर शहर में पर्यटन पुलिस थाना नहीं खुलने के कारण आने वाले सैलानियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेडछाड करने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर व जोधपुर में पर्यटन पुलिस थानों के लिए न तो जमीन चिंहित की गई ना ही विशेष पुलिस बल की नियुक्ति हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले जैसलमेर व जोधपुर में पर्यटन थाने खोलने व विशेष पुलिस बल नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सुराज संकल्प-2013 के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई।

(2) गृह विभाग से प्राप्त सूचनानुसार जोधपुर शहर में आने वाले सैलानियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ करने के विगत तीन वर्षों में दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) गृह विभाग से प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में जैसलमेर में पर्यटन पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर में पर्यटन पुलिस थाने हेतु भवन अथवा भूमि आवंटन होने पर पर्यटन पुलिस थाना क्रियाशील किया जावेगा।

(4) गृह विभाग से प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में जैसलमेर में पर्यटन पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर में पर्यटन पुलिस थाना खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर ग्रामीण में निर्माणाधीन तीर अकादमी

438. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में तीरअकादमी का निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब चालू किया व किस जन प्रतिनिधि से उक्त कार्य का शिलान्यास कराया गया तथा उक्त कार्य की लागत कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनजाति मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल ढीकली में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो क्या इसके कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व आयोजित समारोह में क्षेत्रीय विधायक को भी आमंत्रित किया गया था?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त जनजाति परियोजना क्षेत्रों में लाखों रुपये व्यय कर जो सुविधा दी जा रही है, उसके प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी सहयोग लिया जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में तीर अकादमी निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

नवीन भवन का कार्य पत्र क्रमांक 30383-91/ 10.12.2014 से राशि रु. 218.00 लाख का स्वीकृत होकर व्यय 186.21 लाख रु. में पूर्ण हुआ था। उक्त भवन अप्रेल 2015 में पूर्ण कर लिया गया एवं जुलाई 2015 से इसका संचालन प्रारम्भ किया गया।

उक्त भवन का लोकार्पण 10 सितम्बर 2015 को माननीय मंत्री महोदय श्री नन्द लाल जी मीणा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के निरीक्षण के दौरान किया गया। लाकार्पण हेतु किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण पत्र आदि नहीं बनवाए गए तथा न ही कोई आम सभा का आयोजन किया गया। लोकार्पण के दौरान मंत्री महोदय जी के साथ माननीय

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

सांसद महोदय श्री अर्जुन जी मीणा, स्थानीय माननीय विधायक श्री फूलसिंह जी मीणा, प.स. बडगांव प्रधान श्री खुबीलाल जी पालीवाल उपस्थित थे।

(2) जी हां। यह सही है कि जनजाति मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल, ढ़ीकली में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य प्रारम्भ करते समय कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया।

(3) जी हां। जनजाति परियोजना के माध्यम से जो सुविधाएं दी जा रही है, उनके प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधि का भी सहयोग लिया जाता है। जन प्रतिनिधिगण द्वारा विभिन्न समाचार माध्यमों के अलावा विभिन्न बैठकों कार्यक्रम एवं समारोह में जन साधारण को राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है।

बाड़मेर जिले की जनजाति बहुल ग्राम पंचायतों में विकास कार्य

439. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनजाति क्षेत्र के विकास के तहत कौन-कौनसे जिले चयनित किये गये हैं? क्या चयनित करने में जनसंख्या को आधार माना जाता है या क्षेत्र विशेष को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के चौहटन एवं सिवाना विधान सभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें जनजाति बाहुल्य हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में उक्त योजनान्तर्गत विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्र विकास के तहत प्रदेश को अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर क्षेत्र, सहरिया क्षेत्र एवं बिखरी क्षेत्र में विभक्त किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, एवं माडा क्लस्टर क्षेत्र गठन संबंधी निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। सहरिया विकास

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

परियोजना में बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में निवासरत सहरिया जनजाति परिवारो को सम्मिलित किया गया है एवं जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर क्षेत्र एवं सहरिया परियोजना में सम्मिलित नही हैं उन क्षेत्र के जनजाति व्यक्तियों को बिखरी जनजाति कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।

(2) बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील की कुल जनसंख्या 2,72,560 है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28,892 है जो कुल जनसंख्या का 10.60 प्रतिशत ही है एवं सिवाना तहसील की कुल जनसंख्या 3,26,817 है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 34,790 है जो कुल जनसंख्या का 10.65 प्रतिशत ही है। बाड़मेर जिले के चौहटन एवं सिवाना तहसील के 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले गावों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के गठन संबंधी मानदण्डो की पूर्ति नही करने के फलस्वरूप बाड़मेर जिले को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है। अनुसचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् माडा एवं माडा क्लस्टर क्षेत्रो के विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे। यदि उक्त क्षेत्र माडा एवं माडा कलस्टर के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करते है तो उन्हें प्रस्तावों में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकेगा। जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, एवं माडा क्लस्टर क्षेत्र हेतु भारत सरकार के उपरोक्त मानदण्डों की पूर्ति नहीं करते, उन क्षेत्रों को विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु चलाई जा रही बिखरी क्षेत्र योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। बिखरी योजनान्तर्गत संचालित की जा रही योजनाओं के विवरण की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में दवाइयों की दुकानों व दवा कम्पनियों का निरीक्षण

440. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में गलत मानकों की दवाइयों के निर्माण एवं बेचान के लिए कुल कितनी दवा कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्ष में कुल कितनी दवाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया और कितनी दवाई की दुकानों एवं कंपनियों में अनियमितताएं पाई गईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निरीक्षण के दौरान दोषी पाई गई कुल कितनी दवा कंपनियों एवं दवाई की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) औषधि नियंत्रक विभाग में वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा विगत 03 वर्षों (01.01.2014 से 31.12.2016 तक) में अवमानक औषधियो के निर्माण व बेचान के लिए 245 प्रकरणों में दवा कम्पनियों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई।

क्र. सं.	अवधि	की गई कार्यवाही की संख्या
1	01.01.2014 से 31.12.2014	133
2	01.01.2015 से 31.12.2015	43
3	01.01.2016 से 31.12.2016	69
	कुल योग	245

जिलेवार की गई कार्यवाहियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) औषधि नियंत्रण संगठन ने विगत 03 वर्षों (01.01.2014 से 31.12.2016 तक) में दुकानों पर 35970 तथा कम्पनियों पर 139 निरीक्षण किये गये जिनमें से दुकानों के 8735 निरीक्षणों व कम्पनियों के 90 निरीक्षणों में अनियमिताएं पाई गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र. सं.	अवधि	निरिक्षणों की संख्या		अनियमितताएं पाई जाने वाली दुकानों की संख्या	अनियमितताएं पाई जाने वाली कम्पनियों की संख्या
		दुकान	कम्पनी		
1	01.01.2014 से 31.12.2014	11453	20	3132	13
2	01.01.2015 से 31.12.2015	12224	67	3036	49
3	01.01.2016 से 31.12.2016	12293	52	2567	28
कुल योग		**35970**	**139**	**8735**	**90**

इस क्रम में जिलेवार विवरण परिशिष्टि-"ब" व "स" पर संलग्न है।

(3) गत 03 वर्षों में दवाई की दुकानों व कम्पनियों के निरीक्षण में अनियमितताएं करने व राज्य में अवमानक औषधियों के निर्माण/बेचना के क्रम में संगठन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।

क्र. सं.	अवधि	निरिक्षणों की संख्या	दोषी पाई गई दुकानों व कम्पनियों की संख्या	की गई कार्यवाही की संख्या
1	01.01.2014 से 31.12.2014	11473	3145	2607
2	01.01.2015 से 31.12.2015	12291	3085	2744
3	01.01.2016 से 31.12.2016	12345	2595	2148
कुल योग		36109	8825	7499

की गई कार्यवहियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ब व स पर संलग्न है। शेष दोषी दवा विक्रेताओ एवं कम्पनियो के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) औषधि नियंत्रण संगठन में 02 औषधि नियंत्रक, 36 सहायक औषधि नियंत्रक एवं 116 औषधि नियंत्रण अधिकारियों के पद स्वीकृत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इनमें से राज्य में 01 औषधि नियंत्रक, 14 सहायक औषधि नियंत्रक एवं 50 औषधि नियंत्रण अधिकारियों के पद रिक्त है। जिनका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के चिकित्सालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति

441. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के चिकित्सालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं, तथा उनमें से कितने पद पदोन्नति में विलम्ब के कारण रिक्त हैं? अब तक मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग के कर्मचारियों को निर्धारित कोटे में पदोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं तथा कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद होने के उपरान्त भी नर्सिंग स्टॉफ के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं तथा कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अब तक 281 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित कोटे के अन्तर्गत लिपिक श्रेणी द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इन चिकित्सालयों में पदोन्नति में विलम्ब के कारण कोई पद रिक्त नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के 65 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित कोटे के अन्तर्गत लिपिक श्रेणी द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति खैरवाड़ा एवं ऋषभदेव का क्षेत्र आता है। उक्त पंचायत समितियों में 12 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित है, जिनकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थापित है। बजट घोषणा 2012-13 में टीएसपी क्षेत्र हेतु विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 73 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये थे, जो वर्तमान में रिक्त है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, जिनका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के आधार पर विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इंडाली (झुंझुनूं) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

442. श्री बृजेन्द्र सिंह (झुंझुनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 'इंडाली' के भवन हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब, कितनी व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंडाली के भवन हेतु नाबार्ड-आरआईडीफ-22 द्वारा दिनांक 29.12.2016 को रुपये 518.75 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंडाली के भवन निर्माण हेतु शीघ्र निविदा जारी कर कार्य शुरू करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में जिला स्तरीय स्वास्थ्य समितियों का गठन

443. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग व समीक्षा हेतु जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के गठन के निर्देश समस्त जिलों को दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकार की समितियों के सदस्य के चयन के लिए क्या-क्या निर्देश राज्य सरकार स्तर से जिलों को दिए गए हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में किन-किन गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों का गठन हो चुका है? सदस्यों के नाम सहित ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला स्वास्थ्य समिति नागौर में कोई जन-प्रतिनिधि, विधायक या सांसद सदस्य है? यदि हां, तो कौन-कौन व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला स्तर पर गठित जिला स्वास्थ्य समितियों में चुने हुए जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति एवं ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के गठन का निर्देश समस्त जिलों को भिजवाये गये है जिसकी प्रति परिशिष्ट अ पर प्रस्तुत है।

उक्त समितियों के गठन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार राज्य स्तर से जिलों को निर्देशित किया गया था। उक्त समितियों में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ही सदस्य मनोनीत किये गये है जो निम्न प्रकार है-

जिला स्वास्थ्य समिति

क्र.सं.	**कार्यकारिणी**	**पदनाम**
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	उपाध्यक्ष
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4	प्रमुख, जिला मुख्यालय शहर का शहरी स्थानिय निकाय विभाग	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सदस्य
6	उप निदेशक, डी.आर.डी.एस.	सदस्य
7	प्रभारी अधिकारी, सम्पूर्ण स्वच्छता	सदस्य
8	अधिभाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी.	सदस्य
9	जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक एवं माध्यमिक	सदस्य
10	उप खण्ड अधिकारी, मुख्यालय	सदस्य
11	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी	सदस्य
12	प्रजनन शिशु स्वास्थय अधिकारी	सदस्य
13	प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र	सदस्य
14	जिला आयुर्वेद अधिकारी	सदस्य
15	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम.	संयोजक
16	जिला कलक्टर द्वारा नामिल 3 चिकित्सा संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

ग्रामीण स्वास्थ्य समिति

क्र.सं	कार्यकारिणी	पदनाम
1	वार्ड पंच	अध्यक्ष
2	आशा सहयोगी	सचिव
3	आंगबाड़ी कार्य कर्ता	सदस्य
4	अध्यापक	सदस्य
5	ए.एन.एम.	सदस्य
6	महिला स्वास्थय समिति के सदस्य	सदस्य
7	स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि	सदस्य
8	गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
9	लाभार्थी	सदस्य
10	गांव की ढाणियों के प्रतिनिधि	सदस्य
11	मनरेगा समन्वयक	सदस्य
12	नवयुवक मंगलदल	सदस्य
13	हैण्डपम्प मैकेनिक	सदस्य
14	युवक मंगल दल	सदस्य
15	गांव का सम्मानीय सदस्य	सदस्य

(2) नागौर जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों के गठन की ग्रामवार सदस्यों के नाम सहित सूची परिशिष्ट ब पर प्रस्तुत है।

(3) भारत सरकार के निर्देशानुसार (परिशिष्ट स) जिला स्तर पर जो जिला स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है उसमें जनप्रतिनिधी, विधायक या सांसद को सदस्य बनाने का प्रावधान नही है।

(4) जिला स्वास्थ्य समिति का गठन भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया गया है। अत: भारत सरकार से यदि इस हेतु दिशा निर्देश में कोई परिवर्तन होता है, तो तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता

444. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत यू.जी.सी. द्वारा कोटा विश्वविद्यालय को अब तक कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है तथा उक्त राशि से विश्वविद्यालय में कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यू.जी.सी. द्वारा बारहवी पंचवर्षीय योजना के तहत दूसरी किश्त का भुगतान अभी तक कोटा विश्वविद्यालय को नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि खेल सुविधाओं के विकास के लिये कोटा विश्वविद्यालय में स्वीमिंग पुल का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय ने स्वीमिंग पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत यू.जी.सी. द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को सामान्य विकास सहायता मद में राशि रुपये 07 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में राशि रुपये 3.20 करोड़ विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुके है। उक्त प्राप्त अनुदान राशि विश्वविद्यालय द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण (भवन निर्माण) एवं विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक व सहशैक्षणिक गतिविधियों पर व्यय की गई है।

(2) जी हां। यू.जी.सी. द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दूसरी किश्त का भुगतान अभी तक कोटा विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष अनुदान राशि जारी करवाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में विगत दिनों विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मण्डल ने यू.जी.सी. में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। खेल सुविधाओं के विकास के लिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में स्वीमिंग पूल का निर्माण करवाया जाना था, किन्तु विश्वविद्यालय परिसर चट्टानी तल पर स्थित होने के कारण पानी के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए, विश्वविद्यालय भवन समिति की दिनांक 04.07.2016 एवं दिनांक 13.02.2017 को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर स्वीमिंग पुल के कार्य को स्थगित किया गया है।

राजकीय महाविद्यालय जायल (नागौर) के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत बजट

445. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय, जायल के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा कितना बजट स्वीकृत किया गया व स्वीकृत बजट में से कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अपर्याप्त बजट के कारण उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है? यदि हां, तो उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने के लिए कितने बजट की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण व अधूरी चारदीवारी निर्माण हेतु पर्याप्त बजट आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जायल उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय, जायल के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत बजट और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत बजट	व्यय राशि
2015-16	136.83	136.83
2016-17	163.17	163.17 31 मार्च 17 तक
योग	300.00	300.00

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) राजकीय महाविद्यालय, जायल का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तथा प्राचार्य द्वारा भवन निर्माण, चारदिवारी तथा अप्रोच रोड हेतु अनुमानित राशि रुपये 560.00 लाख का तखमीना भिजवाया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इस राशि में से 300.00 लाख रुपये पूर्व में स्वीकृत एवं आवंटित किये जा चुके है तथा शेष राशि रुपये 260.00 लाख की आवश्यकता है।

(3) उक्त महाविद्यालय के अधूरे भवन निर्माण, चारदिवारी व अन्य निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की क्रय-विक्रय समितियों द्वारा राजफैड से यूरिया की खरीद नहीं करने पर कार्यवाही

446. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कार्यरत क्रय-विक्रय सहकारी समितियां राजफैड से यूरिया खरीद नहीं कर, निजी क्षेत्र व बाजार से यूरिया क्रय कर रही है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को राजफैड के वेयर हाउस से ही डी.ए.पी. व यूरिया खाद खरीद करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब? निर्देशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आदेशों की पालना नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियां निजी क्षेत्र अथवा बाजार से खाद क्रय नहीं कर रही है। उक्त समितियों द्वारा राजफैड के अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्थाओं इफको एवं कृभको से

(सहकारिता मंत्री)

ही उर्वरक क्रय किया गया है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को निम्नांकित सूची अनुसार निर्देश जारी किये गये है-

1. दिनांक 12.7.16
2. दिनांक 19.9.16
3. दिनांक 1.12.16
4. दिनांक 11.1.17
5. दिनांक 13.1.17

प्रतियां संलग्न है।

(3) सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गईं)

अजमेर जिले में स्वीकृत बी.एम.सी

447. श्री रामनारायण (नसीराबाद): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, व्यक्तियों को बी. एम. सी. (बल्क मिल्क कूलर) दुग्ध अवशीतन केन्द्र प्लाण्ट उपलब्ध करवाये जाते हैं? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में अजमेर जिले सहित किस-किस जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनी-कितनी बी.एम.सी. स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पिछले तीन वर्षो में प्रदेश में आरसीडीएफ से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों में जिलेवार बी.एम.सी. हेतु प्राप्त आवेदन व स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में पालनहार योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन

448. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अनाथ एवं निराश्रित बालक-बालिकाओं के लिए पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो मारवाड़ जंक्शन में पालनहार योजना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितने स्वीकृत किये गये, कितने अस्वीकृत हुए तथा कितने आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में आवेदन लम्बित रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त आवेदनों में रही कमी की पूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अनाथ एवं निराश्रित बालक बालिकाओं के लिये पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा है। मारवाड़ जक्शन में पालनहार योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मे प्राप्त आवेदन, स्वीकृत एवं अस्वीकृत तथा लंबित आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	अस्वीकृत आवेदन	आक्षेप पूर्ति हेतु लंबित आवेदन
138	43	15	80

(2) योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनो में आवेदनकर्ताओ द्वारा मुख्यतया: बच्चों के विद्यालय/आगंनबाड़ी केन्द्र में अध्ययनरत रहने के प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश आदि सलंग्न नही किये जाने के कारण आवेदन लंबित है। एस एस ओ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन में भामाशाह एवं आधार को आवश्यक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया गया है। पालनहार एवं बच्चों के भामाशाह एवं आधार को एस एस ओ पोर्टल पर आनलाइन अद्यतन करवाया जा रहा है। आक्षेप पूर्ति हेतु आवेदनकर्ताओ को एस एम एस भेजकर आक्षेप पूर्ति करने हेतु करने हेतु सूचित किया जाता है। दिनांक 18.01.17 से अभियान चलाया जाकर बचचो के आवश्यक दस्तावेजो को

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अद्यतन करवाया गया है। विभाग द्वारा आक्षेप पूर्ति करवाये जाने हेतु राज्य एवं जिला स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई है। साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को योजना से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित कर दस्तावेज उपलब्ध करवाये हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

उक्त आवेदन पत्रों में कमी पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है, ज्यों ही आवेदन पत्रों के आक्षेपों की पूर्ति हो जाएगी तत्काल स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई राशि का भुगतान

449. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मार्च 2013 में जी.आर.पी. जयपुर व भरतपुर तथा बाल कल्याण समिति जयपुर व भरतपुर ने बड़ी संख्या में नाबालिग बाल श्रमिकों को जयपुर से बाहर ले जाते हुए जयपुर व भरतपुर रेल्वे स्टेशन पर रोका था? यदि हां, तो कितने बच्चों को? उक्त बच्चे कहां से लाये गये थे तथा उन्हें कहां ले जाया जा रहा था? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक बालक को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने की घोषणा की गई थी तथा उक्त घोषणा की क्रियान्विति के लिए जयपुर व भरतपुर जिला कलेक्टर द्वारा राशि जारी की गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि भरतपुर जिला कलेक्टर द्वारा बच्चों की राशि का एकमुश्त चैक जारी कर बिहार भिजवाया गया था? यदि हां, तो कितनी राशि का? क्या उक्त राशि सभी बालकों को वितरित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

(4) जयपुर कलेक्टर द्वारा कितने बच्चों को उनके नाम से चेक जारी किए गये तथा कितने बच्चों ने उक्त राशि का भुगतान प्राप्त किया। जारी किए गये चेकों व भुगतान हुए चैकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मार्च 2013 में जीआरपी जयपुर तथा बाल कल्याण समिति, जयपुर द्वारा 63 नाबालिक श्रमिकों को जयपुर से बाहर ले जाते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। उक्त नाबालिक श्रमिकों को बिहार व अन्य जगह से लाया गया था तथा उन्हें वापस बिहार ले जाया जा रहा था। जीआरपी भरतपुर तथा बाल कल्याण समिति भरतपुर में 182 बाल श्रमिकों को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए बालकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। एक मुस्त राशि रुपए 18.20 लाख का डिमांड ड्राफ्ट भिजवाया गया था चूंकि यह सभी बच्चे बिहार के थे एवं इन्हे विशेष व्यवस्था कर बिहार भिजवा दिया गया था। सहायता राशि दिनांक 25.05.2013 को स्वीकृत की गई थी। दिनांक 07.06.2013 को श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना को वितरण हेतु उपलब्ध करवाई गई थी। यह राशि सभी बालकों को वितरित की गई है के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना को पत्र जारी किया गया है जो परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(4) जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा 63 बच्चों को उनके नाम से चेक जारी किए गये। तत्समय उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार बच्चों के नाम से चेक जारी किए गए थे। जारी किए गए चेक में आवश्यक संशोधन एवं पुर्नवैध हेतु श्रम आयुक्त बिहार सरकार द्वारा भिजवाए जाने पर आवश्यक संशोधन एवं नवीन चैकस समय-समय पर जारी करवाई जा चुके हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट स पर सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित बालक/बालिका गृहों में देय सुविधाएं

450. श्री रमेश (सपोटरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने निजी एवं सरकारी बालक/बालिका गृह कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बालक/बालिका गृह स्थापित करने एवं इनमें बच्चों को देय सुविधाओं के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त सभी बालगृहों की जांच की जाती है? यदि हां, तो किस स्तर पर? गत दो वर्षों में कब-कब कितने बालगृहों की जांच की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में वर्तमान में ऐसे कितने बालगृह हैं, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है? सरकार द्वारा उक्त बाल गृहों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि समय-समय पर बालगृहों में बच्चों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आयी हैं? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित निजी एवं सरकारी बालक/बालिका गृहों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 43 के अंतर्गत आश्रय गृह धारा 47 के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह धारा 48 के अंतर्गत विशेष गृह धारा 49 के तहत सुरक्षित स्थान तथा धारा 50 के अंतर्गत राजकीय गैर राजकीय बालक/बालिका गृह स्थापित किए जाने का प्रावधान है। उक्त गृहो के स्थापित करने एवं देय सुविधाओ के निर्धारित मानदंड परिशिष्ट ब पर सलंग्न है।

(3) जी हां। राज्य स्तर पर निदेशालय राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति,

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा गृहो की जांच/ निरीक्षण/विजिट की जाती है। उक्त के द्वारा किए गए निरीक्षण/जांच/विजिट की प्रति परिशिष्ट स पर सलंग्न है।

(4) प्रदेश में 12 बालगृहो के संचालन हेतु नवीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं सूचनाएं प्राप्ति के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 की उपधारा 1 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन की दिनांक से 6 मास की अवधि के भीतर पंजीयन किए जाने का प्रावधान है।

(5) बाल गृह में बच्चों के उत्पीड़न की कोई घटना घटित नहीं हुई है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर के मुक्ति मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

451. श्री रामचन्द्र (डग): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर के मोती डूंगरी जोन के मुक्ति मार्ग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा? व्यक्तियों के नाम व प्लाट संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मुक्ति मार्ग की चौड़ाई अनुमोदित नक्शे में 60 फीट है? यदि हां, तो नक्शे में कहां पर 60 फीट है और कहां-कहां पर 60 फीट से कम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मार्ग पर सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकानें बना ली गई हैं? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमियों को निगम द्वारा वर्ष 2000 एवं 2005 के पश्चात् और कब-कब नोटिस दिये गये? नोटिसों के प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मार्ग पर अतिक्रमण कर रहे व्यक्तियों का प्लेन टेबल सर्वे कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का विचार

(श्री रामचन्द्र)

रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम, जयपुर के मोती डूंगरी जोन में आने वाले मुक्ति मार्ग पर अतिक्रमित व्यक्तियों के नाम व प्लॉट संख्या परिशिष्ट अ एवं नक्शें की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(2) अनुमोदित फतेह टीबा स्कीम ए के मानचित्र की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। उक्त रोड की चौड़ाई फतेह टीबा स्कीम ए के मानचित्र में अंकित नहीं है। उक्त रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या जे-177, जे-187, जे-189 एवं जे-190 भूखण्डों की मूल पत्रावली में उपलब्ध साइट प्लान के अनुसार उक्त रोड की चौड़ाई 50 फीट दर्शायी हुई है। इसी रोड पर स्थित कचरा बस्ती योजना मानचित्र में सड़क की चौड़ाई 60 फीट दर्शायी गई है। नक्शें की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। अतिक्रमियों को वर्ष 2000 एवं 2005 के पश्चात् दिनांक 17.03.2017 को अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये। नोटिसों की प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(4) मुक्ति मार्ग पर किये गये अतिक्रमण का सर्वे दिनांक 17.03.2017 को किया गया। अतिक्रमी व्यक्तियों के नाम, मकान/दुकान मय अतिक्रमित क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। पी.टी. सर्वे नहीं कराया गया है।

(5) जी हां। नोटिस जारी किये गए है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांभर एवं किशनगढ़-रेनवाल नगरपालिकाओं को भवनों से प्राप्त आय

452. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर एवं किशनगढ़-रेनवाल नगरपालिका क्षेत्र में कितनी-कितनी सरकारी भूमि, भूखण्ड एव भवन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) उक्त भूमि, भूखण्ड एवं भवन का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि, भूखण्ड एवं भवन से वर्तमान में नगरपालिका को कितनी आय प्राप्त हो रही है? गत पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल में खसरा नं. 855 में 103 बीघा, खसरा नं. 234 में में 10 बीघा तथा अन्य 88 खसरों की सिवायचक भूमि 403 बीघा 7 बिस्वा पालिका के नाम दर्ज है एवं नगर पालिका सांभर में सिवायचक 51 बीघा 5 बिस्वा भूमि है तथा 42 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि दर्ज है। नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल में तीन सरकारी भवन यथा पालिका भवन, मनोरंजन केन्द्र एवं पुराना पंचायत भवन है एवं नगरपालिका सांभर में पालिका भवन सरकारी भवन है। नगर पालिका सांभर के स्वामित्व में 15 दुकानें है।

(2) नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल में खसरा नं. 855 एवं सिवायचक भूमियों पर काफी वर्षों से आबादी बसी हुई है एवं खसरा नं. 234 में 10 बीघा भूमि ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु आरक्षित है।

नगरपालिका सांभर लेक की 42 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि पर कॉलोनी विकसित की जाकर 26 भूखण्ड नीलाम किये जा चुके है। शेष आबादी भूमि पर प्लान तैयार कर विक्रय की जावेगी।

नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल में तीनों सरकारी भवन में पालिका कार्यालय, वाल्मिकी परिवारों हेतु सार्वजनिक उपयोग एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति कार्यालय किराये पर संचालित है।

नगरपालिका सांभर लेक एक सरकारी भवन में पालिका कार्यालय संचालित है एवं दुकानें किराये पर दी हुई है।

(3) नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल में विगत पांच वर्षों में भूमि नियमन के पेटे 204505/- रुपये प्राप्त हुए है एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा किराया जमा नही कराया जा रहा है।

नगरपालिका सांभर में आबादी भूमि जरिये विक्रय से 3,11,47,160/- रुपये की आय प्रापत हुई है एवं दुकानों से किराये के पेटे 3,33,775/- रुपये आय प्राप्त हुई है।

खुदाबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की वर्धमान नगर आवासीय योजना

453. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खुदाबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सृजित आवासीय योजना वर्धमान नगर, अजमेर रोड, जयपुर द्वारा उक्त समिति के पंजीकृत वर्ष 1966 से 1984 के मध्य उक्त योजना के मानचित्र कब-कब नगर विकास न्यास/ जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा योजना में 60 प्रतिशत आवासीय तथा 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के मानदण्डानुसार आवासीय योजना का सृजन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खुदाबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सृजित आवासीय योजना वर्धमान नगर, अजमेर रोड, जयपुर द्वारा उक्त समिति के पंजीकृत वर्ष 1966 से 1984 के मध्य दो मानचित्र पेश किये है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार उक्त मानचित्रों में दिनांक अंकित नहीं होने के कारण यह बताया जाना संभव नहीं है कि कौनसा मानचित्र कब जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश किया गया है। मानचित्र की प्रति क्रमश: परिशिष्ट "अ" व "अ-1" पर संलग्न है।

(2) उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 17.07.1985 को अनुमोदन किया गया जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। तदोपरान्त दिनांक 19.01.2016 को जोनल स्तरीय समिति की बैठक में योजना वर्धमान नगर का नियमन किया गया, जिसमें आवासीय 61.82 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र तथा सडक 38.18 प्रतिशत का अनुपात रखते हुए अनुमोदन किया गया है। परिशिष्ट "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विजयबाड़ी पथ नं. 7 जयपुर की मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने की योजना

454. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में सीकर रोड स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 (खेतान हॉस्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड तक) की मुख्य सड़क की चौडाई कितनी निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्धारित चौड़ाई की सड़क वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त है? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर किस-किसका कितना-कितना अतिक्रमण है और उसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? अतिक्रमियों के नाम एवं उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण तथा जेडीए द्वारा दिये गए साइट प्लान व पट्टे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर अतिक्रमियों द्वारा बालकनी एवं सीढ़ियां/रैम्प बना लिए गए हैं? यदि हां, तो किन-किन ने कितने-कितने फीट पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मुख्य मार्ग पर बिजली के खम्बे भी सड़क सीमा में लगे हुए हैं, जिससे आने-जाने में व्यवधान उत्पन्न होता है और उनकी आड़ में अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खम्भों की शिफ्टिंग कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(5) क्या सरकार वाहनों की अत्यधिक आवाजाही एवं भीड़भाड़ होने के कारण उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में सीकर रोड स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 (खेतान हॉस्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड़ तक) की मुख्य सड़क की चौड़ाई 40 फीट है।

(2) जी नहीं। उक्त निर्धारित चौड़ाई की सड़क में जिन जिन व्यक्तियों

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के अतिक्रमण है, उनकी रिपोर्ट सहित सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त भूखण्डों के जारी किये गये साइट प्लान व पट्टों की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। उक्त अतिक्रमियों के विरुद्‌ध विधिक नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। उक्त सड़क पर अतिक्रमियों द्‌वारा बालकनी एवं सीढ़ियां/रैम्प बनाये हुये है। बालकनी एवं सीढ़ियां/रैम्प है, का विवरण फीट व क्षेत्रफल सहित परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(4) उक्त मुख्य मार्ग पर बिजली व रोड लाइट के खम्भे सड़क के किनारे लगे हुए है। बिजली व रोड लाइट के खम्भे आम जन की सुविधा के लिए है। इससे आने-जाने में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं इनकी आड़ में अतिक्रमण किया हुआ है, का आकलन नही किया हुआ है। शिफ्टिंग का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। जयपुर विकास प्राधिकरण में बजट उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य करवाया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूरज नगर का नियमन

455. श्री हीरालाल (निवाई): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरो के संग अभियान में जयपुर शहर मे ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूरज नगर, माचड़ा का नियमन शिविर 27 जून, 2013 को लगाना निश्चित किया गया था? यदि हां, तो उक्त शिविर किन कारणों से निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कितने भूखण्ड एवं सदस्य है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अभियान के दौरान उक्त योजना में दर्शायी गई सेक्टर रोड वर्तमान में उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ओम शिव गृ.नि.स.स. की योजना सूरज नगर माचड़ा का नियमन शिविर 27 जून, 2013 को लगाना निश्चित किया गया, किन्तु कैम्प के पूर्व योजना में सैक्टर रोड के विलोपन के संबंध में निर्णय अपेक्षित होने से शिविर स्थगित किया गया।

(2) ओम शिव गृ.नि.स.स. योजना सूरज नगर माचड़ा विकास समिति द्वारा पेश की गई है जिसमें विकास समिति द्वारा कुल 55 भूखण्डों की सदस्यता सूची पेश की गई थी, जिसके अनुसार विकास समिति की सदस्यता सूची का प्रकाशन करवाया गया था। जिस पर कुल रु.1,97,564/- व्यय हुए। योजना का नक्शा व विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। क्योंकि इस योजना में कोई सैक्टर रोड दर्शायी ही नहीं गई है। विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना का नक्शा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की बाईस गोदाम पुलिया से डिग्गी रोड तक सड़क का निर्माण

456. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में बाईस गोदाम पुलिया से डिग्गी रोड, सांगानेर तक रेलवे लाइन के समानान्तर जयपुर मास्टर प्लान में सड़क निर्माण की योजना है? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का निर्माण नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर सड़क निर्माण के लिए अपनी टिप्पणी दी है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माननीय न्यायालय की अनुपालना में उक्त सड़क का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में बाईस गोदाम पुलिया से डिग्गी रोड सांगानेर तक रेलवे लाइन के सामानान्तरण जयपुर मास्टर प्लान में दर्शायी सड़क की चौड़ाई के संबंध में प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की आगामी बैठक में निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही सड़क के निर्माण के संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3552/2016 में दिनांक 15.11.2016 के निर्णय पारित किया गया है। डी.बी. सिविल अवमानना पिटिशन संख्या 665/2016 में दिनांक 03.01.2017 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) खण्ड-1 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर में कार्यरत स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति

457. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर (आईटीआई) में कार्यरत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 1996 में चयनित स्टेनोग्राफर्स को लगभग 20 वर्ष सेवाकाल पश्चात् भी पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त स्टेनोग्राफर्स के पद को अनुभव के आधार पर अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सेवा में सीधी भर्ती से किसी भी पद पर नियुक्ति होने के बाद उसी सेवा के अन्तर्गत पदौन्नति सेवानियमों के अनुसार स्वीक़त पदों में से रिक्त पदों पर दी जाती है 1 विभाग में इस सेवा में पदौन्नति हेतु अतिरिक्त निजी सचिव का 01 पद स्वीकृत हैं तथा समय समय पर यह

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

पद रिक्त होने पर वरिष्ठता अनुसार शीघ्रलिपिकों को पदौन्नति प्रदान की जा रही है। वर्तमान मे अतिरिक्त निजी सचिव का पद रिक्त नहीं है।

(2) प्रकरण वित्त विभाग स्तर से संबंधित हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे परन्तु वित्त विभाग द्वारा असहमति प्रदान की गई।

प्रदेश में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत श्रमिकों के खातों में जमा राशि

458. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत 31 जनवरी, 2017 तक कितने श्रमिकों के आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने श्रमिकों को लाभान्वित कर कितनी राशि श्रमिकों के खातों में जमा करवायी गई? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में शुभ शक्ति योजना अन्तर्गत 31 जनवरी, 2017 तक 45383 आवेदन प्राप्त हुए तथा 20626 आवेदन अनुमोदित हुए व रु. 1,11,36,10,261 की राशि संबंधित हिताधिकारियों को भुगतान की गयी।

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल से संबंधित विवरण विधान सभावार संधारित नहीं किया जाता। उपखण्ड वार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई के प्राचीन मंदिर व बावड़ियों को संरक्षित सूची में सम्मिलित करने की योजना

459. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राचीन मंदिर व बावड़ियों को संरक्षित सूची में सम्मिलित किया जाता है? यदि हां, तो इनके सौंदर्यकरण व जीर्णोद्धार की योजना बनाकर उक्त सूची में सम्मिलित करने के क्या प्रावधान हैं?

(श्रीमती अलका सिंह)

प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की कौन-कौनसी बावड़ियां व मंदिर भारत सरकार द्वारा संरक्षित सूची में सम्मिलित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आभानेरी की बावड़ियां व हर्षदमाता का मंदिर तथा झाझीरामपुरा स्थित मंदिर को भारत सरकार/राज्य सरकार की संरक्षित सूची में शामिल कर सौंदर्यकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत स्मारकों को उनकी ऐतिहासिकता, कलात्मकता एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के आधार पर संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित किया जाता है। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) आभानेरी स्थित चांद बावड़ी, हर्षद माता का मन्दिर तथा पुरातात्विक स्थल भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की संरक्षित सूची में सम्मिलित है।

(3) आभानेरी स्थित चांद बावड़ी व हर्षद माता का मंदिर भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूर्व में ही संरक्षित स्मारक घोषित है।

झाझीरामपुरा स्थित मंदिर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित घोषित नही है। वर्तमान में इसे संरक्षित करने व इसके सौंदर्यीकरण का कोई प्रस्ताव पुरातत्व विभाग में विचाराधीन नही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा सर्किल में पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहरें

460. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा सर्किल में वर्तमान में कितनी संरक्षित धरोहरें हैं व इन्हें देखने व फोटोग्राफी के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? गत दो वर्षों में

(श्री भवानी सिंह राजावत)

इन्हें देखने कितने पर्यटक आये और शुल्क से कितनी आय हुई? प्रत्येक संरक्षित धरोहर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त धरोहरों को चलाने व रक्षा करने के लिए विभाग के पास कर्मचारियों की कमी है? यदि हां, तो उक्त धरोहरों के अनुपात में विभाग को कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है व विभाग के पास कितने स्थायी कर्मचारी हैं तथा शेष कर्मचारियों की व्यवस्था विभाग किस प्रकार करता है? गत 2 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वांछित कर्मचारियों के साथ ही विभाग के पास बजट की भी अत्यधिक कमी है? यदि हां, तो कोटा सर्किल कार्यालय में गत 2 वर्षों में वेतन, भत्ते सहित सभी मदों में आवंटित कितना था तथा बजट के अभाव में विभाग द्वारा अस्थाई कर्मचारियों की व्यवस्था किस प्रकार की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुरातत्व विभाग के कोटा सर्किल में कुल 60 संरक्षित स्मारक है, इनमें से 2 स्मारकों में राजकीय संग्रहालय संचालित है। सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

संग्रहालयों व स्मारकों को देखने व फोटोग्राफी के लिए वर्तमान में प्रवेश शुल्क निम्नानुसार है :-

राजकीय संग्रहालय प्रवेश शुल्क (रु.)

भारतीय	भारतीय विद्यार्थी	विदेशी	विदेशी विद्यार्थी
20	10	100	50

स्मारक प्रवेश शुल्क एकल (रु.)

भारतीय	भारतीय विद्यार्थी	विदेशी	विदेशी विद्यार्थी
50	5	200	20

स्मारक प्रवेश शुल्क एकजाई (रु.)

भारतीय	भारतीय विद्यार्थी	विदेशी	विदेशी विद्यार्थी
75	5	350	30

स्मारकों पर स्टिल फोटोग्राफी की दर 5000 रुपये निर्धारित है। पर्यटकों की संख्या एवं आय:-

(राज्य मंत्री, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व)

क्र. सं.	स्मारक/संग्रहालय का नाम	2014-15		2015-16	
		पर्यटक	आय (रु.)	पर्यटक	आय (रु.)
1	राज. संग्र. कोटा	3838	31370	4920	64665
2	राज. संग्र. झालावाड़	3026	22960	2604	32680
3	गागरोन किला झालावाड़	39319	348740	32037	510460
4	84 खम्भो की छतरी बूंदी	3747	67025	2541	107645
5	सुखमल बूंदी	6487	123465	4797	193695
6	रानीजी बावड़ी बूंदी	10158	489845	9077	938445
	कुल योग	66575	1083405	55976	1847590

(2) स्मारकों की सुरक्षा हेतु प्रति स्मारक 3-3 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कोटा सर्किल के स्मारकों की सुरक्षा हेतु गत 2 वर्षों में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों का विवरण निम्नानुसार है:-

2015-16	2016-17
स्थाई कर्मचारी-54	स्थाई कर्मचारी-54
संविदा सुरक्षाकर्मी-32	होमगार्ड-55

(3) विभाग द्वारा लगाये गये कर्मचारियों एवं संविदा सुरक्षाकर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बजट मद	2015-16	2015-16
01	01. संवेतन	4268100	4425000
02	03. यात्रा व्यय	9600	53000
03	04. चिकित्सा व्यय	30025	30200
04	05. कार्यालय व्यय	50100	74000
05	21. अनुरक्षण मरम्मत	60600	140000
06	36. वाहन किराया	41000	29200
07	37. वर्दिया	20000	17000
08	41. संविदा सेवा	3946000	3500000

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में रमसा के तहत स्वीकृत कार्य

461. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के अन्तर्गत जोधपुर शहर में गत दो वर्षों में कुल कितने कार्य, कितनी राशि के कौन-कौनसे स्थान के लिये स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य विलम्ब से चल रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गत दो वर्षों में कितने नवीन प्रस्ताव प्राप्त हुये व उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के अन्तर्गत जोधपुर शहर में पिछले दो वर्षों में कुल 01 कार्य, राशि 8.69 लाख रुपये राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्री बंशीर पुरोहित विद्याशाला, जोधपुर के स्थान पर स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत कार्य में विलम्ब नहीं हो रहा है।

(3) शहर विधान सभा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 04 नवीन प्रस्ताव प्राप्त हुये है जो निम्न से है :-

1. राबाउमावि, शाहपुरा कुड़ी - 44.85 लाख
2. रामावि पहाड़गंज द्वितीय - 54.90 लाख
3. रामावि, उदय मन्दिर - 33.30 लाख
4. राउमावि, बासनी तम्बोलिया - 33.30 लाख

इनमें से राबाउमावि, शाहपुरा कुड़ी एवं रामावि पहाड़गंज द्वितीय विद्यालय के प्रस्ताव हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिये गये है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य करा दिये जायेंगे।

बाड़ी के विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण

462. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ऐसे कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिनके चारदीवारी निर्मित नहीं है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 12 राजकीय प्राथमिक, 06 राजकीय उच्च प्राथमिक, 09 माध्यमिक एवं 18 उच्च माध्यमिक विद्यालय चारदीवारी विहीन है।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना 2017-18 के तहत स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये है, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्ध एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्ध वित्तीय प्रावधान अन्तर्गत विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

सिकराय में रमसा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

463. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रमसा योजना क्या है व इसके तहत् किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य करवाएं जाते हैं तथा इस योजना में कार्य करवाने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2016 तक कौन-कौन से कार्य रमसा योजना के तहत् करवाए गए एवं उक्त कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार द्वारा योजनान्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक परियोजना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत सिविल मद में यू-डाईस गैप के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक सैक्शन की स्थिति में 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, दो सैक्शन की स्थिति में 04 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं समग्र विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट कला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, शौचालय निर्माण, पेयजल सुविधा एवं मेजर रिपेयर कार्य कराये जाने का प्रावधन है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सिविल कार्यों हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2013 से 2016 दिसम्बर तक रमसा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का राशिवार विवरण परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय साम्या व भण्डारियां को पुनः चालू करने की योजना

464. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनेक राजकीय विद्यालयों को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो बन्द किये गये विद्यालयों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों को बंद किये जाने से कितने अध्यापक अधिशेष हुए तथा वर्तमान में अध्यापकों के कितने पद रिक्त है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में गत 3 वर्षों में किस-किस श्रेणी के किस-किस राजकीय विद्यालयों को बंद किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले की जहाजपुर तहसील के राजकीय

(श्री धीरज गुर्जर)

प्राथमिक विद्यालय साम्या एवं भण्डारियां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उक्त दोनों विद्यालयों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गत विगत तीन वर्षों में किसी भी विद्यालय को बन्द नहीं किया गया है, अपितु विद्यालयों को समन्वित किया गया है।

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(4) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

सोजत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत ऐच्छिक विषय खोलने की योजना

465. श्रीमती संजना आगरी (सोजत)**:** क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत विषय अनिवार्य लागू किया गया है? यदि हां, तो सोजत विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यालयों में उक्त विषय अनिवार्य है व कितने छात्र किस-किस स्कूल में वर्ष 2016-17 में अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अन्य ऐच्छिक विषयों की तरह संस्कृत भी ऐच्छिक विषय लागु किया गया है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे विद्यालयों में?

(3) क्या सरकार छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक हितों को देखते हुए अन्य ऐच्छिक विषयों कि भांति संस्कृत विषय को भी उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में अध्यापन नहीं करवाया जा रहा है, अपितु संस्कृत को तृतीय

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

भाषा के रूप में अध्यापन करवाया जाता है।

(2) जी हां। ऐच्छिक विषयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अन्य ऐच्छिक विषयों की भांति संस्कृत विषय को भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित करने का विचार नहीं है। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था के अनुसार उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2017 हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषय तथा तीन ऐच्छिक विषय का वर्गानुसार चयन किया जाता है, जिसमें संस्कृत विषय सम्मिलित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सलूम्बर में सीपेज की समस्या

महोदय,

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के

1. जय समन्द झील:- इससे निकलने वाली दोनों मुख्य नहरें, इनकी सहायक नहरें, माइनर नहरें, छोटी नहरें सभी धोरे करीब 350-400 किलोमीटर लम्बी है। करीब 50-60 वर्षों पुरानी नहरों का निर्माण हुआ है। 70-80 प्रतिशत पानी सीपेज हो रहा है। सीपेज के कारण सारी जमीन बेकार हो गया है। खेती वाली जमीन खराब हो रही है। पैदावार पूरी तरह से घट रही है, जमीन से पत्तू लग रहा है, खेती योग्य जमीन नहीं रही है। जयसमन्द झील की नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिये 135 करोड़ रुपये प्रपोजल माननीय सिंचाई मंत्रीजी के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, इन्हें इसी वित्तीय वर्ष 135 करोड़ की राशि स्वीकृत कराकर क्षेत्र की जनता एवं किसानों को राहत पहुचाएं।
2. डाया बांध:- मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, यह बांध बहुत बड़ा है। सिघटवाड़ा ग्राम पंचायत में दो नदी पर एक एनीकट बनाकर पानी को रोककर सुरंग द्वारा डाया बांध में डाला जाएं तथा इस बांध से निकलने वाली नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाएं तथा धावड़िया गांव, महुआड़ा गांव, कतिला, बोवस गांव खर्सिया पाल, डीगरी मोडला गांव, बंटुका, कालापायरा, इन सभी गांवों में नहरें निकाली जाएं।
3. थूर घाटी तालाब की दो मीटर की इाइट बढ़ाई जाए, उससे निकलने वाली नहरें पक्की की जाएं तथा चावण्ड, बड़ौली, लालपुरिया, डायली, थाना, केवड़ी, केजड़ जोयरा तक नहरों का निर्माण किया जाएं।
4. केजड़ तालाब की मुख्य नहरें दाईं-बाईं व नहर नम्बर 4 को आगे बढ़ाते हुए कोलर गांव, काली घाटी गांव, सुरखण्ड का खेड़ा, तक निकाली जाए।
5. हरचण तालाब को सुदृढ़ीकरण व पाल के ऊपर विलायती बबूल को साफ किया जाए तथा उससे निकलने वाली नहरों को पक्का किया जाएं।
6. लोनदा का पानी से भारी तालाब में डाला जाए व सेभारी तालाब की नहरें पक्की की जाए।

7. सगतपुर एनीकट का निर्माण किया जाए।
8. बुझ नाका का एनीकट सुदृढ़ीकरण करके उसकी ऊँचाई 5 मीटर तक बढ़ाई जाए तथा उससे पिलाई हेतु किसनों को पानी दिया जाए तथा बजट में प्रावधान किया जाए।
9. पाल सराड़ा का एनीकट सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा नहरे निकाली जाये।
10. आलदरा एनीकट का निर्माण किया जाए।
11. लालपुरिया (सेभारी) एनीकट का निर्माण किया जाए तथा उसे दोनों और नहरों का निर्माण किया जाए।
12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में झामरी नदी व गोमदी नदी, टिढ़ि नदी पर जीरो लेवल के एनीकटों का निर्माण सिंचाई विभाग द्‌वारा किया जाए।

धन्यवाद

अमृत लाल
(सलूम्बर)

बाड़मेर के शिवकर कुड़ला लिग्नाइट परियोजना में अवाप्त भूमि का मुआवजा

महोदय,

निवेदन है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम शिवकर कुडला महाबार बाड़मेर ग्रामीण स्थित भूमि जो कि बाड़मेर शहर के बिलकुल समीप है, उक्त भूमि शहर के नजदीक होने के कारण इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, पूर्व में किसानों द्‌वारा भूमि अवाप्ति का विरोध भी किया गया, उसके बावजूद सरकार द्‌वारा भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया जारी रखी। जुलाई 2015 में सरकार द्‌वारा उक्त भूमि का अन्तिम अवार्ड भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक लगभग दो वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्‌वारा किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया, न ही किसानों की परिसम्पत्तियों का आकलन किया गया है।

इसी प्रकार निजी कम्पनी राजवेस्ट पॉवर लि. की लिग्नाइट खानें आने की वजह से एनएच 15 जो कि भाखडा से डायवर्ट कर भादरेश, चूली जालीपा होते हुए बाड़मेर से जोड़ने का कार्य चल रहा है। जिसमें ग्राम जालीपा जो कि बाड़मेर शहर के पैराफैरी क्षेत्र में आता है जहां सरकार कम्पनी के हितों की रक्षा के लिए किसानों के साथ अन्याय कर रही है।

जालीपा में किसानों को नाममात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। जालीपा के पास स्थित उतरलाई में सरकार 17 लाख मुआवजा देती है लेकिन जालीपा में इसका आधा भी नहीं दे रहीं है जबकि जालीपा जहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है जो शहर से सटा हुआ इलाका है लेकिन सरकार कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ अन्याय कर रही है।

महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार अगर शिवकर कुडला लिग्नाइट परियोजना का मुआवजा किसानों को अतिशीघ्र भुगतान करें अन्यथा किसानों की जमीन को अवाप्ति से मुक्त करें। इसी प्रकार एनएच 15 में किसानों की कीमति भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है लेकिन मुआवजा नाममात्र का दिया जा रहा है। अत: जालीपा के किसानों को उतरलाई के किसानों को दिये मुआवजे की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए।

मेवाराम जैन
(बाड़मेर)

प्रदेश में प्रबोधकों की लम्बित मांगों का निस्तारण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर अनुरोध है कि प्रबोधक विगत 9 वर्षो से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। श्रीमान् से करबद्ध अनुरोध है कि लंबित मांगों को पूरा कराने में आप महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कराए।

1. प्रबोधकों का स्थानान्तरण गृह जिले, गृह ब्लॉक में मद सहित किया जाए, जैसे स्टाफ, स्टाफिंग पैटर्न में प्रबोधकों के पद सहित अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया गया है।
2. प्रबोधकों को प्रबोधक पद पर नियुक्ति से पूर्व राजकीय विद्यालयों एवं विभिन्न राजकीय परियोजना में की गई सेवा एवं गणना वर्तमान सेवा में कर, काल्पनिक परिलाभ देते हुए की जाए।
3. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी समस्त विभागीय आदेशों में प्रबोधक/अध्यापक के नाम से जारी किया जाए।
4. प्रबोधक की विभागीय पदान्नति करते हुए विशेष प्रबोधक बनाते हुए, पद सृजित किया जावे।

5. प्रबोधक का वेतन पी.डी. पद से ऑनलाइन किया जावे एवं प्रत्येक माह की एक माह को वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. प्रबोधकों सहित अन्य 2004 के पश्चात् नियुक्ति कर्मचारियों के मेडिक्लेश राशि न्यूनतम 5 लाख करते हुए असाध्य बीमारियों में असीमित राशि का प्रावधान किया जावे एवं भुगतान का प्रावधान जिला स्तर पर किया जावे।
7. प्रबोधकों का शिक्षकों के समान योग्यता के अनुसार लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितिय के अनुसार निर्धारण करते हुए पदस्थापन किया जावे। राज्य में सृजित किये हुए शारीरिक प्रबोधक के पद को सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जावे।

सधन्यवाद।

अभिषेक मटोरिया
(नोहर)

भीलवाड़ा में डी.जे. पर लगी रोक हटाने व बाजार बंद करने की नीति में शिथिलता

महोदय,

निवेदन है कि भीलवाड़ा में विगत दिनों पुलिस व प्रशासन ने अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिला दी है। रात्रि 10 बजे बाजार बन्द करवाना और चैंकिग के नाम पर सभ्य नागरिकों के साथ मारपीट व वसूली की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। और तो और जिन व्यापारियों ने रात्रि 10 बजे बाजार बंद का विरोध किया, तो उसको भी दबा दिया गया। जबकि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि निवेदन कर-करके थक गए कि 11 बजे तक गर्मी के चलते बाजार खुलने की स्वीकृति देवें, पर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

यही नहीं, भीलवाड़ा के प्रशासन में डीजे के संचालन पर रोक लगा रखी है, यहां तक तो ठीक है, किन्तु डीजे की आड़ में धार्मिक कार्यक्रमों में 10 बजे तक की पाबन्दी एहसास दिलाती है कि इस सरकार ने जनता तो जनता, भगवान को भी परेशान कर दिया है। विगत दिनों 50 वर्ष की परम्परा, हरणी महादेव मेले में होने वाले कवि सम्मेलन व भजन संध्या

तक को रूकवा कर अधिकारियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी है और अब आने वाली हनुमान जयन्ती के अवसर पर पूरे जिले में सुन्दरकाण्ड, भजन संध्या का आयोजना होना है, परन्तु प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि 10 बजे तक शहर में आयोजन खतम करना होगा। इसके विरोध में शहर में लगातार प्रदर्शन हो रहे है। सुन्दरकाण्ड के पाठों में डी.जे नहीं चलता, बल्कि साउण्ड व माइक चलते हैं। धार्मिक आस्था का मामला है, पूरे शहर के आमजनों में तीव्र आक्रोश है। अगर हनुमान जयन्ती जैसे अवसर पर सुन्दरकाण्ड व भजन संख्या नहीं होने दिए गए तो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। उसके लिए स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की हठधर्मिता जिम्मेदार होगी।

अत: मेरा सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि भीलवाड़ा शहर में डी.जे पर लगी हुई रोक तथा रात्रि 10 बजे बाद बाजार बन्द कराये जाने की नीति में शिथिलता बरत्ते हुए, अनुमति प्रदान करने की कृपा करावें। हनुमान जयन्ती जैसे आयोजन किसी भी कीमत पर रूक नहीं सकते, इतना ध्यान रखें।

धीरज गुर्जर
(जहाजपुर)

सोजत में सीवरेज लाइन की व्यवस्था

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र सोजत के नगरपालिका शहर सोजत कि आबादी लगलग 40 से 50 हजार है। आजादी के बाद आज भी पूरे शहर व वार्डों के गंदे पानी की निकासी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। बाजार की तंग गलियों व वार्डों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है। जिससे गंदगी के साथ-साथ कई गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं। इसके साथ ही नेशनल हाइवे 162 जो निर्माणाधीन हुआ है, वह भी शहर के बीचों-बीच से गुजर रहा है। जिससे निकासी की व्यवस्था लम्बे समय से पूर्व रूप से बाधित हो चुकी है। जिसके कारण वर्षा के दिनों में पूरे वार्डों व शहर के मुख्य बाजार का गंदा पानी शहर के न्यायालय भवन, उपखण्ड कार्यालय, तहसील चिकित्सालय पंचायत समिति व नगरपालिका जैसे मुख्य स्थानों पर 2-2 फीट जमा हो जाता है।

जिससे नागरिको को आवागमन के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार एलएण्डटी विभाग के अधिकारियों को जिला कलेक्टर पाली द्वारा भी समस्या के समाधान के लिए अवगत करवाया गया लेकिन आज तक अस्थायी निकासी की व्यवस्था भी नहीं की गई। नागरिकों की जवलंत समस्या को देखते हुए सोजत शहर में पाली जिले के अन्य शहरों की तरह सीवरेज लाइन का निर्माण हो, घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्विति के लिए नगरपालिका सोजत द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में बसी आबादी को देखते हुए सीवरेज लाइन बिछाने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 2256 दिनांक 16.07.2015 द्वारा केडफोन कन्सलटलर प्रा. लिमिटेड जयपुर द्वारा सीवरेज बनाने हेतु डीपीआर रुपये 132 करोड़ 42 लाख की तैयारी प्रस्तुत की गई इसके साथ ही ट्रीटमेट प्लांट हेतु भूमि भी आबंटन करवाया गया। केडकोन कन्सलटन्ट प्रा. लिमिटेड जयपुर द्वारा भूमि के मिट्‌टी का परीक्षण भी करवाया गया एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सीवरेज हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता भी प्रमाणित की जा चुकी है। पालिका पत्रांक 5592 दिनांक 19/10/2016 द्वारा जिला कलेक्टर महोदया पाली से पत्रांक सामान्य/2016/2001 दिनांक 21.10.2016 से स्थानीय निकास विभाग (राज.) जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से आग्रह पूर्वक निवेदन करती हूं कि सुराज को सफल बनाने के उदेश्य से सोजत शहर में गन्दे पानी की निकासी सुव्यवस्थित करवाने की लिए बजट 2017-18 में संशोधन कर सोजत शहर में सीवरेज लाइन बिछवाने की वितीय स्वीकृति के आदेश प्रदान कराए।

संजना आगरी
(सोजत)

तिजारा में अवैध खनन रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनाना

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नीमली, मायापुर, खोहरी, बालोच, लपाला, रूपबास, ग्वालदा, गंधौदा, नाखनौल, गौधान और डोटना आदि ग्रामों में कांग्रेस राज. 2008-2013 में धड़ल्ले से अवैध खनन हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे जी की सरकार आने पर अवैध खनन 80 प्रतिशत कम हो गया हैं। भिवाड़ी में स्थित बाबा मोहनराम मन्दिर जो कि काली खोली पहाड़ पर स्थित हैं पर लाखों श्रद्दधालु हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से समय-समय पर आते हैं लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं इस मन्दिर से जुड़ी हैं, लेकिन पूर्व में अवैध खनन काली खोली पहाड़ पर होने के कारण श्रद्दधालुओं की भावना को ठेस पहुंची हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने खान विभाग द्वारा 243.43 लाख रु. की लागत से लगलग 10 कि. मी. सुरक्षा दीवार बनाई इसमें 2.10 कि.मी. दीवार काली खोली पहाड़ पर बनाई गई, 30 बोर्डर होमगार्ड और पुलिस विभाग द्वारा 50 आर.ए.सी. के जवान लगाये जो एक सहाहनीय कदम हैं, लेकिन अवैध खनन काली खोली पहाड़ पर राकेने के लिए 2 कि.मी. सुरक्षा दीवार कार्य आज भी बाकी हैं। अत: माननीय खान मंत्री महोदय से निवेदन हैं कि खनन विभाग द्वारा काली खोली पहाड़ के साथ-साथ 2 कि.मी. और सुरक्षा दीवार का निर्माण और किया जाये एवं राज्य सरकार द्वारा खान, वन, पुलिस, राजस्व और प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की संयुक्त टीम बनाकर अवैध खनन पर अंकुश 100 प्रतिशत लगाया जाए।

मा. मामन सिंह यादव
(तिजारा)

जालौर में विधि महाविद्यालय की मांग

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर में विधि महाविद्यालय नहीं होने के कारण यहां के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु अन्य स्थानों पर भटकना पड़

रहा है। पूर्व में कई छात्र संगठनों की और से मांग रखी गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इस कारण जालौर में विधि महाविद्यालय अभी तक एक सपना ही बना हुआ है। यहां के विद्यार्थियों को कानून की पढ़ाई करने हेतु अन्य शहरों में जाना पड़ता है। जालौर में करीब 4 सरकारी महाविद्यालय और 12 पीजी महाविद्यालय है जिले में 10 न्यायालय है फिर भी आज दिन तक विधि महाविद्यालय नहीं खुला। जिले में इन महाविद्यालयों से करीब हर वर्ष 6 हजार स्वयंपाठी व नियमित विद्यार्थी स्नातक की डीग्री लेकर निकलते है। यहां के कुछ विद्यार्थी मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए जुट जाते है। इनमें से कुछ युवा ऐसे है, जो कानून की पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाग में अधिकांश को निराशा हाथ लगती है।

अत: मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मांग करती हूं कि वे जालौर में जल्दी ही विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें।

अमृता मेघवाल
(जालौर)

महानरेगा योजना को कृषि कार्य एवं गोपालन कार्य के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने की महानरेगा योजना के तहत राजस्थान में प्रतिदिन लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। महानरेगा योजना को व्यक्तिगत लाभ की योजना के तहत किसानों की भूमि का समतलीकरण व खाई फेंसिंग कार्य के साथ-साथ कैटल शैड बनाने के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि महानरेगा योजना के तहत भूमि सुधार कार्य के साथ-साथ किसानों की फसलों की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए खेतों के चारों ओर कांटेदार तारों की स्वीकृति जारी की जानी चाहिए।

इसी तरह खेती के कार्य के साथ-साथ किसान पशुधन भी रखता है। महानरेगा योजना के तहत गोपालन के कार्य को भी महानरेगा योजना में स्वीकृत कराने की अनुशंसा कराए।

अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार महानरेगा योजना में फसलों की रक्षा के लिए कांटेदार तारों व गोपालन के कार्यों की स्वीकृति कराने का श्रम कराए।

अर्जुन लाल जीनगर
(कपासन)

जलालसर में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की भूमि में श्मशान का रास्ता बंद करना

महोदय,

मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, 295 के तहत राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या प.9(16) राज-3/15 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 की स्वीकृति के अनुसरण में जिला कलेक्टर बीकानेर के आदेश संख्या 2560-67 दिनांक 08 जून, 2016 की पालना में ग्राम जलालसर की कुल भूमि 193.00 बीघा को सोलर पॉवर पैदा करने के लिए पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को आबंटित की गयी है।

उक्त 193 बीघा भूमि में से करीब 30 बीघा भूमि एक तरफ है और 163 बीघा भूमि एक तरफ है और इन दोनों के बीच में से एक रास्ता ग्राम जलालसर की अगुणा आबादी से शुरू होकर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित कब्रिस्तान, श्मशान मेघवाल, नायकान, सांसी वगैराह की भूमि तक जाता है।

उक्त रास्ता जब से जलालसर-जामसर बसा हैं, तभी से चल रहा है और उक्त रास्ते से होकर ही ग्राम जलालसर जामसर के लोग कब्रिस्तान व विभिन्न जातियों के श्मशानों की ओर जाते हैं। उक्त रास्ता सन् 2009 में अकाल राहत के तहत कांकर डालकर ग्रेवल रोड बना दिया गया है।

सोलर विद्युत के उत्पादन के लिए हजारों हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य द्वारा आबंटित की जा रही है। उक्त

आबंटन का तात्पर्य यह कभी नहीं हो सकता कि जो आवागमन के रास्ते उन भूमियों में मौजूद है और पीढ़ियों से चल रहे हैं और मौके पर मौजूद है, उन पर आवागमन बंद कर दिया जाएगा और पीढ़ियों से चले आ रहे Right to Way के Civil अधिकार समाप्त कर दिये जाएंगे।

मैं नियम 295 के तहत इस महत्त्वपूर्ण जन महत्त्व के प्रश्न को सदन में उठा रहा हूँ। कि राज्य सरकार सोलर पॉवर उत्पादन हेतु विभिन्न कम्पनियों को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में तत्काल कम्पनियां को यह स्पष्ट करें कि उन्हें चालू रास्तों को रोकने का अधिकार नहीं होगा और यही आदेश सोलर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को जलालसर में आबंटित भूमि के सम्बन्ध में जारी करें ताकि ग्रामिणों को कम्पनी के साथ अनावश्यक मुकदमेंबाजी में नहीं पडना पड़े। राज्य सरकार उक्त स्पष्टीकरण व निर्देश आबंटित कम्पनियों को शीध्रातिशीघ्र जारी करें।

मानिक चन्द सुराना
(लूणकरणसर)

सीकर, झुन्झुनूं व चूरू को मिलाकर नया संभाग बनाया जाना

महोदय,

नियम 295 के तहत मैं मेरे क्षेत्र से संबंधित एक अत्यन्त ही गम्भीर एवं लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से एवं राजस्व मामलों की संख्या के मद्देनजर सीकर जिले एवं शेखावाटी क्षेत्र की जनता की मांग है कि राज्य में एक नया संभाग-सीकर संभाग बनाया जाए।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार और राजस्व मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि जिला सीकर, झुन्झुनूं एवं चूरू को मिलाकर यदि नया संभाग बनाया जाता है तो इससे शेखावाटी क्षेत्र के नागरिकों को बहुत बड़ी सहूलियत हो सकेगी। आज स्थिति यह है कि सीकर एवं झुन्झुनूं जिले के दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीण जन को अपने छोटे-छोटे कामों एवं राजस्व मामलों के निपटारे हेतु जयपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय एवं धन की बरबादी होती है और काश्तकार वर्ग को

भी अपनी खेती से संबंधित कार्यों को छोड़ना पड़ता है।

सीकर जिला मुख्यालय संभाग बनाये जाने की दृष्टि से समस्त अर्हताओं को पूर्ण करता है। यह जयपुर-बीकानेर पर अवस्थित है एवं चूरू और झुन्झुनूं के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। अतएव सीकर, झुन्झुनूं और चूरू जिले की 50 लाख से अधिक आबादी को राहत देने के लिए सीकर को संभाग घोषित करने की मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब राज्य में नये जिलों के गठन के बारे में निर्णय लिया जाएगा, तो उसमें शेखावाटी क्षेत्र की इस महती जनहित की मांग पर भी सकारात्कम दृष्टिकोण अपनाते हुए सीकर को संभाग घोषित किया जाएगा।

धन्यवाद, जय हिन्द।

रतन लाल जलधारी
(सीकर)

चाकसू में राजकीय एवं कन्या महाविद्यालय की मांग

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हॅू कि चाकसू, जयपुर से लगलग 40 किलोमीटर दूर है, तथा टोंक चाकसू से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस 100 किलोमीटर के क्षेत्र में तीन तहसील मुख्यालय चाकसू, फागी, कोटखावदा, एक उप तहसील माधोराजपुरा आदि कई छोटे बड़े कस्बे बसे हुए, है। जिसमें करीब 3-4 हजार छात्र छात्राए उच्च शिक्षारत है। इस क्षेत्र में मजदूर, किसान और दलित वर्ग के गरीब लोग रहते है, जो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित महाविद्यालयों की मोटी फीस चुकाने में असमर्थ रहते है। दूरी अधिक होने तथा मोटी फीस के कारण ज्यादातर लोगों के बच्चे विशेषकर बालिकाएं उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाती है। सरकार शिक्षा को बढ़ावे देने के लिए अनेक प्रावधानों के तहत करोड़ों की राशि खर्च कर रही है। विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राजकीय महाविद्यालय का होना आवश्यक है। हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी, जो

बालिका शिक्षा के प्रति सदैव उच्च तक प्रयासरत है, उनसे और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हॅू कि चाकसू (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय अथवा राज. कन्या महाविद्यालय खोलना आवश्यक है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हॅू कि विधान सभा क्षेत्र मुख्यालयम व उपखण्ड चाकसू, (जयपुर) में तत्काल प्रभाव से, प्राथमिकता के आधार पर राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाए। ताकि आगामी सत्र से क्षेत्र के बालक/बालिकाएं लाभान्वित हो सकें।

लक्ष्मी नारायण बैरवा
(चाकसू)

कोटा कृषि मेले में किसानों के साथ अन्याय

महोदय,

मैं आपका ध्यान कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र बोरखेड़ा कोटा में आयोजित संभागीय तिलहन कृषि मेले की ओर दिलाना चाहूंगा। संभाग के मद गठित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तीन दिवसीय कृषि मेला बोरखेड़ा कृषि विज्ञान केन्द्र पर आयोजित किया गया। इस मेले में कोटा/बून्दी/बारां/झालावाड़/टोंक/सवाई माधोपुर व करौली से किसानों को आमंत्रित किया गया। भारत सरकार व राज्य सरकार इस प्रकार के मेलों का आयोजन किसानों को उन्नत कृषि नकनीक व किये गये शोध से अवगत कराने के लिये करती हैं। प्राय: यह देखा गया हैं कि यह आयोजन अकसर ऐसे समय रखे जाते हैं जब किसानों की फसलें कटना प्रारम्भ हो जाती हैं, जिसके कारण कई उन्नतशील किसान कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही पूर्व में आयोजित इस प्रकार के सभी मेलों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता रहा हैं। पहली बार इस मेले में वार्ड पंच से लेकर विधायक, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया।

माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या जनप्रतिनिधि किसान नहीं होते, क्या जनप्रतिनिधि उन्नत कृषि से अवगत होकर उसका प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते और क्या जनप्रतिनिधि इस नयी

तकनीक के विकास का अपने निर्वाचन क्षेत्र में विस्तार नहीं कर सकते।

इस प्रकार के बड़े आयोजन कर व्यवस्थापक लोग वहां आमंत्रित किसानों के साथ बदसलूकी करे यह बड़ा ही चिंता का विषय हैं। इन मेलों के आयोजन के लिये बड़ा बजट आबंटित होता हैं और उस बड़े बजट का उपयोग केवल वैज्ञानिकों व अधिकारियों को खुश करने के लिये किया जाये व किसान धक्के खाये व भोजन के लिये तरसते रहें, यह सोचनीय है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि कोटा संभाग के सात जिलों के किसानों को इस कार्यक्रम के समापन के दिन या तो घटिया भोजन करना पड़ा, धक्के खाने पड़े या फिर भूखे ही वहॉ से लौटना पड़ा। अन्नदाता अन्न को तरसता रहा और आयोजक अपनी सफाई पेश करते रहे।

इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के कृषि प्रसार सहायक महानिदेशक डॉ. वीपी चहल ने राज्य सरकार व कृषि विभाग की कमजोरियों को भी मंच से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में 663 कृषि विज्ञान केन्द्रों में 27 प्रतिशत महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिक्त पद प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों में हैं। रिक्त पड़े पदों को नहीं भरने के कारण कृषि तकनीक विकास को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्वीकृत पदों पर निर्वहन होने वाली राशि का सम्पूर्ण बजट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को देता हैं, राज्य सरकार को तो केवल पदों को भरना होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों में रिक्त चल रहे पदों को भरने व आने वाले समय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसानों के साथ इस प्रकार का भेदभाव न हो इसकी समुचित व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय से करना चाहूंगा।

विद्याशंकर नन्दवाना
(पीपल्दा)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या -26 मुख्य शीर्षक **<u>चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई</u>** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):</u>

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उप खण्ड बालेसर मुख्यालय पर सेटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. प्रदेश में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत मशीन विद मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) को लेबर एक्ट के अनुसार मानदेय का भुगतान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत चाबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति सेखाला में नवीन ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-114 के मध्य सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर में ट्रोमा सेन्टर व ब्लड बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):</u>

6. अलवर जिला मुख्यालय पर संचालित सामान्य चिकित्सालय में न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, हृदय रोग विशेषज्ञ के पद सृजित करने एवं इन पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।
7. अलवर में घोषित मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

8. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पी.एच.सी. टाडगढ़, पी.एच.सी. बडाखेडा, पी.एच.सी. राजियावास, पी.एच.सी. किशनपुरा, सी.एच.सी. जवाजा, सी.टी. डिस्पेन्सरी ब्यावर, चांदमल मोदी चिकित्सालय ब्यावर एवं अमृत कौर अस्पताल ब्यावर में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

9. विधान सभा क्षेत्र वैर के हलेना में ट्रोमा सेंटर खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र वैर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र वैर व भुसावर के 25 बेड के चिकित्सालय की शय्याओं की संख्या 50 करने के संबंध में चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

13. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्राम गोठड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

14. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवाओं के वितरण में कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

16. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशव नगर में जांच हेतु लैब की स्थापना एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

(श्री पब्बाराम)

17. विधान सभा क्षेत्र फलौदी की नव गठित ग्राम पंचायत सजनाणियों की ढ़ाणी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उप तहसील मुख्यालयों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के राजकीय चिकित्सालय फलौदी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में सोनोग्राफी, डिजीटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप में चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):</u>

21. विधान सभा क्षेत्र आहौर में आहौर सीएचसी को 50 बैड से 75 बैड एवं भाद्राजुन पीएचसी की सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):</u>

22. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के समस्त राजस्व ग्राम में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सीएचसी-सामोद एवं पीएचसी-चीथवाडी, किशनमानपुरा, मण्डा-भिण्डा ढ़ोढ़सर के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की पीएचसी हस्तेडा व ईटावा-भोपजी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के अणतपुरा-जैतपुरा व उदयपुरिया में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. सीएचसी चौमूं को सेटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

27. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में चिकित्साकर्मियों की प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

28. कोटा जिले में आर.एम.आर.एस. के अन्तर्गत नियुक्त नर्सिंग कर्मचारियों को विगत कई माह से वेतन भुगतान नही होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चिकित्सालयों में सोनोग्राफी, एक्सरे व अन्य जांचों के लिए आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराने एवं बंद पड़े उपकरणों को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चिकित्सालयों में महिला गायनिकी सर्जन, फिजिशियन, अस्थि रोग, चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

31. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहनगर में ब्लड स्टोरेज यूनिट प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समेजा में जननी स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समेजा में चिकित्सकों का पदस्थापन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

34. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर के पोस्टमार्टम केन्द्र में डीप फ्रिजर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर में आपातकालीन इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):

36. चित्तौड़गढ़ में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या")

37. चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलियाजी सामान्य चिकित्सालय में आरएमआरएस के अधीन संचालित स्वपोषित जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर को राजकीय मान्यता प्रदान कर राजकीय खर्च पर संचालन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. श्री सांवलियाजी चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ को 300 बैड से 500 बैड में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हीरालाल नागर (सांगोद):</u>

39. नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा के आई.सी.यू. वार्ड में नये वेन्टीलेटर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. उप स्वास्थ्य केन्द्र देवली ब्लॉक सांगोद को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमोलर, मोईकलां, गठेपान के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

42. काशीपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद को 50 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर):</u>

44. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के बड़ू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):</u>

45. प्रदेश में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

46. राज्य के चिकित्सक व चिकित्सा शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के चिकित्सा संस्थानों की बिगड़ती स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए ।

(डॉ. राजकुमार शर्मा)

48. मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा एवं नि:शुल्क जांच योजना में पर्याप्त दवाएं व जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति बरते जा रहे भेदभाव के कारण आयुर्वेद चिकत्सा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):</u>

50. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के सीएचसी कोटकासिम, हरसौली, खैरथल एवं किशनगढ़बास में चिकित्सक व स्टाफ की कमी को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में पीएचसी बीबीरानी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने एवं बुढ़ीबावल व बिलोहेड़ी में पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के राजकीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था सुचारू व सही ढंग से कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):</u>

53. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में स्थित राजकीय महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, कोटा में नया ओपीडी ब्लाक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):</u>

54. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बंद पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रारम्भ कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):</u>

56. सांचोर मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के गांवों में सफाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

58. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में लूणी नदी के पास दवाई छिड़काव, मलेरिया पीड़ित की जांच एवं मलेरिया उन्मूलन के लिए कैम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के चितलवाना उप खण्ड में बच्चों को कुपोषण से रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के गांव खेजड़ियाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

61. बिलाड़ा में नव घोषित ट्रोमा सेन्टर को स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. बिलाड़ा स्थित राजकीय मरूधर केसरी रैफरल चिकित्सालय एवं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपाड़ शहर को 100 बैड कर जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की ग्राम पंचायत मुख्यालय हरियाढ़ाणा, डांगियावास, जैतीवास, बुचकला एवं पालासनी उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में संचालित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों का शीघ्र पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

65. ट्रोमा सेंटर भीम में निश्चेतन चिकित्सक का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र भीम में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम व देवगढ़ की क्रमश: 75 एवं 50 बिस्तर से 100 व 75 बिस्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

68. जैसलमेर जिले के जवाहर चिकित्सालय में सीवरेज लाइन को सही कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

69. जैसलमेर जिले में बने ट्रोमा सेन्टर को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

70. जैसलमेर जिले में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. एवं लैब टेक्नीशियन स्टाफ का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में गांवों के उप स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

72. विधान सभा क्षेत्र कपासन में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र कपासन के गांव, गली, मौहल्लों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड (बेगूं):

74. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के भटवाड़ा कलां (गंगरार) एवं गंगरार (गांव) में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

75. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सीएचसी पावटा एवं विराटनगर में अस्थि रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सीएचसी पावटा में ट्रोमा सेंटर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पीएचसी मेड़ एवं राजनौता को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सामुदायिक चिकित्सालय विराटनगर एवं पावटा में 50 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नगरपालिका विराटनगर में सफाई के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

80. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में प. बृज सुन्दर शर्मा राजकीय चिकित्सालय बूंदी में रिक्त पड़े चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ विशेषज्ञों एवं कनष्ठि विशेषज्ञों के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

81. राजकीय चिकित्सालय बीदासर (चुरू) को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने एवं मानदण्डानुसार स्टाफ, उपकरण एवं अन्य सुविधाओं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

82. पूनम चन्द बगडिया राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ में स्वीकृत 100 बैड के चिकित्सालय में मानदण्डानुसार स्टाफ, उपकरण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के सडू बडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा से वंचित गांवों में उक्त सेवा प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के समस्त चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

86. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सियाणा, भझ्रू, नगरासर, गाढ़वाला व नोखड़ा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के चिकित्सा संस्थानों में सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलायत, बज्जू, गजनेर व देशनोक में प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री भंवरसिंह)

89. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में दानदाता द्वारा दिए गए भवन में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

90. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कूड़ी भगतासनी, धवा, शुभदण्ड, खेजड़जी, वैरू, चाण्डा पूनियों की प्याऊ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुन्दाड़ा एवं सालावास को क्रमोन्नत कर सेटेलाइट अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित पाल भाण्डकलां, खुडाला, बड़ला नगर, मोगड़ा कलां, दईपड़ा खिचियान, मोडी जोशियान बम्बोर दर्जियान, पालड़ी मांगलिया में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र लूणी के उप खण्ड मुख्यालय लूणी स्थित सीएचसी लूणी व सालावास को प्रथम रेफरल यूनिट (एफआरयू) के साथ रक्त संग्रहण केन्द्र खोलने एवं कूड़ी भगतासनी क्षेत्र में नवीन जिला अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र लूणी को राष्ट्रीय राजमार्ग 65, 112 एवं 114 पर ग्राम कांकाणी, भाण्डाकलां एवं बम्बोर दर्जियान एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केरू में 108 एम्बुलैंस सेवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र लूणी में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों पर चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने एवं इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक उपकरण व एम्बुलैंस उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

95. अटरू उप खण्ड मुख्यालय के चिकित्सालय से पी.जी. करने गये चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

96. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर नर्सिंग स्टाफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. सूरतगढ़ की जैतसर मण्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के बख्तावरपुरा व बीरमाणा पीएचसी में चिकित्सकों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. सूरतगढ़ शहर के ट्रोमा सेंटर में पूरा स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. सूरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में गायनिकी महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

101. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में चिकित्सा सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

102. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में गुढ़ा व उदयपुरवाटी सीएचसी को 100 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम पंचायत छऊ बालाजी स्टैण्ड खींवासर में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

104. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की प्रत्येक पीएचसी व सीएचसी में हार्ट अटैक के काम में आने वाला इंजक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

105. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की सीएचसी को रैफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

106. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

107. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने उप केन्द्रों को पीएचसी में तथा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में ट्रोमा सेंटर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा):

109. जिला करौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. जिला करौली में सिलिकोसिस की रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी):

111. राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से आगरा पर स्थित तहसील बस्सी में ट्रोमा सेंटर खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी में सोनोग्राफी मशीन एवं एमआरआई मशीन चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

113. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की पीएचसी सुलताना एवं इस्लामपुर को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

114. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय एन.एच. 08 पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री नाना लाल अहारी)

115. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में रिक्त पड़े चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्टाफ के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित 108 एवं 104 वाहनों की उचित देखभाल के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के असारीवाडा, धाणा, कातरवास कलां, बिलख एवं अन्य पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव एवं खैरवाड़ा में 30 बैड से 50 बैड (शय्या) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

119. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सभी अस्पतालों में रिक्त पड़े चिकित्सकों, ए.एन.एम., लेब टेक्नीशियन सहित अन्य सभी संवर्गो के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 365 शेड (2 K L D) में 108 एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

121. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू के मुख्यालय पिण्डवाडा स्थित सीएचसी को सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू क्षेत्र की सीएचसी पिण्डवाडा में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

123. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

124. बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद की पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समरानियां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

126. आदर्श पीएचसी खेरोदा को सीएचसी में घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. आदर्श पंचायत बड़गांव व बाठेड़ा कलां में पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

128. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय को 150 बैड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शिशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैंपऊ चिकित्सालय को 100 बैड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सकों एवं अन्य रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

132. विधान सभा क्षेत्र मावली में डबोक पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र मावली में नगरपालिका फतेहनगर सनवाड़ में ए.एन.एम. स्कूल/महिला नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र मावली में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री दलीचन्द डांगी)

135. विधान सभा क्षेत्र मावली में नगरपालिका फतेहनगर सनवाड़ में सैटेलाइट/सिविल हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

136. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों को भरने एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स पर गये हुए चिकित्सकों के स्थान पर अन्य चिकित्सकों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. कोटा जिले के चिकित्सालयों में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना क तहत उपलब्ध कराई जाने वाली दवाईयों की नियमित आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. राजकीय महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा में दवाइयों की खरीद में हो रही अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के गांव में लोक स्वास्थ्य को देखते हुए शौचालय निर्माण एवं कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं चिकित्सालयों में साफ-सफाई व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना):

141. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम गौरावा कल्याणपुरा, जसवन्तपुरा, खेडी लीला, रायथलिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

142. विधान सभा क्षेत्र भीम में चल रही 108 खटारा एम्बुलैन्सों की जगह नये वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

143. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मगसवाड को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडी सादडी में बैड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

146. विधान सभा क्षेत्र बायतू की पीएचसी गिड़ा को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र बायतु में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पूर्व में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर सीएचसी या पीएचसी संचालित है को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. परिवार कल्याण केन्द्र नौसर को सेवणियाला बायतू में स्थानान्तरित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र बाययू में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

151. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पीएचसी व सीएचसी में दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. जिला अलवर में जिला स्तर के चिकित्सालय में पूर्ववर्ती बजट घोषणा के अनुसार कार्डियोलोजिस्ट चिकित्सक का पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 10 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):

154. श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में जर्जर हो चुके नेत्र चिकित्सा वार्ड के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

155. श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में बिजली वायरिंग के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में बाह्य रोगी कक्ष (ओपीडी ब्लॉक) के संबंध में चर्चा के लिए।

157. श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय सांझी छत स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय की प्रथम मंजिल पर पंचकर्म चिकित्सा सेवा प्रारम्भ के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

158. बांदीकुई सीएचसी शहर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. बांदीकुई प्रतापपुरा बडियाल कलां को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. बांदीकुई सीएचसी को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

161. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भादरा (जिला हनुमानगढ़) में चिकित्सकों के विभिन्न रिक्त पदों को शीघ्र भरवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र भादरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र रासलाना को पीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र भादरा के चिक्तिसा सुविधा से पूर्णतया वंचित अनेक ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

164. अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन व कार्डियोलोजिस्ट (विशेषज्ञों) की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):</u>

165. सरकार द्वारा दिनांक 07.03.2017 के तत्पश्चात दिनांक 09.03.2017 द्वारा प्रमुख विशेषज्ञ को आचार्य के समतुल्य व वरिष्ठ विशेषज्ञ व कनिष्ठ विशेषज्ञ की सह आचार्य व सहायक आचार्य के पद के संबंध में चर्चा के लिए।

166. एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर एवं उससे संबंधित चिकित्सालयों को All India Institute of Medical Science की तर्ज पर Institute बनाए जाने की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के लूणकरणसर व महाजन क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हीरालाल (निवाई):</u>

168. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू उपखण्ड मुख्यालय निवाई पर राजकीय सामुदायिक अस्पताल को 50 बैड से बढ़ाकर 100 बैड करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू उपखण्ड मुख्यालय निवाई पर ट्रोमा अस्पताल खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू तहसील निवाई के ग्राम केरोद, संग्रामपुरा, गुढ़ाआनन्दपुरा नाहरवाड़ी, मण्डालिया व तहसील पीपलू के ग्राम बिजलपुरा, नौरंगपुरा, बनवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू तहसील निवाई के ग्राम-ललवाड़ी, बड़ागांव, सिरोही तहसील-पीपलू के चौगाई उप स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में निवाई की पीएचसी झिलाय, राटोली एवं राणोली में सीएचसी में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

173. बीकानेर में सर्वोदय बस्ती क्षेत्र में नवीन डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

174. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पण्डित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में स्वीकृत ब्लड बैंक के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के सूरज गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के ग्राम पंचायत ठाकरडा व पादरडी बड़ी में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्राम पंचायत भलूड़ा मुख्यालय पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

178. राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में सीटी स्कैन मशीन लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

179. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में मौसमी बिमारियों की रोकथाम हेतु पीएचसी स्तर पर व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में सेटेलाइट अस्पताल की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

182. राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय तरनाउ (जायल) को 'आदर्श' चिकित्सालय घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए ।

183. राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय जायल (नागौर) में एक 'महिला चिकित्सक' की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय-जायल (नागौर) को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(डॉ. मंजू बाघमार)

185. राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय-जायल (नागौर) में एक 'डेन्टल चेयर' व एक एम्बूलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):</u>

186. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील कोटड़ी के ग्राम पंचायत मुख्यालय साखड़ा पर नवीन पीएचसी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों पर तत्काल पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

188. पीएचसी शक्करगढ़ एवं खजूरी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पण्डेर कस्बे में हाइवे रोड पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना तथा सीएचसी जहाजपुर में डिजीटल एक्सरे मशीन लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

190. सीएचसी कोटड़ी में रिक्त पदों पर स्थायी चिकित्सक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):</u>

191. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलडी एवं महिपालपुरा में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के सीएचसी एवं पीएचसी में लगे चिकित्सकों को ग्रामीण अनुभव का प्रमाण पत्र देने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में सोनोग्राफी, कार्डियो लेब, सीटी स्केन, एमआरआई की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. डूंगरपुर सामान्य अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

195. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्यक केन्द्र जमावारामगढ़ को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

197. प्रदेश में भामाशाह योजना में वंचित निजी अस्पतालों को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. प्रदेश में ट्रोमा सेन्टर में निर्धारित उपकरणों की कमी के संबंध में व फतेहपुर में स्थित ट्रोमा सेन्टर में सुविधाओं/उपकरणों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में खुलने वाली सिटी डिस्पेन्सरी एवं नये उप स्वास्थ्य केन्द्र व पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे में स्थित सीएचसी में गायनिक चिकित्सक लगाने व बैडों की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. प्रदेश में स्थित सभी उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सीएचसी में गायनिक चिकित्सक लगाने एवं रिक्त पदों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

202. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित राजकीय सिटी डिस्पेंसरी में मरीजों की जांच हेतु एक प्रयोगशाला एवं बच्चा जननी सुविधा केन्द्र स्थापित कराने तथा उक्त डिस्पेन्सरी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत कराने की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्राम पंचायत मुख्यालय छोटालाम्बा, बोराड़ा, बरोल पंचायत समिति अरांई एवं ग्राम पंचायत

(श्री भागीरथ चौधरी)

मुख्यालय पाटन एवं काढ़ा पंचायत समिति किशनगढ़ तथा शहरी क्षेत्र के हाऊसिंग बोर्ड में नवीन आयुर्वेद औषद्यालय की स्थापना की सक्षम स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

204. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में डिजिटल एक्स-रे सुविधा हेतु वर्तमान में उपलब्ध 500 एफ.ए. एक्स-रे मशीन पर सी.आर. सिस्टम अनुमानित लागत ₹ 15 लाख एवं नई सी.आर्म एवं ऑर्थोपेडिक ओ.टी. टेबल क्रय हेतु ₹ 13 लाख की बजट स्वीकृत अविलम्ब जारी कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शीघ्र प्रारंभ कराने की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा):</u>

206. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में उप स्वास्थ्य केन्द्र कोलिण्डा एवं कमालसर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में श्यामपुरा (दिलोई), राहड़ो का बास (लादूसर), झटावा कलां (झटावा खुर्द), किसारी (हनुमानपुरा) एवं कंकडेऊ कलां (कंकडेऊ खुर्द) में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती संजना आगरी (सोजत):</u>

208. विधान सभा क्षेत्र सोजत के सीएचसी एवं पीएचसी में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. सोजत तहसील के राजकीय चिकित्सालय बगड़ी नगर में ब्लड बैंक खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम पोटलिया, लाणेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती संजना आगरी)

211. विधान सभा क्षेत्र सोजत में रायपुर राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम पंचायत धुरासनी व गुड़ा कलां, गुड़ा बीजा में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

213. नारेड़ा कोटपूतली जयपुर की सीएचसी के विस्तार हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. ग्राम पंचायत दांतिल पंचायत समिति कोटपूतली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. बी.डी.एम. अस्पताल कोटपूतली में बेडों की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. बी.डी.एम. अस्पताल कोटपूतली जयपुर में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्र से वंचित ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

218. प्रदेश में चिकित्सा विभाग के बिगड़ते हालात के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

219. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के आर.बी.एम. चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की पीएचसी सेवर को क्रमोन्नत कर सीएचसी कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. भरतपुर स्थित आर.बी.एम. हॉस्पिटल में एम.आर.आई. मशीन लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

222. जिला चिकित्सालय दौसा में ट्रोमा यूनिट में सी.आर्म मशीन, ओ.टी. टेबल, डिजीटल सोनोग्राफी एवं सर्जरी हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र दौसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगलराजावतान एवं कुण्डल को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

224. Indian Public Health Guideline (IPHS) 2012 के नियमानुसार दौसा चिकित्सालय में नर्सिंग कार्मिकों के पद सृजित कर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

225. SNCU यूनिट में नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार दौसा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में SNCU में बैड क्षमता 13 से बढ़ाकर औसत प्रसव के अनुसार 36 करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

226. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ सीएचसी में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में एम्बुलैंस 104 व 108 का नियन्त्रण केन्द्र उप खण्ड मुख्यालय पर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ सीएचसी को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में नर्स ग्रेड-।। के समाप्त किये गये पदों के पुन: स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रिक्त चिकित्सकों के पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

231. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के चिकित्सालयों में कर्मचारी एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

232. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के तलावडा आदर्श सीएचसी में स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के गंगापुर सिटी में ट्रोमा सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. गंगापुर सिटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को महिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग):

235. विधान सभा क्षेत्र डग में चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र डग के चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

237. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में खस्ताहाल एम्बुलैंस व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में नवीन चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के चिकित्सकों व अन्य चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर आवश्यक संसाधनों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में स्त्री रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग, नेत्र रोग चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कंवर लाल (मनोहर थाना):

242. प्रदेश में संचालित चिकित्सालयों में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

243. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के चिकित्सालयों के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री कंवर लाल)

244. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के चिकित्सालयों में सफाई के संबंध में चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के आसनावर में सीएचसी पर ट्रोमा सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा सीएचसी पर ट्रोमा सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

247. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

248. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में 30 बैड के चिकित्सालय को 50 बैड में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

249. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पादरू पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के डण्डाली एवं सिणेर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सीएचसी सिवाना/सिणधरी/समदड़ी में महिला चिकित्सक एवं सभी रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजस्व गांवों में नये सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. सीएचसी सिणधरी में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

254. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की बसवा एवं बडियाल कलां सीएचसी में 104 एम्बुलेंस की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255. बांदीकुई सीएचसी में सोनोलोजिस्ट की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

256. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में श्रीमती गोपी पत्नी श्री कानाराम देवासी ग्राम पोस्ट धामली का नसबन्दी असफल होने से क्लेम नही मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

257. ग्राम सेपटावा पंचायत समिति राणी एवं ग्राम रायपुरीया पंचायत समिति रानी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति देसुरी के अटाटीया में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति रानी के ग्राम पिलावनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

261. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा सुधार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद):

262. विधान सभा क्षेत्र धोद में उप स्वास्थ्य केन्द्र सरवड़ी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

263. विधान सभा क्षेत्र धोद के श्री बद्रीनारायण सोढ़ाणी चिकित्सालय लोसल को सिटी डिस्पेन्सरी घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

264. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल में फिजिशियन, शिशु विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

265. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उपखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बन्द एक्स-रे मशीन को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री जगसी राम)

266. विधान सभा क्षेत्र रैवदर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र रैवदर मुख्यालय पर सामुदायिक चिकित्सालय में 108 एम्बुलैंस की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र रैवदर उपखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

269. विधान सभा क्षेत्र रैवदर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरोड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बच्चू सिंह (बयाना):

270. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना चिकित्सालय हेतु संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

271. विधान सभा क्षेत्र बयाना के हाल सीएचसी पहाड़पुर पर सफाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

272. विधान सभा क्षेत्र बयाना के सीएचसी रूपवास में दानदाताओं द्वारा दी गई गाड़ियों को चलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र बयाना में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र बयाना की पीएचसी रूदावल को रैफरल या सीएचसी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

275. विधान सभा क्षेत्र आमेर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

276. प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चकित्सक की नियुक्ति/पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

277. प्रदेश में मलेरिया/डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों को समाप्त करने के लिए फोगिंग/दवा छिड़काव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

278. सीकर जिले में उपस्वास्थ्य केन्दों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम./नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

279. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपर में भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280. सीकर जिले के भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

281. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में ब्लड बैंक की सभी सुविधाएं होने के बावजूद प्रारम्भ नही कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

282. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा मुख्यालय रानीवाड़ा पर सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

283. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में धनपुरा, चारा, खापरोल ढ़ाणी, शिवगढ़, राजपुरा, उचमत, चाण्डपुरा, वाडा जैतपुरा, तुलछाणियों की ढ़ाणी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

284. रानीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बैड संख्या 30 से 50 किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

285. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पावली, रोपसी, दाता, लुणियासर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखाराम (मेड़ता):

286. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में मेड़ता शहर स्थित पुराने चिकित्सायल भवन में महिला चिकित्सालय चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

287. राजकीय चिकित्सालय टोंक को 200 बैड से बढ़ाकर 300 बैडों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

288. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र टोंक में समुचित स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

289. राजकीय चिकित्सालय टोंक में सीटी स्कैन, एम.आर.आई, 2डी इका मशीन तथा रंगीन सोनोग्राफी मय चिकित्सक विशेषज्ञ की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

290. विधान सभा क्षेत्र टोंक में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

291. राजस्थान आवासन मण्डल टोंक के सेक्टर नं. 1 में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

292. आहौर सीएचसी को 50 से 75 या 100 बैड में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

293. आहौर के भाद्राजुन पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्न्त करने एवं शंखवाली में नवीन पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

294. विधान सभा क्षेत्र आहौर के उण गांव में नवीन आयुर्वेद अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

295. नागौर शहर में सरवन पीएचसी की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

296. नागौर जे.एल.एन. में एम.डी. व सर्जन चिकित्सक की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

297. नागौर जे.एल.एन हॉस्पिटल में डायलिसिस की यूनिट को चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

298. नागौर जे.एल.एन हॉस्पिटल को 150 बैड से 300 बैड कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

299. नागौर जे.एल.एन में नई एम्बुलैंस की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर):

300. विधान सभा क्षेत्र नगर मे स्त्री रोग चिकित्सक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

301. विधान सभा क्षेत्र नगर में सीएचसी नगर में ब्लड बैंक बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर शहर में संचालित सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

303. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर शहर में सीएचसी को 100 बैड में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र नगर में वेरू व खोहरी में नयी पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी):

305. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में चिकित्सक की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

306. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में जिला चिकित्सालय सैटेलाइट अस्पताल में आई.सी.यू. कक्ष स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

307. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत देवलिया, देवलियां कलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

308. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के उपस्वास्थ्य केन्द्र कनई कलां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

309. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत रामगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

310. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत बान्दनवाड़ा में बन्द 208 एम्बुलैंस को शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती सुशील कंवर)

311. विधान सभा क्षेत्र मसूदा कि ग्राम पंचायत बान्दनवाड़ा में दो कमरे का अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):</u>

312. प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा औषद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):</u>

313. प्रदेश के समस्त आयुष केन्द्रों पर होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति करने एवं नवस्थापित वेलनैस सेन्टर पर भी होम्योपैथी चिकित्सा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जोगाराम पटेल (लूणी):</u>

314. प्रदेश में आयुष मिशन की प्रशासनिक व्यवस्था में होम्योपैथिक चिकित्सकों को पदस्थापित करने एवं होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड को औषधी निरीक्षण व उत्पादन नियंत्रण का कार्य देने के संबंध में चर्चा के लिए।

315. होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय "राजस्थान आुयर्वेद विश्वविद्यालय" जोधपुर में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):</u>

316. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पंचायत समिति बड़ी सादड़ी में ग्राम पंचायत खैरमालिया एवं जिला प्रतापगढ़ में ग्राम पंचायत रठाजना पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

317. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगला में डिजीटल ऐक्स-रे मशीन के लिए कम्प्यूटर सैट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शैतान सिंह (पोकरण):</u>

318. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के रजमथाई एवं छपण्ड में पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):</u>

319. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री कन्हैयालाल)

मालपुरा को ट्रोमा अस्पताल में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

320. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बैडों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

321. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की स्वीकृत पांचला सीएचसी के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

322. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के स्वीकृत भवन रहित पीएचसी व सब सेन्टर हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

323. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम व लोक देवता तेजाजी की जन्म स्थली खरनाल में पीएचसी स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

324. जिला मुख्यालय नागौर में जे.एल.एन. जिला अस्पताल में निर्माण हो चुकी मातृ एवं शिशु विंग तथा ट्रोमा सेन्टर को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

325. नागौर शहर के पुराने जिला अस्पताल के भवन में सैटेलाइट अस्पताल शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद):

326. विधान सभा क्षेत्र आसींद, बदनोर व गुलाबरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

327. गुलाबरा की सीएचसी में चिकित्सक के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

328. आसीन्द सीएचसी में गायनिक चिकित्सक एवं सर्जन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

329. आसीन्द सीएचसी में डिजीटल ऐक्स-रे व सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रामनारायण (नसीराबाद):</u>

330. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):</u>

331. दूदू ट्रोमा सेन्टर (सीएचसी दूदू) के नवीन भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

332. ग्राम पंचायत झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नवीन भवन के लिए राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा):</u>

333. सीएचसी उनियारा में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

334. सीएचसी देवली में चिकित्सीय उपकरण खराब होने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):</u>

335. एसएमएस अस्पताल जयपुर में डिजास्टर मेनेजमेंट एवं ट्रोमा को ट्रेनिंग सेन्टर बनाया जाकर निदेशक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

336. एसएमएस अस्पताल, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जयपुर एवं ट्रोमा अस्पताल, जयपुर में दंत सर्जन के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

337. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दनगर (पूर्व) जयपुर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

338. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार जयपुर के भवन की रख-रखाव हेतु प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):</u>

339. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना कस्बे में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री निर्मल कुमावत)

340. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में नये ऑपरेशन थियेटर बनाने एवं वर्तमान में स्थित थियेटरों में उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

341. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

342. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा व रावतासर में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

343. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उपस्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्न्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोहर सिंह (लाडनूं):

344. राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर एक ही परिसर में संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

345. सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में आई.एन.सी. मानदण्डानुसार पद सृजित कर आरपीएससी से भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

346. नर्सिंग संवर्ग (टीचिंग एवं क्लीनीकल) की वेतन विसंगती दूर कर केन्द्र के समान वेतनमान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर):

347. डी. फार्मा एवं जी.एन.एम. स्कूल जयपुर के भवनों को आपस में बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

348. नर्सिंग ट्यूटर पद को राजपत्रित एवं नर्स श्रेणी प्रथम व द्वितीय पद का नाम नर्सिंग ऑफिसर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

349. नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों का स्टाइपन्ड बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।